Tuesday, 15th December, 1987

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

आठवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 34, नौवां सत्र 1987/1909 (शक)

अंक 28, मंगलवार, 15 दिसम्बर, 1987/24 अग्रहायण, 1909 (शक)

विषय	पृष्ठ
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	3—10
कार्य मंत्रणा समिति	10—11
47वां प्रतिवेदन	
मीटर यान विधेयक, 1987—वापस लिया गया	11—18
नियम 377 के अधीन मामले	18—24
(एक) बिक्री-कर और चुंगी को तुरन्त समाप्त किये जाने की आवश्यकता	
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही	18
(दो) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पानी की कमी की समस्या हल करने के लिये पृथक धनराशि का नियतन किये जाने की आवश्यकता	
श्री हरीश रावत	19
(तीन) इलाहाबाद-बलिया के बीच मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की मांग	
श्री राज कुमार राय	19
(चार) पश्चिम बंगाल के सरकारी क्षेत्र के एककों के कर्मचारियों को अन्तरिम राहत देने की आवश्यकता	
श्री बसुदेव आचार्य	20
(पांच) तेलंगाना क्षेत्र के लिये केन्द्रीय बजट में विशेष धनराशि का नियतन किये जाने की आवश्यकता	
श्री सी० जंगा रेड्डी	20
(छ) चित्रकूट और महियार को पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित करने की मांग	
श्री अजीज कुरेशी	20
(सात) उत्तर प्रदेश में ऐटा में केन्द्रीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता	
श्री मोहम्मद महफूज अली खां	21

विषय	पृष्ठ
(आठ) विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये होटलों में कैसिनो खोलने का प्रस्ताव त्याग देने की आवश्यकता	
श्री राम पूजन पटेल	21
(नौ) राजस्थान में सूखे से निपटने के लिये राज्य को अधिक वित्तीय सहायता दिये जाने की आवश्यकता	
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	22
(दस) उड़ीसा के गंजम जिले में केसपुंद रेलवे स्टेशन पर कोणार्क एक्सप्रेस का हाल्ट बनाने की आवश्यकता	
श्री सोमनाथ रथ	23
(ग्यारह) खलीलाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सभी गांवों को बिजली प्रदान करने की आवश्यकता	
डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी	23
(बारह) हिमाचल प्रदेश को वित्तीय कठिनाइयों से उबरने के लिये अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता	
श्री के० डी० सुल्तानपुरी	24
प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) विधेयक	24—34
विचार करने के लिये प्रस्ताव	
श्री नारायण चौबे	24
श्री राम सिंह यादव	26
श्री अमल दत्ता	28
श्री नारायण दत्त तिवारी	32
खण्ड 2 से 189 तथा 1	34
पारित किये जाने का प्रस्ताव	
श्री नारायण दत्त तिवारी	34
सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुनर्गठन, सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर संसदीय नियंत्रण और गैर-सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों तथा विदेशी बैंकों के राष्ट्रीयकरण आदि के संबंध में याचिका	35
सती (निवारण) विधेयक	35—104
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्रीमती मारग्रेट आल्वा	35

विषय		पृष्ठ
	श्री काली प्रसाद पाण्डेय	37
	श्री एम० वाई० घोरपडे	38
	श्रीमती विभा घोष गोस्वामी	40
	श्री महेन्द्र सिंह	44
	श्री दिनेश गोस्वामी	44
	श्री राम नगीना मिश्र	47
	श्रीमती शीला कौल	49
	श्रीमती गीता मुखर्जी	50
	डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी	55
	श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी	59
	डा० फूलरेणु गुहा	60
	श्री उमाकान्त मिश्र	62
	श्री राम बहादुर सिंह	64
	श्रीमती मनोरमा सिंह	67
	श्री विष्णु मोदी	68
	श्री एन० वी० एन० सोमू	70
	श्रीमती ऊषा चौधरी	71
	डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी	74
	श्री पीयूष तिरकी	76
	श्री सी० जंगा रेड्डी	78
	श्रीमती ऊषा ठक्कर	78
	श्री कम्मोदी लाल जाटव	79
	श्रीमती मारग्रेट अल्वा	79
	खण्ड 2 से 22 तथा 1	86—103
पारित करने के लिये प्रस्ताव		
	श्रीमती मारग्रेट अल्वा	103
	प्रो० एन० जी० रंगा	103
	प्रो० मधु दण्डवते	104
	श्री सी० माधव रेड्डी	104
	श्री बसुदेव आचार्य	104

विषय	पृष्ठ
राज्य सभा से संदेश	105 और 129
चण्डीगढ़ (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक	105—108
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	105
श्री अनिल बसु	106
खण्ड 2 से 4 तथा 1	108
पारितकिये जाने का प्रस्ताव	
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	108
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् विधेयक	108—128
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव	108
श्री सैयद शाहबुद्दीन	110
श्री पी० कुलनदईवेलु	113
श्रीमती गीता मुखर्जी	114
डा० फूलरेणु गुहा	115
श्री सी० जंगा रेड्डी	117
श्रीमती कृष्णा साही	118
खण्ड 2 से 25 तथा 1	125—127
पारित करने के लिये प्रस्ताव	
श्रीमती कृष्णा साही	127
श्री सी० माधव रेड्डी	127
प्रो० मधु दंडवते	128
श्री पी० वी० नरसिंह राव	128
सभा की बैठक का समय बढ़ाये जाने के संबंध में	116—117
प्रशासनिक न्यायाधिकरण (संशोधन) विधेयक	129—131
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री पी० चिदम्बरम	129
खण्ड 2 से 6 तथा 1	130
पारित करने के लिये प्रस्ताव	
श्री पी० चिदम्बरम	130
भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त समिति सम्बन्धी प्रस्ताव	131—136
कुमारी सरोज खापर्डे	131

लोक सभा

मंगलवार, 15 दिसम्बर, 1987/24 अग्रहायण, 1909 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : महोदय···(व्यवधान)।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ममता जी क्या कह रही हैं ?

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पिचहत्तर हजार श्रमिक अन्तरिम सहायता के मुद्दे पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। श्रम मंत्री, श्री संगमा, जो यहां पर उपस्थित हैं, इस बात से सहमत हैं; ऊर्जा मंत्री भी सहमत हैं, परन्तु उद्योग मंत्री इसे देने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं चाहती हूं कि उद्योग मंत्री इस संबंध में अपना वक्तव्य दें···(व्यवधान) आज सत्र का अन्तिम दिन है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अच्छा ठीक है, सुन लिया।

[अनुवाद]

श्री पी० कुमारमंगलम (सलेम) : श्री बसन्त साठे और श्री संगमा ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रतीत होता है कि सरकार ने इस समझौते को मान्यता नहीं दी है। श्री संगमा आखिर श्रम मंत्री हैं। वह इस संबंध में क्या कर रहे हैं ?···(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बस, बस, बस।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, पश्चिम बंगाल के श्रमिकों के साथ भेदभाव बरता जा रहा है। उन्हें अन्तरिम राहत नहीं दी जा रही है। आज इस सत्र का आखरी दिन है, उन्हें इस बारे में एक वक्तव्य देना चाहिए। श्री संगमा ने एक प्रतिनिधि मण्डल को यह आश्वासन दिया था कि··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सुन लिया है, शोर न करें।···सारे शोर क्यों कर रहे हैं ? *मैं देख लूंगा।*

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं देख लूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिये, आपकी बात सुनी गई, मैंने भी कह दिया है।

श्री बसुदेव आचार्य : आज स्टेटमेंट देने के लिए बोलिए।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, आपकी बात सुनी गई, मैंने भी कह दिया है, आपकी सारी बात चली गई है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : कपड़ा, जूता, अन्य उद्योगों के एक लाख श्रमिकों को अन्तरिम राहत का भुगतान नहीं किया जा रहा है···(**व्यवधान**)

कुमारी ममता बनर्जी : आज इस सत्र का आखरी दिन है, वह यहां पर हैं। हमें न्याय चाहिए ···(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : दोनों मिनिस्टरों के कान खुले हैं, बन्द नहीं हैं। उन्होंने आपकी बात सुनी है।

श्री बसुदेव आचार्य : नहीं सुन रहे हैं।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : श्रम मंत्री कुछ नहीं कर सकते हैं। उद्योग मंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : कृपया उन्हें स्टेटमेंट देने के निर्देश दें।···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैंने उनसे कह दिया है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा। इसके बाद किसी सदस्य को मैंने अनुमति नहीं दी है।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

11.05 म० प०

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कलकत्ता, इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड; भारत आप्थेलमिक ग्लास लिमिटेड और रिहेबिलिटेशन इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण और वार्षिक रिपोर्टों की समीक्षा

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : मैं, श्री जे० वेंगल राव की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं—

(1) (एक) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5430/87]

(2) (एक) इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) इंजनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय मे रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5431/87]

(3) (एक) भारत ओफ्थैलमिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) भारत ओफ्थैलमिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5432/87]

(4) (एक) पुनर्वास उद्योग निगम सीमित, कलकत्ता के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) पुनर्वास उद्योग निगम सीमित, कलकत्ता का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5433/87]

हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम सीमित, नई दिल्ली का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उनके कार्यकरण की समीक्षा

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं—

(1) हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम सीमित, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) हिन्दुस्तान वनस्पति तेल उद्योग सीमित, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5434/87]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण सीमित का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की समीक्षा तथा खनिज विकास बोर्ड का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की समीक्षा

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : मैं निम्नलिखित पत्रों को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 616क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं—

(1) (एक) भारतीय इस्पात प्राधिकरण सीमित तथा इसकी सहायक कम्पनियों, अर्थात् इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड एण्ड ईसको' उज्जैन पाइप एण्ड फाउन्डरी कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय इस्पात प्राधिकरण सीमित तथा इसकी सहायक कंपनियों, अर्थात्, इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड एण्ड 'ईसको' उज्जैन पाइप एण्ड फाउन्डरी कम्पनी लिमिटेड का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5435/87]

(2) (एक) खनिज विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) खनिज विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5436/87]

पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस (संशोधन) नियम, 1987

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : मैं, श्री ब्रह्म दत्त की ओर से तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 की धारा 10 के अन्तर्गत पेट्रोलियम तथा

प्राकृतिक गैस (संशोधन) नियम, 1987 जो 21 नवम्बर, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 867 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5437/87]

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वर्ष 1986-87 के समेकित वार्षिक लेखे

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : मैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वर्ष 1986-87 के समेकित वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5438/87]

राजभाषा अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत अधिसूचना और अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 8 की उपधारा (2) के अन्तर्गत राजभाषा (संघ के सरकारी प्रयोजनों के प्रयोग हेतु) संशोधन नियम, 1987, जो 9 अक्तूबर, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 790(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5439/87]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं—

(1) (एक) सा० का० नि० 965(अ), जो 8 दिसम्बर, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें द्वारा 11 जून, 1987 की अधिसूचना संख्या 165/87 के० उ० शु० में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (चौथा संशोधन) नियम, 1987 विखंडित किए गए हैं।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (नवां संशोधन) नियम, 1987, जो 8 दिसम्बर, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 966(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5440/87]

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 973(अ), जो 10 दिसम्बर, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 अक्तूबर, 1977 की अधिसूचना संख्या 208 सी० शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि नेपाल को निर्यात किए जाने वाले ऐसे माल को, जहां किसी भी मुक्त रूप से परिवर्तन की जाने वाली मुद्रा में भुगतान प्राप्त होता हो तथा नेपाल की शाही सरकार द्वारा आमंत्रित किये गये किसी भी विश्वव्यापी टेंडर पर उन्हें निर्यात किये गये ऐसे कतिपय विनिर्दिष्ट पूंजीगस माल को भी, यहां तक कि जब उसका भुगतान भारतीय मुद्रा में प्राप्त किया जाए, शुल्क-वापसी की छूट दी जा सके, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5441/87]

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गयी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा० का० नि० 912(क), जो 13 नवम्बर, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 जून, 1981 की अधिसूचना संख्या 123/81-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि पैक की जानी वाली सामग्री 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों द्वारा शुल्क के भुगतान की अदायगी के बिना खरीदा जा सके।

(दो) सा० का० नि० 972(अ), जो 10 दिसम्बर, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 29 जुलाई, 1981 की अधिसूचना संख्या 150-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि यह व्यवस्था की जा सके कि नेपाल की शाही सरकार द्वारा आमंत्रित विश्वव्यापी निविदाओं पर उत्पाद-शुल्क की अदायगी के बिना भारतीय मुद्रा में भुगतान पर कारखानों में निर्मित पंजीगत माल का नेपाल को निर्यात किया जा सके, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5442/87]

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास का वर्ष 1986-87 का प्रतिवेदन और नेशनल इंस्टीच्यूट आफ फाउंड्री एण्ड फोर्ज टेकनोलाजी, रांची का वर्ष 1986-87 का प्रतिवेदन और उनके कार्यकरण आदि की समीक्षा

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं—

(1) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5443/87]

(2) (एक) नेशनल इंस्टीच्यूट आफ फाउंड्री एण्ड फोर्ज टेकनोलाजी, रांची के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टीच्यूट आफ फाउंड्री एण्ड फोर्ज टेकनालाजी के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5444/87]

(3) (एक) बाल भवन सोसायटी (इण्टिया), नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बाल भवन सोसायटी (इण्डिया), नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) बाल भवन सोसायटी (इण्डिया), नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5445/87]

(4) (एक) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फांउडेशन, कलकत्ता के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फांउडेशन, कलकत्ता के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5446/87]

सेंटर फार डिवलपमेंट आफ टेलीमैटिक्स, नई दिल्ली का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की समीक्षा

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) सेंटर फार डिवेलपमेंट आफ टेलीमैटिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) सेंटर फार डिवेलपमेंट आफ टेलीमैटिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5447/87]

भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन और निर्यात निरीक्षण परिषद तथा निर्यात निरीक्षण अभिकरण के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन और उनके कार्यकरण की समीक्षा

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : मैं, श्री प्रियरंजन दास मुन्शी की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं—

(एक) भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण का सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5448/87]

(2) (एक) निर्यात निरीक्षण परिषद् तथा निर्यात निरीक्षण अभिकरण (खण्ड 1 और 2) के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) निर्यात निरीक्षण परिषद् तथा निर्यात निरीक्षण अभिकरण के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5449/87]

(3) (एक) इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद्, कलकत्ता के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5450/87]

केन्द्रीय आयुर्वेद तथा सिद्ध अनुसंधान परिषद का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर विलम्ब से रखने के कारणों को दर्शाने वाला विवरण तथा केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की समीक्षा

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं—

(1) (एक) केन्द्रीय आयुर्वेद तथा सिद्ध अनुसंधान परिषद के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय आयुर्वेद तथा सिद्ध अनुसंधान परिषद के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5451/87]

(2) केन्द्रीय आयुर्वेद तथा सिद्ध अनुसंधान परिषद् के वर्ष 1986-87 के लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर तथा सभा पटल पर न रखने के कारणों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5452/87]

(3) (एक) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5453/87]

(4) (एक) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5454/87]

(5) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारणों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5455/87]

(6) (एक) विश्वायतन योगाश्रम, नई दिल्ली के 18 फरवरी से 31 मार्च, 1980 तक की अवधि के लिए वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विश्वायतन योगाश्रम, नई दिल्ली के 18 फरवरी से 31 मार्च, 1980 तक की अवधि के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5456/87]

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5456/87]

(8) स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान, संस्थान गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं की लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीनों की निर्धारित उवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारणों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5457/87]

(9) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारणों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5458/87]

राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम लिमिटेड का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की समीक्षा

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिति पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं —

(एक) राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम लिमिटेड के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम लिमिटेड का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5459/87]

11.08 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

47वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री और खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि यह सभा 14 दिसम्बर, 1987 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 47वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 14 दिसम्बर, 1987 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 47वें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मोटर यान विधेयक*

[अनुवाद]

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मोटर यान संबंधी विधी का समेकन करने तथा उसमें संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मोटर यान संबंधी विधि का समेकन करने तथा उसमें संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री राजेश पायलट : महोदय, मैं विधेयक वापस लेता हूं ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी को निर्देश नहीं दे सकता हूं ।

(व्यवधान)

श्री बासुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, आपकी क्या टिप्पणी है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बता दिया है । अब सुनिए । इस ओर ध्यान दीजिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए ।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, कृपया उन्हें निर्देश दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : निर्देशन का प्रश्न केवल तभी होता है जब सदन में सर्वसम्मति हो ।

श्री बसुदेव आचार्य : सर्वसम्मति है । हम एकमत हैं ।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : तीन में से 2 मंत्री सहमत हैं...**(व्यवधान)**

---

* दिनांक 15-12-87 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित ।

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने तो कह दिया है। आप मेरी बात सुन लीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, आप कल्पना कर सकते हैं। जब कुमारी ममता बनर्जी तथा सी० पी० आई० (एम) सहमत हैं, इससे अधिक सर्वसम्मति और क्या हो सकती है?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके साथ इस संबंध में सहमत हूं।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, यह श्रमिक कल्याण का मामला है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप सब सहमत हैं, तो मैं मंत्री महोदय को भी निर्देश दे सकता हूं।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैंने इस मामले पर नियम 377 के अधीन एक प्रस्ताव पर अनुमति भी दी है।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : धन्यवाद, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : जी, हां। मंत्री महोदय।

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : महोदय, मैं सदन के सभापटल पर पत्र रखने के लिए आया हूं...

अध्यक्ष महोदय : आप बाद में तैयारी के साथ आ सकते हैं।

श्री पी० ए० संगमा : नही महोदय, मैं इस समय बोल सकता हूं। यह सच है कि केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संघों के प्रतिनिधि के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसमें इस बात की सहमति की गई थी कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अंतरिम सहायता दी जायेगी। इसके पशचत् सरकारी उद्यम ब्यूरो, उद्योग विभाग ने स्वंय उसकी व्याख्या की तथा कुछ यूनियनों को अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। ट्रेड यूनियन संघों से हमें फिर ज्ञापन प्राप्त हुआ है। मैं पश्चिम बंगाल के एक संघ से मिला भी हूं। इस समय सम्पूर्ण मामला सचिवों की समिनि के समक्ष है। सचिवों की समिति द्वारा जांच लिये जाने के बाद यह मामला फिर मंत्रिमंडल के समक्ष जायेगा। इस समय यह स्थिति है।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। उद्योग मंत्री इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

(व्यवधान) **

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अगर आप नहीं करना चाहते तो छुट्टी कर देता हूं।

[अनुवाद]

यदि आप चाहते हैं तो मैं सभा को स्थगित कर सकता हूं।

[हिन्दी]

अगर आपकी इच्छा नहीं है काम करने की तो ठीक है।

[अनुवाद]

अब आप सुनिए। बहुत हो गया। यह कोई करने का तरीका नहीं है। यदि कुछ है तो उन्होंने आपकी बात सुन ली है तथा आपने उनकी बात सुन ली है। काम करने के कुछ तरीके हैं। परन्तु यदि आप इस प्रकार इसे कर रहे हैं तो मैं सभा को स्थगित करना चाहूंगा तथा मैं इस प्रकार से काम नहीं करूंगा। यह उचित तरीका नहीं है। बहुत हो गया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता। आप यह बात सभा से जबरदस्ती नहीं मनवा सकते। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। बहुत हो गया।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाना है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री सोमनाथ रथ : कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश आज परिचालित की गई है। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि इसमें चार विधेयकों को बिना किसी विचार-विमर्श के पास करने की सिफारिश की गई है। महोदय 'विधि-निर्माण सभा का मुख्य कार्य है तथा नियम विचार-विमर्श की अनुमति देते हैं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कुछ भी नहीं है।

श्री सोमनाथ रथ , मुझे केवल यह कहने की अनुमति दी जाए...

अध्यक्ष महोदय : देखिए। मैंने यह कल भी कहा था तथा मैं आज भी यह कहता हूं कि संविधान में बोलने की स्वतंत्रता का प्रावधान है तथा उसकी सदा अनुमति दी जायेगी। मुझे कोई समस्या नहीं है। यह केवल आपके समझने का प्रश्न है, कि आप क्या करते हैं तथा क्या नहीं करते। हमारे पास कई उदाहरण हैं। सती-विधेयक के संबंध में सभा में बहुत लम्बी-चर्चा चली थी, यदि आप कहते हैं बहुत हो गया तो बहुत हो गया। किन्तु यह आप पर निर्भर करता है। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह वह प्रश्न है जिसे आपको दोनों प्रकार से करना है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : काफी हो गया है। आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री शांताराम नायक (पणजी) : महोदय, मैं पिछले 15 मिनट से खड़ा हूं। मैंने विपक्षी सदस्यों सदस्यों को आपके कल के विनिर्णय के विरुद्ध सदन से बाहर जाने के संबंध में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं देख लूंगा।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, यह आपके विनिर्णय के विरुद्ध नहीं था। हसने सरकार के रवैये के विरुद्ध विरोध प्रकट किया था। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप आराम से पूछिए। मैं देख लूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आपका काफी हो गया है। और आदमी भी हाऊस में हैं।

[अनुवाद]

आपका यहां एकाधिकार नहीं है।

श्री पी० कुलनवेलू (गोविचेट्टिपालयम) : महोदय, आपने शुक्रवार को वचन दिया था कि यदि सदन की अवधि 2 या 3 दिन के लिए बढ़ा दी गई तो श्री लंका के संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया जायेगा। अब सदन की अवधि बढ़ा दी गई है...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आनरेबल मैम्बर को एलाऊ किया है। व्यास जी मैंने सुन लिया है। और कितनी दफा सुनूं। मेरे सुनने से नहीं, उनके सुनने से होगा।

[अनुवाद]

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : महोदय, श्री संगमा खड़े हुए हैं। वे कुछ कहना चाहते हैं··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री चौबे, कृपया अब बैठ जाइये। अन्यथा मैं आपका नाम लेकर पुकारूंगा। कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। बहुत हो गया।

[अनुवाद]

श्री नारायण चौबे : मैं बैठ रहा हूं। मैं आप जो कहेंगे, उसे मानूंगा।

श्री पी० कुलनदईवेलू : महोदय, शुक्रवार को आपने पहले ही वचन दिया था कि यदि सदन की अवधि बढ़ाई गई तो श्रीलंका के संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होगा सदन की अवधि बढ़ा दी गई है। आपके द्वारा दिए एए वचन के अनुसार मैंने कल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी थी। कार्य मंत्रणा समिति में मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर आज विचार-विमर्श करने के लिए आग्रह किया था लेकिन दुर्भाग्यवश संसदीय कार्य मंत्री महोदय ने कहा है कि विदेशी मामलों से संबंधित नीति से संबंधित कोई मंत्री उपलब्ध नहीं हैं और इसलिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देने के लिए कोई मंत्री सभा में नहीं होंगे।

महोदय, सभी मंत्रियों का सामूहिक दायित्व है। यदि आप मुझे बोलने की अनुमति देते हैं तो इस मामले से संबंधित कोई भी मंत्री इसका उत्तर दे सकता है। श्री चिदम्बरम् यहां उपस्थित हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री कुलनदईवेलू, समस्या यह है। मैं आपसे सहमत हूं...

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं जवाब दे रहा हूं। मिस्टर तांती, मेरी बात हो रही है। आप बीच में बट-इग करते हैं। आपको थोड़ी अक्ल होनी चाहिए। मैं इनसे बात कर रहा हूं।

[अनुवाद]

आप बीच में क्यों बोल रहे हैं। कम से कम आपमें सुनने की शालीनता तो होनी चाहिए। मैं आपको अनुमति दे सकता हूं। ठीक है। लेकिन इस तरह नहीं।

श्री कुलनदईवेलू, मेरी आपके साथ सहानुभूति है। मैं आपसे सहमत हूं मैंने ऐसा किया है तथा जो मैंने कहा है उससे मैं कभी पीछे नही हटूंगा। मैं अपनी कही हुई बात से कभी पीछे नही हटा हूं। मैं उस पर द्रढ़ रहता हूं। यह सार्वजनिक महत्व का एक विशिष्ट मामला है और विशिष्ट मंत्री द्वारा इसका उत्तर दिया जाना चाहिए, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व है लेकिन उस समस्या के साथ न्याय नहीं होगा। हम इसे बाद में लेंगे

श्री पी० कुलनदईवेलू : दूसरे मंत्री महोदय श्री फैलीरी यहां उपस्थित हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मेरे ख्याल से वह बीमार हैं। कल ही मुझे इस बारे में पता चला है। पता नहीं कि वह आज स्वस्थ हैं या नहीं, लेकिन हम इस मामले को बाद में लेंगे। मैं आपसे व आपके विचारों व भावनाओं से सहमत हूं।

कुमारी ममता बनर्जी : आप उद्योग मंत्री को वक्तव्य देने के लिए निर्देश क्यों नहीं देते ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठेंगी नहीं मैडम । आप भगवान के लिए—

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : केवल एक मिनट, महोदय । कृपया उद्योग मंत्री से वक्तव्य देने के लिए कहें ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) महोदय, आप हमारी भावना उन तक व्यक्त कर दो ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी भावना सारी व्यक्त करवा दी है । आपने काफी ज्यादा व्यक्त कर भी ली है । इसके बाद मेरे पास और कोई चारा नहीं है । हां, एक चारा है कि अगर आप हाऊस नहीं चलाना चाहें तो मैं एडजर्न कर दूंगा ।

कुमारी ममता बनर्जी : नहीं ऐसी बात नहीं है ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : कल पंजाब में भारतीय पुलिस सेवा के दो अधिकारियों की हत्या कर दी गई ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह कल हो गया था ।

[अनुवाद]

हमने इसके बारे में सुना है ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : गृह मंत्री महोदय से वक्तव्य देने के लिए कहा जाए । वह यहां उपस्थित हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह ठीक है, वक्तव्य का कोई प्रश्न नहीं है । कृपया अब आप बैठ जाइए ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सुन लिया है । यह कल ही आ गया था ।

[अनुवाद]

श्री भद्रेश्वर तांती (कलियाबोर) : महोदय, मैंने आपको अवैध आप्रवासी (न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारण) विधेयक के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की एक सूचना दी थी । इसे सभा के समक्ष भी पहले से ही रख दिया गया है । लेकिन यह सभा के समक्ष विचार-विमर्श के लिए नहीं आया है

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब नैक्टर सैशन में करेंगे ।

[अनुवाद]

श्री नारायण चौबे : महोदय, श्री संगमा कुछ कहना चाहते थे ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए ।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, मैंसभी सदस्यों के विचारार्थ एक सुझाव रख रहा हूं । मैं विशेष रूप से कांग्रेस के सदस्यों को संबोधित कर रहा हूं और उनसे एक अपील कर रहा हूं । पहली बात तो यह है कि श्रम मंत्री पहले ही इस मामले पर कुछ कह चुके हैं । मैंने उसे नोट किया था । मैं सरकार को उस पर शीघ्र कार्यवाही करने के लिए कहूंगा...

श्री बसुदेव आचार्य : उद्योग मंत्री से कहें ।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं । हां, मैं उद्योग मंत्री से इस विषय में शीघ्र कार्यवाही करने के लिए कहूंगा । (व्यवधान) मेरा भी कोई अस्तित्व है । मैं सरकार में हूं ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब मैंने कह दिया । और मैं क्या कर सकता हूं ।

श्री हरीश रावत : मेरा दूसरा मसला है । टेलीकॉम डिपार्टमैंट के कर्मचारी...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मेरे पास टाइम नहीं है ।

श्री हरीश रावत : पिछले 9 दिन से वर्क टू रूल पर हैं और उसके कारण टेलीफोन सर्विसेज डिस्टर्ब हो रही हैं ।

एक माननीय सदस्य : सर, टेलीफोन नहीं होगा ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अमल दत्ता : रूखे के कारण व्यय कम करने के लिए आपने यह अनुदेश दिए हैं कि संसदीय समितियों को दौरों पर नहीं जाना चाहिए । हम इसको सराहना करते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अमल दत्ता : हम दौरों पर न जाने का निर्णय कर रहे हैं। इसी बीच मंत्रिमंडल ने दिल्ली से बाहर बैठक करने का निर्णय लिया है। (**व्यवधान**) हम इसका कड़ा विरोध करते हैं क्योंकि करोड़ों रुपए व्यय किए जा रहे हैं।

(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल दे दीजिए, मैं आपको पता करवा दूंगा, कितना खर्च होगा।

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही।

श्री के० एम० प्रधान : क्योंकि आज सत्र का अंतिम दिन है क्या आप नियम 377 के अधीन सभी मामलों पर चर्चा की अनुमति देंगे ?

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन केवल श्री पाणिग्रही जो कुछ कहेंगे वही रिकार्ड में जाएगा।

(**व्यवधान**)**

12.21 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा होगी। श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही।

(एक) बिक्री कर और चुंगी को तुरन्त समाप्त किए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सैद्धांतिक रूप में बहुत समय से पूरे देश में बिक्री कर और चुंगी समाप्त करने का निर्णय बहुत पहले लिया गया था। लेकिन आय में कमी होने के कारण बताते हुए राज्यों और शहरी निकायों ने इसका विरोध किया है तथा इसे अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है। इन करों से कुछ मदों की कीमतें बढ़ी हैं। कर प्रतिशतता में विभिन्नता के कारण भिन्न-भिन्न स्थानों पर कीमतों में एकरूपता भी संभव नहीं है तथा इन करों का प्रशासन भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है।

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

इसलिए यह अत्यावश्यक है कि राज्यों और शहरी निकायों की आपत्तियों की उनकी आय के वैकल्पिक स्रोतों के बारे में बातचीत करके उचित रूप से निपटाया जाना चाहिए और इन दोनों करों को तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

(दो) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पानी की कमी की समस्या हल करने के लिए पृथक धनराशि का नियतन किए जाने की आवश्यकता

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में इस वर्ष गर्मियों में अभूतपूर्व पेयजल संकट व्याप्त होने की पूर्ण आशंका है। इस वर्ष वर्षा न होने के कारण नये जल स्रोत नहीं फूटे हैं तथा पुराने स्रोतों का पानी अभी से सूखने लग गया है। प्रबल आशंका है कि इन क्षेत्रों में लगभग 60 प्रतिशत गांवों में वर्ष के अन्त तक व नये वर्ष के प्रारम्भ तक पीने के पानी की उपलब्धता समाप्त हो जायेगी।

इन क्षेत्रों में विश्व बैंक आदि वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से बनी अधिकांस पेयजल योजनाएं जल निगम व जल संस्थान के गलत कार्यकरण के कारण खराब पड़ी हैं या खराब होने की स्थिति में हैं।

इन क्षेत्रों में नदी या स्थानीय जल स्रोत ही पेयजल प्राप्ति के साधन हैं। इन क्षेत्रों में भूगर्भीय जल प्राप्ति की सम्भावना नहीं है।

अतः इन क्षेत्रों में पेयजल संकट की स्थिति को एक विशेष दृष्टिकोण से देखने एवं समझने की आवश्यकता है। राज्य सरकार को अभी से पेयजल संकटग्रस्त होने वाले गांवों की सूची तैयार कर उनमें जल संकट को दूर करने हेतु व्यापक रणनीति बनाकर कार्य करना चाहिए तथा केन्द्रीय सरकार को इस कार्य हेतु पर्याप्त आर्थिक सहायता इन क्षेत्रों हेतु पृथक से उल्लेख कर प्रदान करनी चाहिए।

(तीन) शाहगंज बलिया के बीच मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की मांग

श्री राज कुमार राय (घोसी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़, मऊनाथ भंजन, बलिया, गाजीपुर की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जहां विश्व प्रसिद्ध वस्तुओं का उत्पादन होता है तथा उपरोक्त जनपदों व आस-पास के जनपदों के हजारों लोगों का आवागमन रहता है। अनेक वस्तुओं को बाहर भेजा जाता है लेकिन साधन के अभाव में वस्तुओं को बाहर भेजने व लोगों के आवागमन में बड़ी कठिनाई होती है। उत्पादित वस्तुओं के बाहर जाने के कारण इनकी मांग पर असर पड़ता है, उचित साधन व बड़ी लाइन होने के कारण आजमगढ़ जनपद के दोहरीघाट में थर्मल पावर बनाने की योजना अधर में पड़ी है। यदि यहां आवागमन का साधन होता तो निश्चित रूप से उत्पादित वस्तुओं को दूर-दराज तक भेजा जाता व इनकी मांग दिनों-दिन बढ़ती जाती तथा दोहरीघाट में थर्मल पावर की स्थापना से बिहार व गोरखपुर, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, देवरिया, बस्ती तथा अन्य जनपदों को बिजली मिल जाती जिससे इस क्षेत्र में उद्योग-धन्धे लग सकते थे।

अतः मैं माननीय रेल राज्य मंत्री से मांग करता हूं कि इस क्षेत्र की उत्पादित वस्तुओं के विकास, औद्योगिक विकास व दोहरीघाट में थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना के लिए शाहगंज से मऊनाथ भंजन, दोहरीघाट, बलिया को बड़ी लाइन में बदलने के लिए तुरन्त कार्यवाही करें अथवा आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने की कृपा करें।

(चार) पश्चिम बंगाल के सरकारी क्षेत्र के एककों के कर्मचारियों को अन्तरिम राहत देने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की यूनिटों के लगभग 1,00,000 श्रमिकों ने अन्तरिम राहत, जोकि सरकार द्वारा इन यूनिटों के अधिकारियों को दी गई थी, की अपनी मांग पर जोर देने के लिए दिनांक 14.12.87 से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की।

इस हड़ताल का आह्वान 'इंटक', 'सीटू', 'एटक' सहित नौ केन्द्रीय मजदूर संघों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।

आरम्भ में 23 नवम्बर, 1987 से शुरू होने वाली यह प्रस्तावित हड़ताल केन्द्रीय श्रम मंत्री के मांग की जाय करने के आश्वासन को देखते हुए स्थगित कर दी गई थी।

जब अधिकारी और कार्यपालकों को अन्तरिम राहत मिल रही है, तब श्रमिकों को यह राहत क्यों नहीं मिल रही है ?

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि पश्चिम बंगाल के सरकारी क्षेत्रों के यूनिटों के श्रमिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए उपाय किए जाएं।

(पांच) तेलंगाना क्षेत्र के लिए केन्द्रीय बजट में विशेष धनराशि का नियतन किए जाने की आवश्यकता

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : आंध्र प्रदेश में तीन क्षेत्र अर्थात् रायलसीमा, आंध्र और तेलंगाना क्षेत्र हैं। तेलंगाना जिलों में पोचम्पाडु को छोड़कर, जहां पर निर्माण कार्य काफी पहले शुरू हुआ था लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है, कोई भी बड़ी परियोजना नहीं है। भीमा परियोजना जैसी कतिपय मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव है लेकिन एक भी परियोजना शुरू नहीं हुई है। अपर्याप्त राशि के कारण इन सभी परियोजनाओं पर कार्य बड़ी धीमी गति से हो रहा है। श्री रामपद सागर परियोजना के लिए पिछले तीन वर्षों में कोई धन नहीं दिया गया है, यद्यपि योजना स्कीमों के अन्तर्गत इसे पूरा करने के लिए योजना आवंटन किया गया था। इन सबसे इस क्षेत्र के लोगों की तकलीफें बढ़ी हैं। अत: इस क्षेत्र के विकास हेतु तेलंगाना क्षेत्र के लिए संघीय बजट में विशेष आवंटन किए जाने और राज्य बजट में भी पृथक बजट व्यवस्था किए जाने का अनुरोध किया जाता है।

(छः) चित्रकूट और महियार को पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित करने की मांग

[हिन्दी]

श्री अजीज कुरेशी (सतना) : अध्यक्ष जी, सतना लोक सभा क्षेत्र में अनेक ऐतिहासिक स्थान जो पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं, विकास से वंचित पड़े हुए हैं। चित्रकूट और महियार जैसे स्थान जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक ऐतबार से लाखों पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र हैं उनका पूरी तरह विकास नहीं हो पाया है और न ही वहां देश और विदेश से आने वाले यात्रियों को

पूरी सुविधाएं उपलब्ध हो पाती हैं। चित्रकूट आधा मध्य प्रदेश और आधा उत्तर प्रदेश में है, इस कारण इसका विकास नहीं हो पाया है। मध्य प्रदेश की सीमा में चित्रकूट आने वाले यात्रियों की जानकारी में इस गाम का कोई रेलवे स्टेशन भी नहीं है जबकि माझागवां रेलवे स्टेशन पर अगर यात्री उतरें तो उअको अपनी धार्मिक गतिविधियों को प्रारम्भ करने में अधिक सुविधाएं मिल पायेंगी। महियर भी इसी तरह विकास की पुकार कर रहा है।

चित्रकूट विधान सभा क्षेत्र में शंकर जी का ऐतिहासिक मंदिर है जहां हजारों लोग दर्शन और आशीर्वाद के लिये आते हैं और वहां आने की एकमात्र सड़क पर पुल ना वनाये जाने के कारण बरसात से अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। इसी तरह वड़वारा विधान सभा क्षेत्र में विलैरी नामक प्राचीन नगरी है जिसमें आर्कलोजी के महत्व की अनेक वस्तुएं हैं जिन पर इस विभाग ने ना तो कोई ध्यान दिया है और ना ही उन्हें अपने रिकार्ड में लिया है और वह नष्ट हो रही है।

पर्यटन मंत्रालय इन सब मुद्दों पर विशेष ध्यान दें और चित्रकूट के विकास के लिये एक केन्द्रीय विकास प्राधिकरण का गठन करे जो यू० पी० और मध्य प्रदेश दोनों राज्य सरकारों से स्वतन्त्र हो कर विकास कार्य कर सके। इसी तरह दूसरे स्थानों के लिये एक योजना बनाई जावे और मध्य प्रदेश सरकार को इन कामों को पूरा करने के लिये विशेष धनराशि की जावे।

(सात) उत्तर प्रदेश में एटा में केन्द्रीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री मोहम्मद महफूज अली खां (एटा) : उत्तर प्रदेश के एटा जिले में, जोकि राज्य का एक पिछड़ा जिला है, इस समय कोई भी अच्छा स्कूल अथवा कालिज नहीं है जहां बच्चों को दाखिल कराया जा सके। अत: मां-बापों को अपने बच्चों को शिक्षा के लिए दूरवर्ती स्थानों पर भेजना पड़ता है। इससे बच्चों को काफी असुविधा होती है और साथ में मां-बापों को विशेषकर मध्यम और निम्न आय वर्ग के मां-बापों को भारी वित्तीय बोझ उठाना पड़ता है। इस बात पर जो देने की आवश्यकता नहीं है कि बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने और अन्ततः एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रारम्भिक अवस्था में ही बच्चों के मानसिक विकास हेतु अच्छी शिक्षा एक आवश्यक तत्व है। लेकिन दुर्भाग्यवश, इस पिछड़े जिले एटा को अभी देश की शिक्षा क्षेत्र की प्रगति की मुख्य धारा में शामिल किया जाना है। एटा के बहुसंख्य लोग राज्य से बाहर सशस्त्र बल और अन्य केन्द्रीय सरकार के संगठनों जैसी स्थानान्तरण वाली नौकरियों में सेवारत्त हैं और उनके बच्चों को अच्छी शैक्षणिक संस्थाओं के अभाव में नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस समस्या के निदान हेतु एटा में एक केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना की हमेशा से ही मांग रही है।

अत: मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि एटा में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने की व्यवहार्यता पर विचार किया जाये तथा व्यापक जनहित में आगामी शिक्षा सत्र की शुरूआत से पहले ही ऐसी शैक्षणिक संस्था खोलने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायें।

(आठ) विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए होटलों में कैसिनो खोलने का प्रस्ताव त्याग देने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम पूजन पटेल (फूलपुर) : अध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अधीन में इस महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं—

भारत सरकार का ध्यान एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कर रहा हूं। भारत वर्ष एक विशाल और अध्यात्मिक देश है जहां पर विदेशों के लोग जब आर्थिक सुख सुविधा तथा भोग-विलास से बेचैन हो जाते हैं तो शांति के लिए भारतवर्ष आते हैं। यहां का आध्यात्मवाद विश्व में सर्वोपरि रहा है, परन्तु खेद है कि आज भारत सरकार ने यह पहल कदमी की है कि देश में जो होटल समुद्र के किनारे बसे शहरों जैसे बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, गोवा में हैं, वहां कैसीनो यानी जुआघर खोलने जा रही है। सरकार महसूस कर रही है कि ऐसा करने से पर्यटकों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। जिन कार्यों को इस देश की ही जनता नहीं अपितु पूरा विश्व निन्दनीय समझता है उसे भारत जैसे पवित्र देश में कानूनी रूप से खोलने की कार्यवाही का कौन-सा औचित्य है। इससे मानव समाज का नैतिक पतन होता है। जुए के माध्यम से देश के मान-मर्यादा, प्रतिष्ठा और आर्थिक तथा सामाजिक विकास पर कठोर कुठाराघात होता है।

मैं आशा करता हूं कि 21वीं सदी में प्रवेश करने के लिए अच्छे कार्यों में होड़ लगाई जाए। संत कबीर ने अपनी वाणी में कहा है कि—

"जुआ, चोरी, मुखबिरी, ब्याज, पराई नारि।
जो चाहे दीदार को, इतनी वस्तु निवारि॥"

अतः सरकार से मैं आग्रह करता हूं कि राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए जगह जगह कैसिनो को खोलने का विचार त्याग दिया जाए।

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष महोदय, अब तो कबीरदास जी दांव पर लग गए हैं, अब तो इनकी बात मान लीजिए।

(नौ) राजस्थान में सूखे से निपटने के लिए राज्य को अधिक वित्तीय सहायता दिये जाने की आवश्यकता

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन इस महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं—

राजस्थान प्रदेश में लगातार चार वर्षों से सूखे की स्थिति है। इस वर्ष का सूखा शताब्दि का सर्वाधिक सूखा है। राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र सूखे से सर्वाधिक प्रभावित है। इस वर्ष राज्य में 38901 गावों में से 32270 ग्राम जिनकी जनसंख्या 2 करोड़ 62 लाख 69 हजार है सूखे से प्रभावित हैं। राज्य के 3 करोड़ 52 लाख 45 हजार मवेशी सूखे से प्रभावित हैं।

राजस्थान सरकार ने अक्तूबर, 1987 से मार्च, 1988 के लिए राज्य में सूखे का मुकाबला करने के लिए केन्द्र सरकार को 1023 करोड़ रुपए की सहायता के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें मुख्य मांगें रोजगार प्रदान करने के लिए 429.52 करोड़, सामग्री के लिए 184.08 करोड़ रुपए एवं टूल एवं प्लांट के लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपए एवं पशु संरक्षण के लिए 274 करोड़ 44 60 लाख हजार रुपए, वेटनरी केयर के लिए 2 करोड़ 28 लाख रुपए, पीने के पानी के लिए 14 करोड़ 74 लाख 80 हजार रुपए हैं।

राज्य सरकार ने सबसे सर्वाधिक अकाल से प्रभावित बाड़मेर, जोधपुर एवं जैसलमेर जिलों

में सिर्फ 10 प्रतिशत जनता को रोजगार प्रदान किया है जबकि कम से कम अभी 20 प्रतिशत जनता को रोजगार दिलाना आवश्यक है।

राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार के समक्ष जैसलमेर, बाड़मेर एवं जोधपुर जिलों की शेरगढ़ एवं फलोदी तहसील के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किलो गेहूं अनुदान में और 15 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह ऋण के रूप में देने के लिए 15 लाख ग्रामीण जनता के लिए गेहूं अनुदान के रूप में 31.50 करोड़ रुपए और ऋण के रूप में 22.50 करोड़ रुपए की 10 माह के लिए मांग की है, जिससे कि वे अपने जीवन की सुरक्षा कर सकें।

अतः केन्द्र सरकार से निवेदन है कि राजस्थान सरकार को सूखे से मुकाबला करने के लिए 1023 करोड़ रुपए नवम्बर 87 से मार्च 88 तक के लिए प्रदान करें और सर्वाधिक सूखे से प्रभावित बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले और जोधपुर जिले की शेरगढ़ एवं फलेदी तहसील के लिए गेहूं अनुदान के रूप में 31.50 करोड़ रुपए और ऋण के रूप में 22.50 करोड़ रुपए 10 माह के लिए प्रदान करएं ताकि कोई व्यक्ति भुखमरी से न मर सके।

(दस) उड़ीसा के गंजम जिले में केसपुर रेलवे स्टेशन पर कोणार्क एक्सप्रेस का हाल्ट बनाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : केसपुर रेलवे स्टेशन उड़ीसा के गंजम जिले के केन्द्रीय भाग में स्थित है। इस रेलवे स्टेशन से काफी संख्या में व्यापारी, पर्यटक, श्रमिक और आम आदमी यात्रा करते हैं। यह प्रसिद्ध चिलका झील के नजदीक स्थित है। देश के विभिन्न भागों के काफी लोगों के अतिरिक्त अनेक विदेशी भी इस क्षेत्र का भ्रमण करते हैं। भुवनेश्वर से हैदराबाद जाने वाली कोणार्क एक्सप्रैस को सभी सम्बद्ध लोगों की यात्रा सुविधा के लिए इस रेलवे स्टेशन पर रुकना चाहिए।

[हिन्दी]

(ग्यारह) खलीलाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सभी गांवों को बिजली प्रदान करने की आवश्यकता

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : अध्यक्ष महोदय, भारत गांवों का देश है, जहां देश के लगभग 75 प्रतिशत लोग गांवों में ही बसते हैं। निःसंदेह सरकार ने ग्रामीण अंचलों की उन्नति के विभिन्न कार्यक्रम आजादी के बाद से शुरू किए हैं और उनका लाभ भी ग्रामीण वासियों को काफी हद तक प्राप्त हुआ है। किन्तु बिजली की कमी की वजह से ग्रामीण अंचलों के निवासी आधुनिक सुविधाओं का उपयोग करने से वंचित रहे जा रहे हैं। राज्य सरकार अपने सीमित साधनों से ग्रामीण अंचलों के विद्युतीकरण का कार्य कर रही है किन्तु इस गति से यदि विद्युतीकरण का कार्य चलता रहा तो आगामी पचास वर्ष में भी पिछड़े और उपेक्षित ग्राम ऊर्जा का लाभ उठा सकने की स्थिति में नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश के सबसे उपेक्षित एवं पिछड़ा जिला बस्ती में खलीलाबाद संसदीय क्षेत्र आता है जहां बुनकरों एवं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की संख्या सर्वाधिक है किन्तु यहां पर विद्युतीकरण का कार्य बहुत ही कम हुआ है।

अतः मैं भारत सरकार के माननीय ऊर्जा मंत्री से मांग करता हूं कि खलीलाबाद संसदीय क्षेत्र के समस्त ग्रामों का ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत विद्युतीकरण के आदेश निर्गत करने की कृपा करें जिससे यह उपेक्षित और पिछड़ा क्षेत्र ऊर्जा का पूरा लाभ प्राप्त कर सके।

(बारह) हिमाचल प्रदेश को वित्तीय कठिनाइयों से उबरने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता

श्री के० डी० सुल्तानपुरी *(शिमला)* : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश बनने से पहले ही पंजाब के कर्मचारियों के अनुसार हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को वही स्केल देने का निर्णय किया हुआ था कि जो बढ़ोत्तरी पंजाब में हो वो ही बढ़ोत्तरी हिमाचल के कर्मचारियों को प्राप्त होती है, जिसे अब भी कार्यान्वित किया जाता है। जब पंजाब में सरकारी कर्मचारियों के वेतन-वृद्धि और महंगाई बढ़ती है उसी प्रकार हिमाचल सरकार को भी वों ही वेतन-वृद्धियां देनी पड़ती हैं। इस दफा हिमाचल सरकार को 43 करोड़ रुपए कर्मचारियों के वेतन-वृद्धियों में देना पड़ा है क्योंकि पंजाब में बढ़ी हुई दरों के अनुसार यह करना पड़ा है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में सूखा पड़ने से और अन्य विपदाकों के आने से 30 करोड़ रुपए राज्य सरकार को खर्च करना पड़ा। यह कुल रकम 73 करोड़ रुपए हो गई है। सरकार ने अपने खजाने से यह रकम दी है। मैं भारत सरकार से मांग करूंगा कि सूखा राहत में दी हुई धनराशि तथा सरकारी कर्मचारियों की वेतन-वृद्धिओं में खर्च हुई रकम को तुरन्त भारत सरकार राज्य सरकार को प्रदान करे।

11.35 म० पू०

प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) विधेयक

—जारी

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम प्रश्न संख्या 17 अर्थात श्री तिवारी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे।

[हिन्दी]

चौबे जी, आज कुछ काम की बात भी कीजिए।

[अनुवाद]

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : काम की बात तो करते ही हैं।

श्रीमन्, मुझ पर दोष न लगाएं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बड़े आदमियों का नाम होता है उल्टे काम में भी।

श्री नारायण चौबे : तिवारी जी, जरा हम लोगों को भी सुनिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री नारायण चौबे : अध्यक्ष महोदय, यह वृहदाकार विधेयक.....

अध्यक्ष महोदय : इस समय तिवारी जी आपको ही देख रहे हैं। वह पूरे ध्यान से सुन रहे हैं।

श्री नारायण चौबे : महोदय, हमारे तिवारी जी तो भारी-भरकम नहीं हैं, लेकिन यह विधेयक वास्तव में ही काफी वृहदाकार है ?

मेरे विचार से ऐसे समय यह वृहदाकार विधेयक प्रस्तुत करके माननीय सदस्यों से अन्याय किया गया है जबकि यह सभा समाप्त होने वाली है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस विधेयक के विरुद्ध हैं अथवा इसके भारी आकार के ?

श्री नारायण चौबे : मैं इस विधेयक के विरुद्ध नहीं हूं। मैं केवल इतना चाहता हूं कि हमें कुछ और समय दिया जाना चाहिए था ताकि हम इस पर संपूर्ण रूप से चर्चा कर सकते। मैं इस विधेयक के उद्देश्यों से बिल्कुल सहमत हूं। हम कराधान के सभी नियमों का सरलीकरण चाहते हैं। इसके साथ ही कार्यवाही करने वाले लोगों का, जो लोगों पर कर लगाते हैं, जन सामान्य, गरीब और अमीरों से भी कर वसूलते हैं, सरलीकरण करने की हम अपेक्षा करते हैं। विधेयक के उद्देश्य अच्छे हैं। इस विधेयक को तैयार करने के लिए विभाग के अधिकारियों को कम से कम सात महीने दिए गए हैं और इस पर चर्चा के लिए हमें सात दिन भी नहीं दिए गए हैं। इस मामले में यह मेरी पहली बात है। इसके अलावा, महोदय, यह विधेयक ऐसे समय लाया गया है जब हमें वास्तव में इसकी आवश्यकता है।

महोदय, देश में भयानक सूखा पड़ रहा है, अभी-अभी राजस्थान के माननीय सदस्य ने बताया है कि उन्हें एक गिलास पीने का पानी भी नहीं मिलता है तथा उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों, जहां के माननीय श्री तिवारी भी हैं, से आने वाले हमारे मित्रों ने हमें बताया है कि वहां भी यही स्थिति है। सूखा सब जगह पड़ रहा है तथा यह बढ़ता ही जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमें सरकारी राजकोष से और धन चाहिए, सरलीकरण होना चाहिए तथा हमारी सरकार हमारी आवश्यकता को पूरा करने हेतु उसे धन जहां से प्राप्त कर सके, साधन सरलता से उपलब्ध हो सकते हैं। श्री अमल दत्ता के भाषण को सुनकर हम चिन्तित हुये कि अपव्यय किया गया। पूरे मंत्रिमंडल को चीते के निवास स्थान अलवर ले जाया जा रहा है, मैं यह नहीं जानता कि सरकार इसकी अनुमति कैसे दे रही है।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : आपको क्या आपत्ति है ?

श्री नारायण चौबे : मुझे यह आपत्ति है। हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय को दिल्ली से बाहर पूरा दल भेजने पर आपत्ति है, जो सही भी है। परन्तु पूरे मंत्रिमंडल को भेजने में तथा करोड़ों रुपए व्यय करने में आपको कोई आपत्ति नहीं है जबकि राजस्थान में गरीब जनता को पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं हो रहा है।

(व्यवधान)

इसलिए महोदय भारत सरकार तो स्वयं अपनी आंखों से देखने के बाद ही राजा बनेगी। चाणक्य का कथन है कि—

[हिन्दी]

राजा करने नी पश्यति ।

अध्यक्ष महोदय : आज तो संस्कृत के पंडित हो गये, बाकई चौबेजी मालूम पड़ते हो ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : आज छब्बे जी हो गये हैं ।

[अनुवाद]

ईसा के जन्म से पूर्व चाणक्य के जमाने में कहा जाता था :

[हिन्दी]

राजा करने नी पश्यति

[अनुवाद]

परन्तु अब महोदय, टेलीविजन के जमाने में राजा को स्वयं अपनी आंखों से देखना पड़ता है, अन्यथा उसे कुछ नहीं दीखता ।

(व्यवधान)

शताब्दी की ग्वालियर की शादी अपनी·····**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इससे विधेयक का क्या संबंध है ?

श्री नारायण चौबे : मध्य प्रदेश का पूरा सरकारी तंत्र जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, कमिश्नर—हरेक का उपयोग हुआ था— सब कुछ किया गया था । आप कराधान हेतु यह विधेयक लाते हैं । इसकी आवश्यकता भी है । परन्तु जब ऐसे समय में जब देश में भयानक सूखा पड़ रहा हो तब आपकी मंत्रिमंडल के लोगों को ऐसी असाधारण शादी करने की अनुमति ही नहीं दी जानी चाहिए थी । ग्वालियर में क्या हुआ जो भी हुआ वह उचित नहीं हुआ महोदय ।

श्री अमल दत्ता : वास्तव में इन लोगों को जरा भी शर्म नहीं है ।

श्री नारायण चौबे : मेरा श्री तिवारी जी से नम्र निवेदन है कि यह विधेयक कृपया प्रवर समिति को भेजा जाए, यही हम सब चाहते हैं । हमें इस विधेयक की आवश्यकता है । मैं इससे पूर्णतया सहमत हूं । परन्तु आपको चाहिए था कि जनता को कुछ समय दें ताकि वह इस विधेयक को पढ़ सकें तथा इस विधेयक को सुधारने के लिए कुछ संशोधन ला सकें । मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री इन सुझावों पर विचार करेंगे ।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं परन्तु मैं श्री चौबे के इस प्रस्ताव से असहमत हूं कि विधेयक प्रवर समिति को भेजा जाए । इस सभा के माननीय सदस्यों तथा माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि इसे यथा शीघ्र पारित किया जाए क्योंकि यह काफी परिवर्तनात्मक तथा आम जनता के हित में है चूंकि यह लोगों द्वारा देश के राजकोष में करों की अदायगी किये जाने से संबधित है, इसलिए इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए ।

महोदय, जिन व्यक्तियों की कर देने की क्षमता है उन पर कर लगाने का प्रावधान काफी अच्छा है परन्तु साथ में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कमाऊ महिला सदस्यों को कोई राहत नहीं दी गई है जैसी कि इस विधेयक से अपेक्षा की गई थी। क्योंकि जैसे ही पत्नी कमाने लगती है उसकी आय भी पति की आय के साथ मिला दी जाती है। ऐसे मामले में पति को धन के कारण प्रमुखता मिल जाती है। पति आय कर की विवरणी दाखिल करता है। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था भी होनी चाहिए क्योंकि जैसे ही वह कमाने वाली सदस्या बन जाती है इसकी पूरी आय पति की आय बन जाती है तथा उसे आई० टी० ओ० में विवरणी भरने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, जबकि महिला की स्थिति स्वतंत्र नहीं हो पाती वह जो स्वयं कमा रही है उसका फायदा उसे नहीं होता क्योंकि अहने पति की आय के साथ उसकी आय मिलाकर कर देना होता है। इसलिए इस क्षेत्र में भी प्रगतिशील कोई कानून बनाया जाना चाहिए। यदि इस समय संभव नहीं है तो माननीय मंत्री को भी इस संबंध में राहत प्रदान करनी चाहिए ताकि महिलाओं की अलग आय हो, उन्हें अलग से विवरणी भरनी हों तथा उसकी आय को पति की आय के साथ न मिलाया जाए और जहां तक पत्नी की आय का संबंध है उसमें पुरुष की प्रधानता खत्म हो जाए।

माननीय मंत्री ने बहुत अच्छा प्रावधान किया है कि धर्मार्थ अथवा धार्मिक ट्रस्टों पर भी कर लगाया जाएगा तथा इसकी पूंजी को व्यक्ति की आय के साथ मिलाया जाएगा। उन्होंने यह भी प्रावधान किया है कि विदेशों में भी जो ट्रस्ट बनाया गया है तथा निर्धारिती उसमें योगदान करता है और वह अपनी आय थी उन ट्रस्टों की स्थापना के लिए दे सकता है। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि भविष्य में विदेशों में ऐसी कोई ट्रस्ट न बनाई जाए जो इस देश के निर्धारिती की आय की सहायता से बन रही हो। यदि धन दूसरे देशों में कमाया गया हो केवल तभी निर्धारिती दूसरे देशों में ट्रस्ट बना सकता है। यदि इस देश में आय कमाई गई हो तो उसे विदेशों में ट्रस्ट बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में भी विशेष प्रावधान होना चाहिए जो अब नहीं है। उन्होंने विदेशों में ट्रस्ट बनाने की अनुमति दे दी है जो भारत में अर्जित आय से बनाई जाएगी। इसलिए इन प्रतिबंधों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाना जाहिए।

जहां तक उपहार-कर और धन-कर का संबंध है, मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि वे यह देखें कि जिस अधिनियम को अर्थात् सम्पदा शुल्क अधिनियम को रद्द कर दिया गया है, उसे फिर से लागू किया जाना चाहिए। सम्पदा शुल्क अत्यंत आवश्यक है। सम्पदा शुल्क के जरिये कर दाता की मृत्यु के उपरान्त कम से कम एक बार कर-निर्धारण में सहायता मिल सकती है। इससे उसकी सम्पूर्ण आय का ब्यौरा आय-कर विभाग की जानकारी में आ जाता है और उसका कर निर्धारण किया जा सकता है। इसलिए सम्पदा शुल्क लागू किया जाना चाहिए। जिनके पास आमदनी, जेवरात तथा अन्य बहुमूल्य चीजें हैं, उनके मामले में यह सहायक रहेगा। कम से कम एक समय विशेष पर यह आय कर विभाग की जानकारी में आ जाएगा·····(व्यवधान)।

आय-कर के संबंध में, मुझे आशा थी कि माननीय मंत्री महोदय इसे अधिक सरल बनायेंगे। इसे अब भी और सरल बनाए जाने की आवश्यकता है।

आपने आय-कर प्रक्रिया को काफी हद तक सुगम बनाया है। आप एक अलग निदेशालय स्थापित कर रहे हैं ताकि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा दी जा रही सभी छूटें उस निदेशालय द्वारा

दी जाएंगी। यह एक अच्छी व्यवस्था है इससे समन्वय स्थापित होगा तथा देश के किसी भी भाग में असंगति उत्पन्न नहीं होगी। इस समय अनेक परिपत्र हैं और कुछ अधिकारियों को उनकी जानकारी तक नहीं है। ये परिपत्र आय-कर कार्यालय के बहुत छोटे कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं। इस कारण कभी-कभी उनसे गलती हो जाती है। आपके द्वारा एक अलग निदेशालय स्थापित करने का लिया गया निर्णय बहुत ही अच्छा है और इससे सभों छूटें समान रूप से दी जा सकेंगी। इस समय आय-कर विभाग ने 2 लाख रु० तक की विवरणियों की जांच न करने की छूट दी है। मेरा विचार है कि वेतनभोगी व्यक्तियों के संबंध में इस छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रु० कर देना चाहिए क्योंकि वेतनभोगी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत विवरणी भी विभाग द्वारा हमेशा ठीक से जांच-पड़ताल की जाती है। यदि ऐसा किया जाता है तो विभाग का काम कम और आसान हो जाएगा। अतः वेतन-भोगी व्यक्तियों के मामले में यह छूट 3 लाख रु० तक होनी चाहिए।

महोदय, आज ही के समाचार-पत्र में मैंने पढ़ा कि आय कर अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों ने हड़ताल का आह्वान किया है। आज 15 दिसम्बर है, इस तारीख को अग्रिम कर विवरणियां प्रस्तुत की जाती हैं और कर राशि जमा करनी होती है। माननीय मंत्री जी बहुत ही प्रगतिशील विचारों के रहे हैं और उन्होंने अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों के कल्याण में सदैव रुचि दिखाई है। मेरा उनसे अनुरोध है कि वे संबंधित व्यक्तियों या संबंधित यूनियनों को आमंत्रित करें ताकि सौहार्द-पूर्ण वातावरण में विचार-विमर्श हो और आप अपने स्वर पर उनकी उचित मांगों पर विचार कर सके। इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी, भविष्य में इन कराधान विधियों को सरल बनाने के लिए और उचित कदम उठाएंगे।

श्री अमल दत्ता (डायमंड हार्बर) : महोदय, यह विधेयक सदन में विचार तथा पास करने हेतु इस सदन ने इस महीने की 11 तारीख को रखा गया था जो कि संसद के सत्र को आखिरी दिन था। यह विधेयक आपके निदेशों के निदेश 198 के अन्तर्गत आपकी अनुमति से प्रस्तुत किया गया। और आपकी अनुमति लेने के लिए मंत्री महोदय ने बताया कि इस विधेयक को पारित करना अब आवश्यक है क्योंकि इस विधेयक को कुछ खंड 1 अप्रैल, 1988 से प्रभावी होंगे और इसके लिए प्रशासन तथा कर-दाताओं को पर्याप्त समय देना होगा। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि इस विधेयक को लागू करने में प्रशासन को कम से कम 3 महीने या इससे अधिक समय चाहिए ताकि वह स्वयं को इसके लिए तैयार कर सके। उतना ही समय करदाताओं के लिए आपेक्षित है परन्तु सदन को कोई समय नहीं चाहिए क्योंकि वास्तविक रूप से सदन की बैठक 11 तारीख को समाप्त हो जाती थी। इस विधेयक की विभिन्न धाराओं के प्रभावों पर विचार करने के लिए संसद सदस्यों को कोई अवसर नहीं दिया गया। यह बहुत ही बड़ा विधेयक है और हमारे लिए इसकी जटिलताओं को समझना और गम्भीरता से विचार करना संभव नहीं है—मैं प्रत्येक उस सदस्य को चुनौती देता हूं जिसका कहना यह है कि वह इसकी जटिलताओं को समझ सकता है और विधेयक पर ठीक ढंग से चर्चा कर सकता है। यह नया विधेयक नहीं है। यदि यह नया विधेयक होता तो समझ में आ सकता था कि कोई सामग्री नहीं है। यह संशोधनकारी विधेयक है अतः इसे विद्यमान प्रावधानों सहित पढ़ना होगा। क्या यह समझ पाना संभव होगा कि इससे पूर्व क्या प्रावधान था, उसके क्या प्रभाव रहे और अब इसके क्या लाभप्रद अथवा हानिकारक प्रभाव होंगे ?

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, यह उतना ही बड़ा है जितनी कि ठक्कर आयोग की रिपोर्ट।

श्री अमल दत्ता : यह उससे बड़ा तथा जटिल है। ठक्कर आयोग की रिपोर्ट में अन्त तक एक ही बात दोहराई गई है, परन्तु यहां ऐसा नहीं है। अत: महोदय, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि भविष्य में आप इस प्रकार की अनुमति देते समय हमारा भी ध्यान रखें। केवल प्रशासन और अन्य व्यक्तियों के बारे में ही विचार न करें। कल रात को हम 11.00 बजे घर गये और उसके बाद यह संभव·····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको नष्ट हुए समय को पूरा करना होगा।

श्री अमल दत्ता : महोदय, इस प्रकार से नहीं हमें विधान के साथ न्याय करना है। बाद में लोग कहेंगे "आप उस समय संसद में थे तो किस प्रकार से विधेयक के हास्यास्पद प्रावधानों को पारित किया गया ?" इस विधेयक में बहुत से हास्यास्पद प्रावधान हैं परन्तु यदि मैं उनकी व्याख्या करूं तो इसमें काफी समय लगेगा। हमारे उदारमना संसदीय मामलों के मंत्री जो अभी बाहर जा रहे हैं, उन्होंने मुझे पहले ही चेतावनी दी है कि मैं बहुत अधिक न बोलूं। श्रीमती शीला दीक्षत अभी बाहर जा रही हैं। मंत्री महोदय ने पहले ही कहा है कि बहुत अधिक न बोलूं (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, यह नियम 105 का उल्लंघन है।

श्री अमल दत्ता : ऐसी बात नहीं है, परन्तु उन्होंने कहा है कि बहुत अधिक न बोलूं।

अध्यक्ष महोदय : आखिरकार, हम सहमत हैं।

श्री अमल दत्ता : महोदय, मैं केवल इतना कहूंगा कि जहां तक इस विधेयक के इन उपबन्धों का संबंध है, वे मात्र दिखावटी परिवर्तन हैं। जो करदाता कानून का पालन न करके कर चोरी करते हैं आपने उनकी चोरी को रोकने का प्रयास नहीं किया है। इसका यह मतलब नहीं कि माननीय मंत्री कोई धारा विशेष दिखायें जिससे इस प्रकार की कर चोरी को रोका गया है। मुझे जानकारी नहीं है कि उन्होंने उद्देश्यों और कारणों में इस पर ध्यान दिया है। उन्होंने ऐसा नहीं किया।

महोदय, कर देयता को कम करने के कई तरीके हैं—जिसे कर आयोजना कहा जाता है और जिसका वास्तव में अर्थ कर से बचना है। हर व्यक्ति ऐसे तरीके से काम करता है जिससे कर देयता कम से कम हो सके। इस समय मैं कलकत्ता से आया हूं जहां बहुसंख्यक व्यापारी समुदाय राज्य की एक जाति विशेष से सम्बद्ध है। इस समय, मैं देखता हूं कि परिवार के प्रत्येक सदस्य की आय-कर की अपनी फाइल है। यहां तक कि 1 महीने के बच्चे की भी आय-कर की फाइल है।

प्रो० मधु दण्डवते : आप कैसे जानते हैं ?

श्री अमल दत्ता : उनकी परिवार संबंधी कानून की एक विशेष प्रणाली है जिससे जन्म लेते ही बच्चा अविभक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति का भागीदार बन जाता है।

राव बीरेन्द्र सिंह : यहां तक कि गर्भाधान होते ही गर्भस्थ शिशु पारिवारिक सम्पत्ति का भागीदार बन जाता है।

श्री अमल दत्ता : उस समय फाइल आरंभ नहीं की जा सकती। सैद्धान्तिक तौर पर शिशु गर्भ से ही स्वामी बन जाता है। इस प्रकार फाइल जन्म के बाद आरम्भ होती है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को ये सब बातें पता होनी चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, उन्हें गर्भवती महिलाओं के लिए भी फाइल रखनी होगी।

श्री अमल दत्ता : उन्हें रखनी ही चाहिए क्योंकि कभी-कभी जो महिलायें गर्भवती नहीं हैं वे भी बच्चे का जन्म देती हैं जिससे परिवार में फाइलों की संख्या बढ़ जायेगी। केवल यही नहीं होता यह है कि वे अविभक्त हिन्दू परिवारों में ही फाइल बनाते हैं, उनका एक छोटा अविभक्त हिन्दू परिवार होता है। परिणामतः, यदि आप इसे देखें आप पायेंगे कि इस विशेष समुदाय के एक परिवार जिसमें 20 सदस्य हैं को 40 फाइलें रखनी पड़ेंगी क्योंकि उनका एक छोटा अविभक्त हिन्दू परिवार होता है जिसकी विभाग अनुमति देता है। इसके परिणामस्वरूप आय 40 भागों में बंट जाती हैं जिस पर यदि वह एक ही माना जाता तो कर लग गया होता। इस तरह से देयता का विस्तार हो जाता है और इसकी शुरुआत विभाग ने काफी समय पहले की थी। पहली बात तो वह है। वास्तव में वह स्वीय विधि का प्रश्न है। ऐसी बात नहीं है कि विभाग कराधान के लिए स्वीय विधि की दूसरी व्याख्या नहीं कर सकता। ऐसा हो सकता है। किन्तु ऐसा प्रयास कभी किया नहीं गया। क्योंकि हमने देखा है सरकार हेर फेर कर सकती है। कल इस सभा में यह चर्चा का मुख्य विषय था। अब यह कार्य व्यावसायिक समुदाय और कई अन्य लोग कर रहे हैं जो यह मानते हैं कि अलग अलग भारतीय नागरिकों के परिवार कानून अलग अलग होने के कारण उनके मामले में प्रत्यक्ष कर अलग है। उनके मामले में आय कर, धन कर, दान कर इत्यादि सभी न्यूनतम कर दिए गए हैं, इसलिए कोई प्रयास नहीं किया गया है और उन संशोधनों, जिन्हें आज सभा द्वारा पारित किया जाता है, के विरुद्ध मेरी एक शिकायत यह है। इस प्रकार की प्रथा को कम करने, इसे हतोत्साहित करने और यह देखने के लिए कि कर वसूली में वृद्धि हों, कुछ भी नही किया गया है।

12.00 म० पू०

महोदय, एक और बात भी है। एक नया उपबन्ध किया जा रहा है, एक नवीनता लाई जा रही है। एक छूट निदेशालय का सृजन किया जा रहा है छूट निदेशालय एकरूप आधार पर छूट देगा। मैं नहीं जानता कि दफ्तरशाही के एक खण्ड का सृजन अच्छी बात है या नहीं। मैं ऐसा नहीं समझता क्योंकि इसका मतलब यह केन्द्रीयकृत हो जायेगा और केन्द्रीयकृत निर्णयन में बहुत लम्बा समय लगेगा। किन्तु मैं केवल इसी के विरुद्ध नहीं हूं, मैं जिस बात के विरुद्ध हूं वह है वित्तीय ज्ञापन में आयी हुई बातें जिससे यह पता चलता है कि फिर से नए अधिकारियों की भरती की जायेगी, नए कार्यालय खोले जायेंगे, कारें, फर्नीचर, और अन्य सभी बातों पर काम करना होगा। हम जानते हैं कि सरकार के इस निदेश के कारण कि गत वर्ष 1 लाख रु० से कम और इस वर्ष 2 लाख रु० से कम हुई आय की कोई संवीक्षा नहीं की जायेगी, आयकर विभाग का कार्य बहुत कम हो गया है और वास्तव में आयकर अधिकारियों तथा अन्य लोगों ने इस तरह की बात का विरोध किया है कि उन मामलों को खोलने या जांच पड़ताल करने से उन्हें वंचित क्यों किया जाये जबकि यह आशंका हो कि सरकार द्वारा दिए गए इस निदेश का लाभ उठाने के लिए आय को कम कर दिया गया है। वास्तव में हुआ यह है कि आयकर अधिकारियों का कार्य बहुत कम हो गया है अब वे अनुमान लगा रहे हैं और इसीलिए वे हड़ताल कर रहे हैं, उन्हें यह आशंका हो रही है कि उनमें से कुछ को अतिरिक्त घोषित कर के छंटनी कर दी जायेगी। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस सभा को बतायें कि इस संबंध में सरकार का अभिप्राय या योजना क्या है। यदि वे इन अधिकारियों को रखना चाहते हैं तो वे उन अधिकारियों को जिन्हें वे काम नहीं दे पा रहे हैं या पर्याप्त काम नहीं दे पा रहे हैं, कैसे रखेंगे यदि यह बात है तो और अधिक अधिकारियों की भर्ती करने की क्या गुंजाइश है, नए निदेशकों के लिए भी कोई अतिरिक्त काम करने

की क्या गुंजाइश है जिन्हें आप लाना चाहते हैं ? महोदय, यह कुछ अलग सी बात है कि एक ओर तो हम देखते हैं कि उसी विभाग में लोग फालतू हो रहे हैं और दूसरी ओर और लोगों की भर्ती करके और नए विभागों को खोल कर अधिकाधिक काम किया जा रहा है। *(व्यवधान)*

महोदय, कर की चोरी के कुछ सुपरिचित तरीकों में नए न्यासों का सृजन है। ये धार्मिक और धर्मार्थ न्यास कहलाते हैं। मैं नहीं जानता कि इस धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म को कराधान से इस प्रकार की छूट क्यों दी जा रही है और धर्म के माध्यम से ही नीचे तबके के लोगों का शोषण किया जाता है। दोनों के माध्यम से गरीब लोगों के पास से आने वाला पैसा कुछ सीमित हाथों में आता जा रहा है। महोदय, मैं एक विशेष जगह को जानता हूं। महोदय, आप जानते होंगे आनन्दमार्गी सरकार के लिए काफी बड़ी समस्या पैदा कर रहे हैं किन्तु वे धार्मिक न्यास भी है और उनके परिसर के अन्दर ही उनका एक डाकखाना है क्योंकि उस डाकखाने से हजारों मनी आर्डरों का निपटाना होता है जो पूरे देश में फैले उनके अनुयायियों से आते हैं। प्रतिमाह सब लोग 2 रुपये, 3 रुपये जैसी छोटी-छोटी राशियां भेजते हैं और यह गरीब लोगों का पैसा होता है, यह कुछ लोगों के हाथों में चला जाता है जो उन्हें परलोक से सामने आने वाले धार्मिक परिणामों से डरा धमका सकते हैं। इस प्रकार परिणामस्वरूप इस प्रकार से कोई धार्मिक न्यास नहीं है और उस मामले में, जहां तक मेरा संबंध है, इस प्रकार कोई चांस नहीं हैं जिसे छूट दी जाये। धर्मार्थ एक अलग बात है। किन्तु इस तथाकथित धार्मिक गतिविधि से आप जानते हैं। महोदय, किस प्रकार की गतिविधि में आनन्द मार्ग लगा हुआ है। यह विध्वंसकारी गतिविधि है, यह समाज विरोधी गतिविधि है किन्तु धर्म के नाम पर वे ऐसा करते हैं। इसलिए उनकी आय पर छूट है ऐसा क्यों होना चाहिए ? मंत्री जी इन बातों पर विचार करें। दुर्भाग्य से जिन परिवर्तनों का प्रस्ताव किया गया है उनके लिए कोई खास दिमाग नहीं लगाया गया है। कल्याणकारी राज्य में गतिविधियों को बढ़ाने के प्रयोजन से वित्तीय नीति की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन देने; निरक्षरता को उन्मूलन, महिलाओं के विकास, कृषि विकास, कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए विभेदक आधार पर रियायत दी जानी चाहिए थी। फिर यह विभेद ग्रामीण और शहरों में ही नहीं अपितु पिछड़े जिलों आदि-आदि में भी किया जाना चाहिए ताकि आप इन गतिविधियों में कार्य करने और पैसा लगाने के लिए लोगों को आप प्रोत्साहन दें। शहरी क्षेत्रों में कई लोग हैं जिनके पास आवश्यक विशेषज्ञता है, जो ग्रामीण समाज के उत्थान के लिए अपनी विशेषज्ञता का उपभोग कर सकते हैं बशर्ते कि आप उन्हें वह पैसा व्यय करने की अनुमति दें और आप उन्हें वैसा प्रोत्साहन दें। अब जो प्रोत्साहन दिया गया है, उसका मतलब है, उस राशि का आधा, जो इस प्रकार की गतिविधियों में लगता है, उनको स्वयं के पास से व्यय करना होगा और शेष आधा सरकार देगी। किन्तु पिछड़े हुए जिलों में जब आप विकास के लिए इतनी आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन दे रहे हैं। अभी भी आप विफल रहे हैं। आप गत दो दशकों से विफल हो रहे हैं। इसलिए, सच्चे समाज सेवकों को, जो ग्रामीण समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, प्रोत्साहन देकर, जो इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिवार कल्याण, शिक्षा इत्यादि जैसे विशेष प्रकार के विषयों में, उनके द्वारा किए गए व्यय की पूरी तरह से भरपाई कर देंगे, इस क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति क्यों नहीं देते। इस परिवर्तन की लाने के लिए आपको इस प्रकार की नीति बनानी चाहिए थी। आप ऐसा नहीं कर सके हैं। इस दिशा में कुछ नहीं किया गया है। मैं जानना चाहूंगा कि इस प्रकार के संशोधन, जिसे लाया जा रहा है. से आर्थिक विकास कैसे होगा या अर्थ व्यवस्था को लाभ कैसे मिलेगा।

अन्तिम बात यह है कि सरकार कहती है कि उनके दिमाग में एक नई संहिता है। यदि उनके दिमाग में कोई नई बात है तो अब इन मामूली परिवर्तनों की क्या आवश्यकता है ?

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : मैं बहुमूय सुझावों के लिए माननीय सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूं। मैं अपने मित्र और सहयोगी, आन्ध्र के माननीय सदस्य तथा तेलगु देशम के नेता का भी उनके सुझावों के लिए धन्यवाद करता हूं। उन्होंने तथा कुछ अन्य सदस्यों ने सुझाव दिया है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया जाना चाहिए। उन्होंने नाम भी सुझाए हैं। मैं उनका आभारी हूं। परन्तु मेरी कठिनाई यह है कि सरकार संसद के प्रति वचनबद्ध तो है ही। मेरे विचार में, सरकार की ओर से माननीय सदस्यों की मांग पर कई बार यह कहा जा चुका है कि इस प्रत्यक्ष कर (संशोधन) विधेयक को इस सत्र में या उस सत्र में पारित किया जाएगा। पिछले वर्ष, जब मेरे सहयोगी एवं तत्कालीन वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने जब 14 अगस्त, 1986 को यह विधेयक सभापटल पर रखा था, उसमें भी यह स्पष्ट उल्लेख था कि प्रस्तावित संशोधन उपबन्धों को युक्तिसंगत बनाने और प्रक्रिया को सरल बनाने में सहायक होंगे। जनमत प्राप्त करने के लिए यह दस्तावेज प्रकाशित किया जा रहा है। 30 सितम्बर, 1986 तक प्राप्त टिप्पणियों और सुझावों पर विचार करने के बाद, एक विस्तृत कराधान विधि विधेयक संसद के बजट सत्र, 1987 में पुरःस्थापित किया जाएगा।

यह विधेयक बजट सत्र के दौरान पुरःस्थापित किया जाना था।

श्री अमल दत्ता : आपने ऐसा क्यों नहीं किया ? आप इतनी बातें कर रहे थे। परन्तु आपने हमें 7 दिन का समय भी नहीं दिया।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मेरे प्रतिष्ठित मित्र, लोक लेखा समिति के सभापति इसका समर्थन करेंगे। सुझाव 30 सितम्बर, 1986 तक भेजे गए थे। अब यह सभी कार्यवाही की जा चुकी है। हमने विभिन्न स्तरों पर माननीय सदस्यों से व्यक्तिगत रूप में और परामर्शदात्री समिति में सामूहिक रूप से अनेक बैठकें की हैं। यह सर्वसम्मति का द्योतक है। मैं पुनः यह भी कहूंगा कि मेरे मित्र और अलवर से माननीय सदस्य ने कई बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक अभी प्रस्तुत किया जाना है। इस विधेयक का उद्देश्य प्रक्रिया को युक्तिसंगत एवं सरल बनाना है। निर्धारिती की दृष्टि से भी यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि मेरे विचार में, जहां तक कर निर्धारितियों का सम्बन्ध है, यह एक क्रांतिकारी उपाय है, क्योंकि इससे उन्हें स्व कर निर्धारण और अपनी आय स्वयं घोषित करने का अवसर प्राप्त होता है। यदि कोई निर्धारिती ईमानदारी से अपनी आय घोषित करता है तो उसके लिए कोई समस्या नहीं है। इससे प्रक्रिया सम्बन्धी कठिनाइयां कम होती हैं। समस्त प्रक्रिया को सटल बनाया जा रहा है जैसा कि कई संघों, सामान्य करदाताओं द्वारा सभा में और सभा के बाहर मांग की जाती रही है। हम बडे विधेयक का पेश किए जाने की प्रतीक्षा क्यों करें ? हमने सोचा कि जिन मुद्दों पर कुल मिला कर हममें मतैक्य हैं उन्हें विधेयक में शामिल कर पेश किया जाए।

श्री अमल दत्ता : आपने हमें एक सप्ताह का समय नहीं दिया। मैं यही शिकायत कर रहा हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी : कानूनी शब्दावली में, हो सकता है अन्तर हो। परन्तु बुनियादी बातें समान हैं। हम उस बात पर सहमत हैं। आप केवल विधेयक के प्रारूप अथवा शब्दावली के विषय में

कुछ कह सकते हैं। आप पढ़ सकते हैं। आपका दिमाग एवं आंखें प्रखर हैं। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। यदि मौखिक, नेमी या व्याकरण की दृष्टि से कोई संशोधन होने हैं तो वे भी उनकी जानकारी में आते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : उनकी आंखें अवरक्त हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी : वह त्रिनेत्रधारी हैं। उनका तीसरा नेत्र है। इस विधेयक को 1 अप्रैल, 1987 से लागू किया जाएगा, अर्थात, लेखा वर्ष एक ही होना चाहिए। एक दूसरा सुधार यह है कि लेखा वर्ष एक हो जाएगा। आपको काफी समय रखना होगा ताकि लेखा वर्ष समान हो। कई लेखा वर्ष सितम्बर से शुरू होते हैं। आयकर की दृष्टि से कुछ लेखा वर्ष शुरू हो चुके हैं। इसलिए यह अनिवार्य है कि हम इसे विधेयक को स्वीकृति प्रदान करें ताकि हम इसे लागू कर सकें। हम कुछ उपबन्धों को 1 अप्रैल, 1989 से लागू कर सकते हैं, इससे काफी समय मिल जाएगा।

श्री अमल दत्ता : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। आपने धारा 11, 12, 12-क और 13 का लोप कर दिया है और आपके टिप्पणियों के अनुसार, उनके स्थान पर एक नया खण्ड अर्थात 80च पुरःस्थापित किया जाएगा। इसका राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

12.14 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री नारायण दत्त तिवारी : निस्सन्देह, इसका राजस्व पर प्रभाव पड़ेगा। राजस्व पर पड़ने वाले सही प्रभाव की गणना करना कठिन है। मूलतः कराधान प्रक्रियाओं को सरल बनाना ही उद्देश्य है।

श्री अमल दत्ता : क्या इससे कर-अपवंचन का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : यदि आप उद्देश्य एवं कारणों पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि इस विधेयक का एक उद्देश्य कर अपवंचन को रोकना है।

श्री रामसिंह यादव : इस विधेयक द्वारा, कराधान से और आय होगी क्योंकि धर्मार्थ अथवा धार्मिक न्यासों से होने वाली आय को कर-निर्धारिती की आय में शामिल कर दिया गया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैंने यह बात कल कही थी। यदि आप धारा 4, 13, 63 और 118 को देखें तो आपको ज्ञात होगा कि इससे भी कर अपवंचन की लागत बढ़ रही है।

यह कर अपवंचकों के लिए प्रभावी निवारक उपाय होगा जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है।

मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा। मैं यह सुझाव दूंगा कि हमें प्रत्यक्ष कर संहिता तैयार करनी चाहिए। मैं उसके बाद विशेषतौर पर उन माननीय सदस्यों को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है। मैं माननीय श्री माधव रेड्डी, श्री अमल दत्ता, श्री रामसिंह यादव और श्री नारायण चौबे तथा उन अन्य सदस्यों के साथ पृथक बैठक करूंगा जो चाहते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : हमें भी आमंत्रित कीजिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं यह अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री सी० माधव रेड्डी द्वारा प्रस्तुत संशोधन को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत किया गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आयकर अधिनियम, 1961, धन-कर अधिनियम, 1957, दान कर अधिनियम, 1958 और कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 189 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 189 विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : महोदय, संसद के इतिहास में यह पहला अवसर है कि सभी खण्डों—खण्ड 1 से 189 बिना किसी संशोधन के पारित कर दिये गये हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री नारायण दत्त तिवारी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं;

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.16 म० प०

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुनर्गठन, न सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर संसदीय नियंत्रण और गैर सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों तथा विदेशी बैंकों के राष्ट्रीयकरण आदि के संबंध में याचिका

[अनुवाद]

श्री के० राममूर्ति (कृष्णागिरि) : महोदय, मैं सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुनर्गठन, सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर संसदीय नियंत्रण, गैर सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा विदेशी बैंकों आदि के बारे में श्री के० के० नायर, महासचिव भारतीय राष्ट्रीय बैंक अधिकारी कांग्रेस तथा श्री आर० पी० के० मरुगेसन, महासचिव, भारतीय राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी महासंघ तथा मेरे द्वारा प्रति-हस्ताक्षरित तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

12.17 म० प०

सती (निवारण) विधेयक

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा अगली मद पर विचार करेगी।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा), मैं, श्री पी० वी० नरसिंह राव की ओर से प्रस्ताव करती हूं :

> "कि सती होने के और उसके गौरवान्वयन के अधिक प्रभावी निवारण के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, इस सभा में पहले राजस्थान के गांव देवराला में रूपकंवर के साथ घटित अपराध पर चर्चा हो चुकी है तथा सदस्यों ने अपने भाषणों में सर्वसम्मति से सती प्रथा जैसी बुराई के बारे में क्षोभ व्यक्त कर उसके विरुद्ध लड़ने का निश्चय व्यक्त किया था। ऐसी घटना दोबारा कभी न हो यह सुनिश्चित करने का इरादा व्यक्त किया गया था। सदस्यों ने यह भी मांग की थी कि सती होने और उसके गौरवान्वयन से बचाव के लिए केन्द्र पूरे देश के लिए एक सुदृढ़ निवारक कानून बनाए। अभी तक बंगाल और तमिलनाडु के पुराने कानून ही चले आ रहे हैं तथा हाल ही में राजस्थान सती (निवारण) कानून, 1987 बनाया गया है। यद्यपि आत्महत्या का प्रयत्न करने का अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 309 में निहित है तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों ने सती होने को भी इसमें शामिल किया है परन्तु इसकी सजा इतनी कठोर नहीं है जो इस प्रथा से बचाव कर सके। साथ ही सती के गौरवान्वयन को निषिद्ध करने का भी कोई उपबंध नहीं है।

इसलिए हमने सती (निवारण) विधेयक प्रस्तुत किया है। विधेयक में सती की विस्तारपूर्वक परिभाषा दी गई है, जिसमें न केवल मृत पति के साथ विधवा को बल्कि विधवा अथवा स्त्री को पति अथवा रिश्तेदार के साथ जिन्दा जलाना अथवा दफनाना भी शामिल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे मामले हमारे ध्यान में आए हैं जहां तक स्त्री को भाई अथवा सौतेले पुत्र के साथ जिन्दा जला दिया गया।

जो भी व्यक्ति सती होने में फुसलाएगा, प्रोत्साहन देगा, प्रदर्शनों में शामिल होगा, विधवा द्वारा अपने बचाव किए गए प्रयत्नों में बाधक होगा उसे अधिकतम दण्ड अर्थात मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास का दण्ड दिया जाएगा। सती होने के प्रयत्न में उकसाने वाले व्यक्ति को भी आजीवन कारावास का दण्ड दिया जाएगा।

इन अपराधों के अन्तर्गत जिन व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जाएगा, उन्हें स्वयं यह साबित करना होगा कि उन्होंने यह अपराध नहीं किया। यह एक ऐसा सिद्धान्त है जिसे दहेज निवारण अधिनियम के संबंध में सभा ने स्वयं माना था। ऐसे अपराधों में दोषी को पीड़ित व्यक्ति की सम्पत्ति के उत्तराधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। साथ ही ऐसे अपराधों में दोषी व्यक्ति को अपराध साबित होने की तारीख से तथा रिहा होने के पांच वर्ष की अवधि तक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत निरर्ह करार कर दिया जाएगा। किसी उम्मीदवार अथवा उसके एजेंट द्वारा इस सती प्रथा अथवा सती होने का प्रचार अथवा उसका गौरवान्वयन करने पर उसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत इसे भ्रष्ट आचरण माना जाएगा।

भारतीय दण्ड संहिता में आत्महत्या करने के प्रयत्न के लिए जो सजा दी जाती है वही सती होने का प्रयत्न करने के लिए भी दी जाती है। यह आवश्यक भी है क्योंकि सती होने का प्रयत्न करने के लिए उकसाना भी प्रमुख अपराध है। तथापि चूंकि कोई व्यक्ति भारी दबाव में आकर अथवा अस्थिर मनःस्थिति में ही सती होने का प्रयत्न करेगा इसलिए, हमने यह व्यवस्था की है कि ऐसे मामले में व्यक्ति को दोषी साबित करने से पहले न्यायालय को यह विचार करना चाहिए कि किन परिस्थितियों के अंतर्गत यह अपराध किया गया है।

सती के गौरवान्वयन को विस्तारपूर्वक परिभाषित तो किया गया है परन्तु सुविस्तृत रूप से नहीं और इसमे धर्मानुष्ठान, निधियां एकत्रित करना तथा मंदिर का निर्माण भी शामिल है। हमारा प्रस्ताव है कि सती के गौरवान्वयन के दण्ड में सात वर्ष तक का कारावास दिया जाना चाहिए। यद्यपि विधेयक के उपबंधों को भविष्यप्रभावी होना आवश्यक है तथा भविष्य में पुराने विद्यमान मंदिरों/इमारतों में गौरवान्वयन के सभी प्रयत्नों को शामिल किया जाना चाहिए। हमने कलक्टर/राज्य सरकारों को विशेष रूप से यह शक्तियां प्रदान की हैं कि यदि वह संतुष्ट हों कि सती की अवधारणा बनाए रखने की दृष्टि से (विधेयक के अनुसार) पुरानी इमारतों के मामले में राज्य सरकार तथा अन्य मामलों में कलक्टर ऐसे मंदिरों अथवा ढांचों को हटाने का अनुदेश दे सकता है। यहां मैं यह बताना चाहूंगा कि राजस्थान अधिनियम उन मंदिरों और इमारतों पर लागू नहीं होता है जो इस अधिनियम के लागू होने से पहले बनाए गए थे—राजस्थान उच्च न्यायालय ने इसे निरसत कर दिया है। सती के गौरवान्वयन के लिए एकत्रित की गई सम्पत्तियों को भी कलक्टर जब्त कर सकता है। यदि इस घृणित प्रथा का हमें विरोध करना है तथा इसे समाप्त करने के लिए राज्य सरकार के हाथ मजबूत करने हैं तो यह प्रावधान आवश्यक है।

विधेयक में विशेष न्यायालय बनाने, विशेष सरकारी वकील नियुक्त करने तथा अपराध होने अथवा उसके होने की संभावना की सूचना देने के लिए कुछ विशेष व्यक्तियों का दायित्व निर्धारित करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। केन्द्र के इस प्रस्तावित अधिनियम के लागू होने पर सभी विद्यमान कानून निरसित हो जाएंगे परन्तु इन निरसित कानूनों के अन्तर्गत जो कभी कार्यवाही की जा चुकी है वह इस अधिनियम के तत्संबंधी उपबंधों के अन्तर्गत किया गया माना जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य उसी भावना तथा वचनबद्धता से विधेयक का स्वागत करेंगे जिससे उन्होंने इस सत्र के दौरान पहले देवराला घटना पर चर्चा की थी। मैं इस विधेयक को विचार करने के लिए प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि सती होने के और उसके गौरवान्वयन के अधिक प्रभावी निवारण के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री काली प्रसाद पाण्डेय।

[हिन्दी]

श्री काली प्रसाद पाण्डेय (गोपालगंज) : माननीय उपाध्यक्ष जी, सती (निवारण) विधेयक, 1987 जो मंत्री महोदया ने प्रस्तुत किया है, इसका मैं स्वागत करता हूं। (व्यवधान)

पहले भी इस सदन में दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों ने देवराला घटना के संबंध में चर्चा करते हुए इस सदन में मांग की थी कि मौजूदा कानून में आमूल-परिवर्तन हो और जो लोग सती होने के लिए किसी औरत को बाध्य करते हैं, उनके लिए सख्त कानून बनाया जाए। सरकार धन्यवाद की पात्र है कि यह व्यापक कानून बनाकर इस प्रथा को रोकने का उसने निश्चित रूप से प्रबन्ध किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, शास्त्रों में इस संबंध में क्या कहा गया है, देवराला की घटना के समय कुछ महर्षियों और आचार्यों ने इसका स्वागत किया, लेकिन यह जो घटना हुई यह हिन्दुस्तान के इतिहास में एक निराली घटना थी। जिस औरत को यह बता दिया जाए कि तुझे आज जलकर मरना है, उसके अंदर क्या भावना उत्पन्न होती होगी। इस तरह का क्रूर क्राइम हिन्दुस्तान के इतिहास में दूसरा नहीं हो सकता। सती शब्द से संबोधन करके इस प्रथा को प्रोत्साहित किया गया। यह प्रथा बहुत पुरानी है, जब राम वनवास से लौट कर आए तब उन्होंने एक धोबी को अपनी पत्नी को मारते हुए यह कहते हुए सुना—

"ए चूली बदचलन नार, मैं नहीं तुझे रख सकता हूं,
तू रही रातभर बता कहां, बदनामी नहीं सह सकता हूं,
मैं राम सरीखा मर्द नहीं जो तेरे चक्कर में आ जाऊं,
मैं इतना नादान नहीं, जो त्रिया जाल में फंस पाऊं।"

इस तरह से राम द्वारा सीता की अग्नि-परीक्षा ली गई, राम के आदेश पर सीता का अग्नि-परीक्षण हुआ। अगर सीता सत्यवान नहीं रहती तो अग्नि में जलकर राख हो जाती। अगर सत्य शब्द

की परिभाषा सती शब्द से जोड़ी जाए तो निश्चित रूप से यह बात समझ में आ सकती थी। लोग कहते हैं कि दिवराला में जब घटना घटित हुई तो हजारों लोगों ने सती मानकर इतना उपहार चढ़ाया कि मरने वाले परिवार को कम से कम आजीवन खाने के लिए निश्चित रूप से धन मिल गया। इस सदन में एक दिन मधु दंडवते जी और बालकवि बैरागी जी ने कहा कि हमारे दल का ही सदस्य क्यों न हो, अगर इसमें सम्मिलित होता है तो मैं उसका कड़े शब्दों में विरोध करता हूं। मधु दण्डवते जी और बालकवि बैरागी जी ने कहा कि अनेकों ऐसे लोग दिवराला और अन्य जगह पर हैं जो जान-बूझकर इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। वे समझते हैं कि उनको वोट मिलेगा। आपको इस विधेयक में यह प्रावधान करना चाहिए था कि कोई भी व्यक्ति जो सती प्रकरण में सम्मिलित होता है, उसको प्रजातंत्र में चुनाव लड़ने के लिए वंचित कर दिया जाए तो निश्चित रूप से इस पर काबू पाया जा सकता है।.....(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : डिसक्वालिफिकेशन का प्रावधान उसमें है।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : आपने बिल नहीं पढ़ा है।.....(व्यवधान)

श्री काली प्रसाद पांडेय : बिल तो मैंने पढ़ा है। हो सकता है, आपने जो भाषण किया उसमें इन सब बातों का उल्लेख नहीं आया हो। अगर है, तो मैं उसका स्वागत करता हूं। यह कानून जो आप सदन में लाई हैं, यह सिर्फ सदन में ही न रह जाए। इसे सर-जमीं पर कार्यान्वित किया जाए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एम० वाई० घोरपडे (रायचूर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक अवसर है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : जो लोग इसमें सम्मिलित हों, उनको वोट देने का अधिकार भी नहीं रहना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री एम० वाई० घोरपडे : महोदय, राजस्थान के दूरस्थ गांव, देवराला में हुई इस घृणित घटना पर पूरे राष्ट्र में प्रतिक्रिया हुई और इससे देश का वर्तमान समूचा दृष्टिकोण परिलक्षित हो रहा है। मीडिया ने अपनी भूमिका निभाई। यह देश की सामाजिक जाग्रति के स्तर को परिलक्षित करता है।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि भूतकाल में ऐसी घटना घटी होती, शायद पहले ऐसी अनेक घटनाएं घटी हैं लेकिन उन पर ऐसी राष्ट्रीय प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसलिए, देवराला में जो भी हुआ उसके प्रति प्रतिक्रिया हुई है। संसद ने इसकी ओर पूरा ध्यान दिया है। सरकार ने एक विधान प्रस्तुत किया है, एक विधेयक बनाया है जो इसके संघर्ष करने की दृढ़ता और इसकी यह देखने की इस इच्छा का प्रतीक है कि राष्ट्र फिर से इस रूढ़िवादिता का शिकार न हो। महोदय, हम

सब जानते हैं कि इस राष्ट्र में राजा राम मोहन राय के दिनों में क्या हुआ था, महात्मा गांधी ने उन दिनों में क्या कहा था, कैसे उन्होंने सती प्रथा का घोर विरोध किया था न केवल सती प्रथा का बल्कि सती प्रथा का समर्थन करने की विचारधारा का घोर विरोध किया था। जब श्री जवाहर लाल नेहरू 17 वर्ष तक प्रधान मंत्री थे तो उन्होंने प्रत्येक कदम पर इस राष्ट्र को रूढ़िवादिता से दूर ले जाने तथा जीवन के अधिक विवेकपरक, मानवीय और वैज्ञानिक रास्ते पर ले जाने का प्रयास किया।

आज मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक पर कोई दो राय नहीं हैं और मुझे विश्वास है कि इस सभा का प्रत्येक सदस्य, चाहे वे किसी भी दल का हो पूर्ण निष्ठा के साथ इसका समर्थन करने के लिए वचनवद्ध है—हमें इस अवसर का लाभ उठाकर स्वयं तथा राष्ट्र को इस कार्य के पीछे जो विचारधारा है उसे स्मरण कराना चाहिए। रूढ़िवाद और जातिवाद का एक ही स्रोत है। जैसा कि सभी जानते हैं कि दोनों सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन से उत्पन्न होते हैं। जब कोई क्षेत्र पिछड़ा होता है तभी इस प्रकार के कार्य, विचारधारा और सामाजिक व्यवहार चल सकते हैं।

मैं यह जरूर कहूंगा कि पिछले चालीस वर्षों में इस देश में जो विकास हुआ है उसने काफी सीमा तक जातिवाद को कम किया है। जातिवाद अब वैसा नहीं है जैसा चालीस वर्ष पहले था। जन्म और परम्परागत व्यवसाय के आधार पर बंद, स्तरीय, धर्मतंत्रीय समाज के अभिप्रायानुसार जातिवाद कम हो गया है क्योंकि यह उन्हीं पिछड़े इलाकों में पनप सकता है, जहां गांव अलग-थलग हैं, एक गांव का दूसरे गांव से कोई संबंध नहीं है। उस प्रकार की स्थिति, पृथकीकरण संकीर्ण निष्ठा, जोकि उच्च निष्ठा की ओर जाने में कठिनाई महसूस करती है, पर विकास द्वारा प्रभावी प्रहार किया गया है।

लेकिन, दुर्भाग्यवश इसी विकास ने कमजोर जाति चेतना, रूढ़िवाद को पूरे देश में एकत्र होने को बढ़ावा दिया है। जातिवाद कमजोर है लेकिन यह पूरे राष्ट्र में एकत्र हुआ है। इसलिए इस पर गंभीरता से विचार करना देश के लिए आवश्यक है। इसीलिए जवाहरलाल जी ने उन दिनों में कहा था कि समाजवाद और जातिवाद साथ-साथ नहीं चल सकते हैं। विनोबाजी ने कहा कि यह युग विज्ञान और आध्यात्मिकता का है न कि धर्म और राजनीति का।

इस विधेयक की प्रस्तावना में इस विधेयक को न्यायसंगत बताते हुए यह कहना आवश्यक समझा गया कि यह विधेयक इसीलिए लाया गया क्योंकि सती मानव प्रकृति की भावनाओं के विरुद्ध है और भारत के किसी भी धर्म में इसे उचित नहीं माना गया है। मैं एक कदम और आगे जाकर यह कहना चाहूंगा कि यदि ऐसा है भी तो मानव प्रकृति का अहित करने वाली शक्तियों से संघर्ष करना हमारा कर्त्तव्य है।

पशु बलि का उदाहरण लें। पशु बलि स्पष्ट रूप से मानव प्रकृति के विरुद्ध है। इसे रोकने के लिए देश में एक कानून है तथा एक आंदोलन हुआ और इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया कि कुछ धर्मों और धार्मिक पुस्तकों में इसका समर्थन किया गया है अथवा नहीं। मेरे विचार से हम जो कर रहे हैं उसको न्यायसंगत ठहराने के लिए यह संगत अथवा आवश्यक नहीं है। इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए।

जहां तक हिंदुओं का संबंध है, मेरे विचार से मैं एक अच्छा हिंदू हूं लेकिन मुझे यह कभी नहीं कहा गया कि हिंदू होने का दावा करने अथवा हिंदू होने के योग्य होने के लिए एक धर्मग्रंथ अथवा पुस्तक विशेष में विश्वास करूं। मुझे अपनी संस्कृति पर गर्व है कि एक नास्तिक भी हिन्दू कहलाता

है। इसलिए हमें स्वयं को यह स्मरण कराना आवश्यक है कि एक कोई कट्टरतावादी व्यक्ति हिन्दू नहीं हो सकता।

इसलिए मैं इस अवसर पर इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि चाहे हिन्दूवाद हो अथवा कोई अन्य धर्म हो, मूल तत्व अध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता नकारात्मक और स्व-विध्वसंक नहीं है; यह सकारात्मक है जो आपको संपूर्ण आंतरिक स्रोतों को सेवा के लिए समर्पित करने में समर्थ करता है जोकि सामाजिक लक्ष्य है।

महोदय, मैं आपका ध्यान विधेयक की ओर दिलाना चाहता हूं। प्रस्तावित विधेयक बहुत ही अच्छा है। मंत्री जी पहले ही विधेयक के विभिन्न पहलुओं की हमें जानकारी दे ही चुके हैं। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और मैं कठोर दण्ड की व्यवस्था करने के लिए सरकार को मुबारकबाद देता हूं।

मेरा केवल यह सुझाव है कि जैसा कि आपने स्वीकार किया है, ऐसी घटना के बाद महिला की मनःस्थिति सही नहीं रहती है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि हम निवारक कानून बनाने की उत्सुकता में महिला की स्थिति की अनदेखी न कर जाएं। इसके अतिरिक्त, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उसे हमेशा ही दण्ड न मिले क्योंकि अधिकांशतः वह मासूम होती है और कोई दूसरा व्यक्ति ही रूढ़िवादी मान्यताओं के कारण एक गम्भीर अपराध करने का प्रयास करता है। सती की घटना आत्महत्या की बजाय हत्या हो है। इसलिए, इसका विशेषतौर पर पता लगाया जाना चाहिए।

इस देश में न केवल सती बल्कि अन्यानेक ऐसी घटनएं हो रही हैं जो रूढ़ीवादी, जातिवादी, पिछड़ी हुई, दमनकारी तथा राष्ट्रविरोधी हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो न केवल कानून बनाना आवश्यक होगा बल्कि देश में सामाजिक-आर्थिक विकास की गति तेज करनी होगी। उदाहरण के तौर पर केरल में दो-तिहाई लोग शिक्षित हैं जबकि पूरे देश में दो-तिहाई जनता अशिक्षित है। इसलिए, केरल में ऐसी स्थिति उत्पन्न की गई है कि चाहे कानून बने या न बने कोई महिला सती नहीं होती। स्वस्थ सामाजिक वातावरण, साक्षरता, अनिवार्य शिक्षा, आर्थिक विकास तथा रोजगारोन्मुख कार्यक्रम और जीवन यापन के बेहतर अवसर प्रदान किए जाने की आवश्यकता है जिससे हमारी जनता में आशा और प्रतिष्ठा की भावना का संचार होगा और परिणामतः सामाजिक कुरीतियां दूर होगी। हम सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कानून बनाने जा रहे हैं क्योंकि इसमें देश की भावना की स्पष्ट अभिव्यक्ति है इससे उपायुक्त को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने, उनका निराकरण करने की शक्ति प्रदान की गई है जो स्पष्टतः बुरे हैं। परन्तु इसके अतिरिक्त, मेरे विचार में हमें यह स्मरण करना चाहिए कि इसी कार्यक्रम से जनता को सामाजिक-आर्थिक स्वतन्त्रता मिल समती है जिससे राजाराम-मोहन राय, महात्मा गान्धी और जवाहर लाल नेहरू जैसे समाज सुधारकों की आशाएं एवं आकाक्षाएं पूर्ण होंगी। इन समाज सुधारकों ने इस देश की महिलाओं को जीवन की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए इतने प्रयास किए जितने शायद विश्व के किसी दूसरे भाग में नहीं किए गए।

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी (नवद्वीप) : महोदय, देवराला की घटना से समूचे देश को धक्का लगा है और सभी को नीचा देखना पड़ा है। देश भर की महिलाओं ने ऐसे अपराध को रोके जाने की मांग करते हुए अभियान चलाया था और मेरी पार्टी तथा उन महिलाओं ने, जिनसे मैं सम्बद्ध हूं अर्थात् ए० आई० डी० डब्ल्यू० ए० ने, उस संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई है। दिल्ली में महिलाओं की एक जबरदस्त रैली हुई थी और उसी के बाद सरकार पर यह विधेयक लाने का दबाव पड़ा।

परन्तु महोदय, वास्तव में शर्मनाक और आश्चयजनक बात यह है कि सरकार ने उन महिला संगठनों से परामर्श किए बिना, जिन्होंने इस क्षेत्र में अत्यधिक कार्य किया है, ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया है जिसमें गम्भीर त्रुटियां हैं। इसलिए मैं यद्यपि धर्म या रीतिरिवाज के नाम पर महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को समाप्त करने और रोकने के लिए तथा ऐसी परम्पराओं या रीतिरिवाजों को महिमामण्डित करने के विरुद्ध विधेयक लाए जाने का समर्थन करती हूं तथापि पारित किए जाने से पूर्व ऐसे विधेयक में उपयुक्त संसोधन किए जाने चाहिए।

इस विधेयक को इसके वर्तमान स्वरूप में पारित करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

मैं विधेयक पर ही आती हूं। भाग एक, खण्ड 1, उपखण्ड (3) में यह व्यवस्था है कि :

"यह किसी राज्य में उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।"

महोदय, यह क्या है? यदि वे इस विषय को गम्भीरता से ले रहे हैं तो विधेयक में ऐसा प्रावधान क्यों किया गया है? इसका क्या अभिप्राय है? वे इसका राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं। इस विषय में प्रधान मंत्री या किसी अन्य मंत्री के पास कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। मेरे विचार में, इसका अर्थ यह है कि इस अधिनियम को लागू नहीं किया जाएगा। प्रधान मंत्री ने देवराला घटना की भर्त्सना 20 दिन बाद की। यह धार्मिक कट्टरपंथियों के साथ समझौता है।

श्री अमल दत्ता : महोदय, मंत्री जी नहीं सुन रहे हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य, खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : मैं सुन रही हूं!

श्री अमल दत्ता : नहीं आप नहीं सुन रही हैं। आप बात कर रही हैं। पिछले पांच मिनट से मैं आपको देख रहा हूं..... (व्यवधान)

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : मुझे आपकी चिन्ता के लिए खेद है। मैं उनकी बात सुन रही हूं।

श्री अमल दत्ता (डायमंड हार्बर) : नहीं, आप बात कर रही हैं।

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : जब श्री इन्द्रजीत गुप्त उनके भाषण में बाधा डाल रहे थे तब हमने आपत्ति नहीं की। उन्होंने उनके भाषण में बाधा डाली।

प्रो० मधु दण्डवते : उनके दो कान हैं।

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी : महोदय, यह सोचने का पर्याप्त कारण है कि इस विधेयक को कार्यान्वित नहीं किया जाएगा। मैंने इस उपखंड के विरोध में घोर आपत्ति की थी। इसे पूरे देश में तत्काल लागू किया जाना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि समूचे विधेयक से प्रतिक्रियात्सक समझौते की गन्ध आती है कि 'सती' स्वैच्छिक प्रथा है और इसमें विधवा को सती होने के लिए उत्प्रेरित करने की ही बात कही गई है न कि वास्तविक अपराध की जोकि "महिलाओं को चिता पर जिन्दा जला रहा है या दफन कर रहा है" इसमें बेचारी महिला को ही दण्डित करने का प्रावधान है जोकि सामाजिक परिस्थितियों की शिकार है।

अब विधेयक के भाग दो, खण्ड 3 को देखिए। पहला अपराधी स्वयं महिला ही है। वह ही एक मात्र अपराधी है। दूसरे व्यक्ति केवल दुष्प्रेरक ही हैं। इस समूची धारा में, आधार वाक्य यही है कि 'सती' स्वेच्छा से होती है हालांकि 'स्वेच्छा' शब्द का इसके प्रयोग नहीं किया गया है····· (व्यवधान)····· इस सम्पूर्ण धारा में केवल बेचारी महिला को ही दण्डित किए जाने की व्यवस्था है। *इसका प्रारम्भिक वाक्य यही है कि महिलाएं स्वेच्छा से सती होती हैं।*

अत: सर्वप्रथम उसी महिला को दण्डित किया जाता है जो वास्तविक में सामाजिक परिस्थितियों की शिकार हुई है। उसे अपराधी बनाया जाता है; दूसरे दुष्प्रेरक जोकि वास्तव में हत्यारे हैं। महोदय, दुष्प्रेरकों को अधिकतम दण्ड देने से वर्तमान सामाजिक-आर्थिक वास्तविकता समाप्त नहीं हो जाती कि भारत में विधवा को किस प्रकार अवमानित एवं परेशान किया जाता है। इससे इस बात का पता चलता है कि कोई महिला स्वेच्छा से सती नहीं होती। राज्य सभा में और इस सदन में भी यह बात सिद्ध हो चुकी है। महोदय, राममोहन राय ने 150 वर्षों से भी पहले यह समझ लिया था कि कोई महिला स्वेच्छा से सती नहीं हो सकती। परन्तु वर्तमान सरकार इसे नहीं समझ सकी। इसलिए, उद्देश्यों तथा कारणों संबंधी वक्तव्य में स्पष्टत: कहा गया है कि·····(व्यवधान)·····इसमें बताया गया है कि, सती होने का प्रयास करना आत्महत्या के प्रयास के समान दण्डनीय होगा।

> "···विधवा या स्त्री को सती होने के लिए विवश किया जाता है और निरपवाद रूप से वह ठीक मानसिक दशा में नहीं होती या मत्त अवस्था या संज्ञाशून्य अवस्था या किसी अन्य बात के अधीन होगी, जिससे उसकी स्वतन्त्र इच्छा के प्रयोग में अड़चन पड़ती है।"

यदि महिला को मरने पर मजबूर किया जाता है तो उसके हत्यारों पर आरोप लगाए जाने चाहिए न कि स्वयं उसी महिला पर। परन्तु विधेयक में यही किया गया है। विधेयक के विरुद्ध मेरी यही अपील है। इस दोषपूर्ण व्यवस्था से, विधेयक के अन्तर्गत अपराधियों को बचने की काफी गुंजाइश मिल जाती है उदाहरण के तौर पर महिला को 'अपने संकल्प पर दृढ़ रहने' के लिए प्रोत्साहन करना। यह क्या हो सकता है? इसका अभिप्राय महिला को पुन: उसी आग में झोंकना है जबकि वह बचना चाहती है और 'महिला को उसके निर्णय में सहायता करना'। यह सभी बातें क्या हैं? यह प्रावधान हटना चाहिए। समस्त भाग-दो को सही सूझबूझ से दोबारा तैयार किया जाना चाहिए।

महोदय, भाग दो के खण्ड 3 का लोप किया जाना चाहिए। मैंने प्रात: ही संशोधन रखे हैं। लेकिन मैं देखती हूं कि वे प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। संशोधनों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए और हमें उनको प्रस्तुत करने का अवसर मिलना चाहिए।

इस विधेयक में प्रत्यक्ष रूप से महिलाओं के विरुद्ध विशेष किस्म के हत्या के अपराध अर्थात स्त्री को जिन्दा दफनाने अथवा चिता पर जिन्दा जलाने के वास्तविक अपराध का उल्लेख करना होगा। पृष्ठ 3, खण्ड 4 में मजबूर करने के संबंध में उल्लेख है जिसे इस अपराध को सही-सही ढंग से समझने के लिए लिखना होगा। समूचा भाग 2 पुनः लिखना होगा। मैं 'जानबूझ कर' शब्द का विशेष रूप से उल्लेख करूंगी। पृष्ठ 3, खण्ड 4 के उपखण्ड 2 (ङ) में 'जानबूझकर' शब्द है। इरादे को आप कैसे साबित करेंगे? इस शब्द से यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी अपराधी साफ-साफ बच निकलें। यह तो दहेज की परिभाषा की तरह से है जहां 'के विचार से' शब्दांश आता है। यदि सरकार अपराधी को दण्डित करने के प्रति गम्भीर है तो यह शब्द नहीं रहना चाहिए। खण्ड 4 का उपखण्ड 2(ङ) इस प्रकार है—

"सती होने से संबंधित किसी जुलूस में भाग लेना या उसे उसके मृत पति या संबंधी के शरीर के साथ शमशान या शवाधान स्थल तक ले जाकर स्त्री या विधवा के सती होने के उसके विनिश्चय में सहायता करना ।"

यदि सरकार गम्भीर है और इस देश के लोगों को मात्र यही नहीं दिखाना चाहती कि वह 'सती' के बारे में कार्यवाही कर रही है, तब यह शब्द नहीं रहना चाहिए ।

सबसे बड़ी कमी यह है कि इस अपराध को संज्ञेय और जमानत न होने योग्य की श्रेणी में नहीं रखा गया है । यह वास्तव में आश्चर्यजनक है । एक मृत्यु योग्य अपराध है और वह संज्ञेय नहीं है । यह कैसे हो सकता है । क्या वह यह सुनिश्चित करना चाहती है कि अपराधियों को बिल्कुल भी सजा न मिले ? यह अपराध संज्ञेय और गैर-जमानत योग्य होना चाहिए ।

भाग तीन सती संबंधी अपराधों की रोकथाम के लिए कलैक्टर अथवा जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों के संबंध में है । यदि कानून को दक्षतापूर्वक लागू करना है तो क्षेत्र के ग्रामीण स्तर के प्राधिकारी भी आवश्यक अधिकार से सम्पन्न होने चाहिए । जब तक जिला मजिस्ट्रेट को अपराध की जानकारी हो, अपराध पहले ही किया जा चुका होगा । महिला को पहले ही जलाया जा चुका होगा ।

इस विधेयक में दाताओं को दण्ड से मुक्त रखा गया है । पृष्ठ 2 खण्ड 2(1) (चार) में दाताओं को शामिल नहीं किया गया है । पैसों के दान अथवा भूमि के दान को अपराध नहीं माना गया है । मुझे आश्चर्य है कि क्या सरकार बड़े-बड़े व्यापारिक घरानों को बचाना चाहती है क्योंकि वे सबसे बड़े दाता है । पैसों दान अथवा भूमि का दान भी इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध होने चाहिए ।

श्रीमन्, मैंने जब उद्देश्य और कारणों को पढ़ा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ । पूरा राष्ट्र तो बगावत कर रहा है और आप कहते हैं कि 'आशंका' है । पुनः इसमें यह कहा गया है कि "पैसे इकट्ठे करने का प्रयास हुआ है" समाचार-पत्र पत्रिकाओं में छपा था कि 90 लाख अथवा इससे अधिक रुपये इकट्ठे किए गए और सरकार कहती है कि 'पैसे इकट्ठे करने का प्रयास किया गया'। पुनः राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं । राजस्थान सरकार ने किया क्या ? उसने कुछ नहीं किया वे पास ही बैठे रहे और उच्च न्यायालय के निषेधाज्ञा के पश्चात् भी सरकार ने 'चुनरी समारोह' करने दिया ।

इसलिए, इस देश की महिलाओं ने हरिदेव जोशी सरकार के इस्तीफे अथवा बर्खास्तगी की मांग में हजारों तार भेजे । मैं हरिदेव जोशी सरकार के इस्तीफे अथवा बर्खास्तगी की मांग करता हूं । यदि यह विधेयक, जैसा इस समय है, पारित कर दिया जाता है तो इस संशोधित न किए हुए विधेयक से कोई मतलब हल नहीं होगा, यह विधेयक सत्तारूढ़ दल को राजनैतिक फायदे भले ही दिला दे, लेकिन यह धर्म के नाम पर स्त्रियों के विरुद्ध इस अपराध के निवारण के उद्देश्य को नाकाम कर देगा । इस देश की स्त्रियां इसे कभी भी क्षमा नहीं करेंगी । यह विधेयक मूल रूप से स्त्रियों द्वारा आवाज उठाए जाने के कारण लाया गया है और वे एक उचित कानून लाने के लिए लड़ती रहेंगी ।

[हिन्दी]

श्री महेन्द्र सिंह (गुना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि वह सती प्रथा को रोकने के लिए एक बहुत अच्छा बिल लेकर आये हैं। सती जैसी घटनाओं की जितनी अधिक आलोचना की जाये उतनी ही कम है।

यह बहुत दुख की बात है कि आजादी के 40 वर्षों के बाद भी हम सती जैसी घटनाओं को रोक नहीं पाये हैं। हमारे यहां जितना अधिक शिक्षा का प्रचार-प्रसार होता जा रहा है, उतना ही साम्प्रदायवाद, जातिवाद बढ़ता जा रहा है और ये सामाजिक कुप्रथायें लोगों में घर करती जा रही हैं। यह बहुत बड़ी चिन्ता की बात है। इनसे निपटने के लिए तैयारी की बहुत आवश्यकता है। जो विदेशी शक्तियां हमारे देश की एकता और अखंडता के टुकड़े-टुकड़े कर रही हैं उन सब को उखाड़ फेंकना चाहिए। यही विदेशी शक्तियां आतंकवाद और पृथकतावाद को भी बढ़ावा दे रही हैं। हमें इनके साथ भी सख्ती से निपटना चाहिए ;

सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए हम जितनी तेजी से प्रयास कर सकते हैं, करें। मैं इस बिल का पूर्ण समर्थन करने के साथ-साथ माननीय मंत्री जी का ध्यान कुछ विशेष बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे यहां गांवों में पति की मृत्यु के बाद स्त्रियों को सफेद कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया जाता है। उनको हमारा समाज चूड़ियां और बिंदी आदि लगाने की भी इजाजत नहीं देता है। यही कारण है कि आज उन विधवा महिलाओं की स्थिति अत्यन्त शोचनीय है। इस प्रकार की परिस्थितियां में अगर हमारा समाज सम्मानपूर्ण जीवन उन महिलाओं को नहीं दे सकता तो सती जैसी घटनायें हम रोक नहीं पायेंगे। ऐसी दशा में विधवा महिलायें यह सोचने के लिए मजबूर हो जाती हैं कि ऐसी जिन्दगी जीने से तो मरना ही बेहतर है।

हमारे यहां गांवों में जो सैकड़ों युवा विधवायें है, उनको भी सफेद कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया जाता है। वे विधवायें शादी और दूसरे शुभ अवसरों पर भी नहीं जा सकती हैं। ऐसे समय में उन्हें कमरे में छिप कर बैठना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शुभ अवसरों पर विधवाओं का आना अच्छा नहीं माना जाता है। इस कारण यह आवश्यक है कि हम इस दिशा में कुछ कदम उठायें। ऐसा करने के बाद ही इस बिल का उद्देश्य पूरा होगा।

अब मैं आपके सामने कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मेरा एक सुझाव यह है कि आप हर प्रान्त में युवा विधवाओं को ट्रेनिंग देने और नौकरी देने के लिए एक विशेष इंस्टीच्यूट बनायें और इनमें उन विधवाओं को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि जो युवा विधवाएं हैं उनके बच्चों को स्कालरशिप देने के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। तीसरा सुझाव यह है कि जो युवक विधवाओं से विवाह करें उनको नौकरी की गारंटी मिलनी चाहिए। इसके साथ ही अधिक से अधिक युवकों को युवा विधवाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री बिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी) : मैं सती प्रथा के विभिन्न पहलुओं के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि उसकी चर्चा यहां पर अल्पसूचना चर्चा में हो चुकी है। मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि यद्यपि इस विधेयक में एक सामाजिक बुराई को लेने का प्रयास किया गया है, तथ्य यही है कि

इस देश में विधवायें कई क्षेत्रों में सती प्रथा में वस्तुतः विश्वास रखती हैं और सरकार को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि उनकी स्थिति में किस प्रकार से सुधार लाया जा सकता है

1.00 म० प०

किन्तु एक खण्ड का मैं दृढ़ता से विरोध करता हूं जिसके बारे में श्रीमती विभा गोस्वामी ने पहले ही उल्लेख किया है और वह है खण्ड 3 जिसमें लिखा है :—

> "भारतीय दण्ड संहिता में सब बातों के होते हुए भी जो भी सती होने का प्रयास करता है और ऐसा करने का कोई भी कार्य करता है ; उसे एक वर्ष तक की अवधि के लिए दण्ड भुगतान होगा अथवा जुर्माना देना होगा।"

निश्चय ही न्यायालय को शक्ति दी गई है कि वह उन तथ्यों पर विचार करे जिसके कारण ऐसा कार्य हुआ है और सजा में कमी करे।

किसी भी लड़की पर जो सती होने का प्रयास करती है, न्यायालय में मुकदमा चलेगा। उस पर मुकदमा चलेगा। उसकी स्थिति देखिए। उसका पति नहीं रहा। उसके रिश्तेदारों ने उसे चिता में जाने के लिए मजबूर किया और उसके बाद उसे मुकदमे का सामना करना होगा। हम सब जानते हैं कि हमारे न्यायालयों में मुकदमा कैसे चलता है। सहायता करने के लिए उसके पास कोई नहीं होगा। उसके सभी रिश्तेदार उसके विरुद्ध होंगे। उसके पास पैसा भी नहीं होगा। उस पर न्यायालय में कम से कम एक साल तक मुकदमा चलेगा और उसके बाद न्यायालय उसे थोड़ा-बहुत दण्ड देगा। इसलिए, मैं नहीं जानता कि आपने इस धारा को कैसे पुरः स्थापित किया है। जब तक आप इसे दण्डनीय नहीं बनाते, सती के लिए मजबूर करना दण्डनीय नहीं बनाया जा सकता। वह केवल आधार ही होगा।

वास्तव में महोदय, जब हमने गृहमन्त्री से चर्चा की थी और मैं समझता हूं विधि मन्त्री जो वहां नहीं थे, तब खण्ड में ही "स्वैच्छिक" शब्द था। यह कहा गया था कि—

> "यदि कोई व्यक्ति जो स्वेच्छा से सती होने का प्रयास करता है···"

मैं जानता हूं कि "स्वेच्छा से" शब्द को लगाने में समस्या है क्योंकि कानून में यह नहीं दिया गया है कि स्वेच्छा से सती हुआ जा सकता है। मैं समझता हूं यह बिल्कुल ठीक है। मैं नहीं समझता कि कोई स्वेच्छा से सती होता है और इस बात को लाना कि कोई स्वेच्छा से सती हो सकता है, इस अधिनियम के विद्यमान उपबंध के विरुद्ध जाता है। इसलिए बचाव के लिए मैंने एक संशोधन रखा है। इस उपबंध के अन्तर्गत जो कोई भी सती होता है; उस पर मुकद्मा चलेगा। जांचकर्त्ता एजेंसी के पास और कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि उस पर अभियोग लगाकर मुकद्मा चलाया जाये। उसे मुकद्मों से मना करना पड़ सकता है। इसलिए मेरा पहला संशोधन है :—

> "भारतीय दंड संहिता में सब बातों के होते हुए भी, जो भी कोई बिना प्रतिरोध के अपने आप सती होती है·····"

इसलिए यदि जांचकर्त्ता अधिकारी को यह पता चलता है कि उसने प्रतिरोध किया, तो उस पर मुकद्मा नहीं चलना चाहिए। फिर मैंने एक परन्तुक भी प्रस्तुत किया है। दुर्भाग्य से मैंने परन्तुक देर

से दिया था क्योंकि विधेयक देर से परिचालित किया गया था। और परन्तुक है—बशर्ते यदि सती होने का प्रयास करने वाला व्यक्ति प्रतिरोध करने की मानसिक स्थिति में नहीं है, तो यह माना जायेगा कि उसने प्रतिरोध किया। मैं एक बचाव का रास्ता ढूंढ रहा हूं जिससे यदि जांचकर्त्ता अधिकारी को इस बात के बहुत कम सबूत भी मिलते हैं कि उसने प्रतिरोध करने का प्रयास किया था, तो उस पर मुकद्दमा नहीं चलेगा।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : इससे भी उसे जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। आपको सबूत देने होंगे, आपको यह दिखाना पड़ेगा कि ऐसा हुआ था या नहीं। आप बिना सबूत के ही·····

श्री दिनेश गोस्वामी : श्रीमती आल्वा मैं मानता हूं कि उसे जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा क्योंकि जांचकर्त्ता अधिकारी को साक्ष्य लेना होगा किन्तु मुद्दा यह है कि जांच और मुकद्दमा दो अलग बातें हैं। यदि जांच से समय जांच करने वाली एजेंसी को पता चलता है कि उसने प्रतिरोध किया था या यह कि वह प्रतिरोध करने की मानसिक स्थिति में नहीं थी·····।

उपाध्यक्ष महोदय : वे आपको संबोधित कर रहे हैं। इसलिए कृपया आप उनकी बात पर ध्यान दें।

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, यह एक बहुत गंभीर बात है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं समझता हूं यह एक बहुत बड़ी कमी है और मैं नहीं जानता कि हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं। बात यह है कि जब तक हम इसे अपराध नहीं मानते तब तक मजबूर करने की बात का कोई मतलब नहीं है। यदि हम इसे एक अपराध मान लेते हैं तब हम उस बेचारी स्त्री को भारी कठिनाई में डाल देंगे। इसलिए, बचाव का जो रास्ता मुझे समझ में आया—यदि कोई इससे बेहतर बचाव का रास्ता ढूंढ़ पाता है तो मैं बहुत खुश होऊंगा—यदि जांच करने वाले अधिकारी के पास कोई सबूत है कि उसने प्रतिरोध किया था या कि वह उस मानसिक स्थिति में नहीं थी जिसमें वह प्रतिरोध कर पाती; यदि उसकी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि प्रतिरोध करना उसके लिए संभव नहीं था तो यह माना जायेगा कि उसने प्रतिरोध किया तब उसे मुकद्दमें प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। मेरे अनुसार यह बचाव का रास्ता है और मंत्री जी को बेहतर बचाव का रास्ता ढूंढ़ना होगा।

मैं समझता हूं कि खण्ड ही ऐसा है कि हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। हम उस बेचारी को दण्डित कर रहे हैं जिसका पति नहीं रहा और जिसे चिन्ता पर ले जाया गया था। फिर उसे कहीं से भी किसी भी प्रकार की सहायता के बिना काफी समय तक मुकदमों का सामना करना पड़ेगा।

समाचार-पत्रों की कुछ रिपोर्टों के माध्यम से हमें पता चला कि फिल्में बनाने वाले सती को गौरवान्वित करते हुए फिल्में बना रहे हैं। हमें ऐसी प्रथा को रोकना चाहिए और इसलिए मैंने दूसरा संशोधन रखा है और मैं समझता हूं श्री इन्द्रजीत गुप्ता ने भी इसके लिए संशोधन प्रस्तुत किया है। मेरा संशोधन है :—

> "समाहर्ता या जिला मजिस्ट्रेट, यदि वह संतुष्ट है, आदेशों के द्वारा भी किसी स्त्री के सती होने को दर्शाने वाले या इसको गौरवान्वित करने वाले किसी भी दृश्य-श्रव्य प्रस्तुतिकरण को फिल्माये जाने या उसके रिकार्डिंग को निषिद्ध करें।"

मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इन दो संशोधनों को स्वीकार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन मध्याह्न भोजन के लिए 2.00 बजे म० प० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होता है।

1.05 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.04 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.04 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सती (निवारण) विधेयक

—जारी

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने जो यह सती (निवारण) विधेयक पेश किया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। जैसा कि मंत्री जी ने अपने बयान में कहा है कि उनके देखने में कहीं भी इस प्रथा के बारे में नहीं कहा गया है। निश्चित रूप से इस प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए। यह प्रसन्नता की बात है कि जितना भी संभव हो सका है, इस विधेयक में सभी प्रावधानों का समावेश किया गया है।

मान्यवर, इसके पूर्व भी इस सदन में इस पर चर्चा हुई थी। बहुत से अच्छे विद्वान अपना मत प्रकट कर चुके है। अखबारों में हमने कुछ धार्मिक आचार्यों के विचारों को भी पढ़ा। मैं इस सदन के माध्यम से सर्वप्रथम उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं जोकि सती प्रथा को शास्त्र-सम्मत कहते हैं। जब से धर्म का प्रादुर्भाव हुआ है, उस समय से ही मैं उनको, खासकर शंकराचार्य जी को बताना चाहता हूं कि यह प्रथा शास्त्र-सम्मत नहीं हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि यह शास्त्र-सम्मत है। इस तरह से उन्होंने हिन्दू धर्म के मानने वालों को गुमराह करने की कोशिश की। मैं इसके लिए उनको उदाहरण देना चाहता हूं भगवान राम के समय में गुरू वशिष्ठ जी इस धर्म के सबसे बड़े संस्थापक थे, जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई तो वशिष्ठ जी ने कभी किसी को सती होने के लिए नहीं कहा। उस वक्त सती का कहीं नामोनिशान भी नहीं था। (व्यवधान) दूसरा उदाहरण मैं महाभारत का दे रहा हूं। महाभारत युग में राजा पाण्डु की मृत्यु हुई, उस समय द्रोणाचार्य जैसा विद्वान मौजूद था, लेकिन उसने कभी कुन्ती को सती होने के लिए नहीं कहा। ये महाभारत और रामायण-कालीन प्रसंग हैं, जिनका नाम आज भी बड़े आदर से लिया जाता है। एक और सती सावित्री का प्रसंग मौजूद है। कभी सावित्री ने सती होने की बात नहीं सोची। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये शंकराचार्य जी ने जो बात कही है यह गुमराह करने वाली बात है, हिन्दूधर्म में सती प्रथा कभी भी शास्त्र-सम्मत नहीं रही। तथाकथित रूढ़ीवादी धर्म प्रचारक लोग, जिनको धर्म का वास्तव में ज्ञान नहीं है, वे ही ये सब कहानियां कहते हैं। राजस्थान और बंगाल में इस तरह की कहानियां हैं। जब मुगलों के आक्रमण होते थे तब राजपूत घरानों की रानियां जौहर किया करती थीं, सती नहीं होती थीं। इसी तरह से उनकी कहानियां न्याय-संगत नही हैं। इस तरह से ये लोग गुमराह कर रहे हैं।

मान्यवर, शास्त्रों में यह भी आया है कि रावण बहुत बड़ा विद्वान् था और उनके मरने पर मंदोदरी सती नहीं हुई, उसने दूसरी शादी कर ली। राजा बाली के मरने पर तारा सती नहीं हुई, उसने दूसरी शादी कर ली। इतना ही नहीं मान्यवर, हमारे शास्त्रकारों ने कहा है, हिन्दू धर्म के मानने वाले सब लोग सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं, उसका एक श्लोक है—

"कुन्ती, अहिल्या, तारा, द्रौपदी, मंदोदरी तथा।
पंचकन्या जपते नित्यं श्रुतं हरत पापानि॥

इन पांचों कन्याओं को आदर्श कन्या माना गया है। तो हमारे जो शंकराचार्य जी हैं, अगर कहीं भी शास्त्र में यह बात हो तो वे अपने बयान में इसको बताएं। यह बिल्कुल हिन्दू धर्म को गुमराह करने की बात है। यह कभी हमारे शास्त्रों में नहीं है।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) सती प्रथा तो प्रोत्साहन देने वालों के लिए सजा क्या हो?

श्री राम नगीना मिश्र : मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। जिस गद्दी पर शंकराचार्य जी बैठकर शंकराचार्य कहलाते हैं, मैं उन आदि-शंकराचार्य जी की बात बताना चाहता हूं। जिनको आज भगवान माना जा रहा है, इन रूढ़ीवादियों ने उनको कितना तंग किया। जब भगवान शंकराचार्य जी की मां मरने को हुई और वहां पर शंकराचार्य जी पहुंचे और उनकी मां की जब मृत्यु हुई तब तथाकथित ऐसे ही ढ़ोंगियों ने शंकराचार्य जी से कहा कि आप तो सन्यासी हैं, आप मां का दाह-संस्कार नहीं कर सकते हैं।

शंकराचार्य ने विरोध किया और यहां तक हुआ कि उनकी लाश को छूने नहीं दिया गया और आज शंकराचार्य को अपनी मां की लाश को घर में जलाना पड़ा। मैं उन शंकराचार्य को पूछना चाहता हूं जिनको भगवान मान रहे हैं कि यह रूढ़िवादिता है, शास्त्र सम्मत नहीं है। यह जो नियम बनाया जा रहा है, वह समाज के उद्धार के लिए इस कुप्रथा को बंद करने के लिए अत्यन्त आवश्यक था। जितनी भी कड़ाई हो सके, वह होनी चाहिए। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। बाल विवाह कानून बना लेकिन काफी दिनों तक अमल में नहीं आया। किंतु, जब लोगों को शिक्षित किया गया और इसके गुण-दोषों को बताया गया तो धीरे-धीरे अपने आप लोग इसको मानने लगे। आज दहेज का नियम बना हुआ है कि दहेज लेना गुनाह है। यह केवल कागज पर ही रह गया है। जितना भी कड़ा नियम बना, उतना ही दहेज बढ़ता गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि केवल कानून से कुछ नहीं होगा बल्कि समाज में लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा कि रूढ़िवादिता है वास्तविक धर्म नहीं है तब जाकर इस पर अमल हो पायेगा। सदन के माध्यम से मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि हमारे धर्म के आचार्य बैठे हुए हैं, हमारे शास्त्रों में छुआछूत पहले भी नहीं रहा है। हमारे शास्त्रों में विधवा विवाह होता रहा है। शंकराचार्य जी, जो हिन्दू धर्म के मानने वाले हैं, उनमें इस बात का प्रचार करें कि विधवा विवाह धर्म-सम्मत है, शास्त्र-सम्मत है, उसी तरह से दहेज लेना धर्म के विरुद्ध है। ऐसा प्रचार करना चाहिए न कि वह कहना चाहिए कि सती प्रथा ठीक है। हिन्दू धर्म में जो स्वर्ण लोग हैं, उनमें जो विधवा होती हैं उनकी दशा बड़ी कारूणिक है। यों तो आज के युग में कुछ लोग विधवा विवाह की अगुवाई कर रहे हैं। किंतु वह अभी तक ठीक से कार्यरूप में परिणत नहीं हो रहा है। जैसे शासन अन्य कार्यों के लिए प्रोत्साहित करता है, उसी तरह से मैं शासन से और बुद्धिजीवी वर्ग से यह निवेदन कर रहा हूं कि विधवा विवाह का प्रचार होना चाहिए। सवर्णों में जो औरतें विधवा

विवाह करें उनके लिए शासन की तरफ से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और कम से कम उनको नौकरी दे देनी चाहिए। जो सवर्ण लड़का विधवा औरत से शादी करे उसको नौकरी दे देनी चाहिए। जो भी विधवा विवाह करे, चाहे किसी भी वर्ग का हो.....(व्यवधान) मैं यह निवेदन करूंगा कि जो विधवा विवाह करे उसको नौकरी दी जाए। इसके लिए प्रोत्साहित किया जाए और इसका प्रचार किया जाए। मैं यह कहना चाहता हूं कि अनेक कानून बन रहे हैं। हिन्दुओं के लिए अलग कानून बन रहा है, ईसाइयों के लिए अलग कानून बन रहा है, मुसलमान लोगों के लिए अलग कानून बन रहा है लेकिन सच्चाई यह है कि भारतवर्ष में जो भी रहने वाले लोग हैं जो भी नागरिक हैं उनके लिए एक समान कानून बनाना चाहिए जिससे वह जीवन निर्वाह कर सकें। सबके लिए एक कानून बनना चाहिए। यह नहीं कि एक धर्म विशेष में छूट हो इससे समाज में अलगाव पैदा होता है, यह प्रथा बहुत अच्छी नहीं है। धर्म में छूट होनी चाहिए जैसा चाहे धर्म हो, गिरजाघरों में जायें, मस्जिदों में जायें, मन्दिरों या गुरुद्वारों में जायें, चाहे पूजा-पाठ करें, अपना आचरण करें, किन्तु जीवन निर्वाह के लिए समूचे लोगों पर एक समान नागरिक कानून बनाना चाहिए। यह मैं मंत्री जी को और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। इसका हश्र यह होगा कि इससे समाज विचलित नहीं होगा, कुण्ठित नहीं होगा और सब मिलकर भारतवर्ष को मजबूत करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का तहे दिल से समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो मैंने सुझाव दिये हैं उस पर मंत्रीजी ध्यान देंगे।

श्रीमती शीला कौल (लखनऊ) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल पर हमारे माननीय सदस्यों ने काफी चर्चा की है। यह जो विधेयक हमारे सामने आ रहा है यह बहुत मौजूं है। एक ऐसे वक्त पर जबकि अभी कुछ दिन पहले एक खराब घटना हुई है। चार सितम्बर की घटना को सोचकर हमारा दिल दहल जाता है और वह आज भी इतनी ताजा है कि इसका जिक्र हम करें तो हम समझते हैं कि हमारा जो यह बिल पास होने वाला है इसको बहुत हिम्मत और बरकत मिलेगी। हम सोचें कि उस लड़की की जगह पर अगर हमारी लड़की होती तो क्या हम उसको अपने सामने मार देते, जला देते। जबकि मरे लोगों को जलाने में हमें इतना दुःख होता है, मगर उस जिन्दा लड़की को जलाने में किसी को ऐतराज नहीं हुआ। हम हिन्दुस्तान में नान-वायलैंस का जिक्र करते है और कहते हैं कि हमारा देश अहिंसक है, वहां ऐसा वायलैंस हो जाये और किसी के सिर पर जूं नहीं रेंगे और 25-30 दिन बाद कार्यवाही हुई, जबकि यह उसी वक्त करनी चाहिए थी जब वहां के लड़के तलवारें लेकर खड़े हो गये, उन्हें यह मौका ही नहीं देता था।

सती की प्रथा हमारे देश में बहुत पुरानी है और थी, यह 150 वर्ष से नहीं रही। पहले यह बंगाल में, महाराष्ट्र में, मद्रास में और राजस्थान में अपने-अपने वजूहात से की जाती थी। लेकिन आप देखें कि यह उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में नहीं थी। यह उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में क्यों नहीं थी यह भी हमें देखना चाहिए। हम देखें कि जहां वह लोग जिनका कानून ऐसा था कि औरत को हक मिलता था अपने पति की जायदाद में, जैसे बंगाल में था उसकी वजह से वहां के लोगों ने यह मुनासिब समझा कि जो हिस्सा लेने वाली है अगर उसी को जला दिया जाये तो किस्सा खत्म हो जायेगा। इसी प्रकार वहां सती प्रथा आरम्भ हुई। इसी तरह से जहां के राजा-जागीरदार या लालची लोग थे, जो चाहते थे हमें सब कुछ ले लें और उसे कुछ न मिले उन्होंने सती प्रथा को बढ़ाया है। राजा रणजीत

सिंह जी के समय देखें, जैसा कि मिश्रजी ने कहा कि वहां औरतों को जलाया नहीं जाता था वह जौहर करती थीं और समझती थी कि हमारा हक है; लेकिन सती करना जैसे एबेट करना यह बहुत बड़ा जुर्म है···

इसलिए सती होने को प्रेरित करने वाले व्यक्ति के लिए इस बिल में जो प्रावधान किया गया है, उसे कड़ी सजा मिलेगी, मैं समझती हूं कि बिल्कुल सही कदम सरकार ने उठाया है। क्योंकि हमारे देश में आदि काल से बहुत सी कुरीतियां विद्यमान हैं और जब हम उन्हें सख्ती के साथ हटायेंगे नहीं तब तक हम तरक्की के रास्ते पर तेजी से आगे नहीं बढ़ सकते। हम अपने देश में जब भी कोई नया काम करते है, या यहां कोई सती जैसा कांड हो जाता है तो दुनिया भर की निगाहें हमारी ओर उठ जाती हैं। विदेशों के लोग सोचते हैं कि आखिर हिन्दुस्तान में एक वीमन का क्या स्टेट्स रह गया है। अभी पिछले दिनों आप लोगों ने मुझे युनाइटेड नेशन्स भेजा। वहां मुझसे टी० वी० की ओर से एक महिला इन्टरव्यू के लिए आई और सती काण्ड के बारे में पूछने लगी। उसके प्रश्न का मेरे पास कोई जवाब नहीं था; मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि यह बड़ी दर्दनाक चीज है जो हमारे देश में कभी घट जाती है, लेकिन तुम्हारा इसके बारे में पूछने से क्या फायदा होगा, हम लोग इस काण्ड से वैसे ही दुखी हैं। इसलिए हमारे देश में ऐसे काण्ड होना, हम सबके लिए बड़ी शर्म की बात है। ऐसी एक कुरीति को रोकने के लिए इस समय जो बिल संसद में विचाराधीन है, बहुत बेहतरीन बिल है, जिसको लाने के लिए मैं मंत्री जी को मुबारकबाद देती हूं कि आपने हमारे समाज की कुरीतियों की ओर ध्यान दिया और बिल का समर्थन करती हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह दुख की बात है कि हमें इस विधेयक के बारे में चर्चा करनी पड़ रही है। परन्तु मैं इसके बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा नहीं करूंगी। हमने इस पर नियम 193 के अधीन चर्चा की है। परन्तु मैं एक बात का उल्लेख करना चाहती हूं, वह यह है कि काफी समय से हम देख रहे हैं कि महिला वर्ग और उनके सामाजिक अधिकारों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक संसद में अंतिम दिन ही प्रस्तुत किए जाते हैं या संसद में पारित किए जाते हैं जबकि सभी सदस्यों को जाने की जल्दी होती है और इस विधेयक विशेष पर चर्चा के दौरान हम यह पाएंगे कि इस विधेयक के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन पर सदस्यों की राय एक नहीं है। फिर भी हमारे समक्ष यह विधेयक अब प्रस्तुत किया गया है और हमें एक दिन के अन्दर ही संशोधन करने होंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : इस विधेयक को प्रस्तुत करने में इसलिए विलम्ब हुआ क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र संघ गई हुई थीं। (व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : कारण चाहे कुछ भी रहा हो, इस सभी प्रसंग के बारे में राष्ट्र में भारी उत्तेजना है। यह विधेयक वास्तव में पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए था और जिस रूप में यह विधेयक इस समय है, उस पर न कि केवल कुछ सिद्धांतों पर ही बल्कि इस पर चर्चा के लिए हमें पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए था। सिद्धांत सदैव विधेयक को स्पष्ट नहीं करते। अतः मैं आशा करती हूं कि भविष्य में यह परम्परा दुहराई नहीं जाएगी और सामाजिक समस्याओं विशेष रूप से महिलाओं के मामले में, इस प्रकार के विधेयकों को देश में उचित प्राथमिकता दा जाएगी जैसी कि दी जानी चाहिए। अंत में, मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों के राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती गीता मुखर्जी : इस विधेयक का समर्थन न करने का जो प्रश्न ही नहीं उठता। हमने शीघ्र ही विधेयक प्रस्तुत किए जाने की मांग करते रहे हैं इसके लिए अभियान चलाते रहे हैं। श्री पी० चिदम्बरम यह सोच सकते हैं कि महिला संगठन इस मामले में रुचि नहीं ले रहे हैं; जबकि स्थिति यह नहीं है। मैं श्री चिदम्बरम को याद दिलाना चाहूंगी कि हमारा संगठन पहला महिला संगठन है जिसकी महिलाओं द्वारा माननीय मंत्री श्री बूटा सिंह के निवास के सामने विरोध व्यक्त किये जाने के लिए उन महिलाओं पर लाठी चार्ज किया गया था। मैं इस बात का उल्लेख करना चाहती हूं कि विभिन्न विचारधाराओं वाले अनेक महिला संगठन भी सती प्रसंग का विरोध करती रही हैं। यही कारण है कि यह विधेयक प्रवर समिति के समक्ष भेजे जाने के लिए हमने कोई संशोधन नहीं भेजा है क्योंकि इससे इसके पारित होने में विलंब हो जाएगा। परन्तु मैं आपसे विशेष तौर पर अनुरोध करूंगी कि आज इस विधेयक के पारित करने के पश्चात् महिला संगठनों से आप एक बार फिर से विचार विमर्श कर लें और यह देखें कि क्या भविष्य में अन्य संशोधन आवश्यक हैं। यह बहुत ही आवश्यक है, मैं इसका उल्लेख करना चाहूंगी। मेरा विश्वास है कि श्रीमती मारग्रेट आल्वा यह कार्य करेंगी और विभिन्न महिला संगठनों से विचार-विमर्श करेंगी। जैसा कि यहां दिया गया है विधेयक वास्तविक अर्थ में जाने से पहले, मैं एक निवेदन करना चाहती हूं तथा वह यह है कि कुछ महिला संघों के बीच बात चली है तथा इस प्रश्न पर एक आम सहमति भी है कि न केवल सती अपितु कुछ अन्य अपराध भी जो महिलाओं तथा लड़कियों के विरुद्ध किए जा रहे हैं, जैसे क्रूर व्यवहार, धर्म के नाम पर अपमानजनक अमानवीय व्यवहार से भी विधेयक की परिधि में लाना चाहिए।

उदाहरण के लिए डाइनों को जलाना, उसके पश्चात् विधवाओं को कुछ विशेष कार्य करने के लिए बाध्य करना आदि भी इसमें सम्मिलित होने चाहिए। मैं समझती हूं कि अब इतने विलंब से ऐसा करना संभव नहीं होगा। किंतु यह एक बहुत ही तर्कसंगत बात है, एक बहुत ही तर्कसंगत प्रश्न है। मैं आशा करती हूं कि इस पर विचार किया जायेगा तथा कुछ अन्य वैधानिक उपाय किए जाएंगे और इन प्रश्नों के संबंध में भी विचार किया जाएगा।

प्रो० मधु दण्डवते : भारतीय दंड संहिता में इसके लिए प्रावधान है।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मधुजी ने कहा कि भारतीय दंड संहिता में इसके लिए प्रावधान है किंतु सबके लिए नहीं।

विधेयक के प्रथम पृष्ठ पर, प्रारम्भ में उल्लेख किया गया है, "सती या विधवाओं या स्त्रियों का जीवित दहन या गाड़ देना मानव प्रकृति की भावनाओं के विपरीत है···" जो सहज ही समझ में आने योग्य है। इसके पश्चात् कुछ अन्य शब्द जोड़े गए हैं और यह भारत के किसी भी धर्म में कहीं भी कर्त्तव्य के रूप में व्यादिष्ट नहीं किया गया है।

जहां तक है अच्छा है। किंतु क्या कोई धर्म इसे अनिवार्य कर्त्तव्य के रूप में लेना चाहता है? क्या आप ऐसा करेंगे। अतः मुख्य प्रश्न यह है कि यदि कोई यह दावा करता है कि यह धर्मपूर्ण है तो यह कोई आधार नहीं है जिसके कारण उन्हें इसकी अनुमति दी जाए।

जो कुछ भी हो, विधेयक के विस्तार में आते हुए, मैं पृष्ठ-वार वहीं जाऊंगी अपितु कुछ विषयों के अनुसार चलूंगी। सबसे पहले मैं इस खंड पर आऊंगी, जिसके कारण बहुत अधिक विवाद उत्पन्न हुआ है और यह खंड निश्चित रूप से ऐसा है जिसके कारण विवाद उत्पन्न हो सकता है।

विधेयक का पृष्ठ 2, पैरा 2, खंड 3 "सती होने का प्रयास करना" के संबंध में बताता है। यहां स्त्री को भी दंड दिया गया है अथवा उसे ऐसी स्थिति में डाला गया है जहां उसे दंड दिया जा सकता है। मेरे पूर्व वक्ताओं—उनमें से कुछ ने – पहले ही इसका उल्लेख किया है। श्रीमती विभा घोष गोस्वामी ने इसका उल्लेख किया है तथा एक अन्य वक्ता ने भी इसका उल्लेख किया है। यह ऐसा मामला है जहां वास्तव में स्त्री पीड़ित हैं। अतः उसे दंड नहीं दिया जाना चाहिए। उसे दंड देने के लिए इसमें कोई उपबंध नहीं होना चाहिए। मैं महसूस करती हूं कि ऐसा होना चाहिए।

यह जानते हुए भी कि खंड को हटाने का संशोधन परिचालित नहीं किया जाएगा अथवा इसे व्यवस्था के विरुद्ध माना जाएगा। मैंने कल विधेयक से इस खंड को हटाने के लिए एक संशोधन दिया था किंतु इसके बावजूद मैंने विधेयक से खंड को हटाने के लिए संशोधन की सूचना दी, क्योंकि मैं इस भावना को रिकार्ड में लाना चाहती थी। सभा महिला संघों की यही भावना है। अब, मैं समझती हूं कि शायद सरकार यह सोच रही है कि भारतीय दंड संहिता में कुछ उपबंध हैं और जब तक स्त्रियों को दंड देने का उपबंध नहीं होगा दुष्प्रेरकों को दंड नहीं दिया जा सकता। मेरे विचार से ऐसे मामले में भारतीय दंड संहिता के ऐसे उपबंधों का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए तथा सती जैसे मामले तथा दहेज के कारण होने वाली मृत्यु आदि के मामलों की आत्महत्या के मामलों से अलग रखा जाना चाहिए तथा इस प्रकार के अधिनियमों में ऐसा संशोधन किया जाना चाहिए बजाए इसके कि किसी स्त्री द्वारा सती होने का प्रयास करने पर उसे दंड दिया जाएगा। अतः, क्योंकि मेरे इस मुख्य संशोधन को नियम बाह्य माना गया है तो भी मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि वह इस संबंध में गंभीरता से सोचे कि इसमें और कैसे सुधार लाया जा सकता है।

श्री दिनेश गोस्वामी ने कुछ सुझाव दिये हैं। मैंने भी अपने दिमाग से सोचा है किन्तु मैं विधि विशेषज्ञ नहीं हूं तथा इतने थोड़े समय में किसी निर्णय पर पहुंचना बहुत ही कठिन है। तथापि फिर भी इस खंड पर अपने आपत्ति को वापिस लिए बिना सरकार के विचारार्थ मैं यह सुझाव दे रही हूं।

खंड 3 में यह दिया गया है—

> "परन्तु इस धारा के अधीन किसी अपराध का विचारण करने वाला विशेष न्यायालय किसी व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराने से पूर्व अपराध किए जाने की परिस्थितियों पर विचार करेगा···आदि"

मैं परिस्थिति को 'बाध्यकारी' शब्द से स्पष्ट करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप इस पर विचार करेंगे। 'परिस्थिति' शब्द के बाद 'यदि कोई हो' लिख दें तो यह विधि की भाषा होगी। मुझे विश्वास है कि कि सभी परिस्थितियां बाध्यकारी हैं क्योंकि पृष्ठ 9 पर दिए गए उद्देश्यों में आपने स्पष्ट बताया है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकांश मामलों में विधवा अथवा स्त्री को सती होने के लिए बाध्य किया जाता है तो निरपवाद रूप से वह ठीक मानसिक स्थिति में नहीं होगी अथवा मत्तता या संज्ञाशून्यता की स्थिति के अधीन होगी या उसके स्वतंत्र इच्छा प्रयोग में अड़चन डालने वाले किसी अन्य कारण के अधीन उत्प्रेरित होगी। आप स्वयं भी कह रहे हैं कि वह ठीक मानसिक स्थिति में नहीं होती। मेरे विचार से उपबंध में भी इसका अनुमान लगाने के लिए इन बाध्यकारी परिस्थितियों का कुछ उल्लेख होना चाहिए मुझे वास्तविक विधिक भाषा का पता नहीं है। मेरा विचार है कि उसमें बाध्यकारी परिस्थितियों का उल्लेख होना चाहिए। यदि मंत्री महोदय स्वयं ही कोई अन्य संशोधन लाते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यह विचार इसमें स्पष्टतया शामिल किया जाना चाहिए। अन्य बातों अर्थात् भारतीय दंड संहिता आदि के संबंध में आप यह वादा करें कि आप भारतीय दंड संहिता में उचित संशोधन करेंगे। दूसरे प्रकार से घुमा-फिरा कर करने की बजाय आप भारतीय दंड संहिता में सीधे संशोधन क्यों नहीं करते। इस खंड के बारे में यह मेरा पहला प्रस्ताव है।

तत्पश्चात खंड 4 में अन्य मित्रों ने भी कहा है, कुछ संशोधन अभी आए हैं और मैंने भी एक संशोधन दिया है जो कि खंड 4 (घ) में है, जहां 'अपनी इच्छा से' का प्रश्न आता है। इसमें कहा गया है :

"सती होने से संबंधित किसी जुलूस में भाग लेना या जानबूझकर विधवा या स्त्री के सती होने के उसके विनिश्चय में सहायता करना————आदि"

कौन इस बात की जांच करेगा कि व्यक्ति की इच्छा थी या अनिच्छा थी ? कोई नहीं जानता। महोदय, इसे 'अपनी इच्छा से' शब्द का तत्काल यहां से लोप किया जाना चाहिए।

इसके बाद दूसरा खंड अर्थात खंड 7 है। हमने उसमें भी अर्थात किसी मंदिर अन्य संरचना को हटाने के अधिकार के लिए एक संशोधन दिया है। खंड 7 (1) में कहा गया है :

"राज्य सरकार यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि किसी मंदिर या अन्य संरचना में, जो बीस वर्ष से अन्यून समय से विद्यमान है, किसी सती होने से संबंधित व्यक्ति के सम्मान को बनाए रखने या उसकी स्मृति को परिरक्षित करने, की दृष्टि से किसी प्रकार की पूजा या कोई अन्य अनुष्ठान किया जाता है तो वह, आदेश द्वारा, ऐसे मंदिर या संरचना को हटाने का निर्देश दे सकेगी।"

सबसे पहले मैं इसे समझ नहीं पाया हूं। मैंने श्रीमती अल्वा से स्पष्टीकरण मांगा था और उन्होंने इसके बारे में मुझे व्यक्तिगत रूप से स्पष्ट किया था कि वास्तव में दो श्रेणियां बनाई गई हैं... । (व्यवधान)

श्री अजीज कुरेशी (सतना) : निजी बातों पर सार्वजनिक तौर पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मेरे और अल्वा जी के बीच में इस प्रकार के निजी संबंध नहीं हो सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : यह महिलाओं के बीच में है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, उन्हें इस बारे में सार्वजनिक रूप से बताना चाहिए। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूं कि दो चरणों को पृथक किया गया है। एक जिलाधीश है जिसे बीस वर्ष से बनी और अभी बनी संरचनाओं के बारे में कोई कदम उठाने के लिए प्राधिकृत किया गया है और अन्य के लिए राज्य सरकार है। लेकिन, महोदय, इन बीस वर्षों के बारे में भी मेरी एक आपत्ति है। बीस वर्ष के बारे में क्या असंघनीयता है। कोई मंदिर चालीस वर्ष पुराना भी हो सकता है। यदि ऐसी स्थिति रहती है तो दोनों में क्या अन्तर रहेगा ? इसलिए इस 'बीस वर्ष से अन्यून' पद को हटाने का मेरा अनुरोध है। इसका अर्थ है कि यह सभी मंदिरों पर लागू हो।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : यह सभी मंदिरों पर लागू होता है।

श्री अजीज कुरेशी : इसमें पश्चिम बंगाल में स्थित मंदिर भी शामिल हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : हमारी सरकार ने सती मेला न होने देने के लिए कदम उठाए हैं। एक दिन नियम 193 के अधीन चर्चा के दौरान मैंने कहा था कि यह राजीतिक झगड़े का प्रश्न नहीं है लेकिन राजनीतिक दायित्व का है। प्रत्येक राज्य सरकार को कुछ करना होगा। इसीलिए, मेरे विचार से, इसे राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में कर देना चाहिए। पता नहीं केन्द्र सरकार दायित्व क्यों नहीं ले रही है। यह राज्य सरकार या दायित्व क्यों बना रहना चाहिए? चूंकि हम इसे जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में तत्काल लागू करना चाहते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : यह विध्वंस का राष्ट्रीयकरण है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : पृष्ठ 2 पर सती के गौरवान्वयन को वर्णित किया गया है। इसमें बहुत कुछ शामिल है लेकिन फिर भी कुछ कमियां रह गई हैं।

अत: हमने सुझाव दिया है कि इन कमियों को यथासम्भव दूर कर दिया जाना चाहिए। बाद में सती प्रथा समर्थक क्या करते हैं, मुझे मालूम नहीं है। उनके बारे में अभी हम सोच नहीं सकते। हम देखेंगे कि उस समय क्या होता है।

सती की याद को स्थायी बनाने वाले चित्र, पुस्तिका, वीडियो कैसेट अथवा अन्य सामान को बनाने अथवा उसे बेचने का प्रश्न अथवा सती को महिमामण्डित करने के प्रयास को अनिवार्यत: विधेयक में शामिल किया जाए। पोस्टकार्ड बिक्री का धन्धा काफी चल रहा है। मुझे पता नहीं है कि कितने हजार पोस्टकार्डों की बिक्री की जा रही है।

डा० फूलरेणु गुहा (कन्टई) : यह तो लाखों में हो रही है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : जी हां लाखों में। बेशक इसे रोका जा सकता है। हमारे देश में काफी लोग सती की याद को चिरस्थायी करने वाले चित्रों, पुस्तिकाओं, वीडियो कैसेट अथवा अन्य वस्तुओं को बनाने अथवा उन्हें बेचने अथवा सती को महिमामण्डित करने के प्रयास के काम में काफी लाभ उठाते हैं। ये सभी कार्य महिलामण्डन के अपराधके अन्तर्गत आने चाहिए।

महिमामण्डन के लिए धन एकत्र करना तो विधेयक में शामिल किया गया है लेकिन दान देने को नहीं। अत: ऐसी चीजों के लिए दान देने को भी विशेष रूप से इसके अन्तर्गत लाया जाना चाहिए क्योंकि बड़े-बड़े दान दिए जाते हैं। यदि लोग दान देते हैं तो उन्हें भी दण्डित किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ बिरलाजी ऐसे मानवतावादी आदमी हैं कि सर्वत्र बिरला मंदिर हैं। श्री जी० डी० बिरला का धन तो इनमें नहीं लगा होता लेकिन कम्पनी का धन ही तो लगा होता है। अत: कम्पनी के धन के प्रश्न को भी स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जाना चाहिए। इसके क्षेत्र में से इसे नहीं निकाल दिया जाना चाहिए।

जहां तक सतर्कता समिति का प्रश्न है, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, क्योंकि जो संशोधन सं० 19 हमने रखा है उसमें हमने उल्लेख किया है कि प्रत्येक राज्य में सतर्कता समिति स्थापित की जानी चाहिए। यह संशोधन संख्या 19 के संबंध में है। इसमें श्री इन्द्रजीत गुप्त, स्वयं मेरा श्री नारायण चौबे, श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह और दूसरे लोगों के नाम शामिल हैं। जहां तक सतर्कता समिति का संबंध है हम कहते हैं कि इसे अधिनियम में ही विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए और न कि केवल नियमों में। क्योंकि प्राय: यह होता है कि यह नियमों में भी विनिर्दिष्ट

होने के बावजूद भी स्थापित नहीं की जाती। उसके लिए बहुत ही कम किया गया। दूसरी बात जो हम कहना चाहते हैं वह है सरकारी कर्मचारियों के दायित्व के संबंध में अनेक महिला संगठनों ने इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया है। मैं अच्छी तरह से समझती हूं यद्यपि मैं तत्काल कोई संशोधन पेश नहीं कर सकती कि सरकारी कर्मचारियों के दायित्व के बारे में भी विचार किया जाना चाहिए। यह बहुत गम्भीर बात है। यह न केवल जिला मजिस्ट्रेट या कलैक्टर अथवा ऐसे किसी व्यक्ति के लिए ही होना चाहिए बल्कि सामान्य सरकारी कर्मचारियों का भी दायित्व होना चाहिए। अत: मैं कहती हूं कि यद्यपि इस समय इसे हम इस विधेयक में न भी शामिल सकें तथापि केन्द्रीय सरकार और कार्मिक मन्त्री को परिपत्रों आदि के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को विशेष निर्देश जारी करने पर विचार करना चाहिए। बेशक उनका सदा पालन नहीं किया जाता। पति और पत्नी को तैनाती के स्थान संबंधी परिपत्र का ही उदाहरण लें। इसका कतई भी अनुपालन नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी आपको परिपत्र जारी करना पड़ता है···

श्री पी० चिदम्बरम : आप मुझे बताएं कि कितने दम्पतियों को एक ही स्थान पर लगाया गया हैं ? दर्जनों दम्पतियों को एक स्थान पर लगाया गया है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : दर्जनों होंगे। लेकिन फिर भी हजारों रह गए हैं।

(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : आलोचना करने के उद्देश्य मात्र से ही हमारी आलोचना न करें।

श्रीमती गीता मुखर्जी : अगर आप मुझे कहें तो उन सभी लोगों को आपके पास भेज दूंगी।

श्री पी० चिदम्बरम : कृपया उन्हें भेज दें।

श्रीमती गीता मुखर्जी : सरकारी कर्मचारियों के विशेष कार्य के संबंध में नियम हो सकते हैं जहां पर यह घटित हो रहा है, उन्हें इस बारे में मालूम होना चाहिए।

महिलाओं के संगठनों और इनमें उनकी भागीदारी से संबंधित कतिपय अन्य संशोधन भी आए हैं। मैं सोचता हूं कि सतर्कता समिति संबंधी विचार में इसका भी विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

ये कुछ ठोस विचार हैं जिनमें मैं संशोधन कराना चाहती हूं। अन्त में मैं कहना चाहूंगी कि इस तरह के कानून पारित करना तो आसान है मगर उनका क्रियान्वयन बहुत ही मुश्किल होता है, मुझे आशा है कि इस कानून को बहुत ही गम्भीरता से क्रियान्वित करने के लिए सर्वसम्मत राजनैतिक संकल्प होगा। इस प्रयोजनार्थ आपको महिला संगठनों का विचार जानने के लिए कि क्या वे विधेयक में और कोई संशोधन चाहती हैं नए सिरे से उनके विचार को जानने के लिए उनसे परामर्श करना होगा।

[हिन्दी]

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : उपाध्यक्ष जी, मैं समझती थी कि इस बिल के आने पर पूरे हाउस की तरफ से एक स्वर से इसका पूरी तरह

स्वागत करते हुए प्रधान मंत्री जी को बधाई दी जायेगी, मुझे सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ जब यह कहा कि प्रधान मंत्री जी ने बहुत देर से 20 दिन बाद कुछ बात कही।

प्रधान मंत्री जी ने पब्लिकली सारे देश के सामने सबसे पहले इस चीज को कहा कि यह मर्डर है, सती के बारे में बहुत ही स्पष्ट तरीके से उन्होंने यह कहा। अब सवाल यह रह गया है कि अच्छे काम करने पर कम से कम विरोध पक्ष के भाइयों को शाबासी देनी चाहिए सरकार को और बधाई भी देनी चाहिए। राष्ट्र के जीवन में कभी-कभी ऐसे अवसर आते हैं जबकि हम ऐसे कामों में एक आवाज से बोल सकते हैं और यह समय है, जो सती प्रथा के बारे में है इसलिए मैं अपनी तरफ से प्रधान मंत्री जी को विशेष रूप से बधाई देती हूं कि वे बहुत ही काम्प्रीहेंसिव और सारे

2.44 म०

(श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुये)

पक्षों को देखते हुए यह बिल लाये हैं जो सती प्रथा को काफी जोरदार तरीके से खत्म करने में यह बिल सहायक होगा, यदि एक्ट के रूप में आ जाता है। यह बिल हमारी वीमैन की डिगनिटी और उनके स्टेटस को बढ़ाने वाला आया है और इसके द्वारा हमारे संविधान में जो इक्वल राइट फॉर मैन एण्ड वीमैन का है, उसकी भी स्थापना होती है। सती प्रथा के साथ अभी तक जो भावना रही है वह यह कि स्त्री को अबला समझकर उसको समाज के लोग और घर के लोग मिलकर चिता पर रखकर जला दिया करते थे। सती प्रथा बन्द हो इसके लिए जो एक्ट पहले बना अंग्रेजों के जमाने में 4 दिसम्बर, 1829 को और आज 15 दिसम्बर, 1987 को फिर इस प्रश्न पर विचार करना पड़ रहा है, इसके मायने यह होते हैं कि अभी इस क्षेत्र में बहुत काम करना है। आजादी के बाद केन्द्रीय सरकार की तरफ से सती प्रथा के ऊपर यह बिल आ रखा है। इसको लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जो देवराला में कांड हुआ और उसके बाद जो तरह-तरह की बातें हमारे सामने आईं जिसमें यह स्पष्ट था कि बहुत कम उम्र की, 18 साल की लड़की को चिता पर, नशा पिलाकर, उसके बाद रखकर जला दिया गया। इससे राष्ट्र का हृदय एक तरह से द्रवित हो उठा। अखबारों में सारी संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं की संस्थाओं के द्वारा और पुरुषों के द्वारा इसकी भर्त्सना की गई। अगर इसकी भर्त्सना उस समय किसी ने नहीं की थी तो वह राजस्थान की जनता पार्टी के श्री कालवी थे, जिन्होंने प्रोसेशन निकलवाये, जिन्होंने सभायें कीं और जिन्होंने लोगों से यह कहकर कि सती प्रथा ठीक है, उसके क्लोरिफिकेशन की बात की। लेकिन हमारी पार्टी की तरफ से, हमारे नेता की तरफ से यह स्पष्ट तौर से कहा गया कि यह गलत है। जब यहां पर देवराला काण्ड पर बहस हो रही थी तो हमने कहा था कि श्री कालवी को जनता पार्टी से निकाल क्यों नहीं देते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें निकाला नहीं गया है।

इस तरह से ऐसे मौके पर भी राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयत्न लोग करते हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि इस ऐक्ट के अन्दर यह क्लाज रख दिया गया है, । पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट को अमेन्ड करते हुए, कि जो कोई भी इस काम में इशारा देगा, इसके ग्लोरिफिकेशन का काम करेगा, अबेटर बनेगा या उसको अगर सजा मिलती है इसके अन्दर तो फिर वह डिस-क्वालिफाई हो जायेगा किसी भी इलेक्शन में लड़ने के लिए। यह इसमें एक बहुत अच्छी बात हुई है। बल्कि मैं तो यह भी

चाहूंगी, इस मौके पर कहते हुए, कि जो डायवोर्स प्रथा का और ऐन्टीडावरी ऐक्ट है उसमें भी आगे चलकर यह क्लाज जोड़ दिया जाये तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि दहेज प्रथा आज घर की चीज हो गई है और यह सती प्रथा की जो बात है इसको न मैं धर्म की बात मानती हूं न किसी प्रथा की बात मानती हूं। प्रथा वह चीज होती है जो कि सबसे ऊपर लागू हो, समाज के हर वर्ग पर लागू हो। इसलिए कभी कभार यदि कोई ऐसी घटना हो जाये तो उसको प्रथा की बात कह देना—इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। यह तो स्त्रियों के ऊपर अत्याचार करने के लिए समाज के अन्दर जो कुरीतियां हैं उसी का एक हिस्सा यह सती प्रथा भी रही है। इसलिए जोरदार तरीके से इस चीज को बन्द करने के लिए और स्टेजेन्ट मेजर्स जो आज लाए गए हैं वह बहुत जरूरी हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि पेज 3 में जो 4-डी है इसके अन्दर जो रखा गया है :

[अनुवाद]

"(4.2)(घ) सती होने से संबंधित किसी जुलूस में भाग लेना अथवा जान-बूझकर सहायता करना..."

[हिन्दी]

इसमें से वर्ड "इटेंन्शनली" रिमूव हो सकता है और मैं आशा करती हूं कि मन्त्री जी इसका जवाब देते हुए इस सुझाव को स्वीकार करेंगे क्योंकि इससे बहुत से लोग बहाना ढूंढ़ सकेंगे अत: इसको निकाल देना ही अच्छा रहेगा। तभी यह ऐक्ट पूरी तरह से इफेक्टिव हो सकेगा।

विरोध-पक्ष की तरफ से जो यह बात उठाई गई है कि पार्ट (2) में जो यह लिखा है कि जो महिला सती होने जा रही है उसका भी विक्टिमाइजेशन हो, इसके लिए कहा गया कि उसका कोई विक्टिमाइजेसन न हो तो मैं इसको नहीं मानती। यह इसलिए होना जरूरी है कि जो सती होती हैं स्त्रियां उनको भी मालूम होना चाहिए कि देश का कानून क्या है। अगर इस स्यूसाइड को एक क्राइम मानते हैं तो उसी तरह से कोई भी महिला सती होने की बात करती है तो उसके ऊपर भी वही बात लागू होनी चाहिए। इसमें जो है, उस प्रश्न को लेकर भी एक साल का दंड रखा गया है। इसमें फाईन भी है। लेकिन इसमें जो प्रोविजो रख दिया गया है, यह ठीक है, और इतिहास भी यह बताता है कि स्त्री को सती बनाते वक्त, या स्त्री को चिता पर बिठाते वक्त, ज्यादातर राजस्थान में लोगों ने मुझे बताया है कि अफीम खिला देते हैं, या कोई और नशे की चीज खिला देते हैं, फिर लड़की या बहू को चिता पर जलाया जाता है। वे लोग यह सोचते हैं कि इससे उनके परिवार में एक बहुत बड़ी चीज हो जायेगी और स्त्री पति के पास हो जायेगी। तरह तरह की बातें लड़की या बहू को कह कर के उसके दिमाग को कमजोर करते हैं और उसे सती होने के लिए परसूएड करते हैं। अगर वह सती होना नहीं भी चाहती तो भी उसको जबरदस्ती ले जाते हैं। वह चिता पर रोये नहीं, चिल्लाये नहीं, इसके लिए उस समय बहुत बाजे बजते हैं, बहुत कीर्तन वगैरह भी करते हैं जिससे कि उसके चिल्लाने या रोने की आवाज सुनायी न पड़े। अगर फिर भी वह उठने की कोशिश करती है तो उसको जबर्दस्ती लिटाते हैं।

देवराला कांड में यह सब कुछ हमें बताया गया। मैंने यह भी पढ़ा है कि कई घटनाओं में तो स्त्री को रस्सी से बांध कर, उसको पीट-पीट कर के भी चिता पर जला दिया जाता था। फिर उसके बारे में कह दिया जाता था कि वह सती हो गयी। राजा राममोहन राय ने इसके लिए क्रूसेड

किया था। उसके बाद विलियम वेटिक्स ने 1829 में कानून बनाया था। उस वक्त जन-आन्दोलन और बंगाल में एक जनमत तैयार हो गया था और गवर्नर के सामने बार-बार ये बातें रखी गयी थीं। उनको कहा गया था कि यह होना चाहिए। मुगल शासन के दौरान अकबर ने इसको किया, जहांगीर ने इसको बेन किया और औरंगजेब ने भी इसको बेन किया था। इसको कभी भी अच्छा नहीं समझा गया। इसलिए सरकार जो यह ऐक्ट ला रही है यह बहुत जरूरी है और मैं इस ऐक्ट को बनाने के लिए सरकार को बधाई दूंगी। साथ ही साथ इसमें जो 'अटेम्पट' और 'वर्थ सर्टिफिकेट' है, इसमें ये दोनों रहना जरूरी है। विरोध पक्ष से अधिकतर इसका भी क्रिटिसिज्म हुआ है। लेकिन पहले भी सी० आर० पी० सी० की धारा 302 में मर्डर या सुसाईड के रूप में हमने इसको माना है—

[अनुवाद]

"वह मृत्यु से या आजीवन कारावास से दण्डनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा।"

[हिन्दी]

यह इसमें इम्प्रूवमेंट कर के इसको स्ट्रेंगदन किया गया है। यह चीज पहले लागू नहीं हो रही थी। इसके साथ साथ हमने अटेम्पट को भी सजा के रूप में रखा है। इसकी बहुत जरूरत थी।

जब देवराला कांड हुआ तो चारों तरफ से आवाज उठी थी कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट को ऐक्ट बनाना चाहिए। राजस्थान सरकार ने इसको बनाना था। राजस्थान सरकार ने सब चीजों को लेकर ऐक्ट बनाया था। लेकिन कोर्ट में कुछ लोगों ने उसको चेलेंज दिया। कोर्ट ने भी कुछ चीजों को लागू रखा। अब सब बातों को लेकर यह ऐक्ट बन रहा है और यह नेशनल रूप में सारे देश में लागू होगा। उसी के अनुसार नोटिफिकेशन होगा। इसकी बड़ी आवश्यकता है। यह टाईमली हुआ है। गांधी जी ने कहा था कि स्त्रियों को अपने राईट्स के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है।

[अनुवाद]

"स्त्रियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। यह मानना गलत होगा कि आपके अधिकार आपको दे दिए जाएगे या यदि आप सिर्फ घर बैठे रहे तो वे कहीं से टपक पड़ेंगे।"

[हिन्दी]

यह कानून तो जरूर पास हो गया है। लेकिन इसके लिए देश भर हमें जनमत बनाने की भी बड़ी आवश्यकता है जैसा कि विडो मेरिज ऐक्ट है जो कि 1856 में कानून बन चुका है लेकिन समाज के अन्दर उसको पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा। कितनी उम्र तक की लड़की विधवा हो जाती है, उसकी शादी होना आवश्यक है। लेकिन समाज इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अगर समाज इसको स्वीकार कर लेगा तो फिर उसके बाद औरतों को जलाने की बात नहीं होगी। हमें संविधान में बराबरी का अधिकार मिला हुआ है लेकिन समाज के अन्दर एक कंसेप्ट है, एक भावना है कि स्त्री कमजोर है, नारी जाति पर दया करो। यह सारी भावना बदलने के लिए जनमत बनाना बहुत जरूरी है।

आज स्त्रियां समाज की हर तरह की कुरीतियों से लड़ रही हैं, लेकिन वह केवल स्त्रियों का सवाल नहीं है, स्त्री-पुरुष दोनों का सवाल है। स्त्री-पुरुष को इससे लड़ना है, क्योंकि जहां पर इस तरह की बात होती है, सती जैसी बात होती है तो इसका माता-पिता दोनों पर उत्तरदायित्व होता है कि वे इसको देखें। अक्सर यह होता है कि समाज के लोनों के बीच सब लोग एक औरत को जो कि विधवा हो गई है, उसको चिता पर डालने के लिए कहते हैं, तो यह केवल स्त्रियों के दर्द की चीज नहीं है, यह तो स्त्री-पुरुष दोनों के दर्द की चीज है, दोनों पर असर डालने वाली चीज है, इसको देखना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करती हूं और मुझे पूरी आशा है कि सदन इसको सर्वसम्मति से पास करेगा।

[अनुवाद]

***श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी** (चित्तूर) : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री को इस विधेयक के लाने पर बधाई देती हूं। लगभग 150 वर्ष पूर्व एक महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ विद्रोह किया था। किन्तु दुर्भाग्य से, 150 वर्षों के निरन्तर संघर्ष के बाद भी हम सती प्रथा का उन्मूलन नहीं कर सके हैं। आज भी यह हमारे समाज की प्रमुख समस्या है। सती प्रथा अन्धविश्वास के कारण बरकरार है। महोदय, हमें केवल उन्हीं मामलों का पता चलता है जो समाचार पत्रों में छपते हैं। देश के गांवों तथा दूरस्थ क्षेत्रों से जो अनगिनत मामले हैं उनके बारे में हमें पता भी नहीं चलता है। इसका जो भी रूप हो, सती प्रथा समाप्त होनी ही चाहिए। अब तो ये प्रथा सती के गौरवान्वयन के लिए मन्दिर तथा अन्य इमारतें बनाने की प्रथा तथा परम्परा बन चुकी है। महोदय, अब सरकार सती के गौरवान्वयन के लिए मंदिर तथा इमारतों के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगा रही है। परन्तु जो मंदिर पहले ही बन चुके हैं उनका क्या होगा। पुराने मंदिर अभी भी सती के लिए प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। इसलिए ऐसे पुराने मंदिरों के प्रबंधकों के खिलाफ भी कार्यवाही की जानी चाहिए। यह आवश्यक है कि इन तथाकथित सती के मंदिरों के बुरे प्रभाव से हम बचाव चाहते हैं। इसी प्रकार सती के प्रचार तथा उसके गौरवान्वयन के फोटो कैसेट आदि पर भी प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। महोदय, इस समय सती को ऐसा अपराध माना जाता है जिसमें जमानत हो सकता है ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रथा में जमानत की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस मुद्दे पर गौर करेंगे।

महोदय, सती प्रथा केवल उत्तरी भारत में ही है। दक्षिण भारत में यह नहीं सुनी गई। इससे पता चलता है कि इस क्षेत्र में महिलाएं कितनी पिछड़ी हुई हैं। वह आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से कितनी पिछड़ी हुई हैं। हमें उनकी स्थिति पर खेद होना चाहिए। महोदय, यह दुर्भाग्य की बात है कि जो प्रधान मंत्री 14 वर्ष तक रहीं उनके राज्य में यह कुप्रथा अभी तक चल रही है। यह कड़वी सच्चाई जानकर खेद होता है। महिलाओं को गरीबी और अज्ञानता के शिकंजे से बचाने के लिए काफी कुछ किया जाना चाहिए।

महोदय, इस कुप्रथा के कारगर रूप से समाप्त करने के लिए ग्राम स्तर पर सतर्कता समितियां बनाई जानी चाहिए। सामाजिक कार्यकर्त्ता, ग्राम सेविकाएं तथा अध्यापक ऐसी समितियों

* तेलुगू में दिए गऐ भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपान्तर।

के सदस्य होने चाहिएं। जिला स्तर पर एक मुख्य सतर्कता समिति होनी चाहिए जो सतर्कता समितियों की गतिविधियों को समन्वित करें। मुझे आशा है कि सरकार इस दिशा में कदम उठाएगी।

महोदय, यदि इस प्रथा का अंत होना है तो यह आवश्यक है कि हमें महिलाओं में साहस और आत्मविश्वास पैदा करना होगा। यह प्रयत्न किए जाने चाहिएं कि महिलाएं स्वावलम्बी बन सकें। केवल साहसी और आत्मविश्वासी महिलाएं ही इस कुप्रथा को समाप्त कर सकती हैं। सरकार को इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने चाहिए। महोदय, केवल इस विधेयक को पारित करने से ही कुछ नहीं होगा। इसके साथ ही अधिनियम के कारगर क्रियान्वयन के लिए भी हमें कदम उठाने चाहिए। मुझे यह आशा तथा विश्वास है कि इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए सभी स्तरों पर अनुवर्ती कार्यवाही की जायेगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

3.00 म० प०

डा० फूलरेणु गुहा (कंटई) मैं सती निवारण विधेयक, 1987 का समर्थन करती हूं। यह सोच कर ही मेरा सिर शर्म से झुक जाता है कि वर्ष 1987 में हमें इस प्रकार का विधेयक पास करना पड़ रहा है। क्या हम 21वीं शताब्दी में जाने के बजाय 19वीं शताब्दी की ओर जा रहे हैं। क्या हम पीछे की तरफ जा रहे हैं ? जी नहीं। यह अधिनियम उन थोड़े से लोगों के लिए है जो नहीं चाहते कि भारत प्रगति करे। वह भारत में एकता नहीं चाहते। वह राष्ट्रीय अखंडता नहीं चाहते। वह नहीं चाहते कि भारत के संविधान का सम्मान अथवा अनुपालन हो। वह भारत की प्रगति के खिलाफ हैं। परन्तु स्वयं वे आधुनिक भारत में हुई सभी प्रकार की तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति का लाभ उठाना पसन्द करते हैं। आज हम अपने देश में धार्मिक कट्टरतावाद और सम्प्रदायवाद को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, भारत विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न परम्पराओं का देश है परन्तु फिर भी दुर्भाग्य से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी व्यक्तिगत जिन्दगी में रूढ़वादी हैं परन्तु जो सामाजिक जीवन में आधुनिक विकास का आनन्द उठाते हैं। अब भी कुछ लोगों के विचार रूढ़िवादी हैं। बहुत से अपने मतलब के लिए उनमें विश्वास रखते हैं। वह महिलाओं की स्वतन्त्रता नहीं चाहते। वह चाहते हैं कि महिलाएं उनकी अनुगामनी बनी रहें। महिलाओं का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होना चाहिए। उन्हें केवल अनुगामिनी के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए।

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : उनकी मृत्यु के बाद भी।

डा० फूलरेणु गुहा : वास्तविक जीवन में हम क्या देखते हैं ? मैं कहना चाहती हूं कि हिन्दुओं में काफी लम्बे अर्से से सती की पूजा होती आ रही है। परन्तु हिन्दू पुराण और धार्मिक धारणाओं के अनुसार, शिव की भार्या सती की पूजा इसलिए होती है क्योंकि सती बहुत समर्पित पत्नी मानी जाती है तथा अपने पिता द्वारा वह पति की भर्त्सना को सहन नहीं कर सकी थी। हिन्दुओं में शिव की भार्या सती की पूजा की जाती है परन्तु उस महिला की नहीं जिसे अपने मृत पति के साथ जलाने पर मजबूर किया जाता है। समय के साथ-साथ धर्मांध व्यक्तियों ने अपने स्वार्थ के लिए एक सती को दूसरी सती में बदल दिया। यह बड़े दुख की बात है कि राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में उठाये गये कदमों को 1987 में दोबारा उठाने की आवश्यकता पड़ रही है। 150 वर्ष पुराना इतिहास दोबारा दोहराया जा रहा है। इतने वर्षों के दौरान दुर्भाग्यवश कुछ लोग

अपने अन्ध विश्वासों और पुराने रुढ़ियों से बाहर नहीं आ पाए हैं। इस सती प्रथा के पीछे असली कारण क्या है इसका पता लगाना चाहिए। हो सकता है यह विधवा की सम्पत्ति और धन हड़पने के लिए किया जाता है। रिश्तेदारों द्वारा आर्थिक वित्तीय कारणों से ऐसा किया जाता है। सती के गौरवान्वयन के लिए कुछ गांव वाले भी जिम्मेदार हैं क्योंकि वह उन लोगों की सहायता करना चाहते हैं जो विधवा की सम्पति हड़पना चाहते हैं। हिंदू परिवार के सम्पत्ति अधिकारों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की निसंस्तान मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपति उसकी विधवा को मिलती है। इसलिए यदि कोई विधवा मारी जाती है तो सम्पत्ति सबसे नजदीकी संबंधी को मिलेगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो मानव जीवन से सम्पत्ति को ज्यादा मान देते हैं। यही त्रासदी है। हम अब भी उस बीमारी को भुगत रहे हैं। यहां मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि सती के विरोध में व्यापक अभियान होना चाहिए। इस संबंध में यह स्मरणीय है कि राजा राम मोहन राय ने अपने व्यापक अभियान और व्यापक शिक्षा, जो कार्य उन्होंने उस समय किया था, के द्वारा आवश्यक वातावरण का सृजन करने की महान भूमिका निभायी। यह अकल्पनीय है कि उस समय में उन्होंने इस सती प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाया और इस बारे में लोगों को शिक्षित किया।

इस विधेयक में पृष्ठ-2 पर खण्ड-3 और खण्ड 5 में दण्ड का प्रावधान है और मैं यह दृढ़ता के साथ महसूस करता हूं कि एक साल का दण्ड पर्याप्त नहीं है। यदि व्यक्ति दोषी है तो दण्ड कम से कम तीन वर्ष का होना चाहिए। केवल एक वर्ष दण्ड लगाने का क्या फायदा ? यदि व्यक्ति दोषी नहीं है तो कोई दण्ड नहीं दिया जायेगा। इसके अलावा विधेयक में उन लोगों के लिए भी दण्ड का विधान होना चाहिए जो सती से संबंधित कुछ वस्तुएं बनाते हैं। मैंने देखा कि इस संबंध में उन्होंने संशोधन सामने रखे हैं किन्तु उनको देखने से पहले मैंने इसको समाविष्ट किया है। मैं यह सुझाव दूंगा कि इसमें सती के नाम पर मार दी गयी स्त्री की यादगार में फिल्में, पर्चे, वीडियो कैसेट या अन्य सामान का बनाना तथा बेचना भी दण्डनीय बनाया जाना चाहिए। इस विधेयक में यह पहलू भी होना चाहिए। इस विधेयक में यह भी समाविष्ट किया जाना चाहिए कि अधिनियम के अन्तर्गत किए गए अपराध संगेय तथा अजमानतीय होने चाहिए। दान-कर्ताओं को भी दण्ड दिया जाना चाहिए।

अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा कि हम सबको देश में एक सामाजिक क्रान्ति लाने और रुढ़िवाद तथा धर्मान्धता का उन्मूलन करने का प्रयास करना चाहिए। यह केवल स्त्रियों के अधिकार का ही प्रश्न नहीं है, यह हमारे राष्ट्रीय सम्मान और एक राष्ट्र के रूप में हमारे मानवीय अस्तित्व की बात है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत के अधिकांश लोग, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के क्यों न हों, हमारे संविधान के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाने में सती प्रथा के विरुद्ध और महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने के अभियान में बैठने से पहले मैं श्रीमती अल्वा से अनुरोध करना चाहूंगा कि मंत्रालय बाद में एक बार फिर विधेयक को देखे। आज हमें इस विधेयक को पास करना ही चाहिए चाहे इसमें कुछ भी हो किन्तु बाद में उन्हें विधेयक पढ़ना चाहिए और विभिन्न संगठनों से राय मांगनी चाहिए और आवश्यक संशोधन करके संसद के समक्ष लाने चाहिए।

अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा कि न केवल इस अधिनियम के लिए अपितु दहेज अधिनियम, स्त्रियों के अनैतिक व्यापार अधिनियम आदि जैसे अन्य सभी सामाजिक विधानों के लिए सतर्कता समिति की स्थापना करनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री उमाकांत मिश्र (मिर्जापुर) : सभापति महोदय, सती प्रथा के विरोध में जो यह बिल लाया गया है मैं इसका स्वागत करता हूं। सती प्रथा एक बहुत ही क्रूर प्रथा है, आज से दो-तीन साल पहले यह थी। राजा रामभोहन राय के प्रयास से यह कम या समाप्त प्रायः ही हो गई थी, कभी-कभी कोई घटना होती है। अभी कुछ दिन पहले दिवराला में यह घटना हुई, रूपकंवर को जलाया गया इससे सारा देश रोमांचित हो उठा। विश्व में हम लज्जित हो गये। ऐसी स्थिति में यह विधेयक आया है, इसका मैं स्वागत करता हूं। राजस्थान में कुछ कट्टरवादी लोग इस घटना को, इस काण्ड को राजनीतिक और आर्थिक लाभ उठाने के लिए प्रयोग करते हैं, हम उनकी घोर निन्दा करते हैं। इस कानून में कोई कमी हो तो उसको दूर किया जाये और सख्त कानून बनाया जाये। बहुत-सी प्रथाओं को धर्म से जोड़ दिया जाता है। इस देश में तमाम धर्म हैं, दुनिया में बहुत से धर्म हैं। बहुत सी कुरीतियों को जो जघन्य पाप है उनको धर्म से जोड़ा जाता है जिससे लोग धर्म को न ठीक से पढ़ते हैं और न समझते हैं। इस देश के हिन्दू शास्त्रों में धर्म की जो मुख्य व्याख्या की गई है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। महाभारत में व्यास जी ने कहा है : "धारणाद्धर्म इत्याहुः धर्मो धारयति प्रजाः"। इसका मतलब है कि जो समाज को, देश को, राष्ट्र को धारण कर सके जो मनुष्य को प्रगति दे, वही धर्म है। धर्म के बारे में करणाद मुनि ने भी लिखा है : "यतोभ्युदय निःश्रेयस् सिधिया सधर्मः" जिससे इस संसार में सुख प्राप्त हो, ऐश्वर्य प्राप्त हो, और मरने के बाद परलोक में मोक्ष और शांति मिले वही धर्म है। इसमें किसी काम को नहीं गिनाया गया है। धर्म की जिस उच्चकोटि की उन्होंने परिभाषा की है, हम उसे नहीं समझते बल्कि धर्म को रूढ़ियों से, कट्टरवाद से जोड़ने लग जाता हैं। धर्म मनुष्य के लिए है। धर्म वही है जिससे मनुष्य मात्र का हित हो, किसी एक मनुष्य या मनुष्य के वर्ग का अहित न हो। यदि धर्म में दो मनुष्यों के बीच घृणा उत्पन्न होती हो तो वह धर्म नहीं रहता, पाप हो जाता है। इसलिए आज की परिस्थितियों में धर्म की व्याख्या में परिवर्तन की आवश्यकता है। जिस प्रकार मनुष्य बदलता है, समाज बदलता है, राष्ट्र बदलता है, इतिहास बदलता है, उसी प्रकार धर्म की परिभाषा में भी परिवर्तन की आवश्कता है। प्राचीन धर्म शास्त्रों में जहां कुछ अच्छी बातें हैं, वहीं कुछ ऐसी भी हैं जिनका आज की परिस्थितियों में परित्याग किया जाना चाहिए, जो आज के लिए अप्रासंगिक हैं। उनको बदलना पड़ेगा। महाकवि कालीदास ने कहा है

"पुराणमित्येवन साधुसर्वम"

जो पुरानी चीज मनुष्य के लिए हितकारी हो, नवीन हो, अच्छी हो, उसे ग्रहण करना चाहिए। हमारे प्राचीन धर्मग्रन्थों में सब कुछ अच्छा नहीं है, बहुत सी बुरी बातें भी शामिल हैं। इसके लिए हमें अपने धर्मग्रन्थ और शास्त्रों का आज की परिस्थिति में अध्ययन करना होगा और एक नया राष्ट्रीय धर्म, मानव धर्म बनाना होगा जिससे देश और समाज की प्रगति हो और मानव जीवन सुखी हो सके।

भारत का धर्म समय-समय पर बदलता रहा है। भारत के धर्म की हमें बड़ी उच्च कोटि की परिभाषा मिलती है। आज हमें अपने धर्म के उन तत्वों का फिर से अध्ययन कराना होगा

जिन तत्वों के आधार पर हम किसी समय विश्व के गुरु माने जाते थे, जो तत्व मानव के हित के लिए थे। वही असली धर्म है। धर्म का बाह्य रूप, आडम्बर, कुप्रथाएं, कुरीतियां औरकट्टरवाद हमें खोखला करता जा रहा है, चाहे हिन्दू, मुसलमान, इसाई कोई भी धर्म क्यों न हो। जिस धर्म में मनुष्य के हितों के विरुद्ध आचरण होगा, वह धर्म कहलाने योग्य नहीं है, भले ही ऐसा धर्म शास्त्र में लिखा हो। हमें उसका संशोधन करना होगा। मानवहितों के जो भी विरुद्ध है, वह धर्म नहीं, पाप है। जहां तक आस्थाओं और विश्वासों का प्रश्न है उसमें आजादी रहनी चाहिए। आज हमारा संविधान, हमारे कानून हमारा धर्म है जो आज के लिए प्रासंगिक है, समाज के हित में है।

अभी यहां चर्चा की गई कि देश के पांच शंकराचार्यों में से एक पुरी के शंकराचार्य ने सती काण्ड का समर्थन किया है, जबकि अन्य चार ने कुछ नहीं कहा। मैं समझता हूं कि हमारे समाज में स्मृतियों को सबसे ज्यादा मान्यता है और 24 स्मृतियों में से 4 प्रामाणिक मानी जाती हैं : मनु, याज्ञवल्क्य, नारद और पाराशर। मैंने इन चारों स्मृतियों का अध्ययन किया, छाना परन्तु कहीं भी छद्म रूप में एक भी स्थान पर ऐसा उल्लेख नहीं मिला कि पति के मरने के बाद स्त्री को भी उसके साथ मर जाना चाहिए, या जल जाना चाहिए। बल्कि मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति में तो यदि किसी स्त्री के संतान नहीं है तो पति की मृत्यु के बाद सुखी जीवन बिताने के लिए नियोग की भी व्यवस्था की है, सन्तान उत्पन्न करने की भी व्यवस्था है :

देवराद्वा सपिण्डाद्वा स्त्रिया सम्यङ्नियुक्तया,
प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्यपरिक्षये। (मनु 59, अध्याय 9)

यदि किसी स्त्री के संतान न हो तो वह देवर से संतान उत्पन्न कर सकती है और अपना भविष्य सुखी बना सकती है। यह कहीं भी नहीं कहा गया कि वह पति के साथ जलकर मर जाए। मनु स्मृति में यह भी कहा गया है :

यस्या म्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः,
तामनेन विधानेन निजोद्वीन्देत देवरः। (मनु 69, अध्याय 9)

ये अध्याय 9 श्लोक 59 में है, जिस कन्या का पति मर जाए, वह पति के मरने के बाद सगोत्र देवर से संतान उत्पन्न कर सकती है। याज्ञवल्क्य ने भी इसी विवाह के प्रकरण में कहा है—

"अपुत्राम् गर्वनुज्ञातो देवरः पुत्र कामया।
सपिण्डोवा सगोत्रोवा घृताभ्युक्तः ऋतावियात्॥"

इस प्रकार से याज्ञवल्क्य ने तो मनु का ही समर्थन किया है और पराशर एवं नारद ने तो स्पष्ट रूप से पति के मरने, सन्यासी होने, नपुंसक होने, या पतित हो जाने पर विवाह की व्यवस्था कर दी है।

"नष्टे, मृते प्रवृजिते, क्लीबेचपतिते पतौ।
पंचस्वापत्सु नारीणाम् पतिरन्यो विधीयते।।"

सवर्ण हो, चाहे असवर्ण हो यदि उसका पति नष्ट हो गया, मर गया, सन्यासी हो गया, नपुंसक हो गया, तो दूसरा विवाह कर सकती है। यह नारद और पराशर स्मृतियों में स्पष्ट व्याख्या दी गई है। श्री मनु ने कहा कि पति के मरने के बाद पत्नी को क्या करना चाहिए। पराशर स्मृति के अध्याय 4, श्लोक 82 में—"भर्त्तारम् या नुगच्छिति" कहा गया है। जो स्त्री अपने पति का स्मरण करेगी वह कोटियों वर्ष तक स्वर्ग में रहेगी, लेकिन यह व्यवस्था संतान विहीन विधवा के लिए नहीं है। व्यवस्थां दो प्रकार की है एक संतान विहीन विधवा के लिए और दूसरी संतान वाली विधवा के लिए। निसन्तान विधवा के लिए सारी स्मृतियों में संतान उत्पन्न करने की व्यवस्था की है। संतान वाली विधवा के लिए कहा गया है कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पति के आचार-विचार और आदर्शों का अनुसरण करना चाहिए और इसी के अनुसार अपनी सन्तानों को भी बनाना चाहिए।

इस प्रकार से इन स्मृतियों का गलत अर्थ लगाकर कोई अर्थ का अनर्थ धर्मशास्त्री करता है, तो वह बिल्कुल गलत कहते हैं, झूठ बोलते हैं। धर्माचार्यों को धर्मशास्त्रों का पूरी तरह से अध्ययन करके, मनन करके ही कोई बात बोलनी चाहिए, नहीं तो उसको धर्माचार्य होने का कोई अधिकार नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मनु को कोट मत कीजिए। मनु ने तो महिलाओं को गौण स्थान दिया है, पुनर्विवाह करने का अधिकार स्त्रियों को नहीं दिया है और शूद्रों के बारे में कहा है कि यदि वे वेद-पठन करें, तो उनके कानों में शीशा डाला जाए।

श्री उमाकान्त मिश्र : मैंने पहले ही कहा है कि जो बात अच्छी नहीं है, उसको हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए और उसका त्याग कर देना चाहिए। श्रीमन, मनु ने यह भी कहा है—

"यत्रनार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।
यत्रैताग्तुन पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला क्रियाः ॥"

नारी को मनु ने सर्वोच्च स्थान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस परिवार में, जिस राष्ट्र में, जिस देश में स्त्री की पूजा होती है वहां देवता बसते हैं, सुख मिलता है और जहां इनकी पूजा नहीं होती वहां सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं और शास्त्र और वेदों में तो गार्गी आदि नारियों का इस देश में बड़े सम्मान होने के प्रमाण मिलते हैं। मध्यकाल से नारियों का पतन शुरू हुआ है। नारियों के सुधार के लिए हमारी, सरकार जो प्रयत्न कर रही है, मैं उनका स्वागत करता हूं और विधेयक का समर्थन करता हूं। प्रधान मंत्री जी को बधाई देता हूं और उनकी सरकार को बधाई देता हूं कि वह सती के विरोध में बिल लाई है। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री राम बहादुर सिंह (छपरा) : श्रीमन्, किसी भी विधवा को जिन्दा जला देना, महिलाओं के तिरस्कार का प्रतीक है, उनकी उपेक्षाओं का प्रतीक है और प्रतीक है हमारे जंगलीपन का और हमारी बरबरता का। लेकिन यह विडम्बना है कि ऐसे लोग भी इस समाज में हैं, जो ऐसे जघन्य अपराध को भी धर्मसम्मत कहने की हिम्मत करते हैं।

मैं इस विचार का हूं कि कोई भी धर्म यदि इस तरह के जघन्य अपराध की अनुमति देता है तो वह धर्म नहीं है, घोर अधर्म है और इस तरह के धर्म के और उसके आधार पर लिखी हुई सारी पोथियों को आग लगाने देने पर कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन दुष्ट और धूर्त दुष्ट प्रकृति के लोग, जो इस तरह के जघन्य अपराध में विश्वास करते हैं, नई-नई चीज की खोज कर के, ले आते हैं और अपने समर्थन में उदाहरण पेश करने की कोशिश करते हैं। जैसे आत्म-हत्या के अधिकार का उदाहरण है। लेकिन वे नहीं समझते कि आत्म हत्या किस स्थिति में आदमी करता है। जब आदमी हताश, निराश हो जाता है और जब आदमी को यह विश्वास होने लगता है कि उसके जीवन में कोई संभावना नहीं है, सारी संभावनाए समाप्त हो चुकी हैं तब अपनी आत्म हत्या करता है। यदि आत्म हत्या के अधिकार की मांग करने वाले लोगों का हम समर्थन करते हैं तो परोक्ष रूप से जिस क्रूर व्यवस्था ने इस मांग के लिये मजबूर किया है इंसान को, उसी व्यवस्था का हम समर्थन करते हैं।

औरतों को जिन्दा जलाना इस बात का प्रतीक है कि औरतों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। मैं तो इस बात को मानकर चलता हूं कि सारी दुनिया में योनि के आधार पर शोषण होता है। दुनिया का जो सबसे विकसित राष्ट्र है, उसमें भी वहां के पुरुषों की तुलना में महिलाओं का अधिकार कम है, लेकिन महिलाओं का योनि के आधार पर जो शोषण होता है उसका विकास और घिनौना रूप अपने देश में देखने को मिलता है।

श्री मिश्रा जी ने कहा कि—

यत्र नवर्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता।

लेकिन यह कथनी में है, करनी में एक अक्षर भी इसका पालन नहीं होता है। पैदा होने के दिन से मरने के दिन तक हिन्दुस्तान की महिलाओं को उपेक्षा के भाव से देखा जाता है। हिन्दुस्तान की महिलाओं का शोषण, तिरस्कार और अपमान होता है। किसी भी परिवार में जब कोई लड़का पैदा होता है तो उत्सव मनाया जाता है, ढोल पीटा जाता है, मिठाइयां बांटी जाती हैं, लेकिन जब कोई लड़की पैदा होती है, तो वहां उदासी छा जाती है। लेकिन यहां कहा जाता है कि अपने यहां महिलाओं की पूजा होती है।

क्या मान्यता है अपने यहां उसी मनुस्मृति में ? शादी के दिन तक कोई भी कन्या मां-बाप के अधीन रहेगी, शादी के बाद पति के अधीन रहेगी और पति के मरने के बाद जैसे कि आज चर्चा हो रही है, उसको जिन्दा जलाया जा सकता नहीं है तो उसको विधवा की तरह रहना पड़ेगा। यह व्यवस्था है महिलाओं के लिये। और क्या है ? अपने यहां विधवा महिला का मुंह देखना भी पाप है। यात्रा पर कोई विधवा महिला का मुख नहीं देखना चाहता है। इसीलिये कि— कहा गया है कि किसी विधवा महिला का मुख देखने से यात्रा अमंगलमय होती है। इससे भी ज्यादा और हृदय-विदारक स्थिति तब होती है जब विधवा के बेटे की शादी होती है। शादी बेटे की होती है लेकिन शादी के मुख्य संस्कारों से उसे दूर रखा जाता है, अलग से टुकुर-टुकुर कर वह देखती रहती है, लेकिन उसे अनुमति नहीं मिलती है कि वह शादी के मुख्य संस्कारों में हिस्सेदारी ले। इतना ही नहीं, जब नई बहू आती है तो उसके स्वागत करने का भी उसको अधिकार नहीं है।

महिलाओं की दुर्दशा की कहानी अनन्त है; एक नहीं अनेक हैं और यदि उनकी चर्चा इस सदन में

की जाये, तो आपने 2 घंटे का समय इसके लिए निर्धारित किया है, लेकिन इसमें कई दो घंटे लग जायेंगे।

आज अपने देश में महिलाओं की दुर्दशा का अन्त नहीं है। कहीं भी अपने देश में सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था नहीं है। ऐसे परिवारों की संख्या भी नगण्य है जिनके यहां निजी शौचालय हैं। इसलिए देश की आम महिलाओं को शौच क्रिया के लिए रास्ते पर जाना पड़ता है, गांव के बाहर जाना पड़ता है लेकिन उनके लिए यहां भी नियम है कि सूर्यास्त से पहले और सूर्योदय के बाद वह इस क्रिया के लिए नहीं जा सकती हैं। आप कल्पना कीजिये कि दिन में शौच-क्रिया करने से भी उनको मना किया जाता है। उनको नर्क का जीवन बिताने के लिये विवश किया जाता है। इसके बाद हम कहते हैं कि हम 21वीं सदी में जाने वाले हैं। हम बहुत प्रगति कर रहे हैं, हम बड़े सभ्य लोग हैं।

इतना ही नहीं, आज देश की आधी आबादी की आंखें धुआं-रहित चूल्हे के अभाव में चूल्हे के धुएं से खराब होती जा रही हैं, लेकिन इसकी कोई व्यवस्था नहीं है।

अब सम्पत्ति के अधिकार को भी आप देख लें। आज बेटी को बाप के घर में सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं है और पति की सम्पत्ति पर भी जब तक पति जिन्दा है, पति का अधिकार है लेकिन पति के मरने के बाद उसकी विधवा पत्नी का अधिकार है लेकिन देखा तो यह जाता है कि कागज पर उसका अधिकार रहता है लेकिन व्यवहार में उसके बेटे का अधिकार रहता है। अपने यहां पत्नी की रोटी और कपड़ा आदि की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी पति की रहती है। लेकिन जब पति मर जाता है तो उसका आइडेंडटी कार्ड और राशन कार्ड भी रद्द कर दिया जाता है। पति के रहते सरकार भी पत्नी को सजा नहीं देती यह सारी व्यवस्थायें अपने देश में हैं। इसलिए जब तक इन तमाम कुव्यवस्थाओं के खिलाफ कोई ठोस और सशक्त कदम नहीं उठायेंगे तब तक कोई काम बनने वाला नहीं है। इसके साथ-साथ जब तक इस सवाल को राष्ट्रीय सवाल मान कर और तमाम तरह के पूर्वाग्रह से ऊपर उठ कर एक आन्दोलन शुरू नहीं करेंगे तब तक इन तमाम समस्याओं से निजात नहीं मिलेगी।

अंत में एक-दो सवाल इस विधेयक के बारे में करना चाहता हूं। इस विधेयक में कहीं भी सती कांड जैसे जघन्य अपराध को रोकने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था नहीं है। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं होगी तो कोई भी महिला संगठन, कोई भी व्यक्ति और कोई भी अन्य संगठन इस तरह के अपराध को रोकने के लिए आगे नहीं आयेगा। इसके साथ ही इस अपराध को कहीं भी सरकार ने संज्ञेय (Cognizable) अपराध नहीं माना है। यदि ऐसी बात होती तो गैर जमानती वारंट की व्यवस्था जरूर होती। गैर जमानती वारंट की व्यवस्था भी इस विधेयक में नहीं है।

हमारे गृह मंत्री जी ने इसी सदन में यह कहा था कि जब विधेयक आयेगा तो देश की तमाम महिला संगठनों की राय ली जायेगी। लेकिन गृह मंत्री जी ने वचन-भंग करने का अपराध किया है। उन्होंने देश की महिला संगठनों से राय नहीं ली है लेकिन मैं इस समय इस विधेयक का विरोध नहीं करूंगा क्योंकि ऐसा करने से विलम्ब हो जायेगा। लेकिन इतना आग्रह अवश्य करूंगा कि अभी मौका है। आप इस विधेयक के पारित होने के बाद देश में जितने भी महिला संगठन हैं, उससे राय लेने का काम करें और राय लेने के बाद यदि आवश्यकता पड़े तो इस विधेयक में संशोधन करने के लिए भी तैयार रहें।

अब मैं उस समुदाय के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं जिस समुदाय के लोग नंगी तलवार लेकर इस प्रथा का समर्थन करते हैं। वे इस प्रथा को इतिहास के संदर्भ से काट कर देखते

हैं। जब आदमी किसी भी प्रथा को इतिहास के संदर्भ से काट करदेखता है तो इससे बुराई ही हाथ लगती है। उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि यह सती नहीं है। इस प्रथा की शुरूआत राजस्थान में मुगल काल से हुई। जब महिलाओं को यह एहसास हो जाता था कि पति लड़ाई के मैदान में खेत हो गया तो वे अपनी इज्जत बचाने के लिये जल जाती थीं। इसे जौहर बात कहते थे। मैं नंगी तलवार लेकर घूमने वालों से यह पूछना चाहता हूं कि वे इतने नपुंसक, काहिल और कायर हो गये हैं कि अपने घर की विधवाओं की इज्जत की भी रक्षा नहीं कर सकतेहैं ? यदि कर सकते हैं तो नंगी तलवार सती प्रथा जैसे जघन्य अपराध के खिलाफ भी घुमानी होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती मनोरमा सिंह (बांका) : सभापति महोदय, सरकार, जो यह बिल लाई है इसका मैं पूर्ण समर्थन करती हूं। सरकार ने भारतीय नारी की रक्षा के लिए यह बिल लाकर एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है, इससे हमारे देश की करोड़ों महिलाओं को इज्जत के साथ जीने का अधिकार मिलेगा।

इस बिल में सरकार ने जो प्रावधान किया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है लेकिन आज दिवराला में या पहले भी सती की जो घटनाएं घटती थी उन सब के पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण बात सम्पत्ति की रहती थी और सम्पत्ति के लिए ही यह सारी घटनाएं घटती थीं क्योंकि पति के मरने के बाद विधवाओं के भरण-पोषण के लिए सम्बन्धी या उनके परिवार के लोग उन्हें एक भार समझते थे और इसीलिए वे चाहते थे कि अगर इसे खत्म कर दिया जाय तो सम्पत्ति पर उनका अधिकार रहेगा।

बंगाल में भी जब राजा राम मोहन राय ने इस प्रथा का विरोध किया था जब उनकी भाभी आलोक मंजरी देवी को जलाकर मार दिया गया था, उसी के बाद वे इससे प्रभावित हुए थे और उन्होंने बहुत ही साहसपूर्ण कदम उठाया। हिन्दुस्तान में औरतों की पूजा जरूर होती है, जीवित पूजा हो तो ठीक है लेकिन पूजा मरने के बाद होती है तो यह बहुत ही सोचनीय बात है औरत को देवी के रूप में माना जाता है लेकिन यह कौन सी परम्परा है कि मरने के बाद सती मन्दिर बनाकर और महत्व देकर, पैसा बटोरकर उसकी पूजा की जाय, ऐसे अपराध को हम इस बिल के द्वारा खत्म कर रहे हैं, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। मैं सभी पार्टियों से अनुरोध करती हूं, चाहे वह किसी भी सम्प्रदाय के हों, धर्म के हों, इस दायरे से ऊपर उठकर इस बिल का समर्थन करें और सरकार को मजबूत करें क्योंकि औरत किसी की मां है, बहन है, बेटी है। आज सवाल औरत का है और इस महत्वपूर्ण बिल में सबके सहयोग की बहुत ही आवश्यकता है।

सभापति जी, मैं दो चार पाइण्ट्स कहना चाहूंगी। एक तो दिवराला में जो घटना घटी वह इसलिए कि राजस्थान में शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत कम है, वहां महिलाएं बहुत ही अशिक्षित हैं और इस वजह से वहां अक्सर इस तरह के काण्ड, यदा-कदा होते ही रहते हैं। इसमें समाजसेवी संगठनों और महिला महिला संगठनों को शामिल किया जाय और उस इलाके के उस कम्युनिटी के जो बहुत ही प्रबुद्ध लोग हैं उनको शामिल किया जाय और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका टी० वी० और गोष्ठियों के द्वारा इसके विरोध में प्रचार प्रसार किया जाय और जो कानून बने हैं उनका प्रचार गांव-गांव तक होना चाहिए, हर समाज में जाना चाहिए और महिलाओं को अपने अधिकार के प्रति जागरूक बनाना चाहिए। जब तक वह अपने अधिकार के बारे में नहीं जानेंगी तो उनके साथ हमेशा ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी।

दूसरी बात यह है कि दिवराला में जो घटना घटी तो वहां के पदाधिकारी क्या कर रहे थे, यह कानून प्रोत्साहित करने वालों, गौरवान्वित करने वालों सभी के लिए बनाया गया है लेकिन जो पदाधिकारी तमाशा देख रहे थे उनके लिए कौन सा कानून बनाया गया है ? उनके लिए भी कोई कड़ी व्यवस्था होनी चाहिए या उन्हें सर्विस से मुअत्तल किया जाना चाहिए। उस गांव के जो कर्मचारी थे, बगल के पुलिस के अधिकारी थे, उन सब के लिए भी कड़े दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार ने यह बिल लाकर महिलाओं की रक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

तीसरी बात यह है कि जो औरत विधवा हो जाती है और जिसे भरण-पोषण की आवश्यकता हो जाती है, वह कोई व्यवसाय करना चाहे या नौकरी करना चाहे तो ऐसी विधवाओं के लिए नौकरी की आयु सीमा में कोई बंधन नहीं रहना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं और आपको बहुत धन्यवाद देती हूं ।

श्री विष्णु मोदी (अजमेर) : सभापति महोदय, देश के दूर दराज के गांव में जो एक सामाजिक कुरीति हुई, एक अबला को 18 वर्ष की लड़की को जिन्दा जला दिया गया, उसके ऊपर इस देश के सारे राजनीतिक दलों ने, इस देश के महिला संगठनों ने और खासकर इस देश के मीडिया ने जिस तरह की प्रतिक्रिया की उससे यह बहस छिड़ी जिसका नतीजा यह हुआ कि आज हम यहां पर एक बिल लेकर आए हैं जिससे कि इस कुरीति पर पाबन्दी लगाई जा सके। मैं आदरणीय डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी से सहमत हूं कि सती प्रथा नाम की कोई प्रथा पहले रही होगी लेकिन अब इस तरह की कोई प्रथा नहीं है। जिस ग्राम देवराला में यह घटना घटी वह ग्राम मेरे ग्राम से 30 किलोमीटर की दूरी पर है । वहां पर जितनी भी इस तरह की घटनायें घटीं वह नीम का थाना सब-डिवीजन में, जहां मैं रहता हूं, उसके 30-40 किलोमीटर के दायरे में राजस्थान की 80-85 प्रतिशत सती होने की घटनायें जो उल्लिखित हैं, वह उसी क्षेत्र में हुई हैं।

जहां तक इस बिल का सवाल है, इस कुरीति को रोकने का सवाल है, मैं बधाई देना चाहता हूं मंत्री महोदय को और हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी को कि उन्होंने बहुत सोच समझ कर इस तरह का विधेयक यहां पर रखा। लेकिन जहां तक सती शब्द का सवाल है, उसके लिए हमें कुछ पीछे जाना होगा। सती का मतलब सत और तपस्या से था। हमारे शास्त्रों में जितनी सतियों का उल्लेख है चाहे सती सावित्री हो, चाहे सती सीता हो, चाहे सती अनुसुइया हो, चाहे सती उर्मिला हो, चाहे सती उमा हो, चाहे सती ऊषा हो, चाहे सती गंगा हो, चाहे सती रूपकंवर हो—किसी भी सती के जलने का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। जैसा कि अभी मेरे पूर्ववक्ता ने कहा कि शिव की जो पहली पत्नी सती थीं वह नाम से सती थीं वह भी जब जलीं तो आज तक कहीं भी उनके एशेज के ऊपर कोई मन्दिर नहीं बना। (**व्यवधान**) और वह विधवा नहीं थीं, किसी पुरुष के साथ नहीं जली थीं। चूंकि शिवजी की अवहेलना की गई थी इसलिए जली थीं। तो जहां तक शास्त्रों का सवाल है और जहां तक सती शब्द का सम्मान है, मैं बहुत ही विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि सती का जो मतलब हमारे शास्त्रों से जुड़ा है

वह सत और तपस्या के साथ जुड़ा है और सती सीता को अग्नि परीक्षा दी थी वह केवल अग्नि परीक्षा थी वह जलीं नहीं थीं इसलिए यह कहना कि सती शब्द हमारे शास्त्रों से कोई सम्बन्ध नहीं रखता—मैं समझता हूं हमारे हिन्दू धर्म के साथ इस तरह की बात कहना अन्याय होगा। लेकिन जो बिल आप लाए हैं उसमें अपने डेफीनीशन दी है—विधवाओं या स्त्रियों के सती या विधवाओं या स्त्रियों के जीवित दहन या गाड़ देना। बंगाल के अन्दर 1829 में पहले जब यह बिल आया तब लोगों ने धर्म के नाम पर और आज भी हम देश में देख रहे हैं कि धर्म के नाम पर राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है। अमृत छकाने के नाम पर हमारे देश कि महान नेता की गोली मार कर हत्या कर दी गई। लेकिन क्या हम अमृत छिकाने के खिलाफ कोई कानून लेकर आये हैं? जहां तक सती की बात है, यह शब्द हमारे यहां सत्य और तपस्या से जुड़ा हुआ है। यहधर्म के नाम से जुड़ा हुआ है। इसको कुछ लोगों ने जरूर गंदा बना दिया है। उन्होंने स्त्रियों को पति की मृत्यु के बाद, चाहे सामाजिक कारण से हो, चाहे आर्थिक कारण से हो, जिंदा जलाना शुरू कर दिया था। उन्होंने इस जिंदा जलाने के क्राईम से अपने आपको बचाने के लिए इस सती शब्द का उपयोग किया।

जहां तक मैंने इतिहास का अध्ययन किया है, मेरी जानकारी के अनुसार बंगाल के कलेक्टर ने गवर्नर जनरल को लिखा और अंग्रेजी हुकूमत ने इस सती का उल्लेख किया। 1829 में एन्टी सती ऐक्ट बना था।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे शास्त्रों में सत्य और तपस्या से सती का नाम जुड़ा हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। इस देवराला घटना के बाद जोधपुर के पास में एक महिला ने अपनी पति मृत्यु के बाद में 40 साल तक अन्न नहीं लिया और केवल पानी और हवा पर वह जिंदा रही। अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले से तो उसने पानी भी पीना छोड़ दिया था। कुछ ही दिनपहले उसकी मृत्यु हुई है। लेकिन जब से यह देवराला की घटना हुई है, मैं समझता हू कि जहां राजस्थान में पहले महिला संगठनों के नाम से कुछ लोग ही नजर आते थे, इस घटना के बाद से एक भीड़ सी जुड़ी हुई है और लोग वहां कई तरह की बातें करने लगे हैं। वाला गांव में एक सती मन्दिर था। कलेक्टर ने एक आदेश निकाल कर, उस मन्दिर में जो लोग जाते थे और चढ़ावा चढ़ाते थे, उसको कंफीसकेट कर लिया गया है उस पर बैन के आदेश जारी कर दिये गये हैं। मैं चूंकि उस क्षेत्र का रहने वाला हूं। जब मैंने अपने घर में शादी के बादपत्नी के साथ ग्रह प्रवेशकिया तो पहले मुझे और मेरी पत्नी को सती की पूजा कराई गयी उसके बाद घर में प्रवेश मिला। यह कार्य हमारी धार्मिक भावनाओं के अनुरूप है। उस क्षेत्र में दिवाली में औरतें सती की पूजा करने के बाद ही पानी पीती हैं और खाना खाती हैं। (व्यवधान) सती सीता, सती सावित्री, सती उर्मिला हैं। क्या आप इनको रोकना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि लोग इससे परेशान हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हू कि जहा तक किसी औरत को जिंदा जलाने की बात है यह बहुत जघन्य अपराध है और इसकी कड़े से कड़े शब्दों में निन्दा की जानी चाहिए, भर्त्सना की, जानी चाहिए। मैं यह भी मानता हूं कि देवराला का जो कांड हुआ वह वीभत्स, जघन्य और बार्बरिक है लेकिन जहां तक हमारे शास्त्रों में सती शब्द सत्य और तपस्या

से जुड़ा हुआ या धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ होने की बात है उससे आप इंकार नहीं कर सकते ।

आप जो बिल लेकर आये है जिसमें विधवाओं को जीवित जलाने की बात पर दंड देने का प्रावधान है, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं । मैं इसका समर्थन कर रहा हूं और इसके लिए आपको मुबारकबाद और धन्यवाद देता हूं । इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि चूंकि अंग्रेज हुकूमत ने सती के साथ जो गलती कर दी है उसको बार-बार न दोहराया जाए । ताकि कहीं ऐसा न हो जाए कि एक जातिविशेष की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो जाए । एक जाति-विशेष को मेनस्ट्रीम से एलीमिनेट करने की कोशिश की जा रही है और उस जातिविशेष को जो राजस्थान में ही नहीं हमारे देश की चारों सीमाओं पर रहती है । उसमें कुछ राजनीतिकरण करके इस तरह की बात की जा रही है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भविष्य में फैसले किये जाएं तो सोच समझ कर किये जाएं कि इस बात का क्या असर पड़ेगा ।

मैं इन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करता हूं ।

[अनुवाद]

श्री एन० बी० एन० सोमू (मद्रास उत्तर) : सभापति महोदय, यह अत्यन्त दुख की बात है कि धार्मिक कट्टरपन, सम्प्रदायिकता और रूढ़िवादिता फिर से पनप रहे हैं । ऐसा इसलिये है क्योंकि हमने विभिन्न क्षेत्रों में कोई प्रभावी सुधार नहीं किए हैं । स्वतंत्रता के बाद से कोई आमूल परिवर्तनकारी उपाय नहीं किये गए हैं । डा० बलराम जाखड, माननीय अध्यक्ष और सीकर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, जिसमें देवराला 'सती-स्थल' आता है, के संसद सदस्य ने यह विचार प्रकट किया कि यदि सरकारी एजेंसियों ने समय पर कार्यवाही की होती तो इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को होने से रोका जा सकता था । मैं इस विचार का समर्थन करता हूं । अध्यक्ष महोदय ने ऐसा कहा था । यह सरकार धर्म निरपेक्ष है लेकिन साथ ही साथ इसे एक विशेष धर्म को संरक्षण नहीं देना चाहिए ।

एक मंत्री महोदय ने दूरदर्शन पर रामायण धारावाहिक दिखाए जाने का स्वागत किया है । यदि आप एक विशेष धर्म का संरक्षण करते हैं तो हमारे देश में चल रहे अंधविश्वासों को समाप्त करना कैसे सम्भव है ।

मुझे समाचार-पत्र हमें यह पढ़ कर बहुत दुख हुआ कि सती समारोह में तीन लाख व्यक्तियों ने भाग लिया । ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर भारत में इस अंधविश्वास की जड़ें गहरी हैं । केवल विधान बनाना ही पर्याप्त नहीं है, प्रभावी शिक्षा, सामाजिक सुधार और प्रचार की अधिक आवश्यकता है । उपचार से निवारण बेहतर है । कानून बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा इसके लिए सामाजिक शिक्षा की भी आवश्यकता है । यह सरकार केवल कानून बनाती है परन्तु उन्हें प्रभावी रूप से क्रियान्वित नहीं करती है । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे प्रभावी कदम उठाने के बारे में विचार करें और यह अवश्य ही लोगों को ऐसा घृणित कार्य करने से रोकेगा ।

दक्षिण भारत में और विशेष रूप से तमिलनाडु में पेरियार ई० वी० रामास्वामी, जो द्रविड आन्दोलन के अग्रणी थे, के प्रभावी प्रचार के कारण ऐसी घटनाएं नहीं घटी हैं । पेरियार और डा० अन्ना ने स्त्रियों के लिए स्वतन्त्रता, समानता और सम्मान का रास्ता बताया । सामाजिक बुराइयों

के विरुद्ध उनके अथक प्रयास के कारण तमिलनाडु की स्त्रियों ने उन्हें 'पेरियार का खिताब दिया है। इसलिए स्त्रियों के लिए प्रभावी शिक्षा अति महत्वपूर्ण है।

मेरा नेता, डा० करुणानिधि ने तीस वर्ष पूर्व तमिल फिल्म देवकी में एक नाटककार के रूप में तमिल में कहा था—जिसका अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है कि यह अंधविश्वास कि स्त्रियों की भूमिका केवल रसोई और शयन कक्ष तक की है अब मान्य नहीं रही है क्योंकि स्त्रियां आज शिक्षा के लिए विदेश जा रही हैं। यह समय का परिवर्तन है। उन्होंने ऐसा तीस वर्ष पूर्व लिखा था। इसलिए स्त्री-शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और महाविद्यालय तथा विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते ने कहा है कि यदि सती प्रथा का समर्थन करने वाली कोई धार्मिक कृति है तो वह उन्हें सार्वजनिक तौर पर जलाने में हिचकिचायेंगे नहीं। मैं इसका स्वागत करता हूं और इसमें मैं उनका सहयोग करता हूं।

तमिलनाडु में हमारे दिवंगत नेता डा० अन्ना ने जब वह मुख्य मंत्री थे, आपसी रजामन्दी से हुए सभी विवाहों को वैध घोषित किया था। इस प्रकार के सामाजिक सुधारों को सम्पूर्ण भारत में शुरू किया जाना चाहिए।

सरकार ने वर्ष 1971 में प्रिवीपर्स समाप्त कर दिया था लेकिन अभी भी कुछ जागीरें हैं, यहां वहां महाराजा हैं। चूंकि सती राजशाही वीरोचित प्रथा है, इसे प्रभावी रूप से नियंत्रित और समाप्त तभी किया जा सकता है जब आप धन के विकेन्द्रीकरण द्वारा इन जागीरों को समाप्त करें।

न केवल कानून का प्रभावी क्रियान्वयन होना चाहिए बल्कि इस कानून को प्रभावी बनाने के लिए सब जगह सतर्कता समितियां होनी चाहिएं। इन्हें गांवों में और प्रत्येक जगह स्थापित किया जाना चाहिए ताकि वे ऐसी घृणित घटनाओं को फिर से होने से रोकें और इस प्रकार के जघन्य अपराधों की रोक-थाम करने में सहायता करें।

***श्रीमती ऊषा चौधरी** (अमरावती) : सभापति महोदय, मैं अपनी मातृ भाषा मराठी में बोलना चाहती हूं। आज मुझे विपक्ष के सदस्य स्वर्गीय श्री रामभाऊ महालगी का स्मरण हो जाता है जो इस सदन में मराठी में बोला करते थे। मैं सती (निवारण) विधेयक, जो कि हमारे प्रधान मंत्री जी और सरकार की वचनबद्धता और प्रयासों का परिणाम है, का पूर्ण समर्थन करती हूं।

पूर्ववर्ती भाषण में पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रन्थों के काफी हवाले दिए गए थे। लेकिन 21वीं सदी में जाने की इच्छुक नारी और गांव में रहने वाली घर की चारदीवारी में बन्द नारी जो 21वीं सदी में पहुचने को आ रहे हैं, वे इससे परेशान नहीं हैं कि मनु क्या कहते हैं अथवा धर्म की शिक्षाएं क्या हैं वह तो पति, पुत्र अथवा समाज के हाथों मिलने वाले व्यवहार से ही मतलब रखती हैं। इसलिए प्राचीन युग की नारी की अपेक्षाओं और वर्तमान युग की नारी जो कि 21वीं सदी की देहलीज पर खड़ी हैं, की अपेक्षाओं में काफी भिन्नता है। वर्तमान युग की नारी द्वारा उठाए जा रहे प्रश्न एकदम भिन्न हैं। जब राजा राम मोहन राय देखा कि एक नारी के हाथ पैर बांध उसे चिता वेदी में फेंका जा रहा है तो उसकी आंखों से अश्रुधार बह निकली थी। इससे देश में विद्रोह हुआ जिससे व्यापक सामाजिक जागरूकता पैदा हो गई थी। सती निवारक विधेयक पारित किया गया था और इस बुराई का उस समय उन्मूलन कर दिया गया था। लेकिन

*मूलतः मराठी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

राजा राममोहन राय ने जिस घटना का अवलोकन किया था उसकी देवराला घटना से तुलना नहीं की जा सकती। जिस आंदोलन का राजा राम मोहन राय ने नेतृत्व किया था उसने देश में हलचल पैदा कर दी थी और उससे इस बुराई का उन्मूलन हो गया था। लेकिन यह अफसोसजनक है कि स्वतंत्रता के 40 वर्षों के पश्चात् भी और शिक्षा के क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में समस्त प्रगति के बावजूद, दिवराला में एक युवती को चिता में ढकेल दिया गया और समाज मूक दर्शक बना देखता रहा। यद्यपि हमने 20 सूत्री कार्यक्रम और समाज कल्याण के लिए अन्य अनेक कार्यक्रमों को जोर शोर से लागू किया है तथापि हमारे समाज का एक वर्ग गरीब जनता का शोषण करने पर उतारू है और भ्रष्टाचार-रत है तथा हमारी प्रगति में बाधा डालता है। हम आदिवासियों के उत्थान हेतु कतिपय कदम उठा रहे हैं। हमने उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। हमने महिलाओं की भलाई के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया है। फिर भी महिलाएं जलाई जाती हैं। इसका तात्पर्य यही है कि समाज में एक वर्ग है जो असंतोष पैदा कर रहा है और प्रगति में बाधक बन रहा है। ये कट्टरपंथी ताकतें कतिपय मामलों से राजनैतिक फायदा उठाती हैं और हमें उनसे सख्ती से निपटना होगा।

विपक्ष के एक सदस्य हमारी सरकार की उपलब्धियों पर उंगली उठा रहे थे। सरकार ने स्वतन्त्रता के बाद से कमजोर वर्ग की प्रगति के लिए जो कदम उठाये हैं, वह वास्तव में चर्चा का एक अलग विषय है। जब से मैं संसद सदस्य बनी हूं हमारी दिवंगत नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने दहेज विरोधी और दूसरे कानूनों के संशोधनार्थ कई समितियां नियुक्त कीं। काफी अध्ययन के पश्चात इन समितियों ने इन कानूनों में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए संशोधनों का सुझाव दिया।

मुझे विश्वास है कि इन समस्याओं को कानून मात्र से हल नहीं किया जा सकता। एक साधारण महिला, जिसे परम्पराओं और धार्मिक रीतियों के साथ रहना पड़ता है, हमेशा यह सोचती है कि हर सम्मान या श्रेय हमेशा पुरुष को ही क्यों जाता है जबकि कोई भी शोषण, बलिदान या अन्याय केवल महिला के हिस्से आता है। सती प्रथा भी ऐसी ही एक बुराई है जिसकी शिकार महिलाएं ही हुई हैं। महिला ही को हमेशा परिवार का बोझ ही समझा गया है। यदि किसी लड़की की शादी करनी है तो व्यक्ति को दहेज देना पड़ता है, यदि मां बाप की वित्तीय स्थिति कमजोर है तो वह उत्पीड़न उसी का होता है। क्रूर और अमानवीय व्यवहार से महिलाएं एकदम असहाय हो जाती हैं और उनको देवदासी बनना पड़ता है अथवा मानभव ढंग अपनाना पड़ता है। आर्थिक विपन्नता के कारण ही उसे दुःख सहने पड़ते हैं और निर्दयी समाज धर्म और परम्पराओं के नाम पर उसका उत्पीड़न करता है जिससे अन्ततः वह मृत्यु का ग्रास बन जाती है।

मैं माननीय मंत्री श्रीमती अल्वा जी से महिलाओं पर इस दुर्दशा पर ध्यान देने का अनुरोध करती हूं। मैं यहां यह भी बता दूं कि माननीय मंत्रीजी पिछले पांच वर्षों से उन कई समितियों में रही हैं जिसने कतिपय विधानों में संशोधनों पर विचार किया और इन्होंने एक सतर्क सदस्य तथा पथ प्रदर्शक के रूप में बहुमूल्य योगदान किया है।

हाल ही में मैंने एक अस्पताल का दौरा किया था। एक महिला रोगी ने मुझे बताया कि देवराला घटना को समाचार पत्र पत्रिकाओं और अन्य प्रकार के माध्यमों से काफी प्रचार मिला है। संसद एक विधेयक भी पारित करने वाली थी। लेकिन उन सैकड़ों महिलाओं का क्या

होगा जिन्हें प्रतिदिन दहेज अथवा किसी अन्य कारण से जला दिया जाता है, उनकी शिकायतों के विरुद्ध कौन आवाज उठायेगा और उनकी समस्याओं का समाधान कौन करेगा ?

मैं अब इस विधेयक के कुछ प्रावधानों के संबंध में अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूं।

विधेयक में उल्लेख किया गया है कि उस स्त्री को, जो सती होती है, दंडित किया जायेगा। मैं यह विश्वास करने को तैयार नहीं हूं कि कोई महिला धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं का अन्धानुकरण करते हुए स्वेच्छा से सती होना चाहेगी। अतः इस प्रावधान का पालन करते वक्त हमें बहुत सावधान होना होगा। हमें आत्महत्या और हत्या में फर्क करना होगा। किसी महिला को नशीली दवा देकर मारना और किसी महिला द्वारा आत्महत्या करना दो भिन्न बातें हैं। यह सम्भव है कि इस खण्ड के प्रावधानों की गलत व्याख्या निकाल ली जाए और विधवा के ससुराल वाले अथवा संबंधी यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं कि उसने आत्महत्या की है और हत्या के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। यह भी स्मरण रखना होगा कि हमारे समाज में महिलाएं इतनी साहसी नहीं होतीं कि सार्वजनिक रूप से कहें कि उनको उनके ससुराल वालों अथवा संबंधियों ने परेशान किया, अतः इस खण्ड को और ज्यादा स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

इस विधेयक के खण्ड 7 के अन्तर्गत राज्य सरकार को किसी निर्माण अथवा मंदिर का विध्वंस करने की शक्तियां दी गई हैं। मैं उल्लेख कर दूं कि सती स्मारक मंदिरों तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि अमीर लोग इस विषय का समर्थन करते हैं और सती स्मारक विभिन्न रूपों में बन रहे हैं। मेरे अमरावती निर्वाचन क्षेत्र में एक सती धाम बाजार है। अतः राज्य सरकार को सावधानी-पूर्वक पता लगाना चाहिए कि क्या ऐसे भवनों में सती मूर्ति रखी है और उचित कार्यवाही करें। यदि ऐसी मूर्तियों का भंजन करना सम्भव नहीं है तो कम से कम इसका स्वरूप बदला जाना चाहिए।

मैं विशेष अदालतों संबंधी प्रावधान का स्वागत करती हूं। मैं केवल यह अनुरोध करना चाहती हूं कि इस अदालत के न्यायाधीश और सदस्य अधिकतर महिलाएं ही होनी चाहिए। यदि ऐसी अदालतों में पुरुषों का वर्चस्व होगा तो मुझे डर है कि महिलाएं अपना स्पष्टीकरण देते वक्त स्पष्टवादी नहीं हो पायेंगी।

4.00 म० प०

विपक्ष के एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि इस अपराध को गैर जमानत योग्य माना जाना चाहिए, मैं इस सुझाव का पूरी तरह समर्थन करती हूं। कई बलात्कार के मामलों में अपराधी साफ साफ बच निकले क्योंकि यह अपराध जमानत योग्य है। अतः जहां तक इस अपराध का संबंध है, इसे गैर जमानत योग्य अपराध माना जाना चाहिए।

ऐसे अपराध में जन प्रतिनिधियों को संलिप्त पाये जाने की घटना में उन्हें जिम्मेदार मानने संबंधी प्रावधान भी स्वागत योग्य है।

मैं उन महिला संगठनों, जिन्होंने देवराला घटना पर प्रकाश डाला और देशभर में जनमत तैयार किया, का बहुत धन्यवाद करती हूं।

जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था कि आर्थिक विपन्नता महिलाओं की दुर्दशा के लिए उत्तरदायी है। अतः, यह आवश्यक है कि महिलाओं का अपने पति और पिता की सम्पत्ति में हिस्सा हो। कानून और अधिक सख्त बनाए जाएं ताकि महिलाएं अपने उचित हिस्से से वंचित

न हों और उनकी जीविका के साधन खत्म न हों। अगर यह सुनिश्चित हो जाए तब मुझे पूरा भरोसा है कि वेश्यावृत्ति अथवा महिला हत्या जैसे सभी अपराध बन्द हो जाएंगे।

इस विधेयक पर चर्चा करते समय हमें किसी मामले से राजनैतिक फायदा उठाने की नहीं सोचनी चाहिए। मैं पुनः मंत्री महोदय से दिवराला कांड की पूरी जांच कराने और अपराधियों को दण्डित करने के लिए अनुरोध करती हूं। यदि इस बात को प्रचारित किया गया तो मुझे विश्वास है कि किसी कानून से ज्यादा निवारक यही होगा और समाज में इसका असर होगा। इन शब्दों के साथ मैं बात समाप्त करती हूं।

[हिन्दी]

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : सभापति जी, में कोई लम्बा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता बल्कि बिल की परिधि में रहते हुए ही आपके सामने दो-तीन सुझाव रखना चाहता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं कि सती प्रथा कभी हमारे धर्म का अंग नहीं थी। वह एक प्रथा कन्वैंशन मात्र थी, जिसको राजा राम मोहन राय के जमाने में काफी डिस्करेज किया गया और एक कानून भी बना। उसके बाद भी 4-6 या 10 साल में यदा-कदा देवराला जैसी घटनाएं हो जाया करती हैं। देवराला में जो कुछ हुआ उसने हिन्दुतान ही नहीं, सारी दुनिया के इन्सानों के दिलों को हिला दिया। मैं माननीय मंत्री जी से कहता चाहता हूं कि उसी तरह की जघन्य हत्याएं डौरी डैथ्स, ड्राइड बर्निंग आदि रूपों में हमारे देश में रोजाना होती हैं। कहीं हाथ बांध कर, शरीर पर तेल छिड़क कर औरत को जिन्दा जलाने की घटनाएं सामने आती हैं, तो इसके लिए आपको एक काम्प्रीहैन्सिव बिल लाना चाहिए। मैं समझता हूं कि हमारे देश की महिलाओं में इस तरह की यदि अवेयरनैस उत्पन्न हो गयी, जिम्मेदारी की भावना विकसित हो गयी, जो ऐसा कानून बनने के बाद सम्भव है तो शायद हिन्दुस्तान में फिर हमें कहीं से भी सती जैसी घटना सुनने को न मिले। मुझे आशा है कि देवराला काण्ड के बाद हमारी मानव जाति उस ओर गहराई से विचार करेगी और फिर उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसलिए मैं मांग करूंगा कि सरकार इस सम्बन्ध में कोई काम्प्रीहैन्सिव बिल लाये ताकि रूपकंवर की भांति मरने वाली सैंकड़ों महिलाओं की सुरक्षा की जा सके, उनके जीवन को बचाया जा सके। हमारे देश में एक बड़ी गलत परम्परा यह रही है, हम, हमारे नेता और समाज के लोग सभी उसमें शामिल हैं कि हम अपने घर में बड़े फाटक पर ताला लगाकर कैदी को तो घर में बंद कर देते हैं परन्तु छोटे छोटे दरवाजे खिड़कियां खोल कर उन्हें भागने का अवसर भी प्रदान करते हैं। यही कारण है कि हमारे देश में अपराधी खुले रूप में भागते रहते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि हमने अभी कुछ समय पूर्व इसी सदन में एन्टीडौरी बिल पास किया, हम सब लोगों ने उसका जोरदार समर्थन किया, उसमें एक व्यवस्था यह भी है कि यदि कोई राजनीतिज्ञ डौरी के मामले में संलिप्त पाया जाए तो वह चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाएगा परन्तु हमारे ब्यूरोक्रेटस के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे आई.ए.एस., आई.पी.एस., आई.एफ.एस. आदि सब लोगों को खुली छूट दे रखी है, उनके बाप जैसे चाहे अपने बेटे के लिए सौदेबाजी करें, उसके लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं है। आखिर हम ऐसा खिलवाड़ करने की आज्ञा ही क्यों देते हैं, क्यों सारे दरवाजे खोलकर रखे हैं। समाज के हर आदमी को इक्वल अपार्चुनिटी की कास्टीटयूशन में

गारंटी है और अगर इक्वेलिटी की परिधि में सबको रखा है, तो समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए ।

मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि पीपुल्स रिप्रजेंटेशन ऐक्ट के सैक्शन 8 में परिवर्तन कर के, राजनीतिज्ञों को अगर सती के कोडिफिकेशन में या सती के सम्बन्ध में, अपराधी या मुलजिम पाया जाता है, तो 5 साल के लिए चुनाव लड़ने का रोक दिया जाएगा, यह प्रावधान किया है । मान्यवर मैं समझता हूं कि यह कम है, मैं तो चाहता हूं कि सारी जिन्दगी चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा यह प्रावधान आना चाहिए । लेकिन साथ में यह भी प्रावधान होना चाहिए, सती के सम्बन्ध में कोई रिटायर्ड आफिसर लिप्त पाया जाता है, तो सारी पेंशन जब्त करली जाएगी । कोई ऐसा आफिसर जिसके घर में यह घटना होती है, यदि वह भारत की प्रशासनिक सेवा में है, तो डिसमिस कर दिया जाएगा, यह कानून भी होना चाहिए । कानून को किसी पर कम, किसी पर ज्यादा किसी को उससे छोड़ देना, ऐसी प्रक्रिया को कभी नहीं चलाया जाना चाहिए ।

इस आगस्ट हाउस में हिन्दुस्तान के कोने-कोने से बड़े विद्वान, बड़े अनुभवी और योग्य लोग हैं, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज भी हम भेदभाव के सजैशन्स देते हैं, । उदाहरण के लिए माननीय चौधरी जी बुरा न मानें, देश की हॉरमनी के लिए..., नेशन की इंटीग्रेशन के लिए, आज हमें एक ऐसा एटमास्फीयर डिवेलप करना चाहिए जिसमें हिन्दू मुसलमान के ऊपर विश्वास करे, मुसलमान हिन्दू के ऊपर विश्वास करे, शेड्यूल्ड कास्ट ठाकुर के ऊपर विश्वास करे, गुप्ता पंडित पर विश्वास करे और पंडित गुप्ता पर विश्वास करे । हमारा यह मांग करना कि गुप्ता अपराधी है इसलिए गुप्ता जज होना चाहिए, महिला अपराधी है, तो महिला जज होनी चाहिए या शेड्यूल्ड कास्ट अपराधी है, तो शेड्यूल्ड कास्ट जज होना चाहिए, यदि ऐसा होगा, तो देश टूट जाएगा । देश के टुकड़े-टुकड़े हो जाएंगे । नैशनल इंटीग्रिटी की बात करना मखौल और मजाक बन जाएगा । मान्यवर मैं बड़े नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि इस महान सदन में आने के बाद सारे देश को अपना देश मानना चाहिए, सारे लोग हमारे भाई हैं बहन हैं, मातायें हैं । एक दूसरे को कान्फिडेंस डिवेलप करना चाहिए । यह भावना जाने ही नहीं देनी चाहिए कि अगर हम शैड्यूल कास्ट हैं, तो जज शेड्यूल कास्ट का ही होगा, तो ही मुझे न्याय मिलेगा, यह बड़े दुख की बात है । अगर इस तरह की बातें इतने बड़े सदन में हम कहते हैं, हमारे मुख से निकलती हैं तो यह अत्यन्त शोचनीय स्थिति है ।

मान्यवर, बात आई स्पेशल कोर्ट्स की । मैं कान्फिडेन्स के साथ कहता हूं कि इस देश में शायद सती के नाम पर पुनरावृत्ति की घटना न हो । स्पेशल कोर्ट कोई मतलब नहीं रखती । आप कोर्ट बनाकर क्या करेंगे, कोई केस ही नहीं होगा । अगर आप स्पेशल कोर्ट बनाने जा रहे हैं तो उसके परव्यू में डावरी डैथ, ब्राइड बर्निंग, इन सारी चीजों को लाइए और इसके बावजूद हम इसलिए पाबन्दी नहीं ला पा रहे हैं, इसलिए नियन्त्रण नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि टाइमबाउण्ड एक्जीक्यूशन हमारा है ही नहीं । मान्यवर, मैं एक किस्सा सुनाना चाहता हूं । न्यायपालिका पर एक प्रहार है । बड़े संजीदा और बड़े सभ्य शब्दों में अंग्रेजी शब्दों में है । उसका रूपान्तर करने से शायद भाव बदल जाए, इसलिए मैं अंग्रेजी में ही सुनाता हूं—

[अनुवाद]

एक भद्र महिला एक न्यायाधीश के पास गई और शिकायत की कि उसके पति ने उसको निर्दयता से पीटा और उसका चेहरा बिगाड़ दिया। न्यायाधीश ने उसके चेहरे को देखा और उससे पूछा : "भद्र महिला, यह कब हुआ ?" महिला ने उत्तर दिया : "महोदय, आज ही।" न्यायाधीश ने उससे कहा : "आपके चेहरे पर चोट के कोई निशान नहीं हैं।" और महिला ने जवाब दिया : "श्रीमानजी मेरे दो गवाह हैं।"

अब हमारे लोकतन्त्र तथा हमारी न्यायिक प्रणाली में पूरी कहानी दो गवाहों पर निर्भर और किसी व्यक्ति के लिए दो गवाह पैदा करना बहुत कठिन है, जिनकी गवाही पर अपराधी को दण्डित किया जा सकता है। इस प्रकार जहां तक इस सम्मानित सदन द्वारा बनाए गए विभिन्न कानूनों के क्रियान्वयन का सम्बन्ध है, यह है कठिनाई जिसका हम अपने दिन-प्रति दिन की जिन्दगी में सामना कर रहे हैं।

[हिन्दी]

सर, एक बात और मैं कहना चाहता हूं। एक मिनट और लूंगा। जैसे पुलिस को अधिकार दिया सरकार ने, तनख्वाह दी, हथियार दिये, सारी सुविधाएं दीं इसलिए कि वह अपराधों पर नियंत्रण करे, इसलिये कि वह अपराधियों को पकड़े, लेकिन जब पुलिस एक बड़े कलप्रिट को पकड़ती है, तो राज्य सरकार उसको पुरस्कार देती है, जबकि इसके लिए ही उसकी नियुक्ति हुई है कि वह अपराधी को पकड़े और अपराध पर नियंत्रण करे, अलग से पुरस्कार देने की कोई बड़ी जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन इस बिल में ऐसी स्थिति आ सकती है जब पुलिस को सूचना देने में देर हो जाए, कलैक्टर को सूचना देने में देर हो जाए, गांव का कोई साहसी युवक हिम्मत कर के, ऐसी घटना को होने से रोकने में अपनी जान गंवा बैठे, या ऐसी इंजरी का शिकार हो जाये जिससे क्रिपल्ड हो जाये, जबकि माना गया है कि उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसा करने से किसी को रोके, तो उसके लिये पुरस्कार की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कोई आदमी हिम्मत कर के आगे बढ़ता है तो मैं समझता हूं कि उसको पुरस्कार देने के लिए कोई प्रावधान इसमें रहना चाहिये।

बाकी सारी बातें कि सती प्रथा क्यों हुई, कब से हुई, यह एक बहुत लम्बा विवरण है। आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। लेकिन मुझे इस सरकार के विवेक पर आश्चर्य है कि यह आशा कर रही है कि ऐसे मामले निकट भविष्य में और बार-बार होते रहेंगे। इस विधेयक में उन अपराधी व्यक्तियों को दण्ड देने का प्रावधान है जिन्होंने अपराध किया है या कर सकते हैं या उनकी तरफ से उकसावा किया गया है या इसी तरह का कुछ किया गया है। यह केवल अपराध किए जाने के बाद ही लागू किया जाएगा। लेकिन सरकार को पता होना चाहिए कि यह कोई निवारक अधिनियम नहीं है, इसे

ऐसा अधिनियम माना जा रहा है जो बन रहा है और यह अपराधी व्यक्तियों को दंडित करेगा, बस यही। लेकिन यह भी किसी अपराध की तरह ही चलता रहेगा। यह है सरकार की समझदारी। यदि सरकार विवेक से काम करती तो वह कोई निवारक विधेयक लाती जो किसी कार्य को रोकता। सरकार पहले यह वचन दे कि पुलिस की उपस्थिति के बगैर कोई भी अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। आप ऐसा कुछ कह सकते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैं इस विधेयक पर नहीं बोल रहा हूं; मै निवारक उपायों की बात कर रहा हूं।

इस सामाजिक प्रथा, "सती प्रथा" जिसकी धार्मिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि है कभी-कभी प्रथा भी हो जाती है। अतः इस प्रथा को, जिसका धार्मिक पृष्ठाधार है और कभी प्रथा भी को कैसे रोका जाए ? अतः सरकार को सर्वप्रथम कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिनसे इन सब प्रथाओं को रोका जा सके और इनका और आगे पालन न किया जाए। देवराला में हुई यह घटना प्रथम तथा अंतिम हो। इस प्रकार सरकार को पहले कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए कि ऐसी घटनाओं को रोका कैसे जाए ?

विवाह पद्धति को ही लीजिए। यदि प्रेमी और प्रेमिका दोनों ही मर जाते हैं तो किसे दंड दिया जाएगा ? यह भी एक प्रकार की प्रथा है। अतः यहां सामाजिक भेद-भाव है। यदि सभी विवाहों को न्यायालय में पंजीकृत कराया जाए तो ऐसी घटनाओं को रोकने के कुछ निवारक उपाय हो सकते हैं। कानूनी विवाह की अनुमति तभी दी जानी चाहिए, जबकि वह पंजीकृत किया गया हो। शायद तभी दहेज प्रथा, अन्य प्रथाओं तथा बहुत सी सामाजिक कुरीतियों को रोका जा सकता है। इस विधेयक से केवल अपराधी को दंड मिलेगा; यह इस प्रकार से होने वाली किसी घटना को नहीं रोक सकेगा। इसी कारण आपको ऐसी घटनाओं को रोकने के उपाय लाने होंगे ताकि ऐसी घटनायें भारत में कहीं भी न हों तथा देवराला की यह घटना पहली तथा अंतिम हो। अतः आपको सभी प्रकार के समाज के लिए एक व्यापक विधेयक, एक सामाजिक आचार संहिता सम्बन्धी कानून लाना चाहिए।

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : केवल जनमत ही इसे रोक सकता है।

श्री पीयूष तिरकी : मैं आपको बता रहा हूं कि सरकार यह आशा कर रही है कि ऐसी घटनाएं घटेंगी तथा जब ऐसी घटनाएं घटेंगी, केवल तभी कानून अपराधी को दंड देगा, आपने केवल यही सब किया है। परन्तु मैं कह रहा हूं कि ऐसी घटनायें और नहीं होनी चाहिएं तथा कानून इस प्रकार से बनाया जाना चाहिए कि घटना घटने के बाद अपराधी को दंड देने के बजाय निवारक उपाय किए जाएं।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह सामाजिक रीति-रिवाजों अथवा विवाह सम्बन्धी रीति-रिवाजों अथवा दहेज के कारण होने वाली मौतों आदि के लिए निवारक कानून बनाए। अंतिम संस्कार के समय पुलिस की उपस्थिति भी अनिवार्य की जानी चाहिए तथा पंडित को बिना पुलिस की उपस्थिति के कुछ भी करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

चाहे जलाओ, गढ़ाओ, जो कुछ भी करो लेकिन पुलिस पहुंच जानी चाहिए।

[अनुवाद]

केवल तभी आप ऐसी घटनाओं को होने से रोक सकते हैं।

मैं एक बार पुनः सरकार से अनुरोध करता हूं कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जानी चाहिएं कि इस कानून को प्रयोग करने की कहीं भी आवश्यकता न पड़े। इसी कारण मैं बार-बार सरकार से अनुरोध कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : सभापति महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया। मैं इस बिल का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जो सती होने की घटना हमें राजस्थान में देखने को मिली वह हमने पहले कभी देखी नहीं थी। ऐसी घटनायें होते देखकर हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। वैसे तो यह बिल बहुत पहले आना चाहिए था। लेकिन फिर भी मैं इसका समर्थन करता हूं। राजस्थान हाइकोर्ट में तो अभी इस मामले पर काफी झगड़ा चल रहा है।

इस बिल में जो भी प्रावीजन किये गये हैं वे बहुत अच्छे किये गये हैं। जो कोई भी सती होने के लिए प्रोत्साहित करेगा उसको भी दंड दिया जायेगा। यह एक अच्छा प्रावधान है। चुनाव लड़ने से वंचित करने का प्रावीजन भी सराहनीय है।

मैं आपको एक बात यह बताना चाहता हूं कि आप शारदा ऐक्ट मैरिज ऐक्ट और दूसरे जितने भी ऐक्ट लाये हैं वह ठीक ढंग से अमल नहीं हो रहे हैं। इनको ठीक से अमल कराने के लिये अधिकारियों को निर्देश दिये जाने चाहिए। इसी प्रकार से दहेज प्रथा को भी समाप्त करने के लिये कदम उठाये जाने चाहियें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती ऊषा ठक्कर (कच्छ) : मान्यवर, यह जो सती निवारण विधेयक लाया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं। सती होना धर्म शास्त्र या वेद में नहीं है। माननीय सदस्यों ने कई उदाहरण इस सम्बन्ध में दिये हैं। मैं सदन का ज्यादा समय इस सम्बन्ध में बोलने के लिये नहीं लूंगी।

युद्ध जीतने वालों ने राजस्थान की महारानी पद्मनी देवी जो बड़ी खूबसूरत थी, को लाज लूटने के लिये जब निशाना बनाया तो पद्मनी देवी के साथ लगभग एक हजार से अधिक सुन्दर महिलाओं ने जौहर किया। यह तो संयोग का तकाजा था कि सती को जो प्रकृति ने वर-दान माता बनने के लिये दिया, वही वरदान श्राप बन गया। मेरे कहने का अर्थ यह है कि उन पूज्यनीय माताओं ने अपनी लाज रखने के लिये जौहर किया लेकिन संयोग से उसके बाद में उसको धर्म का स्वरूप दे दिया गया। महिलायें बहुत इमोशनल होती हैं। उनमें शुरू से ही यह संस्कार डाला गया कि सती होना धर्मसम्मत है। लेकिन जब से हमारी आदरणीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा जी प्रधान मंत्री बनीं तब से हमारे देश की महिलायें जागरूक हो गयी हैं। मगर यदा-कदा कोई किस्सा घट जाता है।

इस बिल में एक प्रावधान ज' कि यह किया गया है कि अगर कोई भी स्त्री सती होने का प्रयास करेगी तो उसके रिश्तेदार भी उसको रोकेंगे यह एक स्वागत योग्य कदम है । टी० वी० माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू किया गया है, उसके लिये भी सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूं । दहेज प्रथा को रोकने के लिये माननीय बाजपेयी जी ने जो कुछ कहा है उनको मानने के लिये मैं माननीय अल्वा जी से विनती करती हूं ।

श्री कम्मोदी लाल जाटव (मुरैना) : सभापति जी, कई माननीय सदस्यों ने अच्छे-अच्छे सुझाव दिये हाउस में, केवल एक बात नहीं कही गई है, कई सदस्यों ने कहा कि वेद शास्त्रों में नहीं लिखा है कि कोई विधवा सती हुई है लेकिन रामायण में दिया गया है कि सुलोचना सती होती है । उत्तर भारत में आज के दिन भी रामलीला में कई हजार नकली सुलोचना सती हो जायेंगी तो मेरा सुझाव है कि रामायण में से वह चौपाई निकाल दी जाय जिसमें सुलोचना के सती होने का वर्णन है ।

मैं इस बिल का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

[अनुवाद]

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : महोदय, मैं उन सभी सदस्यों की आभारी हूं जिन्होंने विधेयक का समर्थन किया है । कुछ सदस्यों ने हमारी समझदारी के सम्बन्ध में, कुछ ने विलम्ब के प्रति आपत्ति उठायी है तथा कुछ सदस्यों ने ठोस सुझाव और संशोधन दिए हैं । इस परामर्श के लिए मैं सभी की आभारी हूं ।

यह विधेयक सत्र के आखिरी दिन ही क्यों प्रस्तुत किया गया इसके कारण मैं बताना चाहती हूं गृह मंत्री ने गृह कार्य संबंधी परामर्शदात्री समिति में यह वायदा किया था कि यह विधेयक संसद के समक्ष इस सत्र के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा तथा उन्होंने यह भी वायदा किया था कि विपक्षी नेताओं से बातचीत के बाद प्रारूप लाया जाएगा । जैसा आप जानते हैं राजस्थान अध्यादेश के पश्चात कुछ मामले न्यायालय में लम्बित थे । इसलिए हमने यह सोचा कि एक बार इन सभी मामलों के निपट जाने के बाद हम संसद के समक्ष एक व्यापक विधेयक ला सकते हैं । मैं यह कहना चाहूंगी कि जो प्रारूप अब हम संसद के समक्ष लाए हैं वह निश्चित रूप से राजस्थान अध्यादेश से बेहतर है जिसे राजस्थान विधान सभा ने पिछले महीने पारित किया था ।

प्रो० मधु दण्डवते : अब भी उसमें सुधार किया जा सकता है ।

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : महोदय, हम इस बात से सहमत हैं कि कानून में हमेशा सुधार किया जा सकता है । हमने यह नहीं कहा कि यही कानून होगा तथा हम बाद में इसमें संशोधन नहीं कर सकते । हमारे यहां महिला संगठन हैं, जो सती के प्रश्न पर विशेषज्ञ हैं उनसे भी हमें सलाह लेनी चाहिए थी । मेरे विचार से ऐसा कोई व्यक्ति या संगठन नहीं है जो इस विषय पर विशेषज्ञ होने का दावा कर सके क्योंकि देवराला में सती की घटना हुई उसने पूरे देश को धक्का लगा है । इसलिए जैसा कि कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया है कि यदि महिला संगठन कानून में सुधार करना चाहते हैं तो वह सुझाव दे सकते हैं । इसलिए जहां तक क्रियान्वयन का सम्बन्ध है हमें सभी का सहयोग चाहिए तथा यह केवल सरकार का ही दायित्व नहीं है ।

इसलिए हमने प्रावधान बनाए हैं। उदाहरणार्थ संसद में चार वर्ष पूर्व परिवार न्यायालयों के लिए एक विधेयक पारित किया गया था। कितनी राज्य सरकारों, जिसमें विरोधी राज्य सरकारें भी शामिल हैं, ने परिवार न्यायालय बनाए हैं ? परिवार न्यायालयों सम्बन्धी कानून में जो परामर्श देने संबंधी व अन्य उपबंध थे उससे महिलाओं की काफी समस्याओं का समाधान हो सकता था। हम मुख्य मंत्रियों को बार-बार यही लिख रहे हैं कि वह परिवार न्यायालयों का गठन करें। दहेज संशोधन विधेयक व अन्य विधेयकों में भी हमने महिला संगठनों को विशेष दर्जा दिया कि पंजीकृत स्वयंसेवी संगठनों को अधिसूचित किया जाए तथा उन्हें इस प्रक्रिया में शामिल किया जाए। मुझे राज्य सरकारों से यह सूचना प्राप्त हुई है कि जिला स्तर पर ऐसा कोई महिला संगठन नहीं है जिसे वह अधिसूचित कर सके। इसलिए विभिन्न समस्यायें भी हैं। ऐसा नहीं है कि केवल मेरा विभाग या सरकार ही कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है, कानून को अधिक अर्थपूर्ण बनाने के लिए विभिन्न एजेन्सियों को भी इस प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए। इसलिए यह न सोचें कि इस विधेयक को पारित करने या प्रस्तुत करने से ही मैं इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित कर सकती हूं।

4.24 म० प०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए।)

जहां तक मुख्य सुझाव का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहूंगी कि मैं इस बात से सहमत हूं कि सती या अन्य बुराइयों की समस्या इस देश में धार्मिक, सामाजिक या अन्य कारणों से स्त्री के दर्जे से ही जुड़ी हुई हैं। परन्तु मेरे विचार से हम उस अवस्था में पहुंच गए हैं जहां हमें एक राष्ट्र के रूप में सभी क्षेत्रों में महिलाओं के दर्जे में सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

एक सुझाव जो दिया गया है वह स्वयं दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के बारे में है। मैं यह बताना चाहूंगी कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 309 आत्महत्या के प्रयत्न से सम्बन्धित है तथा अब तक सभी न्यायालयों ने यही कहा है कि सती होने का प्रयत्न आत्महत्या करने के प्रयत्न के समान है। अब तक जब कोई और कानून नहीं था तब इसी खंड के अन्तर्गत सती के सभी मामले निपटाए जाते थे। न्यायालयों के निष्कर्षों के अनुसार भी यह आत्महत्या के प्रयत्न के समान है। जब तक आप अपराध करने का प्रयत्न करने वाले को सजा देने के लिए तैयार नहीं हैं तब तक मैं आपसे अपराध के लिए उकसाने वालों को सजा देने के लिए कैसे कह सकती हूं। तथा यहां हम यह चर्चा कर रहे हैं कि सती होने में उकसाने वाले व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यदि आप यह कहते हैं कि आत्महत्या का प्रयत्न या सती होना अपराध नहीं है तो आप यह कैसे कह सकते है कि सती के लिए उकसाने वाले का प्रयत्न अपराध है ? तथा अब इसके लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड देने की व्यवस्था की गई है। इसलिए हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि सती अथवा आत्महत्या का प्रयत्न करने वालों को किसी प्रकार का दण्ड दिया जाए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसे हत्या का मामला समझा जाए न कि आत्महत्या का।

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : यदि यह हत्या का मामला है तो यह पूर्ण रूप से अलग बात हो जाती है। यह अपराध का मामला बन जाता है और हमने इसके लिए मृत्यु दंड की व्यवस्था की है।

श्री दिनेश गोस्वामी : आपके उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह कहा गया है कि यह भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के अन्तर्गत समझा जाएगा। यह मुख्य बात है..... **(व्यवधान)**

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : कृपया मुझे अपनी बात कहने का एक मौका दीजिए। मैं इससे सहमत हूं और हमने स्वयं ही उद्देश्यों और स्पष्टीकरण में बताया है कि एक महिला जिसे उसके पति की चिता पर बैठने से बचा लिया गया हो, निश्चय ही उसकी अवस्था अच्छी नहीं होगी, कदाचित यह जानना होगा कि वह बहुधा क्या करती थी या किसी भय या मानसिक दबाव के कारण उसे यह कार्य करने के लिए बाध्य किया गया हो या उसके पास अन्य कोई रास्ता नहीं होगा। हम इस बात से सहमत हैं कि ऐसी बहुत सी परिस्थितियां रही होंगी जिस कारण उसे बाध्य किया गया हो या प्रायः 99% मामलों में उसने इसे सरल किया हो क्योंकि इससे बचने का और कोई तरीका नहीं होगा। उसका यह प्रयास भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत अपराध माना गया है। संरक्षण के तौर पर हमने कहा "अधिक से अधिक एक वर्ष का कारावास।" यहां तक कि मैं यह मानने के लिए तैयार हूं कि इस दंड की अवधि कम की जा सकती थी क्योंकि अधिकांश न्यायालय जहां इस प्रकार के मामले आते हैं वहां एक महिला को एक वर्ष तक का भी दंड कभी भी नहीं देती है, यह दण्ड सदैव न्यायालय के उठने तक अथवा इस तरह की ही कोई दण्ड न्यायालय देता है। परन्तु इसमें हमने एक परन्तुक जोड़ा है जिससे हमारे विचार और स्पष्ट हो जाते हैं। धारा 3 के परन्तुक में यह कहा गया है :—

> "परन्तु इस धारा के अधीन किसी अपराध का विचारण करने वाला विशेष न्यायालय किसी व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराने के पूर्व अपराध किए जाने की परिस्थितियों, किए गए कार्य अपराध से आरोपित व्यक्ति की कार्य करने के समय मानसिक स्थिति और अन्य सभी सुसंगत बातों पर विचार करेगा।"

यह परन्तुक न्यायालय को इस अपराध के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने का पूर्ण सविवेक प्रदान करता है। यही कारण है कि मेरा यह विचार नहीं है कि एक लड़की को, जिसे बचाया गया हो उसे वे सीधे जेल भेज रहे हैं...

श्री दिनेश गोस्वामी : परन्तु उसे सिद्ध दोषी ठहराया जाएगा। न्यायालय को सजा कम करने की शक्ति प्राप्त है, किन्तु उसे सिद्धदोषी तो ठहराया ही जाएगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उस पर मुकदमा चलाया जाएगा।

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : जहां कहीं भी कोई सती का मामला हो, उस पर मुकदमा तो चलाया ही जाएगा, उसकी जांच की जायेगी, उससे जिरह की जाएगी क्योंकि हमें साक्ष्य तैयार करना है। सती की प्रत्येक घटना में वही उसकी मुख्य गवाह होगी। आप उस महिला को लिए बिना मुकद्मा नहीं चला सकते, चाहे वह उस घटी घटना के लिए निर्दोष ही क्यों न हो जब तक उसकी जांच नहीं की जाती आप कैसे जान पायेंगे कि क्या हुआ। अतः इसे रोकने के लिए कोई रास्ता नहीं है मैं महसूस करती हूं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जांच उद्देश्य को पूरा करने के लिए उस असहाय महिला से न्यायालय में प्रश्न पूछे जाने जरूरी हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि हमने यह चर्चा की थी कि न्यायालय के लिए यह आवश्यक हो सकता है कि उसे पकड़ा जाए

और उन परिस्थितियों में तत्काल वातावरण से अलग उसे कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से भिन्न लोगों की निगरानी में किसी होम में रखा जाए। उसको उन लोगों से बचाए जाने के लिए, जहां से उसे बलपूर्वक बचाया गया है और अन्य दबावों के कारण उसको जलने से बचाया अथवा रोका गया हो तो न्यायालय उसे आवश्यक संरक्षण देने के लिए उसके परिवार से दूर किसी अन्य 'होम' में कुछ समय के लिए किसी की निगरानी में रखेगी। उससे अदालत को आगे कार्यवाही करने में मदद मिलेगी।

श्रीमती गीता मुखर्जी : आखिरकार आप 'परिस्थितियां' शब्द से पूर्व 'बाध्यकारी' शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करते और 'बाध्यकारी परिस्थितियां' क्यों नहीं कहते ?

सभापति महोदय : आप उससे पूछ सकते हैं कि आप खण्डों में कब संशोधन कर रहे हैं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, परिस्थितियों के मामले में इसे स्वीकार किया गया है। आप इसे "बाध्यकारी परिस्थितियां" क्यों नहीं कहते, आदि कोई है तो ?

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्योंकि हम इस खण्ड को हटा देना चाहते हैं। यही कठिनाई है ?

सभापति महोदय : आप उस आधार पर कह सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : उस आधार पर आप कह सकते हैं कि जो इसके पक्ष में हैं 'हां' कह सकते हैं और जो इसका समर्थन नहीं करते 'नहीं' कह सकते हैं। संशोधन अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : आप ऐसा अनुमान क्यों लगा रहे हैं ?

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : महोदय, दूसरा जो मुद्दा उठाया गया है वह 20 वर्ष की अवधि के बारे में है। मैं समझती हूं कि इसे वे गलत समझ रहे हैं। हम किसी भी मंदिर या इमारत को विमुक्त नहीं कर रहे हैं, चाहे वह कितना ही पुराना या नया क्यों न हो। राजस्थान सरकार के अध्यादेश में यह स्पष्ट कर दिया गया था।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : वह अध्यादेश में नहीं है।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : मूलतः यह अध्यादेश की धारा 19 में था। बाद में इसका विखंडन कर दिया गया और अब इसे हटा दिया गया है, इसलिए उस अधिनियम में दी गयी सभी विमुक्तियां अब अविधिमान्य हो गयी हैं। कोई विमुक्तियां नहीं रह गई हैं। उस अर्थ में यह मूल राजस्थान अधिनियम का सुधार है क्योंकि यहां हमने कहा है कि इमारत के संबंध में एक विभाजक रेखा है। आप कह सकते हैं कि विभाजक रेखा क्यों होनी चाहिए ऐसा इसलिए है क्योंकि व्यवच्छेदन अवस्था होनी चाहिए और जो इमारतें 20 वर्ष या अधिक समय से विद्यमान हैं। उनके बारे में राज्य सरकार के प्राधिकरण कार्य करेंगे जबकि जो 20 वर्ष से कम समय से विद्यमान रही हैं उनसे संबंधित कार्य स्थानीय स्तर पर कलेक्टर या जिला मैजिस्ट्रेट करेंगे फिर जैसी भी स्थिति हो। 20 वर्ष से कम का मतलब है इसके तुरन्त बाद, आज भी हो सकता है या आने वाला या बीता हुआ कल भी हो सकता है। परन्तु जो 20 वर्ष से अधिक से है उनसे संबंधित कार्य राज्य सरकारों के आदेशानुसार होंगे। हमने एक मात्र यही वर्गीकरण किया है। 20 वर्षों से अधिक समय से विद्यमान मन्दिरों या इमारतों के लिए कोई विमुक्ति नहीं दी गई है। मैं समझती हूं कि इसका स्पष्टीकरण कर दिया गया है और इसमें कोई गलतफहमी नहीं है।

महोदय, एक दूसरा मुद्दा जो बार-बार उठाया गया है वह सतर्कता समिति के बारे में है। नियम निर्माण की शक्ति तो है। और समाज कल्याण संगठन विद्यमान है और आप इस बात से सहमत होंगे कि देश के प्रत्येक जिले में इस प्रकार के प्रचलन की वास्तव में समस्या है। इसलिए उन जिलों में जहां पर समस्या है, सार्वजनिक राय बनाने और अपराधों की ऐसी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए समितियों, महिला संगठनों, स्वैच्छिक निकायों इत्यादि की स्थापना स्थानीय कलेक्टर पर निर्भर करती है। दूसरी बात जो उठायी गयी थी, वह धारा 4, खण्ड 2 (घ) में "साशय" शब्द के बारे में श्रीमती गीता मुखर्जी और मेरी सहकर्मी श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी के द्वारा दिये गये संशोधन के बारे में है। हम इस संशोधन को स्वीकार कर रहे हैं और हम अनुभव करते हैं कि उसे अपराध के कार्य क्षेत्र में लाया जाना चाहिए और जो भी व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त हो जाता है फिर चाहे वह साशय हो अथवा नहीं उसको इसकी कीमत चुकानी चाहिए और हम इस संशोधन को स्वीकार कर रहे हैं। (**व्यवधान**) जो भी संभव और तर्कसंगत हैं, हम उसे सम्मिलित करने का प्रयास कर रहे हैं और मैं यह भी कहूंगी कि जब प्रारूप परिचालित किया गया था तो आपके समक्ष रखा गया था और हमने विपक्ष के नेताओं के साथ चर्चा की थी...।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) :उस समय प्रारूप परिचालित नहीं किया गया था, केवल विधेयक के मुख्य मुद्दे परिचालित किए गए थे।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : ठीक है। मुख्य मुद्दों पर आपसे चर्चा की थी और उसके बाद प्रारूप को दुबारा परिचालित करने की कोई सम्भावना नहीं थी क्योंकि आपसे परामर्श के बाद।

श्री दिनेश गोस्वामी : प्रारूप को बदल दिया गया है। प्रारूप में धारा 3 में "स्वैच्छिक" शब्द था। अब आपने हमसे परामर्श किए बिना उस प्रारूप को बदल दिया है।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : ऐसा हो सकता है। उसके कुछ कारण रहे होंगे, जिसके लिए, यदि आवश्यक रहा होगा तो एक या दो शब्द बदल दिए गए हैं परन्तु श्री चिदम्बरम से उनकी चर्चा की गयी थी। वे सम्भवत: इसका स्पष्टीकरण देंगे। (**व्यवधान**)

महोदय, इसमें एक और बात है जिसे बार-बार उठाया गया था और वह यह है कि यह अधिनियम तभी लागू होगा जब अपराध हो चुका होगा और इसे रोकने का हमारे पास कोई उपबंध नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगी कि धारा 6, अर्थात इस विधेयक का भाग 3, अपराध को जब या तो इस बात का डर हो या सूचना हो कि अमुक घटना या अपराध होने वाला है, रोकने की शक्ति देने का पर्याप्त उपबंध करता है। और उसमें प्रतिषेधात्मक खण्ड भी है और मैं यह कहना चाहूंगी कि जहां तक संज्ञेय या गैर जमानती होने का संबंध है, यहां फिर गलतफहमी दिखायी देती है क्योंकि किसी भी अपराध के लिए सात या अधिक वर्षों के लिए कैद, आजीवन कारावास या मृत्यु दंड की सजा है जो स्वत: ही संज्ञेय तथा गैर जमानती है। यहां हमने इसका उल्लेख नहीं किया है परन्तु भारतीय दंड संहिता के उपबन्ध स्वत: ही लागू हो जाते हैं और इसलिए...।

श्री सोमनाथ रथ : दंड प्रक्रिया संहिता।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : जी हां, दंड प्रक्रिया संहिता। मुझे क्षमा करें, भूल सुधारने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूं। यह दण्ड प्रक्रिया संहिता है और इसलिए हटाई गई शंका के बारे में, मैं समझती हूं, आप संतुष्ट हैं।

डा० फूलरेणु गुहा : महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा।

सभापति महोदय (श्री शरद दिघे) : *पहले उन्हें कह लेने दीजिए। फिर आप पूछ सकते* हैं। मैडम कृपया आप अपना भाषण पूरा करें। उसके बाद मैं उन्हें पूछने की अनुमति दूंगा।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : जी हां, मैं उत्तर दे रही हूं। एक मिनट।

महोदय, एक सदस्य ने कहा था कि यह कानून एक विशेष समुदाय के विरुद्ध बनाया जा रहा है अथवा देश के एक विशेष भाग में एक समुदाय को अलग किया जा रहा है। मैं बताना चाहती हूं कि ऐसा नहीं है। यह परिपाटी या आप इसे जो भी कहें, मैं इसे एक अपराध कहूंगी, देश के किसी एक विशेष समुदाय, या जाति अथवा देश के किसी विशेष भाग तक सीमित नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं विभिन्न समुदायों द्वारा भिन्न-भिन्न समय पर इस प्रथा का पालन किया जा रहा है और अब इसे पूरे राष्ट्र में बिना किसी अपवाद के लागू किया जायेगा इसलिए ऐसा महसूस नहीं किया जाना चाहिए कि यह किसी विशेष समुदाय अथवा वर्ग के लिए है। (व्यवधान)

महोदय, विधवाओं के पुनर्वास के लिए एक प्रश्न उठाया गया है जिसका इन उपबंधों से कोई सीधा संबंध नहीं है। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह एक ऐसा विषय है जो हमारे विभागों के लिए न केवल हमारे विभागों के लिए बल्कि समाज कल्याण संबंधी संगठनों के तथा अन्यों के लिए भी चिन्ता का विषय रहा है। जैसा कि पहले भी कहा है कि राजस्थान सरकार ने सबसे पहले घोषणा की थी कि सरकारी सेवाओं में विधवाओं को रोजगार देने में आयु सीमा नही होगी और उनको रोजगार रोजगार कार्यालय के माध्यम से नहीं दिया जाएगा। यह दुर्घटना होने के तत्काल बाद ऐसा किया गया और मैंने राजस्थान सरकार के यह आदेश तत्काल प्राप्त किए और देश के सभी मुख्य मंत्रियों को इस अपील के साथ भेजे कि वे भी अपने राज्य में इस प्रकार के आदेश क्रियान्वित करें और मुझे आशा है कि संसद सदस्य यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त दबाव डालेंगे कि विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में भी इनका अनुपालन हो और राजस्थान तथा एक या दो अन्य सरकारों द्वारा परित आदेशों की भांति दूसरी राज्य सरकारें भी इन्हें पारित करें।

श्री राम सिंह यादव : लेकिन विधवा को जब तक नियमित सरकारी नौकरी नहीं मिल जाती है तब तक भरण-पोषण भत्ता देने का भी उपबंध किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया आप बाद में बोलिए। उन्हें अपना वक्तव्य समाप्त करने दीजिए।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : एक अन्य प्रश्न "गौरवान्वयन की परिभाषा का है जिसे बार-बार उठाया जा रहा है। सदस्यों ने कहा है कि चलचित्र, वीडियो रिकार्डिंग और चित्रों, आदि-आदि जैसी वस्तुएं इसकी परिभाषा में शामिल नहीं की गई हैं। मैं यह बताना चाहती हूं कि यह सुविस्तृत नहीं है बल्कि व्याख्यात्मक है। हमने यहां पर स्पष्ट रूप से बताया हैं, 'और अन्य कोई बात'। हमने इसे पर्याप्त विस्तृत बनाया है। लेकिन इसके अलावा कुछ अन्यों ने कहा है कि दान को छोड़ दिया गया है। ऐसी बात नहीं है। दान 'गौरवान्वयन' की परिभाषा के अंतर्गत आ जाएगा क्योंकि धन, अथवा अन्य किसी प्रकार का दान इस

उद्देश्य का समर्थन करेगा। जहां तक अन्य वस्तुओं, वीडियो फिल्मों और अन्य का संबंध है हमने उन्हें 'प्रथा का प्रचार करना' वाक्यांश के अन्तर्गत शामिल किया है। यह प्रचार किसी भी रूप में चित्रों, मूर्तियों, प्रतिमाओं अथवा किसी भी माध्यम से हो सकता है। हमने इसे सुविस्तृत नहीं बनाया है बल्कि व्याख्यात्मक बनाया है। और मेरे विचार से जहां तक संभव हो सका है आपने जिन बातों का उल्लेख किया है वे इस परिभाषा के अंतर्गत आ जाती हैं।

प्रो० मधु दंडवते : केशवानंद निर्णय की भांति।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : जब नियम बनाए जाते हैं आप इन बातों का उल्लेख करते हैं।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : हमने जहां भी आवश्यक हो वहां विशेष न्यायालय स्थापित करने और विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए तथा नियम बनाने की शक्ति के लिए अधिनियम में ही प्रावधान किया है जैसा कि हमने कहा है यह तत्काल लागू हो जाएगा। हम नियम बनाएंगे और उनकी घोषणा करेंगे। लेकिन प्रत्येक राज्य में वास्तविक क्रियान्वयन राज्य सरकार का दायित्व हो जायेगा हमारी कोई समस्या नहीं है। हम भी इसे उतनी ही जल्दी क्रियान्वित करने के लिए उत्सुक हैं जितनी जल्दी आप। इस आधार पर कोई विलम्ब नहीं हुआ है। हम प्रारूप नियमों के बारे में पहले ही कार्य कर रहे हैं और जब भी दोनों सदन विधेयक पारित कर देंगे और अधिनियम बन जायेगा तो नियमों की घोषणा कर दी जाएगी।

इसलिए इसके पहले भाग में अर्थात 'सती' की परिभाषा में, राजस्थान अधिनियम में दी गई परिभाषा में सुधार किया गया है क्योंकि इसके पारित होने के बाद हमारे नोटिस में यह बात लाई गई कि वहां ऐसे भी मामले हुए हैं जिनमें महिलाओं को कभी-कभी केवल जलाया ही नहीं गया बल्कि दफनाया गया है। हमारे पास कुछ ऐसे ही मामले हैं जिनमें महिलाओं को न केवल उनके पति के साथ जलाया गया है बल्कि कभी-कभी उसके सौतेले पुत्र, भाई अथवा अन्य किसी रिश्तेदार या किसी वस्तु के साथ जलाया गया है। यदि पति की मृत्यु कहीं बहुत दूर होती है या तो उसकी अस्थियों या कपड़ों अथवा अन्य वस्तुओं के साथ उसे जलाया गया। इन सभी बातों को शामिल करने के लिए हमने केवल 'विधवा' ही नहीं लिखा बल्कि इसे यथासम्भव विस्तृत बनाने के लिए हमने कोई स्त्री और उसके रिश्तेदार अथवा अन्य वस्तुएं लिखा है ताकि कोई भी किन्हीं कमियों के कारण बच न सके।

प्रो० मधु दंडवते : अन्य वस्तुओं में 'प्रेमी' भी शामिल है। (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : उन्हें यह याद है।

श्री दिनेश गोस्वामी : आपने क्या किया है कि श्री दंडवते "सता" होने की धमकी दे रहे हैं ?

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : अनेक संशोधनों का सुझाव दिया गया है। हमने उन्हें देखा है, कम से कम सबका अध्ययन किया है। मेरे ख्याल से अपने भाषण में मैंने अधिकांश प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। जैसा कि मैंने कहा है कि जैसे-जैसे खंडवार चर्चा होगी मैं स्वयं कुछ संशोधन प्रस्तुत करूंगी। इनमें मुख्य कुछ शब्दों के बारे में हैं जैसे कि 'कोई स्त्री सती होती है' के स्थान पर हम 'जिसके लिए सती हुई है' रख रहे हैं। इसे इसलिए प्रतिस्थापित किया गया है क्योंकि 'स्त्री सती होती है' पूर्णतः स्वैच्छिक कार्य प्रतीत होता है। इसलिए हम इसे बदल कर, जिस व्यक्ति के लिए सती

हुई है, कर बदल कर रहे हैं क्योंकि यह महिला के विरुद्ध अपराध है न कि वह अपनी इच्छा से ऐसा करती है।

खंडवार चर्चा के समय मैं एक या दो महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्तुत करूंगी। इन शब्दों के साथ मैं आपके सहयोग के लिए एक बार फिर धन्यवाद देती हूं और इन उपायों को क्रियान्वित करने के लिए आपका सहयोग चाहती हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सती होने के और उसके गौरवान्यवन के अधिक प्रभावी निवारण के लिए और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : सभा अब विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

खंड-2—परिभाषा

सभापति महोदय : खंड-2 के लिए श्री इन्द्रजीत गुप्त, श्रीमती गीता मुखर्जी, श्री नारायण चौबे, श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह और श्रीमती मारग्रेट आल्वा के संशोधन हैं।

सभापति महोदय : श्रीमती गीता मुखर्जी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत कर रही हैं ?

श्रीमती गीता मुखर्जी : जी हां, मैं प्रस्तुत कर रही हूं।

सभापति महोदय : श्रीमती विभा घोष गोस्वामी, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रही है ?

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी : जी हां, मैं प्रस्तुत कर रही हूं।

सभापति महोदय : श्रीमती मारग्रेट आल्वा, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रही हैं ?

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : जी हां, मैं प्रस्तुत कर रही हूं।

सभापति महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्त। वे उपस्थित नहीं हैं। श्रीमती गीता मुखर्जी।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

पृष्ठ 2,—

(i) पंक्ति 16 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

"(iv) सती की स्मृति को चिरस्थायी बनाने वाले अथवा स्वतः सती के गौरवान्वयन का प्रयास करने वाले चित्रों, पेम्फलेटों, वीडियो कैसेटों या अन्य सामग्री का निर्माण अथवा विक्रय करना था।"

(ii) पृष्ठ 2, पंक्ति, 17,—

"(iv)" के स्थान पर "(v)" प्रतिस्थापित किया जाये।(15)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 20 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

"(vi)" उप-खंड (iv) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए भूमि दान देना अथवा बेचना या किसी ऐसे न्यास अथवा निधि का सदस्य होना या ऐसे न्यास या निधि में दान देना, जिसका एक उद्देश्य सती को शाश्वत बनाना या गौरवान्वित करना हो," (16)

माननीय मंत्री जी ने यह कहते हुए कि इन सबको शामिल कर लिया है, अग्रिम उत्तर दिया है। किंतु फिर भी मैं यह संशोधन प्रस्तुत कर रही हूं क्योंकि यह गौरवान्वित करने का एक बहुत जनप्रिय और व्यापक रूप है। इसीलिए, मैंने सोचा, कि इसका विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए। मैंने इसका विशिष्ट उल्लेख किया है। इसीलिए मुझे इसका उल्लेख करना पड़ा और मैं समझती हूं कि इसका उल्लेख किया जाना चाहिए।

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी : महोदय, मैं प्रस्तुत करती हूं :—

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 20 के पश्चात्

"(v) निधियों का दान करना या भूमि का दान करना" अन्तःस्थापित किया जाये। (21)

मैं निधियों के दान या भूमि के दान के बारे में विधेयक का यह संशोधन प्रस्तुत करना चाहती हूं। माननीय मंत्री जी ने स्पष्टीकरण दिया है किंतु फिर भी यह होना चाहिए। इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

सभापति महोदय : मैं श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 15 और 16 सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सं० 15 और 16 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : मैं श्रीमती विभा घोष गोस्वामी द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं० 21 सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सं० 21 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

संशोधन प्रस्तुत किए गए :

पृष्ठ 2, पंक्ति 3,—

"चाहे सती हो" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"चाहे ऐसी सती हुई हो" (27)

पृष्ठ 2, पंक्ति 17,—

"दहन" के स्थान पर "दहन करने का कार्य" प्रतिस्थापित किया जाये। (28)

पृष्ठ 2, पंक्ति 29,—

"सती होने वाली स्त्री" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"व्यक्ति जिसके लिए स्त्री सती हुई" (29)

(श्रीमती मारग्रेट आल्वा)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 3—सती होने का प्रयास

सभापति महोदय : श्री दिनेश गोस्वामी के संशोधन हैं । क्या आप प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं प्रस्तुत कर रहा हूं ।

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : नियम 345 के अंतर्गत मैंने एक आवेदन पत्र दिया है । चूंकि आवश्यक सूचना देने के लिए समय नहीं दिया गया था, मैंने उस सूचना अवधि की शर्त को समाप्त करने के लिए अनुरोध किया है ।

सभापति महोदय : मुझे क्षमा करें । समय की शर्त को समाप्त नहीं किया गया है और जिस नियम को आप उद्धृत कर रहे हैं वह लागू नहीं होता । आपका संशोधन मुझे नहीं भेजा जा रहा है ।

श्री शान्ताराम नायक : वह संशोधन क्या है ?

सभापति महोदय : संशोधन क्या है, यह प्रश्न नहीं है । संशोधन समय पर नहीं दिया गया है ।

श्री शान्ताराम नायक : इसलिए मैंने विलंब को क्षमा करने तथा सूचना की शर्त को समाप्त करने के लिए कहा है । मामला स्त्रियों से संबंधित है ।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : मुझे कोई समस्या नहीं है ।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय को कोई समस्या नहीं है । मैं इसे सभा के सामने रखूंगा कि इस संशोधन को प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किया जाये ।

अनेक माननीय सदस्य जी हां ।

श्री शान्ताराम नायक : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"पृष्ठ 2, पंक्ति 11,—

"एक वर्ष" के स्थान पर "छः महीने" प्रतिस्थापित किया जाये" (35)

मेरे कारण ये हैं । इस विधेयक में सती होने वाली स्त्री को एक वर्ष की कैद का प्रस्ताव है ।

वास्तव में व्यक्तिगत रूप से मैं तो कहूंगा कि कोई दण्ड नहीं दिया जाना चाहिए। इस संशोधन में, मैं उस दण्ड को एक वर्ष से कम करके 6 महीने करने की मांग कर रहा हूं।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : महोदय, मैं उस संशोधन को स्वीकार करने को तैयार हूं।

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, मैं प्रस्तुत करता हूं कि :

पृष्ठ 2, पंक्ति 41,—

"सती" से बाद निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—
"अपनी ओर से किसी प्रकार का विरोध किये बिना" (10)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 45 के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"परन्तु यदि सती होने का प्रयत्न करने वाले व्यक्ति के मन की दशा प्रतिरोध करने की न हो, तो यह समझा जाएगा कि उसने प्रतिरोध किया है।" (34)

महोदय, मैं खण्ड 3 के लिए ये संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं। वास्तव में, श्रीमती मारग्रेट आल्वा द्वारा प्रस्तुत संशोधनों के बाद खण्ड 3 बहुत अजीब सा बन गया है क्योंकि अन्य सभी खंडों में, अब आपने शब्द बदल दिए हैं—"सती होने" के स्थान पर आपने "व्यक्ति, जिसके द्वारा सती होने के लिए बाध्य किया गया" यह संकेत करते हुए कि हम उस स्थिति को स्वीकार नहीं करते जिसमें संबंधित व्यक्ति वास्तव में सती हुआ। अब खण्ड 3 का प्रभाव यह है कि जहां कोई व्यक्ति जलती हुई चिता में पहुंचाया जाता है, उसके विरुद्ध अपराध किया गया है, वह कोई अपराध नहीं करती। वास्तव में, इस विधेयक का प्रयोजन बहुत स्पष्ट है। वह कोई अपराध नहीं करती। जो भी अपराध होता है उसके प्रति होता है। किंतु मैं इस कठिनाई को समझता हूं कि जब तक हम इसे अपराध नहीं मानते, दुष्प्रेरण को अपराध नहीं बनाया जा सकता।

इसीलिए, श्री चिदम्बरम मेरी बात को सुनेंगे, जब हमने चर्चा की थी तो 'स्वैच्छिक' शब्द वहां था। हम चाहते थे कि जो लोग स्वेच्छा से सती होते हैं वे अधिनियम के अंतर्गत आ जायेंगे। फिर यह समस्या आई कि स्वेच्छा से सती होने की धारणा से हम सहमत नहीं हैं। हम इसे नहीं मानते। अब स्थिति यह होगी, जैसा कि आपने कहा है कि जो भी लड़की सती होने का प्रयास करेगी, जो कार्य स्वेच्छा से नहीं किया जाता है, उसके रिश्तेदारों के द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य किए जाने पर उस पर मुकदमा किया जाएगा। उसे दोषी सिद्ध किया जायेगा। न्यायालय के पास शक्ति है। आपने संशोधन को स्वीकार किया है। दण्ड की सीमा 6 माह होगी। लेकिन उसे दोषी सिद्ध किया जायेगा। आप दोष सिद्धि को रद्द नहीं कर सकते। सजा बहुत नाममात्र की हो सकती है। यह भी हो सकता है कोई सजा न मिले। मैं समझता हूं जिस व्यक्ति को जलती हुई चिता तक जाने के लिए मजबूर किया गया था उसे भी आप दोषी सिद्ध करना चाहते हैं। इसीलिए मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है और मेरा संशोधन है कि 'स्वेच्छा' शब्द के स्थान पर, जिसे मैं समझता हूं कि उचित नहीं है, मैंने यह कहा है कि यदि वह "बिना किसी प्रतिरोध के स्वयं ही सती होती है और यह जानते हुए कि हो सकता है कि वह प्रतिरोध करने की मानसिक स्थिति में नहीं भी हो सकती, मैंने यह संशोधन भी दिया है कि बशर्ते यदि सती होने का प्रयास करने वाला व्यक्ति प्रतिरोध करने की मानसिक स्थिति में नहीं है, यह माना जाएगा कि उसने प्रतिरोध किया..." मैं यह कह रहा हूं कि ऐसे मामले में जांच के दौरान

यह बात सामने आ सकती है कि उसने प्रतिरोध किया या वह प्रतिरोध नहीं कर सकी, तो उस पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और उसे दोषी नहीं सिद्ध किया जायेगा। मैं लड़की का बचाव कर रहा हूं और वह खण्ड है जिसे मैं बना रहा हूं। मैं समझता हूं कि यदि आप ऐसा नहीं करते तो लड़की को मुकदमे की समस्या का सामना करना पड़ेगा। आप मुकदमे की समस्या को जानते हैं। इसके अलावा इस लड़की को सहारा देने वाला कोई नहीं होगा। उसका अपना परिवार भी उसके विरुद्ध होगा; उसके पिता तथा ससुराल वाले उसके विरुद्ध होंगे और उन परिस्थितियों में उसे दोषी सिद्ध करना और उस पर मुकदमा चलाना उसके लिए दोहरी सजा है।। इसलिए, मैं नहीं समझता कि सरकार इस संशोधन को स्वीकार करने के लिए तैयार क्यों नहीं है।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : मैंने पहले भी उल्लेख किया है कि सिर्फ इसलिए कि आपने खण्ड 3 प्रस्तुत किया है, पूरी घटना के संबंध में मुकदमे का प्रश्न समाप्त नहीं हो जाता। जांच-पड़ताल तो होगी। किंतु अंत में मुकदमे में उसे निर्दोष करार दिया जायेगा किंतु उससे पहले...।

(व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं उसे अभियुक्त के रूप में नहीं चाहता। मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा। श्रीमती आल्वा, कानूनी पृष्ठभूमि यह है। क्या आप समझते हैं कि एक गवाह और अभियुक्त एक ही बात है? क्या आप उन दोनों को एक साथ रखते हैं?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : वह सब ठीक है। वे स्वीकार नहीं कर रहीं।

सबसे पहले मैं श्री दिनेश गोस्वामी के संशोधन सभा मतदान के लिए रखता हूं—संशोधन सं० 10 और 34 दोनों एक साथ रखे जायेंगे।

श्री दिनेश गोस्वामी : श्रीमान् सरकार सती का संशोधन प्रस्तुत कर रही है। यह समस्या है।

सभापति महोदय : अब मैं श्री दिनेश गोस्वामी द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं० 10 और 34 सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 10 और 34 सभा में मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : अब मैं श्री शान्ताराम नायक द्वारा प्रस्तुत संशोधन सभा के मतदान के रखूंगा। प्रश्न है कि—

"पृष्ठ 2, पंक्ति 43,—

" 'एक वर्ष' के स्थान पर 'छः मास' प्रतिस्थापित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : मैं खण्ड 3, संशोधित रूप में...

श्रीमती गीता मुखर्जी : श्रीमान् मैं एक स्पष्टीकरण चाहती हूं। इस खण्ड के विलोपन के लिए हमने एक संशोधन दिया था। किंतु, मैंने अपने भाषण के दौरान मंत्री महोदय को सुझाव दिया था और चाहा था कि इस अन्तिम पंक्ति कि "परिस्थितियों को ध्यान में रखना" को सापेक्ष बनाया जाये।

मैं चाहती हूं कि "परिस्थितियां" शब्द से पहले "बाध्यकारी" शब्द आये। यही संशोधन है जिसका मैं प्रस्ताव कर रही हूं।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : इससे उसका स्वरूप सीमित हो जाएगा। हम "बाध्यकारी परिस्थितियों" तक सीमित करने के बजाय न्यायाधीश के लिए व्यापक संभावनायें रहने देना चाहते हैं। अब इसकी संभावनायें व्यापक हैं।

सभापति महोदय : सभा के समक्ष कोई औपचारिक संशोधन नहीं है। इसलिए इसे सभा के समक्ष मतदान के लिए रखने का प्रश्न ही नहीं है।

प्रश्न है :—

"कि खण्ड 3 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 4—सती का दुष्प्रेरण

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

पृष्ठ 3, पंक्ति 22,—

"और इस प्रकार" के स्थान पर "अथवा" प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

पृष्ठ 3, पंक्ति 29,—

"सक्रिय" का लोप किया जाए। (2)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 34 के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"(ज) सती होने के निवारण के लिए कोई कदम उठाने के किसी सामाजिक संगठन या व्यक्ति के कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा पहुंचाना या हस्तक्षेप करना।"(3)

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि—

पृष्ठ 3, पंक्ति 27,—

"जानबूझकर" शब्द का लोप किया जाए। (22)

[हिन्दी]

श्री राम बहादुर सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

पृष्ठ 3, पंक्ति 34 के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

"(ज) सती होने के निवारण के लिए कोई कदम उठाने के किसी सामाजिक या महिला कल्याण संगठन या व्यक्ति के कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा पहुंचाना या हस्तक्षेप करना।" (23)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ रथ : आरंभ में, मैं सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि इस विधेयक पर चर्चा के दौरान मैंने सुझाव दिया था कि दुष्प्रेरण के लिए दंड, यदि कोई सती हुई है, मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास होना चाहिए और उसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

अब मैं यह कहना चाहता हूं। खण्ड 4(2)(ग) का पाठ निम्नलिखित है :—

"किसी विधवा या स्त्री को, सती होने के उसके संकल्प में दृढ़ बने रहने के लिए प्रोत्साहित करना और इस प्रकार उसे सती होने के लिए उकसाना।"

यहां "और इस प्रकार" शब्दों के स्थान पर "या" होना चाहिए।

फिर खण्ड 4(2)(ङ) में लिखा है :

"उस स्थान पर, जहां सती हो रही है, ऐसे सती होने के लिए सक्रिय सहभागी के रूप में या उससे संबंधित किसी अनुष्ठान में उपस्थित होना;"

मेरा संशोधन है कि "सक्रिय" शब्द हटा दिया जाए क्योंकि एक वकील के नाते आदमी जानते हैं कि यह व्याख्या की जायेगी कि सहगामी सक्रिय था या नहीं। इसलिए "सक्रिय" शब्द का लोप किया जाना चाहिए।

मेरा तीसरा संशोधन यह है। माननीय सदस्य श्री पीयूष तिरकी यह जानना चाहते थे कि क्या निवारण के लिए कोई उपबंध था। निश्चय ही निवारण के लिए एक उपबंध है और वह है खंड 4(2)(छ), जिसमें लिखा है :

"सती होने के निवारण के लिए कोई कदम उठाने के पुलिस के कर्त्तव्यों के निर्वहन में बाधा पहुंचाना या हस्तक्षेप करना।"

मेरा संशोधन एक अन्य उपखण्ड, अर्थात् (ज) को जोड़ने के लिए है, जो निम्नानुसार है—

"सती होने के निवारण के लिए कोई कदम उठाने के लिए किसी सामाजिक संगठन या व्यक्ति कर्त्तव्यों के निर्वहन में बाधा पहुंचाना या हस्तक्षेप करना।"

मैं समझता हूं कि सरकार इसे स्वीकार करेगी क्योंकि इससे स्वैच्छिक संगठनों या किसी व्यक्ति के इस अपराध के निवारण के लिए सामने आने में संभावना बढ़ेगी।

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी : मेरे संशोधन सं० 22 में मैंने "जानबूझकर" शब्द का लोप करने के लिए कहा है क्योंकि अन्यथा इसमें कमियां रह जायेंगी। मंत्री जी ने पहले ही इसे स्वीकार कर लिया है।

[हिन्दी]

श्री राम बहादुर सिंह : माननीय, हम सभी की चिंता है कि जल्दी से जल्दी इस तरह के जघन्य अपराध पर रोक लगाई जाए। लेकिन केवल कानून बनाने से ही रोक नहीं लगेगी। इसके लिए जरूरी है कि महिलाओं का भी सहयोग लिया जाए। मेरे इस संशोधन से महिलाओं में विश्वास पैदा होगा कि हम इस अपराध को रोकना चाहते हैं। हमारे संरक्षण की व्यवस्था है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार को इस संशोधन को मान लेना चाहिए।

[अनुवाद]

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : जहां तक श्रीमती विभा घोष गोस्वामी के संशोधन का सम्बन्ध है, हम उन्हें स्वीकार कर चुके हैं। उठाए गए अन्य मुद्दों पर अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनाते समय विचार किया जाएगा।

श्री सोमनाथ रथ : नियम अधिनियम से बाहर नहीं जा सकते।

सभापति महोदय : अब मैं श्री सोमनाथ द्वारा प्रस्तुत संशोधन सभा में मतदान के लिए पेश करता हूं।

श्री सोमनाथ रथ : महोदय, मैं अपने संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

5.00 म० प०

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 1, 2 और 3 सभा की अनुमति से वापस लिए गए।

सभापति महोदय : मैं अब श्रीमती विभा घोष गोस्वामी द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि :

पृष्ठ 3, पंक्ति 27,—

'जानबूझकर' शब्द का लोप किया जाए। (22)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

श्री राम बहादुर सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं।

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 34 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाए—

"(ज) सती होने के निवारण के लिये कोई कदम उठाने के किसी सामाजिक या महिला कल्याण संगठन या व्यक्ति के कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा पहुंचाना या हस्तक्षेप करना।" (23)

सभापति महोदय। अब मैं श्री राम बहादुर सिंह द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं० 23 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 23 सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : हम खंड 5 को विचार के लिए लेते हैं। श्रीमती विभा घोष गोस्वामी।

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी : मंत्री जी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि यह स्वत: ही संज्ञेय और गैर-जमानती है, इसलिए मेरे विचार में इससे मामला स्पष्ट हो जाता है।

सभापति महोदय : क्या आप संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रही हैं ? मैं खण्ड 5 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 5-क

सभापति महोदय : हम श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा सुझाए गए खण्ड 5-क को विचार के लिए लेते हैं, संशोधन संख्या 17 :

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करती हूं कि—

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 38 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाए—

"5-क(1) जहां किसी कम्पनी द्वारा इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है, वहां प्रत्येक व्यक्ति जो उस किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक था और कम्पनी के कारबार के बारे में उसके प्रति उत्तरदायी था, ऐसे अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है और वह दण्ड का भागी होगा :

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौन सम्मति से किया गया है, या वह अपराध उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव, कार्यकारी सदस्य या अन्य अधिकारी भी इस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है और वह दंड का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी आता है और,

(ख) "निदेशक" से किसी फर्म के संबंध में उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।" (17)

मेरा मुद्दा यह है कि कानूनी रूप से हो सकता है व्यक्ति इसके अंतर्गत आ जाए परंतु आमतौर पर, लोग कंपनियों की ओर ध्यान नहीं देंगे, वे व्यक्तियों को ही देखते हैं। मैं चाहता हूं कि "कंपनी" शब्द का विशेषतः उल्लेख किया जाए क्योंकि दान की बड़ी राशि कंपनियों से ही प्राप्त होती है।

सभापति महोदय : मैं अब श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 17 सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 17 सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

खण्ड 6—कुछ कार्यों का प्रतिषेध करने की शक्ति

सभापति महोदय : हम खंड 6 को विचार के लिए लेते हैं।

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 4, पंक्ति 6,—

"कर सकेगा" के स्थान पर "करेगा" प्रतिस्थापित किया जाये। (11)

पृष्ठ 4, पंक्ति 9,—

"कर सकेगा" के स्थान पर "करेगा" प्रतिस्थापित किया जाये। (12)

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 9 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

"(2क) यदि कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट संतुष्ट है, तो वह आदेश द्वारा, सती अथवा उसके गौरवान्यन का चित्रण करने वाली किसी दृश्य-श्रव्य प्रस्तुति के फिल्मांकन या रिकार्डिंग का भी प्रतिषेध करेगा।" (13)

दो संशोधन हैं। एक खंड 6 में और दूसरा खण्ड 6 (2क) में। ये बिल्कुल मामूली संशोधन हैं। मैंने केवल यह कहा है कि 'कर सकेगा' के स्थान पर 'करेगा' प्रतिस्थापित किया जाए ताकि यह अत्यावश्यक हो जाए। बात यह है कि अब कलैक्टर अथवा जिला मजिस्ट्रेट की राय हो कि सती की घटना होने वाली है या किसी महिला को इसके लिए दुस्प्रेरित किया जा रहा है तो इसके लिए विधेयक में व्यवस्था है कि "वह आदेश कर सकेगा"। मेरे विचार में इसे अत्यावश्यक बनाया जाना चाहिए और यह उपबंध किया जाना चाहिए कि "वह आदेश करेगा।" आप कह सकते हैं कि न्यायालय 'कर सकेगा' की व्याख्या 'करेगा' के रूप में कर सकती है। परन्तु इसे स्वीकार करना आप पर है।

मेरा दूसरा संशोधन है कि सती की घटना को महिमा मण्डित किए जाने को दण्डनीय अपराध बनाया गया है। इसे दण्डनीय अपराध तो बना दिया गया है परन्तु इसका कोई निवारक उपाय नहीं है। हम जानते हैं कि अखबारों में यह छपा था कि कुछ ब्रिटिश तथा अन्य विदेशी कंपनियां भारत में सती की घटनाओं का फिल्मांकन कर रही हैं। मैं चाहता हूं कि इसे रोका जाना चाहिए क्योंकि आप

उन्हें दंड नहीं दे सकते क्योंकि वे फिल्म बनाने के बाद भारत से बाहर होंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत आप केवल उन पर मुकदमा चला सकते हैं।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : 6 (2) में सभी की घटना को गौरवान्वित किए जाने का प्रतिषेध किया गया है। परिभाषाओं के अधीन ही इसका स्पष्टीकरण दिया गया है।

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि गौरवान्वित किए जाने के प्रतिषेध के अन्तर्गत आप कह सकते हैं कि कोई जलूस निकाल रहा है। मैं यह चाहता हूं कि यदि कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट संतुष्ट है तो वह सती या इसके गौरवान्वयन संबंधी घटना का चित्रण करने वाली किसी दृश्य श्रृव्य प्रस्तुति के फिल्मांकन या रिकार्डिंग का भी प्रतिषेध करेगा। आप देखेंगे कि इसमें अंतर है। कानून के अधीन अन्तर यह है कि मान लो मैं ऐसी कोई घटना रिकार्ड करता हूं जिसे मैं सार्वजनिक नहीं करता, तो क्या यह अधिनियम उस समय तक लागू होगा या नहीं जब तक मैं उस घटना को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करता हूं ? यह एक विवादास्पद मामला है। मान लो मैं कोई फिल्म बनाता हूं और मैं जनता के समक्ष उसका प्रदर्शन नहीं करता हूं, मैं जनता के सामने उस घटना को गौरवान्वित नहीं करता। मैं केवल कुछ चित्र ले रहा हूं; यदि मैं उन चित्रों को जनता के सामने प्रदर्शित करता हूं तो उसका अभिप्राय है कि मैं घटना को गौरवान्वित कर रहा हूं। अतः जनता के समक्ष प्रदर्शित किए जाने से पूर्व, यदि कोई सूचना मिलती है कि कोई दृश्य-श्रव्य या रिकार्डिंग की गई है तो उसे रोका जाना चाहिए। मैं विशेष तौर पर यह बताना चाहता हूं; इसे स्वीकार करना या न करना सरकार के हाथ में है।

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी (नवद्वीप) : मैं खंड 6 (1) में, जिला मजिस्ट्रेट के पश्चात "या सरपंच/ग्राम अधिकारी" (25) अंत:स्थापित कराना चाहती हूं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जिला मजिस्ट्रेट से सम्पर्क होने से पहले ही यह अपराध हो जाए। अतः यह अन्तःस्थापित किया जाना चाहिए क्योंकि ग्राम अधिकारी अथवा सरपंच क्षेत्र में ही होते हैं। यह उसकी जानकारी में आये बिना नहीं रह सकता और उसे इस तरह के अपराध रोकने के लिए अधिकार दिए जाने चाहिए। महोदय, यह मेरा तर्क है।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : श्रीमान् जी, मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं करती।

सभापति महोदय : मैं अब सभी संशोधनों को सभा में मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं दिनेश गोस्वामी के संशोधन का विरोध करता हूं और श्रीमती विभा घोष गोस्वामी के संशोधन का समर्थन करता हूं। आप क्या करेंगे ?

सभापति महोदय : मैं उनको अलग-अलग सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

मैं अब श्री दिनेश गोस्वामी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 11, 12 और 13, सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 11, 12 और 13 सभा में मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : मैं अब श्रीमती विभा घोष गोस्वामी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 25 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 25 सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 7—कुछ मन्दिरों या अन्य संरचनाओं को हटाने की शक्ति

श्री सोमनाथ रथ : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 4, पंक्ति 17,—

"बीस वर्ष से अन्यून समय से" का लोप किया जाये । (4)

पृष्ठ 4, पंक्ति 22,—

"उप-धारा (1) में निर्दिष्ट से भिन्न" का लोप किया जाये । (5)

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करती हूं कि :—

पृष्ठ 4, पंक्ति 17—

'जो बीस वर्ष से अन्यून समय से विद्यमान है" का लोप किया जाये । (18)

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : मैं प्रस्ताव करती हूं कि :—

"पृष्ठ 4, पंक्ति 18—

किसी सती होने वाली के स्थान पर किसी सती की जाने वाली प्रतिस्थापित किया जाए ।" (30)

"पृष्ठ 4 पंक्ति, 24—

किसी सती होने वाली के स्थान पर किसी सती की जाने वाली प्रतिस्थापित किया जाए ।" (31)

"पृष्ठ 4, पंक्ति 20—

कलैक्टर या जिला मजिस्ट्रेट के पश्चात् यथास्थिति अन्तःस्थापित किया जाए ।" (32)

श्री सोमनाथ रथ : हम सती के गौरवान्वयन के विरुद्ध हैं । हम चाहते हैं कि यह दानवी प्रथा समाज की स्मृति से ही मिटा दी जाए । खंड 7 राज्य सरकार को कतिपय मन्दिरों और दूसरी संरचनाओं को हटाने के लिए अधिकार देता है । इन परिस्थितियों में यह उल्लेख करता यह खंड कि बीस वर्षों से अन्यून समय से विद्यमान ये मन्दिर अथवा दूसरी संरचनाएं सीमित क्यों किया गया है ? आप ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं ? इसे खण्ड न्यायालयों द्वारा रद्द किया जा सकता है । समाज की स्मृति से इस दानवी प्रथा को मिटाने तथा यह सुनिश्चित करने कि भेदभाव के कारण न्यायालय इस खण्ड को रद्द कर सकते हैं, मुझे आशा है कि मन्त्री महोदया मेरे संशोधन से सहमत होंगी ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, अपने भाषण के दौरान मैंने अपने संशोधन के लिए औचित्य दिया था। मंत्री महोदया ने भी उत्तर दिया था लेकिन फिर भी मैं उसी तर्क, जो श्री सोमनाथ रथ ने दिया था, के साथ इसको प्रस्तुत कर रही हूं।

5.11 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : मैं इसे स्वीकार नहीं कर रही हूं।

श्री सोमनाथ रथ : मैं अपने संशोधन संख्या 4 और 5 को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन संख्या 4 और 5 सभा की अनुमति से वापस लिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 18 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 18 सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय मैं अब श्रीमती मारग्रेट आल्वा द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 30, 31 और 32 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है कि :—

"पृष्ठ 4, पंक्ति 18—

किसी सती होने वाली के स्थान पर किसी सती की जाने वाली प्रतिस्थापित किया जाए।" (30)

"पृष्ठ 4, पंक्ति 24—

किसी सती होने वाली के स्थान पर किसी सती की जाने वाली प्रतिस्थापित किया जाए।" (31)

"पृष्ठ 4, पंक्ति 20—

कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट के पश्चात् यथास्थिति अन्तःस्थापित किया जाए।" (32)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 7, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 7, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 9 – इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण

श्री शांताराम नायक : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 5 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये—

"(5) कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो न्यायिक अधिकारी के रूप में सक्रिय सेवा में है, न तो विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जायेगा और न ही राज्य, इस अधिनियम के असंबंधित, किसी अन्य विधि के अधीन विशेष न्यायालय के न्यायाधीश को तब तक न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करेगा, जब तक कि राज्य सरकार को यह विश्वास न हो जाये कि किसी अन्य अधिनियम के अधीन न्यायिक कृत्यों का निर्वहन करने के लिए विशेष न्यायालय के न्यायाधीश को शक्तियों का प्रदान किया जाना किसी भी तरह से, ऐसे न्यायाधीश के समक्ष इस अधिनियम के अधीन लम्बित मामलों के शीघ्र निपटान में बाधक नहीं होगा।" (7)

महोदय, मेरा संशोधन यह व्यवस्था कराने के लिए है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत एक विशेष अदालत गठित की जाए और विशेष न्यायाधीश नियुक्त किए जाएं। प्रश्न केवल यह है कि उन जिला और सत्र न्यायाधीश अथवा दूसरे न्यायाधीशों को जो पहले ही कार्यरत हैं और कार्य-बोझ से दबे हुए हैं, विशेष न्यायालयों का कार्य-भार सौंपा जाए तो इस तरह की किसी भी कार्यवाही का क्या हाल होगा, जाना जा सकता है।

अत: जो व्यक्ति पहले ही न्यायाधीश है, उन्हें विशेष न्यायालयों के अन्तर्गत शक्तियां नहीं दी जानी चाहिए। प्रश्न उठ सकता है कि क्या अधिनियम के अंतर्गत कोई आवश्यक कार्य नहीं है जो किया जाना है ? तो विशेष न्यायालयों को मिलाकर एक किया जा सकता है और एक विशेष न्यायालय बनाया जा सकता है ताकि जिला और सत्र न्यायाधीशों पर अधिक बोझ न पड़े।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : महोदय, हम वास्तव में इतने अधिक सती-घटनाओं की पूर्वाशा नहीं कर रहे कि हमें, जितना वे कह रहे उतनी न्यायालयों की आवश्यकता पड़ेगी। यदि यह आकस्मिक रूप से हो जाए तब किसी न्यायाधीश को विशेष न्यायाधीश के रूप में कार्य करने और इसे शीघ्र निपटाने के लिए कहा जा सकता है ताकि कोई विलंब न हो।

श्री शांता राम नायक (पणजी) : श्रीमन्, मैं अपना संशोधन संख्या 7 वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन संख्या 7 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 10 से 16 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 17—इस अधिनियम के अधीन अपराध किए जाने के बारे में रिपोर्ट करने की कुछ व्यक्तियों की बाध्यता

श्री शांताराम नायक : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 6,—

पंक्ति 27 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तस्थापित किया जाये—

"(3) यदि, कोई संसद सदस्य, किसी विधान सभा का सदस्य, किसी विधान परिषद् का सदस्य, किसी स्थानीय निकाय जैसे जिला परिषद् नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत अथवा किसी अन्य नाम वाले निकाय का सदस्य, जिसे प्रत्यक्ष रूप से यह जानकारी हो कि उस क्षेत्र में सती होने वाली है, या हो चुकी है, निकटतम पुलिस थाने को तत्काल इस बात की सूचना देगा।" (8)

(एक) पृष्ठ 6 पंक्ति 28,—

"(3)" के स्थान पर "(4)" प्रतिस्थापित किया जाये।

(दो) पृष्ठ 6, पंक्ति 28,—

"या उप-धारा (2)" के स्थान पर "उप-धारा (2) और उप-धारा (3)" प्रतिस्थापित किया जाये। (9)

[अनुवाद]

श्री शान्ताराम नायक : यह लोगों द्वारा पुलिस स्टेशन को सूचना देने के बारे में है। अब मैं उस खंड को पढ़ूंगा जिसे मेरा अतःस्थापित करने का प्रस्ताव है और जिससे पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी :

पृष्ठ 6,—पंक्ति 27 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

"(3) यदि, कोई संसद सदस्य, किसी विधान सभा का सदस्य, किसी विधान परिषद् का सदस्य, किसी स्थानीय निकाय जैसे जिला परिषद् नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत अथवा किसी अन्य नाम वाले निकाय का सदस्य, जिसे प्रत्यक्ष रूप से यह जानकारी हो कि उस क्षेत्र में सती होने वाली है, या हो चुकी है, निकटतम पुलिस थाने को तत्काल इस बात की सूचना देगा।" (8)

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : खेद है कि मैं यह संशोधन स्वीकार नहीं कर सकती।

श्री शांताराम नायक : मैं अपने संशोधन संख्या 8 और 9 वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन संख्या 8 और 9, सभा की अनुमति से, वापस लिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 17 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 18—धारा 4 के अंतर्गत अपराध का सिद्धदोष व्यक्ति का कतिपय सम्पतियां विरासत में पाने से निर्रहित होना

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 6, पंक्ति 32 से 34—

"कोई व्यक्ति सती होने वाले ऐसे व्यक्ति की या ऐसे अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति, जिसका वह उस व्यक्ति द्वारा जो ऐसे सती होने पर विरासत में पाने का हकदार होता, विरासत में पाने से निरहित हो जाएगा।" के स्थान पर

"कोई व्यक्ति सती होने से संबंधित व्यक्ति की या ऐसे अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति, जिसका वह ऐसे व्यक्ति द्वारा जो सती होने से संबंधित है, उसके सती होने पर विरासत में पाने का हकदार होता, विरासत में पाने से निरहित हो जाएगा।"
को प्रतिस्थापित करें। (33)

(श्रीमती मारग्रेट आल्वा)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 18, संशोधन रूप में, विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 18, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 18-क तथा 18-ख

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

सतर्कता समिति :

"18क. (1) प्रत्येक राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक जिले में कम से कम एक, और यदि आवश्यक हो, तो उससे अधिक सतर्कता समितियां गठित करेगी।

(2) किसी जिले के लिये गठित प्रत्येक सतर्कता समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) उपायुक्त, अथवा उसके द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति, जो अध्यक्ष होगा;

(ख) उपायुक्त द्वारा नाम निर्देशित उस जिले में निवास करने वाले दो सामाजिक कार्यकर्ता;

(ग) उस जिले में महिला विकास से संबंधित गैर-सरकारी अभिकरणों का प्रतिनिधित्व कर रहे तीन व्यक्ति, अधिमानतः महिलायें,

(घ) स्थानीय विधिक सहायता निकाय से सम्बन्ध दो वकील, अधिमानतः महिलायें; और

(ङ) यदि किसी जिला विशेष में कोई महिला संगठन हो, तो उसके दो प्रतिनिधि ।

सतर्कता समिति की शक्तियां और कृत्य :

18-ख (1) प्रत्येक सतर्कता समिति के कृत्य ये होंगे :—

(क) इस अधिनियम अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम के उपबंधों का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रयासों, और की गई कार्यवाही के बारे में उपायुक्त अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को परामर्श देना;

(ख) ऐसे अपराधों की संख्या का अभिलेख रखना, जिन्हें इस अधिनियम के अंतर्गत संज्ञेय अपराध माना गया है;

(ग) ऐसे अपराधों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करना, जिन्हें इस अधिनियम के अंतर्गत संज्ञेय अपराध माना जा सके; और

(घ) उन तथ्यों की लोक अभियोजक को शिकायत करना, जो इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध माने गए हैं, जिनके प्राप्त होने पर लोक अभियोजक तुरन्त विशेष न्यायालय में उचित कार्यवाही आरम्भ करेगा ।

(2) जिला सतर्कता समितियां, अपने निष्कर्षों पर आधारित प्रतिवेदन प्रत्येक छः मास में निधान सभा को प्रस्तुत करेगी ।

(3) जिला सतर्कता समितियां ग्राम स्तर पर ऐसी समितियां गठित कर सकती हैं, जिनमें स्कूल अध्यापक, ग्राम सेवक, ग्राम सेविकाएं अथवा सरकारी कर्मचारी हों ।"

मेरे संशोधन प्रस्तुत करने का उद्देश्य यह है कि सभी जिलों में सतर्कता समितियां होनी चाहिए और उन्हें अपना कार्य प्रभावी ढंग से करना चाहिए । इसी कारण से मैं चाहती हूं कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाये ।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : इन सब को नियमों के अंतर्गत व्यवस्था की जाएगी क्योंकि यह नितांत स्थानीय मुद्दा है। यदि आवश्यक हुआ तो हम नियमों में इसकी व्यवस्था कर देंगे । हम यह समिति गठित कर सकते हैं । इस पर नियमों के अंतर्गत व्यवस्था की जाएगी ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : इस आश्वासन को ध्यान में रखते हुए, मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहती हूं ।

संशोधन संख्या 19, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 19 से 22 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 19 से 22 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1—विधेयक का संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करती हूं कि :—

पृष्ठ 2,

पंक्ति 3 से 5 के स्थान पर "(3) यह तत्काल प्रवृत्त हो जाएगा।" प्रतिस्थापित किया जाये। (4)

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : अधिसूचित करने से पहले हमें राष्ट्रपति की सहमति लेना आवश्यक है। ज्यों ही हमें उनकी सहमति प्राप्त हो जाएगी हम इसे अधिसूचित कर देंगे।

इस बात को ध्यान में रखते हुए, मैं यह संशोधन स्वीकार नहीं कर सकती।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहती हूं।

संशोधन संख्या 14, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदया प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रो० एम० जी० रंगा (गुंटूर) : मैं इस बात से अत्यंत प्रसन्न हूं कि इस विधेयक द्वारा हमें महिलाओं को आदिवासी प्रथा से बचाए जाने की आवश्यकता है। इसे पूरे सदन की ओर से एक महिला सदस्य ने पेश किया और मैं उन्हें और उन सभी सदस्यों को बधाई देता हूं जिन्होंने हमारी महिला सदस्य को यह विधेयक प्रस्तुत करने का तथा उसके पक्ष में पारित करने का अवसर दिया।

दूसरा, जिस तरीके से उन्होंने इस विधेयक को सदन में रखा इसके लिए भी मैं उन्हें बधाई देता हूं। मेरे विचार से जहां तक मैं समझता हूं प्रथम बार किसी महिला को यह इतना अच्छा मौका दिया गया है। अगर मेरी बात गलत है तो उसे सही किया जाये। उन्होंने इतने अच्छे ढंग से इसे रखा और हमारे सदस्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों तथा उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों की जिस ढंग से उन्होंने पुनरीक्षा की और जवाब दिया उसकी मैं सराहना करता हूं।

इसके बाद, मैं अपने मित्र श्री तिरकी को, जो पूर्वोत्तरी राज्य के हैं, को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने स्पष्ट रूप से अपने विचार व्यक्त किए और वाक्य में यह कहा कि "यह घटना आगे नहीं दोहराई जाएगी" मैं उनकी इस बात का समर्थन करता हूं। अगर इस तरह की बात से हमारे देश का भविष्य उज्ज्वल हो सकता है तो हमारा देश और यहां की महिलाएं बधाई की पात्र हैं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं इस विधेयक पर आखिरी शब्द बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे बहुत खुशी है कि जनता के सभी वर्गों द्वारा इस सभा में और इसमें बाहर व्यक्त किए गए सर्व-सम्मत विचारों पर सरकार ने कार्यवाही की है। हमारे देश और संसद के जीवन काल में ऐसे मौके आये हैं जब मामलों पर दलगत आधार से ऊपर उठकर विचार व्यक्त किए गए हैं। यह भी ऐसा ही मामला है जोकि विशुद्ध रूप से आज के युग में महिलाओं की मुक्ति का है। जब महिलाएं मुक्त होंगी, केवल तभी हम 21वीं सदी की तरफ बढ़ पाएंगे। मैं 21वीं शदी की तरफ प्रस्थान का स्वागत करता हूं। मैं उन सभी लोगों को बधाई देता हूं जिन्होंने इस सदन में और बाहर जनमत बनाया और इस सन्दर्भ में मैं इस विधेयक का, जोकि अंतिम चरण में है, पूरे मन से स्वागत करता हूं।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : मैं इस विधेयक का अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस विधेयक का पूरे दिल से समर्थन करता हूं। हमने इस विधेयक में किसी संशोधन का प्रस्ताव नहीं किया है, क्योंकि विपक्षी नेताओं की बैठक में एक समझौता हो गया था और हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अपने दल की ओर से मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। हमने कतिपय सुझाव दिए थे जिनमें से कुछेक को विपक्षी नेताओं और इन्होंने भी स्वीकार किया है। चूंकि इस विधेयक में भविष्य में और सुधार हो सकता है, अतः मुझे आशा है कि वह हमारे सुझावों पर विचार करेंगी। मैं पुनः इस कुप्रथा को रोकने और अपने देश से इसे खत्म कर देने के लिए इस विधेयक को अपना पूर्ण समर्थन देता हूं।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : मैं सभी सदस्यों, विशेषकर अपने नेता श्री रंगा, प्रो० मधु दण्डवते और दूसरे सदस्यों का, उनके इस विधेयक को समझने के लिए और इस विधेयक को पारित कराने में समर्थन देने के लिए धन्यवाद करती हूं। सभा के सभी वर्गों ने विचार विमर्श के दौरान हमें सदन के अन्दर और बाहर अपना समर्थन दिया है और मैं एकदम कहूंगी कि जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम सुधारों का मिलकर अध्ययन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य समान है कि इस प्रकार की घटना भारत में कभी भी दिखाई नहीं देनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5.26 म० प०

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे यह सूचना देनी है कि राज्य सभा ने 15 दिसंबर, 1987 को हुई अपनी बैठक में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 1987 को दोनों सभाओं की 45 सदस्यों की संयुक्त समिति, जिसमें राज्य सभा के निम्नलिखित 15 सदस्य होंगे :—

1. श्री पवन कुमार बंसल
2. श्री मिर्जा इरशाद बेग
3. श्री भगत राम मनहर
4. श्री पी० एन० सुकुल
5. श्री टी० के० राममूर्ति
6. डा० आर० के० पोद्दार
7. श्री जी० वर्दराज
8. डा० जी० विजय मोहन रेड्डी
9. श्री के० जी० महेश्वरप्पा
10. कुमारी सरोज खापर्डे
11. श्री एस० एस० अहलुवालिया
12. श्री महेन्द्र प्रसाद
13. कुमारी सईदा खातून
14. श्री प्रमोद महाजन
15. श्री वीरेन्द्र वर्मा

और लोक सभा के 30 सदस्य होंगे, को सौंपने का प्रस्ताव स्वीकार किया है और यह सिफारिश की है कि लोक सभा की उक्त संयुक्त समिति में शामिल हो तथा उसमें लोक सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नामों की सूचना राज्य सभा को दी जाये।

5.27 म० प०

चण्डीगढ़ (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक

[अनुवाद]

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक में विहित शक्तियों के प्रत्यायोजन का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

कतिपय कानूनों के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की सांविधिक शक्तियों, जो चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में लागू हैं, चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक में निहित हैं।

कतिपय दूसरे कानूनों के अंतर्गत प्रशासक से अर्द्ध न्यायिक प्राधिकारी के कृत्यों के निर्वहन की अपेक्षा जाती है।

इस समय, पंजाब के राज्यपाल को साथ-साथ चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक भी निर्दिष्ट किया गया है। प्रशासक की हैसियत से उन्हें उक्त सांविधिक शक्तियों का प्रयोग और उक्त अर्द्ध न्यायिक कृत्यों का निर्वहन करना होता है। परिणामस्वरूप, प्रशासक द्वारा कतिपय अपीलें और समीक्षा मामले निपटाये जाने के लिए लम्बित हैं और उन्हें तत्काल निपटाया जाने उनके लिए व्यवहारिक नहीं है। अतः प्रशासक की ऐसी शक्तियों को किसी अन्य अधिकारी अथवा दूसरे प्राधिकारी, जो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार अथवा प्रशासक द्वारा अधिसूचना के माध्यम से आधिकारिक राजपत्र में निर्दिष्ट किया जाए, में निहित किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है।

यह चंडीगढ प्रशासन के कुछ अधिकारियों को शक्तियां प्रत्यायोजित करने के लिए एक साधारण विधेयक है और मुझे आशा है कि इस विधेयक को इस सभा का समर्थन मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक में निहित शक्तियों के प्रत्यायोजन का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : उपाध्यक्ष महोदय, मुज यह कहते हुए अफसोस होता है कि सरकार इस विधेयक के द्वारा जो उद्देश्य प्राप्त करना चाहती है मैं उसकी सराहना नहीं करवा रहा हूं।

पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू हुए डेढ़ वर्ष हो चुका है तथा सरकार कोई ऐसा विधेयक नहीं ला सकी है जिससे चंडीगढ़ की जनता के साथ न्याय हो सके क्योंकि उन्हें पहले चंडीगढ़ के प्रशासक की शक्तियों का लाभ मिल रहा था जबकि अब राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद पंजाब के राज्यपाल को चंडीगढ़ का प्रशासक नियुक्त किया गया है। उद्देश्यों तथा कारणों को बताने वाले विवरण में यह बताया गया है कि राज्यपाल अपनी अर्द्ध न्यायिक शक्तियों के अधीन मामलों के निपटाने के लिए समय नहीं निकाल सका जिसके परिणामस्वरूप अपील तथा पुनरीक्षा के कई मामले लम्बित पड़े हैं तथा उनके लिए इनको निपटाना शीघ्र सम्भव नहीं है। इसलिए यह प्रस्ताव किया गया है कि प्रशासक की ऐसी शक्तियां किसी अन्य प्राधिकारी के अधिकारी को प्रदान की जाएं जो इस संबंध में केन्द्र सरकार या प्रशासक की ओर से सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके विनिर्दिष्ट किया जाये।

राज्यपाल, जो इस समय चंडीगढ़ का प्रशासक है, के पास इसके लिए समय नहीं है, इसलिए आप अन्य अधिकारियों के यह शक्तियां प्रदान कर रहे हैं ताकि वे अपने अर्ध न्यायिक कार्य कर सकें जो वे अभी नहीं कर रहे हैं।

पंजाब समस्या सुलझाने की ओर संघ सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये का यह एक ज्वलंत उदाहरण है। पंजाब में पिछले डेढ़ वर्ष से राज्यपाल के शासन में चंडीगढ़ की जनता को अपने न्यायसंगत अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। महोदय, पंजाब समस्या का समाधान राजनैतिक हल द्वारा ही संभव

है। परन्तु सरकार पंजाब की समस्याओं का राजनैतिक हल नहीं निकालना चाहती। उसके स्थान पर सरकार पंजाब की समस्या कानून लागू करने वाली एजेंसियों तथा बन्दूकों के द्वारा सुलझाना चाहती है। पंजाब के राज्यपाल द्वारा अक्सर यही दावा किया जाता है कि पंजाब में स्थिति सामान्य है तथा आतंकवादियों का नैतिक बल कम हो रहा है। परन्तु आपने समाचार पत्रों में यह तो पढ़ा होगा कि पटियाला में आई० एन० एस०ए० इंस्टीट्यूट में दो उच्च पुलिस अधिकारियों को गोली मार दी गई जब वे प्रातः काल दौड़ रहे थे। पंजाब के राज्यपाल द्वारा भेजी गई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पंजाब में आतंकवादियों की कार्यवाहियों से 1 मई, 1987 से 31 दिसंबर, 1987 तक 546 व्यक्तियों की हत्या की गई। इसका अर्थ यह है कि पंजाब में आतंकवादियों या पुलिस कार्यवाही अथवा अर्ध सैनिक कार्यवाही के कारण मारे गए या घायल हुए व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है। पंजाब में लोकप्रिय सरकार बनाए जाने की आवश्यकता है। राजीव-लोंगोवाल सन्धि, जिसे अब तक लागू नहीं किया गया है, को लागू किए जाने की आवश्यकता है। इसी कारण अब तक पंजाब की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। इस अधिनियम के द्वारा आप चंडीगढ़ की जनता को राहत पहुंचाना चाहते हैं जोकि उनका न्याय-संगत अधिकार है परन्तु राष्ट्रपति शासन के कारण उन्हें मिल नहीं पा रहा है। महोदय यह केन्द्र सरकार का दायित्व है कि वह यह देखे कि पंजाब की विकासात्मक व अन्य गतिविधियों का लाभ पंजाब तथा चंडीगढ़ की जनता को मिले। परन्तु आप यह नहीं कर रहे हैं तथा इतने वर्षों के बाद आप शक्तियों के प्रत्यायोजन का विधेयक ला रहे हैं जिसमें किसी अन्य अधिकारी को शक्तियां दी जानी हैं ताकि पंजाब के राज्यपाल के पास जो मामले लंबित हैं उनका निपटान किया जा सके। इस प्रकार के रवैये से पंजाब की समस्या नहीं सुलझ सकती।

जोधपुर में नजरबंद व्यक्तियों के संबंध में भी आपकी घोषणा के बावजूद कोई विशिष्ट कदम नहीं उठाया गया है। इसलिए मेरा संघ सरकार से यह आग्रह है कि पंजाब की समस्या का राजनैतिक हल हो तथा श्री राजीव गांधी और श्री लोंगोवाल के बीच जिस संधि पर हस्ताक्षर हुए हैं उसे लागू किया जाए और चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाए। इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : महोदय, प्रारम्भ में ही मैंने कहा था कि यह बहुत सीमित मुद्दा है। माननीय सदस्य ने पंजाब की संपूर्ण सुरक्षा तथा कानून और व्यवस्था की समस्या पर चर्चा शुरू की है। मेरे विचार से इस समस्या पर इस सभा में काफी विस्तार से पहले ही चर्चा हो चुकी है। केन्द्र सरकार ने इस संबंध में की गई हर कार्यवाही को सभा के समक्ष रखा है। हम बहुत कड़ी कार्यवाही कर रहे हैं तथा कानून लागू करने वाली एजेंसियां भी कड़ी कार्यवाही कर रही हैं जिसके परिणामस्वरूप स्थिति में काफी सुधार हुआ है। सरकार पंजाब की समस्या का संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में तुरंत समाधान करने के लिए पूरा ध्यान दे रही है। परन्तु जैसा कि मैंने कहा कि इस विधेयक का विषय काफी सीमित है। पंजाब के वर्तमान राज्यपाल चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक भी हैं। राज्यपाल को अधिक कार्यभार के दबाव से मुक्त करने के लिए विधेयक में ऐसे अधिकारियों को शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाना है जिसकी सरकारी राज्यपत्र में अधिसूचना दी जानी है। इसलिए इस विधेयक में एक बहुत सीमित उद्देश्य की प्राप्ति की बात कही गई है और मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इसे स्वीकार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक में निहित शक्तियों के प्रत्यायोजन का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष सहोदय : अब विधेयक पर खंडवार विचार किया जाएगा। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव पारित हुआ

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 11, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय अब यह प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5.35 म० प०

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् विधेयक

—जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्रीमती कृष्णा साही द्वारा 9 दिसंबर, 1987 को प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे, अर्थात् :—

"कि सारे देश में तकनीकी शिक्षा पद्धति की समुचित योजना और समन्वित विकास, योजनाबद्ध परिणात्मक वृद्धि के संबंध में ऐसी शिक्षा के गुणात्मक सुधार का संवर्धन करने और तकनीकी शिक्षा पद्धति के विनियमन और मानों तथा स्तरमानों के समुचित अनुसरण की दृष्टि से तकनीकी शिक्षा के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना का और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा-पारित, पर विचार किया जाए।"

कृपया श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव बोलें।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : महोदय, यह अति महत्वपूर्ण विधेयक है। मैं इस

विधेयक का कड़ा विरोध करता हूं। यद्यपि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने वर्ष 1981 में ही सिफारिश कर दी थी और इस तथ्य के बावजूद कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, तथापि मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है कि भारत सरकार ने यह विधेयक लाने से पूर्व राज्यों से परामर्श क्यों नहीं किया। यह राज्यों के अधिकारों की उपेक्षा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह सरकार राज्यों को सभी अधिकारों से बेदखल करना चाहती है। इसीलिए वे यह विधेयक पारित करना चाहते हैं। उनकी इच्छा राज्यों पर अपनी सत्ता जमाना है।

महोदय, यह अति महत्वपूर्ण विधेयक है और इसके परिणाम दूरगामी हैं। मेरा सुझाव है कि सरकार को इस विधेयक को वापिस ले लेना चाहिए और सभी राज्यों के साथ इससे संबंधित विषयों पर पूरी तरह चर्चा करके राज्य सरकारों के सभी सुझावों को शामिल करके नया विधेयक फिर से प्रस्तुत करना चाहिए।

महोदय, इस विधेयक के अनुसार प्रस्तावित परिषद में लगभग 51 सदस्य होंगे। 51 सदस्यों में ऐसे केवल 8 सदस्य सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए होंगे। इसके पीछे क्या तर्क है ? मेरा सुझाव है कि राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में जहां अधिक तकनीकी संस्थान हैं वहां से कम से कम 24 सदस्य होने चाहिए।

अब महोदय, खंड 10 के उप-खंड (ट) की ओर ध्यान दें। इसका पाठ निम्नवत है :—

"नई तकनीकी संस्थाएं आरम्भ करने के लिए और संबंधित अभिकरणों के परामर्श से नए पाठ्यक्रम या कार्यक्रम सम्मिलित करने के लिए अनुमोदन कर सकेगी।"

केन्द्र सरकार को ही तकनीकी संस्थान शुरू करने की अनुमति क्यों देनी चाहिए ? क्या राज्य ऐसा करने में सक्षम नहीं है ? आप संस्थानों की अवसंरचना, उसकी पाठ्यक्रम मार आदि से संबंधित पहलुओं पर परामर्श दे सकते हैं राज्यों से यह शक्ति लेकर आप शिक्षा को भी केन्द्रीय क्षेत्र में लाना चाहते हैं। इसीलिए मैं इस विधेयक का कड़ा विरोध करता हूं।

इसी प्रकार अध्याय छः, जिसका शीर्षक 'प्रकीर्ण' है, के खंड 20 (1) में कहा गया है :—

"परिषद इस अधिनियम के अधीन ऐसे कृत्यों और कर्त्तव्यों के निर्वहन में नीति संबंधी प्रश्नों पर ऐसे निदेशों से मार्गदर्शन प्राप्त करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे, समय-समय पर लिखित में, दिए जाएं।"

खंड 20 के उप खंड (2) का पाठ निम्नवत है :—

"कोई प्रश्न नीति का है या नहीं उस पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।"

इस खंड से स्पष्ट है कि इस अखिल भारतीय तकनीकी परिषद का स्वायत्त अस्तित्व नहीं है। सरकार चाहती है कि राज्य सरकारें उसके आदेशों का पालन करें। इसीलिए राज्य इस प्रकार के प्रस्ताव को कैसे स्वीकार कर सकते हैं ? इसीलिए हम इस विधेयक का विरोध करते हैं।

इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण मुद्दे का उल्लेख करना चाहता हूं। अनेक राज्यों में अनेक शैक्षणिक संस्थान प्रति व्यक्ति शुल्क (केपिटेशन फीस) लेते हैं। यद्यपि कुछ न्यास इस प्रकार के संस्थानों को अच्छे उद्देश्य से चलाते है तथापि ऐसे भी अनेक उदाहरण हैं कि ये संस्थान लाभ कमाने का व्यापार करने लगे। कुछ लोग शिक्षा का वाणिज्यिणीकरण कर रहे हैं। वे इसमें कुछ धन निवेश करते हैं और

इससे ज्यादा से ज्यादा धन पाना चाहते हैं। इस प्रकार की शिक्षा आजकल व्यापार बन गई है। आंध्र प्रदेश में सत्ता में आने के बाद तेलगू देशम् सरकार ने 'केपीटेशन शुल्क' प्रणाली को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। आज सभी मेडिकल कॉलेजों, इंजीनियरिंग कॉलेजों और पोलीटेकनीक संस्थानों में स्थान केवल योग्यता के मानदण्ड के अनुसार और आरक्षण नीति के नियमों के अनुसार दिए जा रहे हैं। इसका प्रत्येक राज्य में अनुपालन होना चाहिए। इसीलिए मैं एक बार फिर जोर दे रहा हूं कि सरकार को यह विधेयक वापिस ले लेना चाहिए और राज्य सरकारों के सुझावों को शामिल करके एक नया विधेयक लाना चाहिए।

महोदय, मैं यह भी महसूस करता हूं कि वर्तमान उपबन्ध पर्याप्त नहीं है। यद्यपि कहा जाता है कि हमारा देश का वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक जनशक्ति के संबंध में विश्व में तीसरा स्थान है, परन्तु दुर्भाग्यवश आज हमारे इंजीनियरिंग के स्नातकों को अपने बूते पर उद्योग प्रारम्भ करने का साहस नहीं है। उसमें आत्मविश्वास नहीं है। यदि वह कोई उद्योग या फर्म चलाता तो वह अपने पावों पर खड़ा हो सकता था। दुर्भाग्यवश प्रशिक्षण के प्रयोगात्मक पहलू पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसे कई संस्थान हैं जहां पर बुनियादी सुविधाओं की कमी है। इसलिए पाठ्यक्रम में आमूल परिवर्तन किए जाने चाहिए। प्रशिक्षण के प्रयोगात्मक पहलू पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए जिससे संस्थान से निकलने के बाद विद्यार्थी में इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि वह अपने पावों पर खड़ा हो सके और काम अथवा रोजगार के लिए सरकार पर निर्भर रहने के स्थान पर वह स्व-नियोजित हो सके। इस विधेयक में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि परिषद् के पास इसका अपना धन होगा। मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि ऐसा करने से मुख्य लाभ उद्योगपतियों या औद्योगिक क्षेत्र को होगा। उन पर उनके कुल लाभांश का कम से कम एक प्रतिशत कर क्यों न लगाया जाए जिसका उपयोग इस अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को वित्त पोषित करने के लिए, जो इसे अनुसंधान और विकास कार्यों पर खर्च कर सकती है और कुछ प्रौद्योगिकियों विशेष रूप से लघु क्षेत्र की प्रौद्योगिकी, जो हमारे देश के लिए उपयुक्त है, का पता चलायेगी, किया जा सकता है। यह इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि हमारे पास लगभग 150 लाख शिक्षित बेरोजगार ऐसे हैं जिनके नाम रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत हैं।

इसलिए हमारी प्रौद्योगिकी में भी कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिए जिसके लिए यह धन-राशि उपयोगी होगी, इसमें बहुत शोध और विकास कार्य की जरूरत है।

इन शब्दों के साथ मैं सरकार से इस विधेयक को वापस लेने का अनुरोध करता हूं और हम इस विधेयक के विरोध में अपना जोरदार विरोध प्रकट करते हैं।

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक अति व्यापक विधेयक है। योजना बनाने, समन्वय करने, प्रोत्साहन देने, सुधार करने, विनियमन करने और यदि मैं ऐसा कहूं कि तकनीकी शिक्षा के केन्द्रीयकरण के लिए इसमें एक अखिल भारतीय निकाय की स्थापना करने की मांग की गई है।

मेरे विचार से यह विधेयक एक ऐसे विषय पर है जो समवर्ती सूची में है, व्यापक है। उपाध्यक्ष महोदय, समवर्ती सूची के अन्तर्गत आने वाले मामलों में विधान बनाते समय व्यापकता कोई अच्छाई नहीं है। यह उस समय अच्छाई होती है जब संबंधित विषय संघ सूची तक ही सीमित हो। समवर्तिता में परामर्श और विचार विनियम करना होता है। मुझे इस बारे में संदेह है कि इस विधेयक

को बनाते समय किसी राज्य सरकार से सलाह ली गई हो अथवा तकनीकी शिक्षा के संबंध में केन्द्र के इस संघीय दृष्टिकोण को अपनाने के लिए कोई सहमति हुई हो। यह बात स्पष्ट है कि जब हम समवर्ती सूची सूची संख्या 3 में—मद संख्या 25 के मामले पर विधान बना रहे हैं तो कानूनों में द्वन्द होने की सम्भावना है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि उस द्वन्द को दूर करने के लिए संविधान में कोई विधान नहीं बनाया गया है, फिर ऐसी स्थिति ही क्यों पैदा की जाती है कि जिससे संघीय सिद्धांत अथवा स्थायत्तता के दर्जे के उल्लंघन की गन्ध आती हो और मैं इसी बात को विश्वविद्यालय की स्थायत्तता और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वायत्तता के बारे में कहना चाहता हूं।

अत: इस विधेयक से केन्द्र और राज्यों के बीच मतभेद बढ़ेंगे। हमारे देश में इस समय वैसे ही बहुत राजनैतिक मतभेद हैं। इसलिए मेरे विचार से यह विधेयक ठीक समय पर अथवा अच्छी तरह से विचार करके नहीं लाया गया है। मुझे यह कहने में किसी बात की हिचकिचाहट नहीं है कि यह अहितकारी और निन्दनीय विधेयक है जैसा कि कुछ सदस्यों ने कहा है और जैसा कि मैंने भी महसूस किया है कि यह मामला वर्तमान स्थिति को सुधारने की कोशिश करने का है। परन्तु ऐसा करने के प्रयास में विधेयक जिस स्वरूप में हमारे पास है उसमें निर्धारित किए गए लक्ष्यों और प्रयोजनों से बहुत दूर हट गया है।

इसलिए हमारे सम्मुख दो स्थितियां रखी गई हैं। एक स्थिति तो यह है कि घटिया दर्जे के कुप्रबन्ध और फर्म कर्मचारियों वाले संस्थाओं की अन्धाधुन्ध बाढ़ लाई जाये। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यही जीवन का सत्य है और दूसरा यह है कि इन संस्थाओं में से कुछ संस्थाओं का उपयोग वाणिज्यिक शोषण के लिए किया जा रहा है। यह भी जीवन की एक सच्चाई है। इसलिए मेरे विचार से, यदि इन दो स्थितियों का सुधार करना होता तो इससे अधिक सरल दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए था। जिस प्रकार मेडिकल कालेजों के मामले में जब तक यह राष्ट्रीय परिषद वहां की सुविधाओं का निरीक्षण नहीं करती है और उन्हें अपेक्षित स्तर का नहीं पाती है, तब तक कोई भी विश्वविद्यालय, अथवा किसी संस्था को संबद्धकर्ता अथवा परीक्षा लेने वाला कोई निकाय उस संस्था को मान्यता प्रदान अथवा संबद्ध यह निर्धारित करने के लिए एक सामान्य विधेयक होना चाहिए, हमें किसी केन्द्रीय निकाय, राष्ट्रीय निकाय को यह सांविधिक प्राधिकार सौंपना चाहिए, मेरे विचार से इस मामले पर किसी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए। इस मामले में राष्ट्रीय सहमति होनी चाहिए तथा हो सकता है, परंतु हमारे देश के तकनीकी शिक्षा के सभी संस्थानों का समुचित और अपेक्षित स्तर बनाए रखना सुनिश्चित करने, और स्तर की तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक सुविधाएं जुटाने से हमें अपने देश का विकास करने में सहायता मिलेगी और जिससे अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों को पूरा किया जा सकेगा।

इसी प्रकार दूसरी बुराई के लिए यह निर्धारित करने के लिए साधारण उपाय किया जाना चाहिए था कि तकनीकी संस्थानों द्वारा लिया जाने वाला सभी शिक्षण शुल्क और अन्य शुल्कों को समुचित प्राधिकारी की मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। अनेक मामलों में विभिन्न राज्य सरकारें यह स्थान ले सकती हैं। कुछ मामलों में यह, इस परिषद् जैसे स्वायत्त निकाय हो सकते हैं। इसलिए मैं यह नहीं जानता कि सरकार ने हमारे समक्ष इतना व्यापक विधेयक को रखा है, मेरे विचार से यह बहुत व्यापक है और इसलिए इसमें अनेक आपत्तिजनक बातें शामिल की गई हैं और यह समस्याओं को हल करने की तुलना में अनेक प्रश्नों को उठा रहा है।

अब मैं इस विधेयक पर आता हूं। जैसा कि मेरे अनेक सहयोगियों ने उल्लेख किया है, परिषद् का गठन शासकीय प्रभुत्व के सिद्धांत पर ही आधारित है। इस खण्ड में अनेक बार 'नियुक्त' अथवा 'नियुक्ति' शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस विधेयक के अंतिम स्वरूप से हम सभी को भारी निराशा होगी। इस परिषद् में बारह पदेन सदस्यों की व्यवस्था है। इनमें से दो सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत और नियुक्त किए जाएंगे और चार सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जानी है। निसंदेह बेचारे दो संसद सदस्य ही इस परिषद् में शामिल किए जाएंगे। परंतु वस्तुतः, इस निकाय को केन्द्रीय सरकार के विभाग का ही स्वरूप दे दिया गया है। यदि आप परिषद् के गठन से संबंधित खण्ड और खण्ड 20 को पढ़ें, जिसे मेरे पूर्व वक्ता ने अभी पढ़ कर सुनाया था, तो उनमें केन्द्रीय सरकार को परिषद् निदेश देने की शक्ति प्रदान की गई है जिसे स्वीकार करने के लिए यह बाध्य है। यदि आप खण्ड 21 पर दृष्टिपात करें तो आपको ज्ञात होगा कि इसमें केन्द्रीय सरकार को इसे नजर अंदाज करने का भी अधिकार प्रदान किया गया है। मैं जानबूझकर 'इसे' शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि परिषद् शिक्षा विभाग या शिक्षा मंत्रालय का दूसरा रूप है। निर्णय संबंधी मामले स्वयं शिक्षा मंत्रालय निपटाएगा। इस विधेयक में हास्यास्पद बात यह है कि पहले पांच वर्ष तक, संबंधित मंत्री इस परिषद् के अध्यक्ष होंगे। क्या हम अपने देश में एक भी तकनीकी विशेषज्ञ तलाश नहीं कर सकते ? मुझे याद है कि जब 1947 में किसी समय पहली अखिल भारतीय परिषद् का गठन किया गया था तो उसमें प्रसिद्ध वैज्ञानिक और तकनीकीविद् शामिल किए गए थे। आज इस प्रकार की परिषद् की अध्यक्षता राष्ट्रीय ख्याति के किसी तकनीकी या वैज्ञानिक विशेषज्ञ को देने की भी अनुमति नहीं है। सरकार के हाथों में समस्त शक्तियों के केन्द्रीयकरण की यह प्रवृत्ति क्यों है—इसी से मेरी बातें सिद्ध हो जाती हैं।

महोदय, परिषद् में किसी तकनीकी विशेषज्ञ को शामिल नहीं किया जाना है। निसंदेह, विभिन्न विभागों और विभिन्न राज्यों से भी निदेशक और सचिव इस परिषद् में शामिल किए जाएंगे। परंतु यह जरूरी नहीं है कि वे तकनीकी विशेषज्ञ ही हों। हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी सलाह उपलब्ध हो और विधेयक में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अध्यापकों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। इस प्रस्तावित निकाय से सत्तावाद झलकता है। और मैं इसे पसन्द नहीं करता। मेरे विचार में, इस सभा का कोई भी सदस्य, यदि परिषद् के गठन पर विचार करता है, तो वह इसे स्वीकार नहीं करेगा कि इस प्रकार के निकाय का सही गठन किया गया है जिसे अपेक्षित स्वायत्तता और जिम्मेदारी के साथ राष्ट्रीय दायित्व निभाना है।

मैं राज्यों को वर्णानुक्रम से वर्गीकृत करने की इस प्रणाली के विस्तार में नहीं जाऊंगा। मेरे विचार में तकनीकी शिक्षा के लिए सुविधाओं के स्तर के अनुसार राज्यों को वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।

मुझे यह भी समझ नहीं आया कि तकनीकी शिक्षा के सभी पक्षों को एक साथ क्यों लिया जा रहा है। ऐसी संस्थाएं हैं जो तकनीकी प्रशिक्षण हेतु माध्यमिक स्तर से पूर्व व्यक्तियों को प्रवेश देती हैं। व्यावसायिक शिक्षा केन्द्र भी खोले गए हैं। माध्यमिक स्तर उपरान्त तकनीकी शिक्षा केन्द्र भी हैं। विश्वविद्यालय स्तर पर भी डिग्री कालेज और तकनीकी कालेज हैं; अनुसंधान और विशेषज्ञता के लिए स्नातकोत्तर स्तर की सुविधाएं हैं।

इन सभी को एक ही छाते के नीचे लाया जाना है क्यों ? इसका कोई स्पष्ट कारण नजर नहीं आता कि देश में उच्चतर अनुसंधान स्तर के तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों, व्यावसायिक केन्द्रों को एक

ही प्राधिकरण के अन्तर्गत क्यों लाया जाए। इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं है और मेरे विचार में विश्व के किसी भी तकनीकी दृष्टि से उन्नत देश और विशेष तौर पर हमारी तरह के संघीय प्रणाली के अंतर्गत शासित देश में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। वास्तव में व्यावसायिक शिक्षा का कार्यभार जिला स्तर पर सौंपा जाना चाहिए और माध्यमिक तकनीकी शिक्षा का ही दायित्व राज्य सरकार के हाथों में होना चाहिए। हां, डिग्री शिक्षा का विश्वविद्यालय स्तर पर केन्द्रीयकृत निश्चित तौर पर होना चाहिए।

मैं इस विधेयक की धारा 10 में उल्लिखित वित्त व्यवस्था के भाग को भी नहीं समझ पा रहा हूं। अब तक वित्त व्यवस्था का दायित्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर ही था। वे कालेज जो विश्वविद्यालय का एक भाग हैं और विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं, उनकी वित्त व्यवस्था ठीक उसी प्रकार होती है जैसे किसी अन्य की। इसे पृथक् क्यों किया जाए? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से यह दायित्व क्यों लिया जाए? मैं नही समझ सकता कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकार को इस प्रकार क्यों कम किया जाए? इसमें प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, विशेष प्रयोजनों का जिक्र किया गया है। कहीं अभिनिर्धारित विकास प्रयोजनों के लिए वाक्य प्रयुक्त किया गया है। ठीक कहा गया है। परंतु यह विधेयक में प्रयुक्त शैली के अनुरूप नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि तकनीकी शिक्षा के लिए हम 200 करोड़ रुपयों से वित्त व्यवस्था करेंगे। यह राशि अपर्याप्त है।

जैसा कि मैंने कहा स्तर बनाये रखने और कैपिटेशन फीस समाप्त करने का औचित्य है। परंतु अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व, मैं एक संवैधानिक मुद्दे का उल्लेख करना चाहूंगा, जो शायद सरकार के ध्यान से रह गया। देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसी व्यक्ति को कोई संस्थान स्थापित करने से रोक सके। देश में विभिन्न प्रकार के प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान हैं। हमें उनके संचालन तथा केंद्रीयकरण का अधिकार है। आपको संविधान की धारा 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छा अनुसार शिक्षा संस्थाएं खोलने के अधिकार को भी ध्यान में रखना चाहिए और 'शिक्षा संस्था' के अन्तर्गत कालेज, विश्वविद्यालय तथा तकनीकी शिक्षा के कालेज भी आते हैं। अन्ततः राज्यों पर यह जिम्मेदारी है कि वे अन्य प्रकार की शिक्षा की ही भांति तकनीकी शिक्षा को भी बढ़ावा दें और उसके लिए राज्य सरकार तकनीकी संस्थान भी खोले। क्या आपका अभिप्राय यह है कि राज्य सरकार को राज्य की जनता के लिए तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु कालेज खोलने की अनुमति इस परिषद् से प्राप्त करनी होगी, मेरे विचार में यह गलत बात है। आप सलाहकार समिति बना सकते हैं; आप किसी रूप में सांविधिक अधिकार ले सकते हैं; ये सब समझ में आता है। परंतु आप तकनीकी शिक्षा का प्रारम्भिक स्तर से उच्चतम स्तर तक अर्थात् हाई स्कूल पूर्व तकनीकी प्रशिक्षण से उच्चतम अनुसंधान स्तर तक केन्द्रीयकरण कैसे कर सकते हैं और फिर सब कुछ इसके क्षेत्राधिकार में लाकर राज्य एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की शक्ति समाप्त कर किस प्रकार इसका केन्द्रीयकरण कर सकते हैं।

हमारे संविधान में विकेन्द्रीकरण का बात कही गई है। प्रत्येक राजनैतिक दल प्रतिदिन विकेन्द्रीकरण की कसम लेता है। परन्तु प्रत्येक कार्य में हम अधिकारवाद और केन्द्रीयकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। इस विधेयक में यह दृष्टिकोण परिलक्षित होता है; इस विधेयक से वह अप्रिय प्रवृत्ति झलकती है। इसलिए मैं विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : यह विधेयक अप्रिय है और देश की संघीय व्यवस्था पर एक प्रहार है। इस विधेयक को चिकित्सा विधेयक की भांति पेश नहीं किया जाना चाहिए

था जो अब संयुक्त प्रवर समिति को भेजा गया है। यह चिकित्सा परिषद् विधेयक जैसा ही विधेयक है।(व्यवधान) यह विधेयक राज्य स्वायत्तता के सिद्धांतों के बिल्कुल प्रतिकूल है और सरकार वास्तव में राज्यों को कुछ और शक्तियां प्रदान करने के उद्देश्य से कुछ आयोग नियुक्त करती है जैसे कि सरकारिया आयोग नियुक्त किया गया। यद्यपि सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है तथापि इसे अभी तक सभा पटल पर नहीं रखा गया है। परंतु, मेरे विचार से सरकारिया आयोग का यह सुझाव है कि वस्तुतः राज्यों को कुछ और शक्तियां देनी होंगी, किंतु इस विधेयक द्वारा आप राज्य सरकारों से वह शक्तियां वापस ले रहे हैं जो पहले ही उन्हें दी हुई हैं। इस प्रकार यह विधेयक राज्यों को शानदार नगरपालिका बना देता है। आप राज्यों को स्थानीय निकायों की तरह बना रहे हैं। यह ठीक नहीं है और सही दिशा में नहीं है। यह विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों और विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से परामर्श किया जाना चाहिए था। उन सभी व्यक्तियों का एक सम्मेलन होना चाहिए था और तभी इस विधेयक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया।

पहले शिक्षा का विषय राज्य सूची में शामिल था। आपातकालीन स्थिति के समय ही इसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया। आपातकालीन स्थिति से लेकर आज तक यह समवर्ती सूची में ही चल रहा है। लेकिन अधिकांश राज्य इसे समवर्ती सूची से राज्य सूची में लाने के लिए केन्द्र से अनुरोध करते आ रहे हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है।

हर रोज हम शक्तियों के विकेन्द्रीकरण के बारे में बात करते हैं। लेकिन आप बिल्कुल भी विकेन्द्रीकरण नहीं कर रहे हैं बल्कि आप राज्यों की शक्तियां वापिस ले रहे हैं। लोकतांत्रिक देश के लिए यह खराब लक्षण हैं।

यह विधेयक नई शिक्षा नीति के भी बिल्कुल विपरीत है। वास्तव में, नई शिक्षा नीति के अनुसार आप शैक्षणिक संस्थाओं को स्वतंत्रता देना चाहते हैं लेकिन यह विधेयक प्रस्तुत करके आप शक्तियां वापस ले रहे हैं। इसलिए यह विपरीत है और आप शिक्षा के बारे में कोई सिद्धांत अथवा नीति का पालन नहीं कर रहे हैं। परंतु आप उस नीति का पालन कर रहे हैं जो विपरीतार्थक स्वरूप की है। यह विधेयक विश्वविद्यालयों को मात्र सूखे आलू की तरह बना देगा।

श्री सी० माधव रेड्डी : प्याज।

श्री पी० कुलनवेईवेलू : विश्वविद्यालयों के पास कोई शक्तियां नहीं रहेंगी।

प्रो० मधु दंडवते : वहां वातावरण पहले ही खराब है अब और खराब हो जाएगा।

श्री पी० कुलनदईवेलू : विश्वविद्यालयों में सिनेट और सिंडीकेट बनाने का क्या उपयोग है, जबकि आप विश्वविद्यालयों को कोई शक्तियां नहीं दे रहे हैं? जब आप विश्वविद्यालयों से सभी शक्तियां वापस ले लेंगे तो विश्वविद्यालयों में सिनेट और सिंडीकेट होने का कोई फायदा न होगा।

मेरा सुझाव है कि यह विधेयक संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा जाए। यह सही समय पर नहीं लाया गया है और यह सही नहीं है।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : इस समय मैं लंबा भाषण नहीं देना चाहती हूं। मैं खड़ी होऊंगी केवल.....

उपाध्यक्ष महोदय : छोटा भाषण देने के लिए।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मेरे अधिकांश सहयोगियों द्वारा पहले ही बताए गए मुद्दों के आधारों पर इस विधेयक का विरोध करने के लिए, जिससे राज्यों की शक्तियां कम होती हैं। निश्चित रूप से तकनीकी शिक्षा का अर्थ किसी प्रकार का समन्वय है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : सती विधेयक के बाद क्या प्रतिकर्ष है ?

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह समन्वय करने का प्रयास नहीं है। यह अपने हाथ में शक्ति लेने का प्रयास है। राज्यों को वर्णानुसार लेने का तरीका सही नहीं है। राज्यों में तकनीकी शिक्षा के विभिन्न चरणों पर भिन्न-भिन्न सुविधाएं हैं। अतः उनका वर्णानुसार प्रतिनिधित्व सही तस्वीर कैसे प्रस्तुत कर सकता है ? अन्य अनेक मुद्दे हैं; मुझे उन्हें दुहराने की आवश्यकता नहीं है।

डा० फूलरेणु गुहा (कन्टई) : मैं विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति की सिफारिशों के आधार पर यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एक सांविधिक निकाय होगा। तीन प्रमुख उद्देश्य हैं। मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहती। विधेयक में उल्लिखित बातों में से एक अति महत्वपूर्ण बात संस्थानों के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन की अधिदेशात्मक अवधि है।

6.00 म० प०

मैं कहना चाहूंगी कि हमारे देश में निम्न स्तर के खराब सामग्री से तथा कम स्टाफ वाले निजी इंजीनियरिंग स्कूलों, कालेजों और पोलिटेकनिकों की अन्धाधुन्ध वृद्धि हुई है। उनमें से कुछ निजी संस्थान भारी राशि वसूल करती हैं और इस प्रकार ये संस्थान वास्तव में वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के अलावा कुछ नहीं हैं। इस विधेयक का उद्देश्य प्रशंसनीय है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एक स्वायत्तशासी निकाय बनने जा रहा है।

इस विधेयक में सेवारत अध्यापकों को प्रशिक्षण दिये जाने का भी प्रावधान है। यह स्वागत योग्य है। मैं महसूस करता हूं कि एक पूर्णकालिक चेयरमैन होना चाहिए जो तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अनिवार्य रूप से विशेषज्ञ होना चाहिए। मैं मंत्री महोदय को बताना चाहूंगी क्योंकि मैं महसूस करती हूं कि एक पूर्णकालिक सभापति होना चाहिए जो तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ हो।

राज्य सरकारों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए और मैं मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहूंगी कि परिषद् के सदस्यों में तकनीकी योग्यता और न्यूनतम अनुभव होना आवश्यक है। मेरा सुझाव है कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापकों को प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की जानी चाहिए क्योंकि मैंने देखा है कि वहां अध्यापकों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। यह सरकार की स्वीकृत नीति है कि इन सभी निकायों में अध्यापकों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

इस परिषद् को तकनीकी शिक्षा प्रणाली तथा उद्योग, विकास और अनुसंधान के बीच परस्पर विस्तार करने का कार्य करना चाहिए। इस कार्य को अलग से नहीं किया जाना चाहिए। इसका अनिवार्य रूप से उद्योग तथा देश के विकास के साथ निकट सम्पर्क होना चाहिए।

अंत में, मैं यह कहना चाहूंगी कि हमारे यहां 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं और उनमें से अधिकांश अशिक्षित और गरीब हैं। महिलाएं भी तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अधिक संख्या में नहीं

आ रही हैं। मैं सुझाव देना चाहूंगी कि इन लोगों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास किये जाने चहिए। मैं यह सुझाव भी देती हूं कि परिषद् गरीब वर्ग के लिए विशेष प्रारम्भिक पाठ्यक्रम आरम्भ करे। मैं यह सुझाव भी देती हूं कि महिलाओं के लिए विशेष कक्षाएं चला कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वे तकनीकी स्कूलों, कालेजों या पोलिटेकनिक्स में प्रवेश पाने के पात्र हो सकें। जब तक कुछ नहीं किया जाता, महिलाएं और गरीब लोग तकनीकी शिक्षा में प्रवेश पाने के समर्थ नहीं होंगे।

अंत में, मैं कहना चाहूंगी कि गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए और यह राशि पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए ताकि वे अपना निर्वाह कर सकें। छात्रावास संबंधी सुविधा की आवश्यकता है अन्यथा जो छात्र गांवों और अन्य शहरों से आते हैं वे अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकेंगे।

इन कुछ सुझावों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

6.05 म० प०

सभा की बैठक का समय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, समय बढ़ाये जाने के लिए बारे में क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : महोदय, हमें एक और विधेयक पर विचार करना है, वह है—प्रशासनिक न्यायधिकरण (संशोधन) विधेयक। अत: जब तक हम दोनों विधेयकों पर चर्चा समाप्त नहीं कर लेते उस समय तक सभा की बैठक का समय बढ़ाते हैं। चाहे यह 40 मिनट हो, एक घंटा हो या दो घंटे हो, यह सब कुछ सदस्यों पर निर्भर करता है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम और एक घंटे के लिए सभी की बैठक का समय बढ़ाते हैं। यदि हम इस पर चर्चा जल्दी समाप्त कर लेते हैं तो हम सदन की बैठक जल्दी स्थगित कर सकते हैं। मेरा विचार है कि यह सभा 7 म० प० तक के लिए समय बढ़ाये जाने की बात को स्वीकार कर लेगी।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जंगा रेड्डी।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : राज्य सभा को भी यह सिफारिश की जाये और तत्पश्चात इसके बाद इसे संयुक्त प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : इसे संयुक्त प्रवर समिति को भेजिये।

(व्यवधान)

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : इसके कुछ उपबंध आपत्तिजनक हैं।

(व्यवधान)

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकारिया आयोग ने क्या सिफारिशें कीं ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जंगा रेड्डी।

6.07 म० प०

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् विधेयक

—जारी

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ग्रामीण क्षेत्र में या तहसील लेबिल पर छोटे से छोटा आई० टी० आई० खोलने के लिए भी दिल्ली दरबार को खटखटाने के लिए बिल ला रही है। आप चाहते हैं कि देहात में या तहसील लेबिल पर रहने वाले, 2 हजार, 3 हजार किलोमीटर दूर वाला प्राइवेट आदमी अगर एक टैक्नीकल इंस्टीट्यूट खोलना चाहता है, उसे, सरकार ही नहीं बल्कि प्राइवेट आदमी आपके दिल्ली के दरबार में राजीव गांधी और पी० वी० नरसिम्हाराव के दरवाजे खटखटाकर परमीशन लेनी होगी ? अगर आप चाहते हैं तो नियन्त्रण लगाने के लिए डिग्री कालेज बनाइये। आपके खुद के मिनिस्टर ने रामटेक में टेक्निकल कालेज खोला प्राइवेट और सौदा बनाया तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं ? यह मैं पूछना चाहता हूं। महाराष्ट्र में जो आपके कैबिनेट मन्त्री हैं, उनके पूरे शिष्य जो हैं और वहां पर हमारे वारंगल में टेक्निकल इंस्टीट्यूशन खोलकर सौदेबाजी करा रहे हैं। तेलुगू देशम् सरकार ने उस सौदेबाजी को रोक दिया है। इसलिए सौदेबाजी रोकने के लिए रामटेक में जो कालेज खोला है, डिग्री कालेज भी है, रामटेक श्री नरसिंह राव की कांस्टीटुएंसी है, वहां टेक्निकल कालेज खोला है। उसके चेयरमैन कौन हैं ? कांग्रेस आई० के आपके जो नेता हैं वे पैसा वसूल करते हैं—15 हजार, 5 हजार, 25 हजार, 50 हजार··· **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आरोपों को कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : आप इसको नियंत्रण में लाइये, डिग्री कालेज बनाइये। कोई राज्य सरकारें अगर ऐसा करती हैं तो उसको बन्द कीजिए। मगर एक छोटा-सा आई० टी० आई० है, प्राइवेट और वोकेशनल तो क्या उसे खोलने के लिए श्रीमती कृष्णा साही के दरवाजे खटखटाने होंगे ? यह बात मेरी समझ में नहीं आती। एक तरफ तो राज्य सरकारों की पावर छीनने की कोशिश हो रही

है और उसके खिलाफ हम विरोधी दल वाले लड़ रहे हैं। आपके राजीव गांधी जो बोलते हैं कि अगर आप एन्टी-नेशनल बात करेंगे तो हम डिसमिस करेंगे। उसके लिए सोचना नहीं है। इस प्रकार टेक्निकल एजुकेशन जो कानरेन्ट लिस्ट में है, उसको अपने हाथ में लेकर आप दबाना चाहते हैं। आप एक दूसरी इमरजेंसी लाना चाहते हैं, सरकार के इस बिल के रूप में। आप जरा इसको समझिये, सोचिए। आपके कैबिनेट के मन्त्री, आपकी कांग्रेस के लोग महाराष्ट्र, मैसूर, बंगलौर में प्राइवेट कालेज खोले हैं, वह पहले आम बन्द कीजिए, उनका रिकग्निशन समाप्त कीजिए···(व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि देहातों में जो टेक्निकल आई० टी० आई० हैं, अगर स्टेट गवर्नमेन्ट के हैं तो वहां आप डिग्री के लिए रिकग्निशन दीजिए और यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन जिस तरह से पैसा देता है, आप पैसा दीजिए। आई० आई० टी०, कानपुर, वारंगल, आनन्दपुर, मद्रास के प्रिंसिपल्स का ट्रांसफर भी करने का आप में दम नहीं है। वहां पर 15-15 साल से एक-एक प्रिंसिपल ठेकेदार बनकर बैठा हुआ है। जितने भी स्टूडेन्ट्स दक्षिण से आते हैं, उनको दवा देकर मार डालते हैं। मेरे पास इसके सबूत हैं। मैं पूछना चाहता हूं आप उसके ऊपर जांच क्यों नहीं करवाते हैं, कानपुर आई० आई० टी० और दूसरे प्रिंसिपल का आप तबादला नहीं कर सकते हैं। आप इस प्रकार का बिल लाकर उनको काबू में रखो। उनको काबू में रखने की तो हिम्मत नहीं है, लेकिन राज्य सरकारों की पावर लेकर अपनी तानाशाही चलाना चाहते हैं। आप चुनाव करा कर देखिए, आपकी तानाशाही समाप्त हो जायेगी। आपकी यह तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलेगी।

मैं यही चाहता हूं कि इस बिल को ज्वाइन्ट कमेटी के पास भेज दिया जाये।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा प्रणाली में विद्यमान गुण और दोष के ऊपर समय-समय पर चर्चा होती रही है। पूर्व की भांति इस बार भी हमारी तकनीकी शिक्षा के बढ़ते हुए रोल और व्यवसायीकरण जो हो रहा है, उसके ऊपर माननीय सदस्यों ने अपनी गम्भीर चिन्ता व्यक्त की है। कुल मिलाकर 12 माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करती हूं। यहां पर सभी ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए हैं।···(व्यवधान) कुछ मुख्य मुद्दे सामने लाए गए हैं, जिसके लिए मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार मानती हूं।

मुख्यत: इस चर्चा के दौरान सात मुद्दे उभर कर सामने आये हैं। परिषद् के गठन सम्बन्धी, अधिकारों के केन्द्रीयकरण, राज्य सरकारों से विमर्श, राज्यों के अधिकार, कानकरेन्सी, गुणात्मक विकास, सान्दर्भिक उपयोगिता, धन की व्यवस्था के लिए विभिन्न स्रोत और एलिटिज्म की सम्भावना। ये सात मुख्य बिन्दु उभर कर आये हैं। चार माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्तुत किये हैं। मैं आशा करती हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं और जिनको जहां भी थोड़ी शंका है, मेरे स्पष्टीकरण के बाद उनकी शंका दूर हो जायेगी और वे अपनी पूरी सपोर्ट मुझे देंगे।

इसकी स्थापना राष्ट्रीय विशेषज्ञ निकाय के रूप में 1945 में हुई थी। किन्हीं माननीय सदस्यं ने इसके लिए 1947 में कहा है, किन्हीं ने 1950 भी कहा है। लेकिन इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका उद्देश्य था कि केन्द्र, और राज्यों को तकनीकी शिक्षा के विकास के सम्बन्ध में सलाह देना। इसके अस्तित्व के कुछ वर्षों में, तीन दशकों में इस संस्था ने बहुत अच्छा काम किया था परन्तु बाद में कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी कि ए० आई० सी० टी० के द्वारा जो निर्धारित मानदंड थे, दिशा निर्देश थे, उनकी अवहेलना राज्यों द्वारा की जाने लगी और संस्थाओं के द्वारा भी की जाने

लगी । जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई तो बहुत बड़ी संख्या में अबाध गति से, अनियमित ढंग से बहुत से इंजीनियरिंग कालेज गैर पोलिटेकनीक की स्थापना हुई जिनमें बहुत बड़ी राशि केपिटेशन फीस के रूप में प्रवेश के समय ली जान लगी और पाठ्यक्रम निर्धारित करते समय भी बहुत बड़ी मात्रा में राशि वसूल की जाने लगी । अनेक कालेजों में दो तकनीकी शिक्षा देते हैं, उनमें जो इंफ्रा-स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसका अभाव है । इससे एक गंभीर समस्या उत्पन्न हुई । इस स्थिति को देखते हुए, कानूनी अड़चनों, प्रोसीजरल कम्पलीकेशंज, प्रक्रियात्मक कठिनाई का सामना करने के लिए यह विधेयक लाया गया है जिसका कि लाना जरूरी हो गया था ।

अभी बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा । जिन्होंने सही ढंग से इस बिल को नहीं पढ़ा है, उनको भी मैं धन्यवाद देती हूं और जिन्होंने इस बिल का सही ढंग से अध्ययन किया है, उन्हें भी मैं धन्यवाद दे ही रही हूं । कांस्टीच्युशन आफ इंडिया में आपने देखा होगा कि उसमें केन्द्रीय सरकार पर कोआरडिनेशन और मेन्टीनेंस आफ स्टैंडर्ड की जिम्मेदारी सौंपी गयी है । इसी पृष्ठभूमि में यह विधेयक लाया गया है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने की प्रक्रिया में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से, सभी से काफी विचार-विमर्श किया गया । मैं समझती हूं कि आप लोगों को जो यह आशंका है कि किसी से विचार-विमर्श नहीं हुआ, यह निर्मूल है । क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने की प्रक्रिया में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के कई सम्मेलन बुलाये गये और इस स्थिति को सांविधिक बनाने में जो भी उनका समर्थन था वह भरपूर मिला । मैं आपसे कहना चाहती हूं कि राज्य सचिवों और शिक्षा मंत्रियों से अगस्त 85 में विचार विमर्श हुआ, फिर फरवरी 86 में हुआ, फिर सी० ए० बी० की बैठक अगस्त, 1986 में हुई । नेशनल डवलपमेंट कौंसल जिसमें सारे मुख्य मंत्री बैठते हैं, उसकी मीटिंग में भी उनसे विचार-विमर्श हुआ । सभी ने इसका बहुत भरपूर समर्थन किया और इसकी मांग की कि इसको सांविधिक अधिकार मिलना ही चाहिए । (व्यवधान)

[हिन्दी]

उसके बाद जब राष्ट्रीय शिक्षा निती तैयार की जाने बगी, जो प्रोग्राम बने, उसकी प्रक्रिया में भी दोनों में इस पर बहस हुई । फिर हमारे केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठकों में भी इस पर पूर्ण रूप से सहमति हुई और विचार-विमर्श किया गया है । यह बोर्ड सर्वोपरि है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी निर्धारित करता है । यह 1981 से चला आ रहा है । 1981 में जब एक सम्मेलन हुआ था, शिक्षा मंत्रियों का तो उसमें भी इस पर पूर्ण रूप से सहमति दी गई थी और इसके सांविधिक अधिकार की चर्चा भी की गई थी । साथ ही इसको पूर्ण समर्थन मिला था ।

मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहती हूं कि जो वे यह कहते हैं कि इसमें राज्य सरकारों के अधिकारों की अवहेलना की बात है ।

[अनुवाद]

श्री पी० कुलनगईवेलू : महोदय, इस विधेयक को लाने के लिए न कोई सम्मेलन बुलाया गया (व्यवधान) न ही कभी इस विधेयक के संबंध में कोई विचार विमर्श किया गया ।

श्रीमती कृष्णा साही : हम पहले ही आपको तारीख के बारे में बता चुके हैं । इस पर सम्मेलन में चर्चा की जा चुकी है । यह बात सर्वथा निर्मूल है, यह जो आशंका व्यक्त की गई है, यह निराधार है । कान्करेंट लिस्ट की जो चर्चा हुई है, उसके बारे में मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि यूनियन लिस्ट की एंट्री 66 के संदर्भ में यह विधेयक लाया गया है और यूनियन लिस्ट की एंट्री 66 में इस बात को

बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि यह केन्द्र सनकार का विषय "शिक्षा" कान्कंट लिस्ट पर है, लेकिन टेक्नीकल एजूकेशन की चर्चा हो रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य आयोजना के समय जैसा मैंने कहा और दोनों सदनों के माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, उससे इसको पूर्ण समर्थन मिलता है। इसलिए केन्द्र सरकार द्वारा यह विधेयक लाया गया है। परिषद को जो भूमिका सौंपी गई है, उसका ठीक ढंग से निर्वन हो सके, इसलिए यह विधेयक लाया गया है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि लोकतांत्रिक नहीं है, कैसे यह लोकतांत्रित नहीं है? जब शिक्षा मंत्रियों से विचार विमर्श किया गया, सी० ए० बी० की बैठकों में विचार-विमर्श हुआ, दोनों सदनों में विचार-विमर्श हुआ, शिक्षाविदों से विचार-विमर्श हुआ, तब आप यह कैसे कह सकते हैं कि यह लोकतांत्रिक नहीं है।

श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या आपने टिप्पणियों के लिए इस विधेयक को सभी राज्यों के पास भेजा था?

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : जब आपके शिक्षा मंत्री आते हैं तो क्या वे वहां का प्रतिनिधित्व नहीं करते, क्या आपके मुख्य मंत्री वहां का प्रतिनिधित्व नहीं करते, क्या आपके एजूकेशन सेक्रेट्रीज वहां का प्रतिनिधित्व नहीं करते, सब लोगों के साथ डिसकस किया गया है।

तो मैं कह रही थी कि यह लोकतांत्रिक बिल है और सभी कांस्टीट्वेंट्स को इसमें मिला है। चाहे इंडस्ट्री हो, राज्य सरकार हो या तकनीकी शिक्षा से संबंधित हमारी प्रोफेशनल बाडीज हों, सबका प्रतिनिधित्व इसमें हुआ है। छठी लोकसभा की प्राक्कलन समिति ने भी इसकी अनुशंसा की थी, आश्वासन समिति ने भी अनुशंसा की है, फिर आप कहते हैं कि यह अलोकतांत्रिक है, तो फिर लोकतांत्रिक क्या होता है। जब संसद की आश्वासन समिति और प्राक्कलन समिति इसकी अनुशंसा करती हैं तो फिर इसको अलोकतांत्रिक कैसे कहा जा सकता है।

कुछ सदस्यों ने कंपोजीशन आफ दी काउंसिल की बात कही है तो मैं बताना चाहती हूं कि परिषद् के कुल 51 सदस्यों में से केन्द्र सरकार के प्रतिनिधियों की संख्या केवल 8 है और बाकी राज्य सरकारों और स्वायत्त-संस्थाओं के द्वारा जो नाम भेजे जाएंगे, उनकी अनुशंसा से भेजे जाएंगे। भारत सरकार के सदस्यों की संख्या कम है और बाकी सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व इसमें होगा। प्रतिनिधियों के नाम उनकी अनुशंसा पर आएंगे। क्षेत्रीय परिषद में भी राज्य सरकारें ही अपनी अनुशंसा भेजेंगी।

एक बात और कही गई है कि परिषद में तकनीकी विशेषज्ञों की संख्या अधिक से अधिक हो। वास्तव में ऐसा ही किया गया है, विशेषज्ञों की संख्या का इसमें पूरा ध्यान रखा गया है। पदेन सदस्यों को छोड़कर जो शेष सदस्य हैं, वे अपनी विशेषता के आधार पर ही होंगे। परिषद के सदस्यों में कुछ ऐसे नामजद सदस्य हैं जो विशेषज्ञ हैं, जैसे विश्व विद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष होंगे, शिक्षा सलाहकार होंगे, महानिदेशक आई० सी० ए० आर० होंगे और इसी तरह से जो टेक्नीकल लोग हैं, उनको भी इसमें रखा जाएगा।(व्यवधान)

पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद जो कहना आप उचित समझें वह कहिए।

[अनुवाद]

श्री सैयद शहाबुद्दीन : वे आपके अधीनस्थ हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : हमारे सबार्डिनेट कैसे होंगे, राज्य सरकार जो नामीनेशन भेजेगी, वे भी हमारे सबार्डिनेट होंगे, स्वयं सेवी संस्थाएं तो नाम भेजेंगी, वे भी हमारे सबार्डिनेट होंगे, आश्चर्य होता है आपकी बात सुनकर, विरोध करने के लिये ही अगर विरोध करना है तो बात अलग है।

क्षेत्रीय समिति की बात कही गई, वर्तमान परिषद में 4 क्षेत्रीय परिषदों की व्यवस्था है। मध्य-भारत के सभी राज्य किसी न किसी क्षेत्रीय समिति में प्रतिनिधि हैं और उसी तरह से रहेंगे। इसके अलावा इस बात की भी व्यवस्था है कि आवश्यकता पड़ने पर रेजोल्यूशन के द्वारा परिषद उन रीजन्स की व्यवस्था करेगी जिसके लिये क्षेत्रीय समितियां बनाई गई हैं। इसलिए जो आप लोग सोचते हैं, जो सुझाव आप लोगों ने दिए हैं, उसके खिलाफ कुछ नहीं किया गया है, सभी का रिप्रजेंटेशन हो रहा है।

ज्यूरिसडिक्शन की बात श्री नामग्याल जी ने जम्मू-कश्मीर के बारे में उठाई है, मैं उनको बताना चाहती हूं कि जम्मू-कश्मीर राज्य तकनीकी शिक्षा के मामले में हमारी ए० आई० सी० टी० ई० की परिषद से जुड़ा हुआ है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का जम्मू-कश्मीर सदस्य है और नई परिषद सभी राज्यों के लिए समान रूप से तकनीकी शिक्षा के विकास में सलाह और मार्ग-निर्देश देगी। इसमें किसी राज्य को नहीं छोड़ा जाएगा। शिक्षा के लिए समुचित धन की बात सिन्हा साहब और कुछ माननीय सदस्यों ने कही थी। शिक्षा नीति का जो हमारा ग्यारहवां अध्याय है, उसके दूसरे पैरा में इस पर व्याख्या की गई है कि केन्द्र और राज्य सरकार के अतिरिक्त अन्य कई साधनों से भी धन उगाहा जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए इस विधेयक में परिषद को विभिन्न स्रोतों से धन एकत्रित करने का अधिकार दिया जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हम सब लोगों ने यह सोचा कि छठी योजना के पांचवे वर्ष में तकनीकी शिक्षा के लिए केन्द्र ने 106 करोड़ रुपए प्रदान किए थे। परन्तु, सातवीं पंचवर्षीय योजना में तीन वर्षों में क्रमशः 68, 73 और 173 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। भविष्य में इस राशि में और भी बढ़ोत्तरी होगी, अगर आवश्यकता हुई। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि एलीटिस्ट होगी। पहली बात यह है कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमने इस बात का पुरजोर समर्थन किया है और प्रावधान किया है "इक्वीटी, क्वालिटी और एक्सीलेंस"। इस पर जोर दिया है इसलिए एलीटिस्ट का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

आर्टिकल 10-इ आपने देखा होगा। परिषद को यह काम भी सौंपा गया है कि वह तकनीकी शिक्षा में विकलांग और समाज के कमजोर वर्गों को प्रवेश दिलाने हेतु उपाय करे। एलीटिस्ट कैसे हो सकता है जब हमने प्रावधान किया है कि समाज के कमजोर वर्गों और विकलांगों के लिए भी व्यवस्था की जाएगी। दास साहब ने कहा था कि परिषद में अल्फाबेटिकल प्रतिनिधित्व देने की बजाय इंडस्ट्रीयली जो एडवांस्ड स्टेट हैं, उनको दिया जाए। मेरा संबंध में यह अनुरोध होगा कि ऐसा हो सकता है कि कुछ राज्य तो इण्डस्ट्रीयली बहुत आगे हो जाएंगे और कुछ राज्य पीछे हो जायेंगे तो सभी राज्यों को समान रूप से अधिकार मिले और उसमें सम्मिलित हो सकें। इसलिए, अल्फाबेटिकल होने से क्रम के अनुसार सभी राज्यों का समान रूप से प्रतिनिधित्व हो सकेगा। इसीलिए हम लोगों ने

इसका प्रावधान किया है। किसी माननीय सदस्य ने कहा कि इसको सेन्ट्रलाइज किया जा रहा है। लेकिन यह तो व्यापक है और यह शीर्षस्थ निकाय होगा। इसका काम ही कोआर्डिनेशन होगा और निर्देश की बाध्यता है हमारी। कुछ सदस्यों ने कहा कि स्टेट के ऊपर पाबन्दी की जाएगी। हमारे निर्देश विषद और व्यापक होंगे। इनमें सिर्फ वैसे ही मामलों में जो बड़ी बॉडी बनेगी वह कोआर्डिनेट करेगी और राष्ट्रीय नीति में अपनी नीति तैयार करेगी और उसके कार्यकलापों में जो अन्तर्विरोध होगा, उसको भी दूर करेगी। एक माननीय सदस्य ने कहा था कि अनुसंधान पर जोर नहीं दिया गया है। अनुसंधान में इस पर काफी जोर दिया गया है। मैं विस्तार से नहीं कहना चाहती। लेकिन आर्टिकल 10-डी और 10-एफ में कहा गया है कि परिषद अनुसंधान के संबंध में कौन-कौन से काम इसमें करेगी। सम-टोटल, विधेयक में जो यह प्रावधान है, वह नयी तकनीकी संस्थानों में नए पाठ्यक्रमों को लाने का है। तकनीकी संस्थानों का जो हमारा शुल्क और मानदंड है, वह यही निर्धारित करेगी। योग्यता और मेरिट पर नामांकन से तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश लिए जाएंगे। इसी तरह से तकनीकी संस्थाओं का जो पाठ्यक्रम होगा, उसका भी वह निर्धारण करेगी। रिकोगनिशन भी होगा। समय आने पर देखेंगी, सही ढंग से काम नहीं कर रहा है और गुणात्मकता इसमें नहीं है तो उसको डी-रिकोगनाइज भी कर सकती है। फूलरेणु गुहा जी ने कहा था कि प्रथम चेयरमैन मिनिस्टर आफ ह्यूमन रिसोर्सेज डवलपमेंट होंगे। इसके बाद टैक्नीकल परसर को रखना है। हमने इसको ध्यान में रखा है। मिनिस्टर तो चेयरमैन होंगे। लेकिन माननीय सदस्य के सुझाव को इम्पलीमेंट करने की पूरी संभावना इसमें निहित है। कुछ साल के बाद जरूरी नहीं है कि मिनिस्टर ही रहें, दूसरे लोग भी हो सकते हैं। राज्य सभा ने इसको पहले ही अपना समर्थन दिया है। इसलिए, मेरे विचार में इसको ज्वायंट सिलेक्ट कमेटी में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आशा करता हूं कि सभी मुख्य बिंदु जो हमारे माननीय सदस्यों ने उठाए हैं, उनको मैंने कवर कर लिया है। मैं आशा करती हूं कि आपकी आशंका दूर हो गई होगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विधेयक राज्य सभा को इस सिफारिश के साथ भेजे कि इसे संयुक्त प्रवर समिति को भेजा जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा कैसे हो सकता है ? जब मन्त्री महोदया ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया था तब क्या आपने यह प्रस्ताव अथवा संशोधन रखा था।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : इससे बुरा वातावरण बनता है।

श्री शांताराम नायक : विधेयक को पुरःस्थापित किए जाने का कोई विरोध नहीं कर रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सारे देश में तकनीकी शिक्षा पद्धति की समुचित योजना और समन्वित विकास, योजनाबद्ध परिणात्मक वृद्धि के संबंध में ऐसी शिक्षा के गुणात्मक सुधार का संवर्धन करने और तकनीकी शिक्षा पद्धति के विनियमन और मानों तथा स्तरमानों के समुचित अनुरक्षण की दृष्टि से तकनीकी शिक्षा के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना का और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ :

पक्ष में

मत-विभाजन 7. 30 म० प०

संख्या—12

अंसारी, जियाउर्रहमान
उरांव, श्रीमती सुमति
ऐंगती, श्री बीरेन सिंह
कुरियन, प्रो० पी० जे०
कुरेशी, जी अजीज
खां, श्री मोहम्मद अयूब
गंगाराम, श्री
गुहा, डा० फूलरेणु
गोमांगो, श्री गिरिधर
घोष, श्री विमल कान्ति
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम०
चिदम्बरम, श्री पी०
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
तोमर, श्रीमती ऊषा रानी
दलबीर सिंह, श्री
दास, श्री अनादि चरण
दीक्षित, श्रीमती शीला
धारीवाल, श्री शांति
नामग्याल, श्री पी०
नायक, श्री जी० देवराय
नायक, श्री शांताराम
पांडे, श्री मनोज
पाटिल, श्री शिवराज बी०
पाठक, श्री चन्द्रकिशोर
पाणिग्रही, श्री श्रीवल्लभ
बैरवा, श्री बनवारी लाल

बैरागी, श्री बालकवि
भगत, श्री एच० के० एल०
भरत सिंह, श्री
भोये, श्री एस० एस०
मालवीय, श्री बापूलाल
मिश्र, श्री उमा कान्त
मिश्र, डा० प्रभात कुमार
मीरा कुमार, श्रीमती
याजदानी, डा० गुलाम
यादव, श्री राम सिंह
योगेश, श्री योगेश्वर प्रसाद
राज करन सिंह, श्री
राठौड़, श्री उत्तम
राम सिंह, श्री
राय, श्री रामदेव
राव, श्री के० एस०
राव, श्री पी० वी० नरसिंह
रावत, श्री कमला प्रसाद
रावत, श्री प्रभुलाल
संकटा प्रसाद, डा०
साही, श्रीमती कृष्णा
सिंह, श्री कमला प्रसाद
सुमन, श्री रामप्यारे
सुल्तानपुरी, श्री के० डी०
सूर्यवंशी, श्री नरसिंह

विपक्ष में

वासु, श्री अनिल
दंडवते, प्रो० मधु
दत्ता, श्री अमंल
मुखर्जी, श्रीमती गीता

राम बहादुर सिंह, श्री

राव, श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर

राव, डा० जी० विजय रामा

राव, श्री वी० शोभनाद्रीश्वर

रेड्डी, श्री सी० माधव

रेड्डी, श्री सी० जंगा

शाहबुद्दीन, श्री सैयद

सोमू, श्री एन० वी० एन०

तिरकी, श्री पीयूष]

उपाध्यक्ष महोदय : ध्वनि के अध्यधीन** मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार रहा—

पक्ष में : 51

विपक्ष में : 13

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 2 में कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 3—परिषद की स्थापना

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ रथ—वह उपस्थित नहीं हैं । श्री अनादिचरण दास—वह प्रस्ताव देश कर रहे हैं, क्या इसे मैं मतदान के लिए सभा के समक्ष रखूं ?

***श्री अनादिचरण दास :** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

** निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया

पक्ष में : चौधरी लच्छी राम और;

विपक्ष में : श्री त्रिलोचन सिंह तुर, डा० चिंता मोहन और श्री श्रीहरि राव

*मूलतः उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 26 और 27 के स्थान पर लिखें—

"(अ) संसद के चार सदस्य, जिनमें से तीन लोक सभा द्वारा निर्वाचित होंगे जिनमें से एक अनुचित जातियों और जनजातियों का, और एक राज्य सभा द्वारा होगा।" (3)

*श्री अनादिचरण दास (जाजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसी कि विधेयक में व्यवस्था की गई है, भारत सरकार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना करती रही है। परिषद की कुल सदस्यता 40 होगी। इनमें से कुछ को नामित किया जायेगा, कुछ को नियुक्त किया जाएगा तथा कुछ चुने जाएंगे। पृष्ठ 3 में मैंने जो संशोधन दिया है उसमें मैंने यह सुझाव रखा है कि उन 40 सदस्यों में से 4 संसद सदस्य होने चाहिए। संसद के 4 सदस्यों में लोक सभा के 3 सदस्य और राज्य सभा के एक सदस्य होने चाहिए। मेरा यह भी सुझाव है कि लोक सभा के 3 सदस्यों में से एक अनुसूचित जाति तथा दूसरा अनुसूचित जनजाति में से होना चाहिए। इस संशोधन को देने का उद्देश्य यह है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को यथोचित प्रतिनिधित्व मिल सके। वे जहां भी आवश्यक समझेंगे, अनु० जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा कर सकेंगे। इसके अलावा हमारे यहां आरक्षण नीति भी है तथा यहां भी हमें आरक्षण नीति का पालन करना चाहिए। इसलिए कृपया मेरा संशोधन स्वीकार करें।

जैसा कि मैंने बताया कि विधेयक में प्रस्तावित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद में 40 सदस्य रखने की व्यवस्था है। हमारी आरक्षण नीति के अनुसार परिषद के सदस्यों के चुनाव में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को यथोचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं प्राइवेट तकनीकी स्कूलों और संस्थानों की भरमार हो गई है। ये संस्थान प्रादेशिक शुल्क के नाम पर बहुत बड़ी राशि वसूल करते हैं। इसलिए मैंने पृष्ठ 7, पंक्ति 20 में यह सुझाव दिया है कि अंत में यह जोड़ा जाना चाहिए "जिसमें प्राइवेट तकनीकी स्कूलों और संस्थानों पर प्रतिबंध लगाया जाना भी शामिल है।" विधेयक में यह प्रावधान नहीं किया गया है। मंत्री महोदय से मैं विशेष रूप से यह जानना चाहूंगा कि मेरे संशोधन स्वीकार किये आएंगे या नहीं और क्या मेरे सुझाव पर विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिन प्वाइंट्स को उठाया है, उन सब प्वाइंटों को मैंने अपने उत्तर में पहले ही कवर कर लिया है। अब उन पर बोलने के लिए कुछ नहीं है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री अनादिचरण द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 3 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 से 9 विधेयक का अंग बनें।"

*मूलतः उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 3 से 9 विधेयक में जोड़ दिये गए ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शांताराम नायक—प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं ।

श्री पी० नागय्याल—प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं ।

श्री अनादिचरण दास—उपस्थित नहीं हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खंड 10 से 25 सभा में मतदान के लिए रखता हूं । प्रश्न यह है :

"कि खंड 10 से 25 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 10 से 25 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि ऑल इंडिया काउंसिल फार टैक्निकल बिल को पारित करने की कृपा करें ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय ; प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

श्री माधव रेड्डी ।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि जो कुछ मंत्री जी ने कहा है वह सही नहीं है । यद्यपि हम शिक्षा नीति को स्वीकार कर चुके हैं परन्तु प्रारूप विधेयक राज्यों को नहीं भेजा गया । उन्होंने प्रारूप को अपनी मंजूरी नहीं दी है क्योंकि प्रारूप में अन्य बातें भी अन्तर्विष्ट हैं । नई शिक्षा नीति एक व्यापक नीति है जिसे देश ने और अपने प्रत्येक राज्य ने स्वीकार किया है । (व्यवधान) इस विधेयक के अधीन केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना कोई भी राज्य सरकार कोई कालेज नहीं खोल सकती । वह कह रही थी : "यह केवल एक परिषद् है, एक अखिल भारतीय परिषद् जिसमें राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व है ।" इसमें दो या तीन सदस्य हैं । परन्तु अंतिम अधिकार किसके पास है ? परिषद् अंतिम प्राधिकरण नहीं है । प्रस्ताव अंततः केन्द्रीय सरकार को जाता है । केन्द्रीय सरकार अनुमति प्रदान करती है अर्थात् इस समय कालेज शुरू करने का जो अधिकार हमें प्राप्त है वह राज्यों से वापस लिया जा रहा है । इसलिए, इस आधार पर मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

श्रीमती कृष्णा साही : महोदय...

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदया, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। हम एक ही समय में अनेक विषयों पर चर्चा नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के पीछे एक अत्यन्त बुनियादी सिद्धांत है। हमने सदैव यह स्वीकार किया है और इस बात पर जोर दिया है कि शक्तियों का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। यदि आप महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित शिक्षा नीति और नई तालीम पर विचार करें तो आप देखेंगे कि महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित शिक्षा प्रणाली शक्तियों के विकेन्द्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। यह सच है कि शिक्षा का विषय समवर्ती सूची में रखा गया है। यह विषय न केवल राज्य सूची में ही है और न केवल संघ सूची में, बल्कि यह समवर्ती सूची में है। याद रखिए, समवर्ती सूची में शामिल विषयों के संबंध में राज्य बराबर का साझीदार है। राज्य को केन्द्र का बंधुआ मजदूर नहीं माना जा सकता। इस मामला विशेष में, केवल यह कहना ही पर्याप्त नहीं है कि व्यापक नीति संबंधी प्रारूप तैयार करने वाले सम्मेलन में शिक्षा मंत्री उपस्थित थे। परन्तु जहां तक इस ठोस विधेयक का संबंध है, यह स्वीकृत प्रक्रिया एवं सिद्धांत रहा है कि हमेशा मुख्य मंत्रियों के साथ परामर्श किया जाता रहा है। वे अपनी शक्तियां दूसरों को प्रत्यायोजित कर सकते हैं। मामले पर विस्तारपूर्वक विचार किया जाता है और सर्वसम्मति तैयार की जाती है। तत्पश्चात् मामला वापस यहां आयेगा और फिर विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। यह मामला इन प्रक्रियाओं से नहीं गुजरा है। अतः मैं केवल यहीं कहूंगा कि इस विधेयक विशेष में महात्मा गांधी के सिद्धांत के अवहेलना की गई है और हम इसको अपनी मंजूरी नहीं देंगे।

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : क्या मैं माननीय सदस्यों को संक्षेप में याद दिला सकता हूं कि जब मैंने 1986 में एक वक्तव्य दिया था कि विभिन्न मंचों पर हुई चर्चाओं और राज्यों में खुल रही अनेकानेक इंजीनियरी संस्थाओं के अनुभव के परिणामस्वरूप, जिनके विषय में इस सभा में भारी आलोचना की गई थी और चूंकि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, जो एक समय अत्यन्त शक्तिशाली निकाय था, अब उसका प्रभाव समाप्त हो गया है, हम इसे महत्वपूर्ण बनाएंगे, उस समय बेंचों को थपथपाने की इतनी अधिक आवाज हुई थी, उससे अधिक बेंचों को थपथपाने की आवाज आज तक नहीं हुई। सभा के सभी वर्गों ने सर्वसम्मति से इस बात का स्वागत किया था। स्पष्टतः इस उपाय से हम वही कार्य सम्पन्न करने जा रहे हैं। मेरे विचार में इसमें किसी राज्य को कोई कठिन ई नहीं होगी। इस विषय में विचार-विमर्श किया गया है और यह संकल्पना आकाश से नहीं गिरी है। मुझे इस बारे में कोई शक नहीं है कि इस उपाय का भी सभा और सभी वर्गों तथा शिक्षाविदों द्वारा इसी प्रकार स्वागत किया जाएगा। जैसा कि उस समय किया गया था जब मैंने पहली बार घोषणा की थी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6.39 म० प०

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे वित्त (संशोधन) विधेयक, 1987 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 8 दिसम्बर, 1987 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने पर यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद सं० 21 पर विचार करेंगे।

6.40 म० प०

प्रशासनिक न्यायाधिकरण (संशोधन) विधेयक

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 में और संशोधन करने के लिए, राज्य सभा द्वारा यथापारित, विधेयक पर विचार किया जाए।

महोदय, सभा को मालूम है कि प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम को 1985 का 13, जिसे जनवरी, 1985 में पारित किया गया था, राष्ट्रपति की अनुमति 27 फरवरी, 1985 को प्राप्त हुई थी। अधिनियम के अनुसरण में न्यायाधिकरण की स्थापना की गई जिसमें प्रमुख पीठ और अन्य अनेक पीठ स्थापित की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने सम्पत कुमार के मामले में आदेश जारी किए। तीन निर्णय दिए गए थे। एक निर्णय मुख्य न्यायाधीश ने दिया था और दूसरा निर्णय न्यायाधीश रंगनाथ मिश्र और तीन अन्य न्यायाधीशों ने निर्णय की पुष्टि की थी। एक या दो मुद्दों पर सरकार ने पुनरीक्षा के लिए आवेदन किया था। उच्चतम न्यायालय ने पुनरीक्षा याचिका स्वीकार कर सुनवाई की। सरकार की ओर से महान्यायवादी प्रस्तुत हुए और उन्होंने न्यायालय के समक्ष कुछ निवेदन किए। अन्ततः महान्यायवादी द्वारा किए गए अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने सरकार को कतिपय संशोधन करने का निदेश दिया। वर्तमान संशोधनकारी विधेयक का उद्देश्य सरकार की ओर से महान्यायवादी द्वारा किए गए निवेदन को ध्यान में रखते हुए, उच्चतम न्यायालय के आदेशों को कार्यान्वित करना है। अतः वर्तमान अधिनियम के अधीन अत्यन्त महत्वपूर्ण संशोधन यह है कि केवल न्यायिक सदस्य की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करना अपेक्षित है। अधिनियम में यह व्यवस्था है कि न्यायिक सदस्य की ही नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जानी अपेक्षित है, हमारे प्रस्तावित संशोधन के अन्तर्गत न्यायाधिकरण के सभी सदस्यों की नियुक्ति के बारे में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना अपेक्षित है। मुझे विश्वास है कि विद्यमान व्यवस्था में यह एक सुधार है और मुझे आशा है कि सभा संशोधन को स्वीकार करेगी।

महोदय, उच्चतम न्यायालय के एक विद्वान् न्यायाधीश ने टिप्पणी की है कि न्यायाधिकरण के कुछ सदस्यों की नियुक्ति अल्पायु में हो जाती है इसलिए उनकी दक्षता एवं ज्ञान से वंचित नहीं होना चाहिए। इसलिए हम यह व्यवस्था कर रहे हैं कि सदस्य की नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए दूसरी बार भी की जा सकती है। सदस्य के लिए आयु सीमा 62 वर्ष तथा वाइस चेयरमैन और चेयरमैन के लिए 65 वर्ष है। आयु सीमा की उच्चतम न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है। महोदय, न्यायाधीशों ने टिप्पणी की थी कि अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारी उच्च न्यायालय के अनुशासनिक क्षेत्राधिकार में बने रहेंगे और उन्हें न्यायाधिकरण के अन्तर्गत नहीं लाया जाना चाहिए। उन टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, अब हम अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों को अधिकरण के क्षेत्राधिकार से परे रखने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं।

6.43 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

महोदय, एक और छोटा सा संशोधन है। इसका उद्देश्य सदस्यों के वेतन और भत्तों को 1-1-86, जबकि चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया था, अर्थात् भूतलक्षी प्रभाव से पुनः निश्चित करने की शक्ति प्राप्त करना है। महोदय, मोटे तौर पर यही संशोधन है। मेरे विचार में कोई भी संशोधन विवादास्पद नहीं है। इसके विपरीत, मेरा निवेदन यह है कि ये सभी संशोधन महाधिवक्ता द्वारा किए गए अनुरोध को देखते हुए उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसरण में हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि सभा इस संशोधनकारी विधेयक को सर्वसम्मति अनुमोदन प्रदान करे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

खण्ड 2 से 6 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 2 से 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 6 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

6.45 म० प०

भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त समिति सम्बन्धी प्रस्ताव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा की इस सिफारिश पर, जो राज्य सभा द्वारा 15 दिसम्बर, 1987 की अपनी बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव में की गई है और जिसकी सूचना 15 दिसम्बर, 1987 को इस सभा को दी गई है, अपनी सहमति प्रकट करती है कि यह सभा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्ति समिति में सम्मिलित हो, और यह संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने हेतु लोक सभा के निम्नलिखित तीस सदस्य नाम-निर्देशित किए जाएं, अर्थात् :

(1) श्री पी० ए० एन्टनी

(2) श्रीमती वैजयन्तीमाला बाली

(3) श्री अनिल बसु

(4) डा० कृपासिंधु भोई

(5) डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुहा

(6) श्री डी० पी० जदेजा

(7) श्री पी० कृषणन

(8) श्री पी० आर० कुमारमंगलम

(9) श्री कुंवर राम

(10) श्री सुरेश कुरुप

(11) श्री धर्मपाल सिंह मलिक

(12) श्रीमती मनोरमा सिंह

(13) श्री गार्गी शंकर मिश्र

(14) डा० प्रभात कुमार मिश्र

(15) श्री राम नगीना मिश्र

(16) डा० मनोज पाण्डे

(17) डा० वी० राजेश्वरन

(18) श्री के० एच० रंगनाथ

(19) श्री पी० वी० नरसिंह राव

(20) श्री सी० माधव रेड्डी

(21) श्री डी० एन० रेड्डी

(22) श्री एम० आर० सैकिया

(23) श्री नवल किशोर शर्मा

(24) श्री एन० टोम्बी सिंह

(25) डा० सी० पी० ठाकुर

(26) डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी

(27) डा० वी० वेंकटेश

(28) श्री विजय कुमार यादव

(29) डा० गुलाम याजदानी

(30) श्री जैनुल बशर।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा की इस सिफारिश पर, जो राज्य सभा द्वारा 15 दिसम्बर, 1987 की अपनी बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव में की गई है और जिनकी सूचना 15 दिसम्बर, 1987 को इस सभा को दी गई है, अपनी सहमति प्रकट करती है कि यह सभा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो, और यह संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने हेतु लोक सभा के निम्नलिखित तीस सदस्य नाम-निर्देशित किये जाएं, अर्थात्

(1) श्री पी० ए० एन्टनी

(2) श्रीमती वैजयन्तीमाला बाली

(3) श्री अनिल बसु

(4) डा० कृपासिन्धु भोई

(5) डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुहा

(6) श्री डी० पी० जदेजा

(7) श्री पी० कृष्णन

(8) श्री० पी० आर० कुमारमंगलम

(9) श्री कुंवर राम

(10) श्री सुरेश कुरूप

(11) श्री धर्मपाल सिंह मलिक

(12) श्रीमती मनोरमा सिंह

(13) श्री गार्गी शंकर मिश्र

(14) डा० प्रभात कुमार मिश्र

(15) श्री राम नगीना मिश्र

(16) डा० मनोज पांडे

(17) डा० वी० राजेश्वरन

(18) श्री के० एच० रंगनाथ

(19) श्री० पी० वी० नरसिंह राव

(20) श्री सी० माधव रेड्डी

(21) श्री डी० एन० रेड्डी

(22) श्री एम० आर० सैकिया

(23) श्री नवल किशोर शर्मा

(24) श्री० एन० टोम्बी सिंह

(25) डा० सी० पी० ठाकुर

(26) डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी

(27) डा० वी० वेंकटेश

(28) श्री विजय कुमार यादव

(29) डा० गुलाम यादजानी

(30) श्री जैनुल बशर ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अगला कोई आइटम लें,

इससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हमें उम्मीद है कि आप हम सबको आशीर्वाद देकर विदा करेंगे। मैं 6 पंक्तियां इस पवित्र सदन में आपकी आज्ञा से अर्ज करना चाहता हूं :

"नव वर्ष में फिर से मिलेंगे हर्ष होगा साथ में,
संघर्ष का सहचर सतत् उत्कर्ष होगा साथ में,
शरद में न्यौता मिला बैठे यहां हेमन्त में,
फिर मिलेंगे आपसे मधुमास या कि वसन्त में,
गणतंत्र के गणदेव का अर्चन निरन्तर कीजिए,
है समय शुभ कामना का दीजिए और लीजिए।"

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, श्री भगत एक दोहे का पाठ करना चाहते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, मैं इस सभा के सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं, चाहे वे किसी भी पक्ष के हों...।

प्रो० मधु दंडवते : या चाहे वे बीच में हों।

श्री एच० के० एल० भगत : वे चाहे किसी भी पक्ष के हों, इस सत्र में उनके द्वारा दिए गए योगदान के लिए मैं उन्हें हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं।

बेशक हमारा यह सत्र बहुत ही रुचिकर था। हमने महत्त्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की और कई महत्त्वपूर्ण विधेयक इस सत्र में सामने आये। मैं विशेष तौर पर विपक्ष के सदस्यों और नेताओं को सभा की कार्यवाही को पूरा करने में सहयोग देने के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। आज भी उनके सहयोग के बिना सम्भवतः हमारे पास पांच विधेयक थे उन्हें पूरा करना सम्भव नहीं हो पाता। वे इस सभा में बहुत सहयोग देते रहे हैं। हमारे विचार अलग-अलग हैं, कभी-कभी हम असहमत भी होते हैं कभी सहमत होते हैं कभी-कभी टक्कर भी हो जाती है कभी हम क्रुद्ध भी होते हैं और फिर शान्त भी हो जाते हैं। इसके लिए मैं सभी माननीय मदस्यों की अभिशंसा करता हूं।

महोदय, जिस बुद्धिमानी, समझदारी और स्नेह से आपने पीठासीन होकर इस सत्र का संचालन किया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। वह हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कभी-कभी इस सभा में हम, चाहे किसी भी पक्ष के हों, आपके लिए समस्या पैदा करते हैं। तब आप अपनी बुद्धिमानी से समस्याओं को सुलझाते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : हम इसका आनन्द उठाते हैं।

श्री एच० के० एल० भगत : यह हम सबके प्रति आपका विनम्र व्यवहार है कि कठिन कार्य होते हुए भी आपने इसे गरिमा के साथ निभाया है।

आपकी सहायता करने के लिए अपने ऊपर बहुत भार लेने, पीठासीन होने और सभा का कार्य संचालन बहुत गरिमा के साथ, विश्वास के साथ और स्पष्टता के साथ निभाने के लिए मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय का भी धन्यवाद करता हूं।

मैं यदि लोक सभा सचिवालय, महासचिव, उनके सभी सहकर्मियों, सभी कर्मचारियों, जिन्होंने संसद् के इस सत्र के दौरान बहुत कड़ी मेहनत की, का धन्यवाद नहीं करता हूं, तो मैं अपने कर्त्तव्य से च्युत होता हूं।

महोदय, लोक सभा के कर्मचारियों के अलावा मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं जो सत्र के दौरान बहुत कड़ी मेहनत करते हुए अपनी ड्यूटी करते हैं। फिर मैं—संसदीय कार्य सचिव और उनके सहयोगियों का धन्यवाद करता हूं क्योंकि सत्र के दौरान उन पर बहुत भार पड़ता है। मैं प्रेस के सदस्यों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्हें कभी-कभी देर तक बैठना पड़ा। उनके द्वारा दिए गए सहयोग तथा इस सभा की कार्यवाही की ओर ध्यान देने के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं।

अन्त में मैं अपनी सहयोगी श्रीमती शीला दीक्षित, राज्य मंत्री, जो सभा में मेरा पूरा भार अपने ऊपर ले लेती हैं और इसे शालीनता, सौम्यता और गरिमा के साथ निभाती हैं।

एक बार फिर मैं सहयोग देने के लिए सभी का धन्यवाद करता हूं। मैं मंत्रियों तथा सभी का धन्यवाद करता हूं। यदि मैं मंत्रियों का धन्यवाद करता हूं तो यह मुझे स्वयं को धन्यवाद करने वाली बात है। इन शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करके अपने भाषण को समाप्त करता हूं और नए वर्ष के लिए शुभ कामनाएं देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, चूंकि आठवीं लोक सभा का नौवां सत्र आज समाप्त हो रहा है, अतः मैं सभा की कार्यवाही-संचालन में सहयोग देने के लिए सभा के सभी सदस्यों को अपनी ओर से, उपाध्यक्ष की ओर से और सभापति नायिका के सदस्यों की ओर से धन्यवाद देना अपना कर्त्तव्य समझता हूं।

इस सत्र में इस सभा की 28 बैठकें हुईं जो 176 घन्टों से अधिक चलीं।

यह सत्र पंजाब में राष्ट्रपति शासन 6 महीने और बढ़ाने के लिए सांविधिक संकल्प पर वाद-विवाद के साथ शुरू हुआ। इसके अतिरिक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के अनेक विषयों पर चर्चाएं हुईं। राजस्थान के दिवराला गांव में 'सती' की दुःखद घटना और भविष्य में ऐसी निंद्य घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा सुझाए गए उपायों पर चर्चा 7-1/2 घन्टों से अधिक समय तक हुई। इस सभा के अन्दर और इससे बाहर लोगों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं का समादर करते हुए, सरकार ने इस पाशविक प्रथा को समाप्त करने के लिए तत्परता से एक विधेयक पेश किया। यह विधेयक आज इस सभा द्वारा पारित कर दिया गया है।

श्रीलंका में स्थिति पर चर्चा 6 घंटों से अधिक चली।

अभूतपूर्व सूखा और बाढ़ तथा तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न स्थिति चर्चा के अन्य विषय थे जो लगभग 8 घंटे तक चली। नियम 193 के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन पर और फेयरफैक्स समूह से काम लेने के संबंध में ठक्कर-नटराजन जांच आयोग की रिपोर्ट पर भी चर्चाएं हुईं। विभिन्न विषयों पर चर्चाएं लगभग 45 घंटे तक चलीं जोकि सभा की बैठकों के कुल समय का 25 प्रतिशत है। इस पर भी, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों से वृद्धि और अनेक औद्योगिक एककों के बंद होने के संबंध में दो चर्चाओं पर आंशिक रूप से ही चर्चा हुई।

जहां तक विधायी कार्य का संबंध है, इस सभा ने 20 विधेयक पारित किए; जिनमें से कुछ

महत्वपूर्ण विधायी कार्य ये हैं राष्ट्रीय आवास बैंक विधेयक, 1987; प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक, 1987; संविधान (छप्पनवां संशोधन) विधेयक, 1987; रेल दावा अधिकरण विधेयक, 1987; समान पारिश्रमिक (संशोधन) विधेयक, 1987; अखिल भारतीय ... विधेयक, 1987; प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) विधेयक, 1987; और स... 1987।

इस लोक सभा के सम्पूर्ण कार्यकाल में मंत्रि परिषद् के प्रति पहला अविश्व... दिनों तक चर्चा हुई और यह लगभग 13 घंटे तक चली।

इस सभा ने वर्ष 1987-88 के लिए अनुदान (सामान्य) के लिए अनुपूरक मांगों पर चर्चा की और इन्हें पारित किया।

आदिवासियों और समाज के कमजोर वर्गों की भलाई में इस सभा द्वारा ली गई रुचि का पता इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि इस विषय पर गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प पर चर्चा—जो कि बजट सत्र के दौरान 16 अप्रैल, 1987 को शुरू हुई थी—इस वर्तमान सत्र के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प वाले सभी दिनों में जारी रही। इस संकल्प पर वाद-विवाद अभी अधूरी है और यह अगले सत्र में भी होगी।

मैं पुनः सभी सदस्यों, दलों और ग्रुप नेताओं को पीठासीन अधिकारी के साथ पूर्ण सहयोग करने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं संसदीय कार्य मंत्री श्री एच० के० एल० भगत और श्रीमती शीला दीक्षित और विशेष रूप से अपने स्टाफ, लोक सभा के सदस्यों और वाच एंड वार्ड स्टाफ को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्हें देर तक काम करना पड़ा और कभी-कभी तो उन्हें अपना मध्याह्न भोजन और रात का खाना भी छोड़ना पड़ा लेकिन फिर भी उन्होने अपना कार्य अच्छा किया। सुरक्षा व्यवस्था और सभा में पक्ष तथा विपक्ष से संबंधित अन्य बातें भी अच्छे ढंग से चलीं। मैं आपका, विशेषकर, अपने सभापतियों और उपाध्यक्ष जी का वास्तव में आभारी हूं। मुझे उनकी प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने कार्य का पूरा भार उठाया। और नव वर्ष की शुभ कामनाओं सहित हम स्वास्थ्य, समृद्धि और सभी चीजों सहित पुनः भेंट करेंगे। मैं प्रेस को शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिन्होंने अपना काफी योगदान दिया है।

प्रो० मधु दण्डवते : कम भार वाले बजट के साथ।

अध्यक्ष महोदय : हां, हां, जैसा आप चाहते हैं। क्योंकि व्यवहारतः यदि कोई चर्चा, वाद-विवाद अथवा राजनैतिक विचारधाओं में मतभेद नहीं होगा तो लोकतन्त्र नहीं होगा। यह तो होते ही हैं। यह सभा देश के लोगों की आशा के अनुरूप कार्य करेगी और उनकी भलाई के लिए भरसक प्रयत्न करेगी। आप यहां जो कुछ करते हैं, मुझे उस पर पूरा गर्व है। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। अब यह सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

6.56 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3, श्रीराम मार्ग, दक्षिणी भोजपुर, दिल्ली-53.

बी० एल० एस०—48/34/28/87 (एन०)
185

© 1987 प्रतिलिप्याधिकार लोक सभा सचिवालय को प्राप्त

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (छठा संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और प्रबन्धक, चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3, साउथ मौजपुर, दिल्ली-53 द्वारा मुद्रित ।